Parliament Calendar

No. 14(3)/2017-Parl.
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner (MSME)
Parliament Section
****

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated, the 30th June, 2017.

Sub: Calendar of sittings – Twelfth Session of Sixteenth Lok Sabha and Two Hundred and Forty Third Session of Rajya Sabha (July-August, 2017).

Twelfth Session of Sixteenth Lok Sabha and Two Hundred Forty-Third Session of Rajya Sabha (July-August, 2017) is scheduled to commence on Monday the 17th July, 2017.

The sittings for transaction of business have been fixed provisionally as under:-

July: 17,18,19,20,21,24,25,26,27, 28 and 31
August: 1,2,3,4,8,9,10 and 11.

The provisional days allotted for answering Questions for Lok/ Rajya Sabha in respect of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises are given below for the information and necessary action of all concerned:

LOK SABHA
(12th Session of Sixteenth Lok Sabha)

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	
Monday	17th July
Monday	24th July
Monday	31st July

RAJYA SABHA
(Two Hundred and Forty-Third Session)

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	
Wednesday	19th July
Wednesday	26th July
Wednesday	2nd August
Wednesday	9th August

(Robert C. Tully)
Director (Parliament)
Tele No:23062992

To

All Officers in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Office of the DC (MSME).

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 12th Session of 16th Lok Sabha
LOK SABHA

QUESTION DATE 17.07.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
-	-	-	-	-	-

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Use of Khadi	JS (ARI)	8	
2	Cash Withdrawal Limit for MSME	AS&DC/ ADC(SM)	19	
3	Setting up of MSMEs	JS (ARI)	34	
4	Performance of MSME sector	AS&DC/ ADC(SM)	35	
5	Performance of NMCP	AS&DC/ ADC(PS)	47	
6	Development of MSMEs	JS (SME)	49	
7	Prime Minister's Employment Generation Programme	JS (ARI)	56	
8	MSME Hubs	JS (SME)	80	
9	Revival of Closed MSMEs	AS&DC/ DDG(S&D)	88	
10	Eco Mark Label on Coir Products	JS (ARI)	90	
11	National Small Industries Corporation	JS (SME)	99	
12	Impact of Demonetization on MSME's	AS&DC/ ADC(SM)	126	
13	BIS Mark for Electrical Transformers	AS&DC/ ADC(PS)	160	
14	Technology Development Centre	AS&DC/ JS (TC)	196	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 8
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

USE OF KHADI

8. SHRI KUNDARIYA MOHAN BHAI KALYANJI BHAI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government has directed all Government hospitals to use khadi soap, linen etc. to encourage khadi and village industries;
(b) if so, the details thereof indicating the institutions covered under the scheme, number of items included and the amount of benefit likely to accrue to KVI therefrom;
(c) whether the Government proposes to urge the States to undertake similar steps to encourage KVIs and if so, the details thereof; and
(d) the other steps taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d): Yes Madam. Ministry of Health and Family Welfare issued an order No.V.16020/56/2016-INI-I dated 15.02.2017 (copy enclosed with list of items-**Annexure-I**) that Government Hospitals and Medical Research Institutions across the country, such as AIIMS, PGI, Chandigarh, JIPMER Puducherry, NIMHANS, Bengaluru etc will use stipulated 45 Khadi items for exclusive use by Hospitals which include soap, Doctor coats, bed and bath linen, blankets, gowns for patients etc. The expected order value is around Rs.150 crore and will provide additional employment of 120 lakhs man hours to Khadi artisans. Thus the benefit would be captive marketing support to Khadi institutions as well as sustainable employment opportunity to Khadi and Village Industries artisans. Details of various Government Bodies and Corporates who have provided marketing support for Khadi and Village Industries products to KIs as detailed below:

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.8
उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

खादी का उपयोग

8. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) को बढ़ावा देने हेतु सभी सरकारी अस्पतालों को खादी साबुन, लिनेन आदि का उपयोग करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत शामिल संस्थाओं के नाम एवं शामिल की गई वस्तुओं की संख्या कितनी है और इससे केवीआई को कितना लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार केवीआई को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों से समान कदम उठाने के लिए आग्रह करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): जी, हाँ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2017 के आदेश सं. वी-16020/56/2016-आईएनआई-I (मद सूची सहति प्रतिलिपि संलग्न अनुबंध-I) जारी किया है कि देश भर के सरकारी अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यथा एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमेर पुडुचेरी, निम्हांस, बेंगलुरू आदि अस्पतालों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग के लिए निर्धारित 45 खादी मदों का प्रयोग करेंगे जिनमें साबुन, चिकित्सक कोट, रोगियों के लिए बिस्तर एवं स्नान लिनन, कंबल एवं गाउन आदि शामिल हैं। प्रत्याशित आदेश का मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये है और यह खादी कारीगरों को 120 लाख मानव घंटे का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगा। इस प्रकार लाभ खादी संस्थाओं के लिए मोहक विपणन सहायता एवं खादी और ग्रामोद्योग कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार अवसर होंगे। विभिन्न सरकारी निकायों एवं कॉर्पोरेटों जिन्होंने खादी संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए विपणन सहायता दी है, का ब्योरा निम्नलिखित हैः

1. Delhi Police
2. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
3. Post & Telegraphs, Uttarakhand
4. Gujarat University
5. Navy Contingent
6. J.K. Cement
7. Indian Railways
8. Air India
9. IIT Mumbai for Uttariyas (used for convocations)
10. Rural Electrification Corporation
11. All Government schools in Chotila Taluka, Surendranagar Dist., Gujarat
12. Tihar Jail

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has also developed convergence with Raymond Ltd. and Aditya Birla Fashion Retail (ABFL) for design development and marketing linkages for Khadi. MOU has been signed between KVIC and National Institute of Fashion Technology (NIFT) for synergy in product development and design interface in Khadi.

******

1. दिल्ली पुलिस
2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी)
3. डाक और तार, उत्तराखण्ड
4. गुजरात विश्वविद्यालय
5. नेवी कंटिजेंट
6. जे.के. सीमेंट
7. भारतीय रेलवे
8. एयर इंडिया
9 आईआईटी, मुंबई के लिए उत्तरियास (दीक्षांत समारोह के लिए प्रयुक्त)
10. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
11. चोटिला तालुक, सुरेन्द्र नगर जिला गुजरात के सभी सरकारी विद्यालय
12. तिहाड़ जेल

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी के लिए डिजाइन विकास एवं विपणन लिंकेज के लिए रेमंड लिमिटेड एवं आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल (एबीएफएल) के साथ अभिसरण किया है। खादी में उत्पाद विकास एवं डिजाइन इंटरफेस में सहक्रिया के लिए केवीआईसी एवं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****

Annexure-I

V.16020/56/2016-INI-I
Ministry of Health and family Welfare
(Hospital-I Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 15th February, 2017

To

As per the list enclosed

Subject: Enhance the usage of Khadi in Hospitals and healthcare setups – reg.

Madam/Sir

I am directed to refer to the above noted subject and to convey the decision of this Ministry for enhancing the usage of Khadi linen items in all Hospitals and healthcare setups with immediate effect, based on the recommendations contained in the Report submitted by the Chairman of the Committee Dr. B D Athani, Spl. DGHS on Promotion on the use of Khadi in the Hospitals.

2. In pursuance of the decisions taken in the meetings held on 19.12.2016 and 6.1.2017, KVIC has provided a list of 45 items (copy enclosed), which are exclusively meant for usage of Hospitals and autonomous institutes under the administrative control of this Ministry, including AIIMS, NEIGRIHMS, JIPMER, PGI, NIMHANS, RIMS and others.

3. All the Hospitals are requested to initiate necessary action immediately for procurement of the said Khadi items in their Hospitals following the laid down procurement procedure while referring to the Minutes of the Meeting dated 6.1.2017 which have already been circulated and is also enclosed for ready reference.

4. Further, KVIC also has rate contract with Director of Supplies and Disposals, Chennai. The respective hospital may get in contact with KVIC for obtaining the requisite samples and for any further clarification, if so needed.

5. The Action Plan of the procurement of the Khadi items may be forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare as the progress on the same would be monitored periodically.

6. Action taken in the matter may please be intimated to this Ministry.

Yours faithfully

(Oma Nand)
Director (H)
23062870

Encl as above.

अनुबंध-I

वी.16020/56/2016-आईएनआई-I
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(अस्पताल-I अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 फरवरी, 2017

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

विषयः अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने तथा अस्पतालों में खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी डॉ. बी.डी अठानी विशेष महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अन्तर्निहित सिफारिशों के आधार पर तत्काल प्रभाव से सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में खादी लिनन वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय के निर्णय को संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. दिनांक 19.02.2016 तथा 6.01.2017 को आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केवीआईसी ने 25 वस्तुओं की सूची (प्रतिलिपि संलग्न) उपलब्ध कराई है जो एम्स, निग्रिहम्स, जिपमेर, पीजीआई, निम्हांस, रिम्स और अन्य सहित इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अस्पतालों और स्वायत्तशासी संस्थानों के विशेष रूप से प्रयोग के निमित्त है।

3. सभी अस्पतालों से अनुरोध है कि दिनांक 6.01.2017 की बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ देते हुए निर्धारित प्रापण प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने अस्पतालों ने उपर्युक्त खादी वस्तुओं के प्रापण के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें जिसे पहले ही परिचालित कर दिया गया है और सुलभ संदर्भ के लिए भी संलग्न है।

4. इसके अतिरिक्त, केवीआईसी के पास निदेशक आपूर्ति एवं निपटान, चेन्नई के साथ दर संविदा है। संबंधित अस्पताल अपेक्षित नमूना और कोई आगे स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो तो प्राप्त करने के लिए केवीआईसी से संपर्क कर सकता है।

5. खादी वस्तुओं के प्रापण की कार्य योजना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अग्रेषित किया जा सकता है क्योंकि उस पर प्रगति की मॉनीटरिंग समय-समय पर की जाएगी।

6. इस मामले में की गई कार्रवाई से इस मंत्रालय को अवगत कराएं।

भवदीय,

हस्ता./-
(ओमा नंद)
निदेशक (एच)
23062870

संलग्नक यथोपरि।

LIST

1. Director, AIIMS, New Delhi
2. Director, AIIMS, Bhubneshwar
3. Director, AIIMS, Bhopal
4. Director, AIIMS, Rishikesh
5. Director, AIIMS, Raipur
6. Director, AIIMS, Jodhpur
7. Director, AIIMS, Patna
8. Director, PGIMER, Chandigarh
9. Director, JIPMER, Puducherry
10. Director, NIMHANS, Bengaluru
11. Director, National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, Mahrauli Road, New Delhi
12. Director, LHMC and Associated Hospitals, New Delhi
13. Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi
14. Medical Superintendent, Dr. RML Hospital, New Delhi
15. Director, RIMS, Imphal
16. Director, NEIGRIHMS, Shillong
17. Director, CIP, Ranchi
18. Director, VPCI, Delhi
19. Director, LGBRIMH, Tejpur, Assam
20. Director, AIHPH, Kolkata
21. Director, All India Institute of Speech and Hearing, Mysore
22. Director, CGHS, New Delhi
23. Dean, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Wardha

Copy to:

All JSs in the Ministry with the request to issue similar instructions to the Institute/Hospital, if any left out above under their administrative control, under intimation to Hospital Division.

Copy for information to:

1. PS to HFM/MoS(FSK)/MoS(AP)
2. PPS to Secretary(HFW)/DGHS/ AS(H)/ Spl. DGHS/JS(H)

सूची

1. निदेशक, एम्स, नई दिल्ली
2. निदेशक, एम्स, भुवनेश्वर
3. निदेशक, एम्स, भोपाल
4. निदेशक, एम्स, ऋषिकेश
5. निदेशक, एम्स, रायपुर
6. निदेशक, एम्स, जोधपुर
7. निदेशक, एम्स, पटना
8. निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
9. निदेशक, जिपमेर, पुडुचेरी
10. निदेशक, निम्हांस, बेंगलुरू
11. निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पायरेटरी डिजीज, महरौली रोड, नई दिल्ली
12. निदेशक, एलएचएमसी एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल, नई दिल्ली
13. चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली
14. चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली
15. निदेशक, रिम्स, इंफाल
16. निदेशक, निग्रिहम्स, शिलांग
17. निदेशक, सीआईपी, रांची
18. निदेशक, वीपीसीआई, दिल्ली
19. निदेशक, एलजीबीआरआईएमएच, तेजपुर, असम
20. निदेशक, एआईएचपीएच, कोलकाता
21. निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर
22. निदेशक, सीजीएचएस, नई दिल्ली
23. अध्यक्ष महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा

प्रतिलिपि:

इस मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि वे संस्थान/अस्पताल में ऐसे ही अनुदेश जारी करें, यदि कोई प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अस्पताल प्रभाग को सूचना देना रह गई हो।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री/राज्यमंत्री (एफएसके)/राज्यमंत्री (एपी) के निजी सचिव

2. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)/महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/अपर सचिव(एच)/विशेष महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/संयुक्त सचिव(एच) के प्रधान निजी सचिव

LIST OF HOSPITAL ITEMS BY KMC

(51)

S No	Item	Size
1	Bed Sheet White	150x75
2	Abdomen Sheet Green	300x89
3	Draw Sheet White	200x89
4	Gyane Sheet White/Green	100x89
5	Dressing Towel Green	100x89
6	Stretcher Sheet Green	275x225
7	Surgeon Gown Green(O.T.)	Std Size
8	Surgical Patient Gown	Long Size Front Window Open
9	Eye Sheet Green	100x89
10	Kurta (O.T.) For Dr.	All Size
11	Pajama (O.T.) For Dr.	All Size
12	Kurta (O.T.) For Nursing Staff 'U' Neck	All Size
13	Pajama (O.T.) For Nursing	All Size
14	Kurta (O.T.) For Technical Staff	All Size
15	Pajama (O.T.) For Technical Staff	All Size
16	Kurta (O.T.) For Group 'D' Staff/ Mts	All Size
17	Pajama (O.T.) For Group 'D' Staff/ Mts	All Size
18	Patient Kurta Male	All Size
19	Patient Pajama Male	All Size
20	Dr. Coat White F/S-H/S	
21	Bath Towel For The Dr./Officer	Standard Size

Page Cont...2

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अस्पताल वस्तुओं की सूची

क्र.सं.	वस्तु	आकार
1.	बेड शीट व्हाइट	150x75
2.	एब्डोमेन शीट ग्रीन	300x89
3.	ड्रॉ शीट व्हाइट	200x89
4.	ग्यानी शीट व्हाइट/ग्रीन	100x89
5.	ड्रैसिंग टावल ग्रीन	100x89
6.	स्ट्रैचर शीट ग्रीन	275x225
7.	सर्जन गाउन ग्रीन (ओ.टी)	स्टैंडर्ड साइज
8.	सर्जीकल रोगी गाउन	लॉग साइज फ्रंट विंडो ऑपन
9.	आई शीट ग्रीन	100x89
10.	डॉक्टर के लिए कुर्ता (ओ.टी)	सभी आकार
11.	डॉक्टर के लिए पाजामा (ओ.टी)	सभी आकार
12.	नर्सिंग स्टाफ यू नेक के लिए कुर्ता (ओ.टी)	सभी आकार
13.	नर्सिंग के लिए पाजामा (ओ.टी)	सभी आकार
14.	टैक्नीकल स्टाफ के लिए कुर्ता (ओ.टी)	सभी आकार
15.	टैक्नीकल स्टाफ के लिए पाजामा (ओ.टी)	सभी आकार
16.	समूह 'घ'/एमटीएस के लिए कुर्ता (ओ.टी)	सभी आकार
17.	समूह 'घ'/एमटीएस के लिए पाजामा (ओ.टी)	सभी आकार
18.	पुरूष रोगी कुर्ता	सभी आकार
19.	पुरूष रोगी पाजामा	
20.	डॉक्टर कोट व्हाइट एफ/एस-एच/एस	
21.	डॉक्टर/अधिकारी के लिए बाथ टावल	स्टैंडर्ड साइज

22	Hand Towel	
23	Blanket Red	88x58
24	Blanket For Dr.	88x58
25	Jacket (For Ladies Patients)	All Size
26	Peticote (For Ladies Patients)	All Size
27	White Duster	22x22
28	Floor Duster	30x30
29	Bed Sheet Colored	150x275
30	Draw Sheet Colored	89x200
31	Baby Sheet Colored	89x200
32	Pillow Cover White/Colored Standard Size	17x17
33	Green Cloth For Hospital Use	Width 85 To 90 Cm(Per Meter)
34	Baby Blanket	26x44
35	Curtain Cloth Khadi Dosuti Plain/Printed	Width 45"
36	Gowan For Children	
37	Bed Mattress Cottan(With 10kg Waist Cotton)	
38	Mattress Cover White/Colored	
39	Salwar Kamiz Ladies Patient Etc	
40	Dead Boady Sheet Whit Khadi	150x250
41	Hand sanitizer	
42	Liquid Soap	
43	Khadi Phynail	
44	Herbal Shampoo	
45	Herbal Soap	

22.	हैंड टावल	
23.	ब्लैंकेट रेड	88x58
24.	डॉक्टर के लिए ब्लैंकेट	88x58
25.	जैकेट (महिला रोगी के लिए)	सभी आकार
26	पेटीकोट (महिला रोगी के लिए)	सभी आकार
27	व्हाइट डस्टर	22x22
28.	फ्लोर डस्टर	30x30
29.	कलर बेड शीट	150x275
30.	कलर ड्रॉ शीट	89x200
31.	बेबी कलर शीट	89x200
32.	व्हाइट कलर पिलो/स्टैंडर्ड कलर साइज	17x17
33.	अस्पताल के लिए ग्रीन क्लोथ	चौड़ाई 85 से 90 सेमी/प्रति मीटर
34.	बेबी ब्लैंकेट	26x44
35.	कर्टेन क्लोथ खादी दोसूती प्लेन/प्रिंटेड	चौड़ाई 45"
36.	बच्चो के लिए गाउन	
37.	बेड मैट्रेस कॉटन (10 किलोग्राम वैस्ट कॉटन)	
38.	मैट्रेस कवर वाईट/कलर्ड	
39	सलवार कमीज महिला रोगी आदि	
40.	डेड बॉडी शीट वाईट खादी	150x250
41.	हैंड सेनीटाइजर	
42.	लिक्विड सोप	
43.	खादी फिनाइल	
44.	हर्बल शैम्पू	
45.	हर्बल सोप	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 19
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

CASH WITHDRAWAL LIMIT FOR MSME

19. SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether many small and medium enterprises have informed the Government that they were not able to run their business with the limited cash withdrawal limit imposed and if so, the details thereof;

(b) whether the Ministry has made a proposal for higher withdrawal limit of Rs. 2 lakh per week for small and medium enterprises to ease cash crunch that followed the demonetization; and

(c) if so, the details thereof and the current status of this proposal?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): In general, small and medium enterprises have informed the Government that they had faced temporary difficulties due to limited cash withdrawal being imposed, but they have welcomed the initiative of demonetisation.

(b)&(c): No, does not arise.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 19

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

एमएसएमई के लिए नकद निकासी सीमा

19. श्री ए. अरुणमणिदेवनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक लघु और मध्यम उद्यमों ने सरकार को सूचित किया है कि वे सीमित नकद निकासी सीमा की वजह से अपना व्यापार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने विमुद्रीकरण से उत्पन्न नकदी संकट को समाप्त करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए दो लाख रुपये प्रति सप्ताह की उच्च साप्ताहिक सीमा तय करने हेतु कोई प्रस्ताव सौंपा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने मोटेतौर पर सरकार को सूचित किया है कि उन्हें नकदी की सीमित निकासी के कारण अस्थायी रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, किंतु उन सभी ने विमुद्रीकरण की पहल का स्वागत किया है ।

(ख) और (ग) : जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 34
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

SETTING UP OF MSMES

34. SHRI M. RAJA MOHAN REDDY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to set up new Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in various States of the country including Andhra Pradesh during the current year and in near future; and

(b) if so, the details thereof, State/UT-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): Government of India does not set up MSME units in the States. However, Ministry of MSME is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) which is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/OBC/ minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal implementing agency at the national level. KVIC, Khadi & Village Industry Boards (KVIB) and District Industry Centres (DIC) are the implementing agencies in the States. Financial assistance/loans is provided through Banks, Government pays margin money subsidy to the beneficiaries through KVIC at the above mentioned rates for different categories.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 34

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

एमएसएमई की स्थापना

34. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान वर्ष और निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): भारत सरकार राज्यों में एमएसएमई इकाइयां स्थापित नहीं करती है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है जो गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म, उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। वित्तीय सहायता/ऋण बैंकों के माध्यम से दी जाती है। सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए उपर्युक्त दरों पर केवीआईसी के माध्यम से लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी का भुगतान करती है।

Government of India has fixed target under the PMEGP Scheme for various States of the country including Andhra Pradesh for the current year to set up new projects by entrepreneurs is placed at **Annexure-I.**

Ministry of MSME through **Coir Board** is also implementing various Schemes/programmes through its field level offices to assist entrepreneurs to set up new Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in all coconut producing states including Andhra Pradesh. The details of schemes being implemented by the Board are as follows:

1. Mahila Coir Yojana (MCY) is an exclusive scheme for rural women artisans, training is given in spinning of coir yarn/various coir processing activities to rural women in regions producing coir fibre in the country, through all training centres of the Coir Board. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments at 75% subsidy subject to a maximum of Rs. 7500/- to set up their coir unit which can be operated by women after completion of the 2 months training programme. During the training period, the women artisans are given stipend amounting Rs. 1000 per month.

2. Scheme for the Development of Production Infrastructure (DPI) - The Scheme envisages provision of financial assistance for the development of infrastructure and setting up new coir units and modernization of existing units for the sustainable growth of the coir sector. The quantum of assistance eligible to the unit is at the rate of 25% of the cost of equipment and infrastructure facilities, subject to a maximum of Rs.6,00,000/- for setting up of new unit and Rs. 2,00,000/- for modernization of existing unit. In the case of units producing multiple items the maximum amount of subsidy admissible is Rs. 9,00,000/-.

3. Coir Udyami Yojana (CUY) is a credit linked subsidy scheme providing assistance for setting up of any type of coir units with a maximum admissible cost of project upto Rs.10 lakhs plus working capital, which shall not exceed 25% of the project cost. The pattern of assistance under the scheme is 40% of the project cost as Government of India subsidy, 55% as loan from Banks and 5% as beneficiary contribution.

Number of beneficiaries/units benefited by financial assistance under **MCY, DPI** and **CUY** schemes for commencement of enterprises during the last three years is placed at **Annexure-II.**

* * *

भारत सरकार ने उद्यमियों द्वारा नयी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए चालू वर्ष हेतु आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के लिए पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो अनुबंध-I में दिए गए हैं।

कयर बोर्ड के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित सभी नारियल उत्पादक राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को स्थापित करने के लिए उद्यमियों की सहायता अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का ब्योरा निम्नलिखित हैः-

1. महिला कयर योजना (एमसीवाई) ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए एक विशेष स्कीम है, कयर बोर्ड के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से देश में कयर फाइबर उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को कयर यार्न की कताई/विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में कयर इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 7500/- रुपये के अधीन 75% सब्सिडी पर मोटरयुक्त रट्टों/मोटरयुक्त परंपरागत रट्टों एवं अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों जिन्हें 2 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात् महिलाओं द्वारा चलाया जा सकता है, के वितरण पर विचार किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान महिला कारीगरों को 1000/- रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है।

2. उत्पादन अवसंरचना के विकास के लिए स्कीम (डीपीआई) इस स्कीम में अवसंरचना के विकास एवं कयर क्षेत्र के स्थायी विकास के लिए नई इकाइयों की स्थापना और विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान पर विचार किया जाता है। इकाई के लिए पात्र सहायता की प्रमात्रा उपकरणों की लागत एवं अवसंरचना सुविधाओं की 25% की दर से है जो नई इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 6,00,000/- रुपये एवं विद्यमान इकाई के आधुनिकीकरण के लिए 2,00,000/- रुपये पर निर्भर करता है। बहुविध वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के मामले में स्वीकार्य अधिकतम सब्सिडी राशि 9,00,000/- रुपये है।

3. कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) 10 लाख रुपये तक स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत वाली किसी प्रकार की कयर इकाइयों की स्थापना एवं 25% से अनधिक कार्यशील पूँजी के लिए सहायता उपलब्ध कराने वाली ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता का पैटर्न भारत सरकार के सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 40 %, बैंकों से ऋण के रूप में 55% एवं लाभार्थी अंशदान के रूप में 5% है।

विगत तीन वर्षों के दौरान उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए एमसीवाई, डीपीआई एवं सीयूवाई स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों/इकाइयों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (a)to(b) of the Lok Sabha Unstarred Question No.34 for answer on 17.07.2017

Target of Projects, Margin Money and employment under PMEGP for the year 2017-18

(Rs. in lakh)

Sl. No	State/UT	Projects	Margin Money	Employment
1	Jammu & Kashmir	1650	3272.84	13200
2	Himachal Pradesh	900	1785.19	7200
3	Punjab	1650	3272.84	13200
4	Chandigarh	100	100.00	800
5	Haryana	1650	3272.84	13200
6	Delhi	151	300.00	1208
7	Rajasthan	2475	4909.26	18000
8	Uttarakhand	975	1933.95	7800
9	Uttar Pradesh	5625	11157.41	45000
10	Chhattisgarh	2025	4016.67	16200
11	Madhya Pradesh	3825	7587.04	30600
12	Sikkim	100	200.00	800
13	Arunachal Pradesh	250	500.00	2000
14	Nagaland	865	1728.96	6920
15	Manipur	717	1434.32	5736
16	Mizoram	623	1245.66	4984
17	Tripura	642	1283.75	5136
18	Meghalaya	860	1720.32	6880
19	Assam	2676	5351.99	21408
20	Bihar	2850	5653.09	22800
21	West Bengal	1500	2975.31	12000
22	Jharkhand	1800	3570.37	14400
23	Odisha	2250	4462.97	18000
24	A & N Islands	100	100.00	800
25	Gujarat	2475	4909.26	19800
26	Maharashtra	2700	5355.56	21600
27	Goa	150	297.53	1200
28	Andhra Pradesh	975	1933.95	7800
29	Telangana	2325	4611.73	18600
30	Karnataka	2250	4462.97	18000
31	Lakshadweep	100	100.00	800
32	Kerala	1050	2082.72	8400
33	Tamil Nadu	2400	4760.50	19200
34	Puducherry	100	100.00	800
	Total	**50784**	**100449**	**404472**

अनुबंध-I

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.34 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2017-18 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं, मार्जिन मनी एवं रोजगार का लक्ष्य

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	मार्जिन मनी	रोजगार
1	जम्मू और कश्मीर	1650	3272.84	13200
2	हिमाचल प्रदेश	900	1785.19	7200
3	पंजाब	1650	3272.84	13200
4	चंडीगढ़	100	100.00	800
5	हरियाणा	1650	3272.84	13200
6	दिल्ली	151	300.00	1208
7	राजस्थान	2475	4909.26	18000
8	उत्तराखंड	975	1933.95	7800
9	उत्तर प्रदेश	5625	11157.41	45000
10	छत्तीसगढ़	2025	4016.67	16200
11	मध्य प्रदेश	3825	7587.04	30600
12	सिक्किम	100	200.00	800
13	अरुणाचल प्रदेश	250	500.00	2000
14	नागालैंड	865	1728.96	6920
15	मणिपुर	717	1434.32	5736
16	मिजोरम	623	1245.66	4984
17	त्रिपुरा	642	1283.75	5136
18	मेघालय	860	1720.32	6880
19	असम	2676	5351.99	21408
20	बिहार	2850	5653.09	22800
21	पश्चिम बंगाल	1500	2975.31	12000
22	झारखंड	1800	3570.37	14400
23	ओडिशा	2250	4462.97	18000
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100.00	800
25	गुजरात	2475	4909.26	19800
26	महाराष्ट्र	2700	5355.56	21600
27	गोवा	150	297.53	1200
28	आंध्र प्रदेश	975	1933.95	7800
29	तेलंगाना	2325	4611.73	18600
30	कर्नाटक	2250	4462.97	18000
31	लक्षद्वीप	100	100.00	800
32	केरल	1050	2082.72	8400
33	तमिलनाडु	2400	4760.50	19200
34	पुडुचेरी	100	100.00	800
	कुल	**50784**	**100449**	**404472**

Annexure-II referred to in reply to part (a)to(b) of the Lok Sabha Unstarred Question No.34 for answer on 17.07.2017

Number of beneficiaries/units benefited by financial assistance under Mahila Coir Yojana (MCY), Development of Production Infrastructure (DPI) and Coir Udyami Yojana (CUY) Schemes for commencement enterprises in Coir Industry during the last three years:

(Figure in numbers)

State	2014-15			2015-16			2016-17		
	MCY	DPI	CUY	MCY	DPI	CUY	MCY	DPI	CUY
Kerala	188	02	86	531	2	291	137	-	243
Tamil Nadu	38	33	95	-	22	159	-	17	136
West Bengal	128	-	-	65	-	8	-	-	12
Odisha	-	-	21	-	1	65	-	-	42
Andhra Pradesh	**-**	**02**	**28**	**-**	**-**	**74**	**-**	**-**	**77**
Karnataka	-	06	38	-	-	1	-	-	42
Maharashtra	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Andaman & Nicobar Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Gujarat	-	01	-	-	-	-	-	-	4
Assam	-	-	-	-	-	13	-	-	23
TOTAL	**354**	**44**	**268**	**596**	**25**	**611**	**137**	**17**	**586**

अनुबंध-II

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.34 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों के दौरान कयर उद्योग में उद्यमो को प्रारंभ करने के लिए महिला कयर योजना (एमसीवाई), उत्पादन अवसंरचना का विकास (डीपीआई) तथा कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों/इकाइयों की संख्याः

(आंकड़े संख्या में)

राज्य	2014-15			2015-16			2016-17		
	एमसीवाई	डीपीवाई	सीयूवाई	एमसीवाई	डीपीवाई	सीयूवाई	एमसीवाई	डीपीवाई	सीयूवाई
केरल	188	02	86	531	2	291	137	-	243
तमिलनाडु	38	33	95	-	22	159	-	17	136
प. बंगाल	128	-	-	65	-	8	-	-	12
ओडिशा	-	-	21	-	1	65	-	-	42
आन्ध्र प्रदेश	-	**02**	**28**	-	-	**74**	-	-	77
कर्नाटक	-	06	38	-	-	1	-	-	42
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	2
गुजरात	-	01	-	-	-	-	-	-	4
असम	-	-	-	-	-	13	-	-	23
कुल	**354**	**44**	**268**	**596**	**25**	**611**	**137**	**17**	**586**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 35
TO BE ANSWERED ON 17.7.2017

PERFORMANCE OF MSME SECTOR

35. SHRI NALIN KUMAR KATEEL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES be pleased to state:

(a) whether the Government has taken note that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), play a pivotal role in the overall industrial development of the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government has also taken note that the MSMEs continue to face several problems in production and marketing of their products;

(d) if so, whether the Government is taking up/has taken up any study to find out concrete solutions for these problems and if so, the details thereof; and

(e) whether the Government has any proposal to empower the MSMEs sector to create more and more employment opportunities in the country and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)& (b): Yes. The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a pivotal role in the overall industrial development of the country. The MSMEs are widely dispersed across all sectors of the economy starting from agro based cottage industries to high tech precision engineering segment. Furthermore, the share of MSME manufacturing (Gross Value of output) in total manufacturing output is to the tune of 33.29% (in 2015-16) and MSME contribution in the country's GDP is to the tune of 30.74% (in 2014-15). MSMEs also contribute 45% of the total exports from the country.

(c): Yes.

(d): The Government had set up a One Man Committee to give recommendations on the overall policy of the MSME Sector. The committee has since submitted its Report which has a separate chapter on marketing issues.

(e): The Government is committed to empower the MSME Sector. Towards this end various Schemes and programmes are being implemented which include Prime Minister's Employment Generation programme (PMEGP), Credit Guarantee Fund Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness programme (NMCP), Marketing Assistance Scheme and MSE-Cluster Development progarmme etc. These schemes and programmes aim at augmenting the credit delivery, infrastructure, marketing and technology for MSMEs.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 35

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

एमएसएमई क्षेत्र की कार्य निष्पादनता

35. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के समग्र औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को भी संज्ञान में लिया है कि एमएसएमई को अपने उत्पादों के उत्पादन और विपणन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समस्याओं हेतु ठोस समाधन पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया/प्रारंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में अधिक से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन हेतु एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करने का है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश के समग्र औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों से लेकर हाई टेक प्रिसिजन इंजीनियरिंग सेगमेंट तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। इसके अलावा, कुल विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण (उत्पादन का सकल मूल्य) का अंश 33.29 फीसदी (2015-16 में) और देश के जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30.74 फीसदी (2014-15 में) है। एमएसएमई देश के कुल निर्यातों में 45 प्रतिशत का योगदान भी करते हैं।

(ग) : जी, हां।

(घ) : सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की संपूर्ण नीति पर सिफारिशें करने के लिए एक एक सदस्यीय समिति भी गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें विपणन के मुद्दों पर एक अलग अध्याय है।

(ङ) : सरकार एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी), क्रेडिट गारंटी फंड योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी कार्यक्रम, (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), विपणन सहायता योजना और एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, आदि शामिल हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य एमएसएमई के लिए क्रेडिट आपूर्ति, अवसंरचना, विपणन और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 47
TO BE ANSWERED ON 17.7.2017

PERFORMANCE OF NMCP

47. SHRI PRAHLAD SINGH PATEL:

Will the Minister of MICRO, SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the salient features of National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) in the country;
(b) the growth achieved through NMCP by the Government for the MSME sector since its inception;
(c) the total budgetary allocation by the Government for NMCP during the last five years.
(d) whether the Government proposes to enhance NMCP by infusing/participating the talent of world class companies. Start-ups, technology- driven firms and professionals to augment the aim of NMCP for MSME in the country; and
(e) if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) seeks to enhance the competitiveness of manufacturing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through following interventions:

i. Lean Manufacturing Competitiveness Scheme (LMCS)
ii. Design Clinic Scheme,
iii. Technology & Quality UP-gradation support for MSMEs (TEQUP)
iv Digital MSME Scheme,
v. Building Awareness on Intellectual Property
vi. Enabling Manufacturing Sector to be Competitive through Quality Management Standards (QMS) and Quality Technology Tools (QTT) (This component has been subsumed under Zero Defect Zero Effect (ZED) Certification scheme.
vii. Entrepreneurial & Managerial Development of SMEs through incubators

(b): The growth of any enterprise including MSMEs depends upon various factors within and outside the enterprise. The NMCP is designed to increase their competitiveness through the aforesaid interventions which are by and large soft interventions. Thus, NMCP interventions are only one of the factors that contribute to the growth of MSMEs.

(c): Budget allocation for NMCP during last 5 years (from 2012-13 to 2016-17) is Rs. 429.50 crores .

(d)&(e): NMCP is a demand driven programme designed to make MSMEs competitive in domestic and international markets as per the approved guidelines of its various interventions. There are enabling provisions for providing professional consultants and expert agencies to MSMEs in NMCP components like LMCS, Design etc. Moreover, financial assistance is also made available for acquisition of energy efficient technology.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 47

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

एन.एम.सी.पी. का कार्य निष्पादन

47. श्री प्रहलाद सिंह पटेलः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन.एम.सी.पी.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसके आरंभ से एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा एन.एम.सी.पी. के माध्यम से कितना विकास हुआ है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान एन.एम.सी.पी. के लिए सरकार द्वारा कुल कितना बजट आवंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु एन.एम.सी.पी. के उद्देश्यों में वृद्धि हेतु विश्वस्तरीय कम्पनियों, स्टार्टअपों, प्रौद्योगिकी आधरित फर्मों और पेशेवरों की सेवाएं लेकर भागीदारी द्वारा एन.एम.सी.पी. में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) में निम्नलिखित हस्तक्षेपों के माध्यम से विनिर्माण में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की व्यवस्था है:

i. लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस),

ii. डिजाइन क्लीनिक योजना,

iii. एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता (टीईक्यूयूपी),

iv. डिजिटल एमएसएमई योजना,

v. बौद्धिक संपदा के संबंध में जागरूकता निर्माण,

vi. गुणवत्ता प्रबंधन मानकों (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स (क्यूटीटी) के जरिये विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनने में समर्थ बनाना (इस घटक को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) प्रमाणन योजना में सन्निहित कर दिया गया है),

vii. इंक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई का उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास।

(ख) : एमएसएमई सहित किसी भी उद्यम का विकास उद्यम के भीतर और बाहर विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। एनएमसीपी को उक्त हस्तक्षेपों के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जो कुल मिलाकर सॉफ्ट इंटरवेंशन हैं। इस प्रकार एनएमसीपी इंटरवेंशन एमएसएमई के विकास में योगदान करने वाले कारकों में से सिर्फ एक कारक है।

(ग) : पिछले पांच वर्षों (2012-2013 से 2016-17 तक) के दौरान एनएमसीपी के लिए बजट आवंटन 429.50 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) : एनएमसीपी एक मांग प्रेरित कार्यक्रम है, जिसे उसके विभिन्न इंटरवेंशनों के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार किया गया है। एनएमसीपी घटकों जैसे एलएमसीएस, डिजाइन, आदि में एमएसएमई को प्रोफेशनल परामर्शदाता और विशेषज्ञ एजेंसियां उपलब्ध कराने के लिए समर्थकारी प्रावधान हैं। इसके अलावा, ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 49
TO BE ANSWERED ON: 17.07.2017

DEVELOPMENT OF MSMEs

49. SHRI BHAIRON PRASAD MISHRA:
SHRI RAM CHARAN BOHRA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of total number of registered Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and the growth rate thereof in the country during each of the last three years and the current year, State/ UT-wise;

(b) the number of MSMEs closed down in the country particularly in Uttar Pradesh and the reasons therefor during the said period, State/UT-wise;

(c) whether the Government has implemented any scheme for development of the MSMEs in the country; and

(d) if so, the details thereof including the funds allocated/sanctioned and utilised for the purpose during the said period, State/UT-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): The Ministry on 18.09.2015 has notified for online filing of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) at http://udyogaadhaar.gov.in by MSMEs in place of existing Entrepreneurs Memorandum-II. State/UT wise number of registered Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) under Entrepreneur Memorandum-II (EM-II) and Udyog Aadhaar Memorandum(UAM) during the last three years and current year are given in Annexure-I. Units registered under EM-II during 2007-15 (Nine years period) were 21,96,902, whereas units registered under UAM from September, 2015 to till date were 32,72,412 (One Year and Ten months period).

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 49

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास

49. श्री भैरों प्रसाद मिश्रः

श्री रामचरण बोहराः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में तत्संबंधी वृद्धि दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में बंद हो गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए कोई योजना लागू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि् के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आबंटित/मंजूर की गई तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क): मंत्रालय ने दिनांक 18.09.2015 को विद्यमान उद्यमी ज्ञापन-II के स्थान पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा http://udyogaadhar.gov.in पर उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) ऑनलाइन फाइल करने के लिए अधिसूचित किया है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उद्यमी ज्ञापन-II (ईएम-II) तथा उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अंतर्गत, पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है। वर्ष 2007-15 (नौ वर्ष की अवधि) के दौरान ईएम-II के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां 21,96,902 थीं जबकि सितम्बर, 2015 से आज की तारीख तक (एक वर्ष और दस माह की अवधि) यूएएम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां 32,72,412 थीं।

(b): As per the fourth All India Census for MSMEs conducted in 2006-07, for the period ending on 31.3.2007 a total of 4,96,355 registered units in the country were closed out of which 80,616 units were related to State of Uttar Pradesh. State/UT wise number of closed units are given at Annexure-II.

(c)&(d): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has been implementing various schemes and programmes for development and promotion of Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) across the country. The major schemes / programmes include Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSECDP), Performance & Credit Rating Scheme, Marketing Assistance scheme, International Cooperation Scheme, Assistant to Training Institutions etc. All plan schemes implemented by Ministry of MSME are Central Sector Schemes. Therefore, funds are not allocated State-wise, under these schemes. However, the details of fund allocated and utilized under various schemes of the Ministry at all India level during the last three years and the current are, as under:-

(Rs. crore)

Year	Budget Allocation (BE)	Actual Expenditure
2014-15	3327.00	2389.90
2015-16	2612.51	2440.56
2016-17	3000.00	3173.00
2017-18	6481.96	1963.48*

*upto 07.07.2017

******

(ख): वर्ष 2006-07 में एमएसएमई के लिए कराई गई चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए देश में कुल पंजीकृत 4,96,355 इकाइयां बंद हो गईं जिनमें से 80,616 इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। बंद इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(ग) और (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास एवं उन्हे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ऋण गारंटी स्कीम, ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी-स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम - समूह विकास कार्यक्रम (एमएसएमई-डीपी), कार्य निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम, विपणन सहायता स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता आदि शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनागत स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं। इसलिए, इन स्कीमों के अंतर्गत निधियां राज्यवार आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के आबंटित तथा प्रयुक्त निधि का ब्योरा निम्नलिखित है:-

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन (बजट अनुमान)	वास्तविक व्यय
2014-15	3327.00	2389.90
2015-16	2612.51	2440.56
2016-17	3000.00	3173.00
2017-18	6481.96	1963.48*

* 07.07.2017 तक

Annexure-I

Annexure-I referred to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 49 for answer on 17.07.2017

SL. No.	State	Units registered under EM-II	Units registered under UAM since 18.09.2015		
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
1	Andhra Pradesh	2810	9736	161667	26608
2	Arunachal Pradesh	25	60	249	63
3	Assam	2629	36	916	396
4	Bihar	2009	98725	551946	37903
5	Chhattisgarh	1702	4760	6512	1302
6	Goa	160	786	1154	261
7	Gujarat	64160	52046	194852	57717
8	Haryana	1482	4537	23746	9017
9	Himachal Pradesh	388	1036	2006	519
10	Jammu And Kashmir	1159	58	2538	203
11	Jharkhand	3450	21045	49716	5554
12	Karnataka	28754	14168	47729	14533
13	Kerala	14906	11313	23216	4453
14	Madhya Pradesh	19903	39600	87078	22580
15	Maharashtra	36992	54671	209444	33157
16	Manipur	198	1712	6525	1414
17	Meghalaya	118	1	330	100
18	Mizoram	278	1	385	309
19	Nagaland	91	12	170	21
20	Odisha	2995	9849	42204	5768
21	Punjab	2137	4796	20966	6871
22	Rajasthan	18655	34050	102125	34785
23	Sikkim	7	49	115	37
24	Tamil Nadu	143104	41651	267498	58267
25	Telangana	5787	20770	57867	10715
26	Tripura	172	516	1311	174
27	Uttar Pradesh	52203	45158	401400	44456
28	Uttarakhand	2669	1777	4986	1336
29	West Bengal	15244	16449	81628	13435
30	Andaman And Nicobar Islands	112	519	1060	340
31	Chandigarh	160	273	1403	415
32	Dadar And Nagar Haveli	90	244	711	182
33	Daman And Diu	56	179	436	91
34	Delhi	652	7800	20050	5361
35	Lakshadweep	5	10	18	2
36	Puducherry	96	303	1731	426
	Total:-	**425358**	**498696**	**2375688**	**398771**

*As on 13.07.2017

अनुबंध-I

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र.सं.	राज्य	ईएम-II के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां	18.09.2015 से यूएएम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां		
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
1	आंध्र प्रदेश	2810	9736	161667	26608
2	अरुणाचल प्रदेश	25	60	249	63
3	असम	2629	36	916	396
4	बिहार	2009	98725	551946	37903
5	छत्तीसगढ़	1702	4760	6512	1302
6	गोवा	160	786	1154	261
7	गुजरात	64160	52046	194852	57717
8	हरियाणा	1482	4537	23746	9017
9	हिमाचल प्रदेश	388	1036	2006	519
10	जम्मू और कश्मीर	1159	58	2538	203
11	झारखंड	3450	21045	49716	5554
12	कर्नाटक	28754	14168	47729	14533
13	केरल	14906	11313	23216	4453
14	मध्य प्रदेश	19903	39600	87078	22580
15	महाराष्ट्र	36992	54671	209444	33157
16	मणिपुर	198	1712	6525	1414
17	मेघालय	118	1	330	100
18	मिजोरम	278	1	385	309
19	नगालैंड	91	12	170	21
20	ओडिशा	2995	9849	42204	5768
21	पंजाब	2137	4796	20966	6871
22	राजस्थान	18655	34050	102125	34785
23	सिक्किम	7	49	115	37
24	तमिलनाडु	143104	41651	267498	58267
25	तेलंगाना	5787	20770	57867	10715
26	त्रिपुरा	172	516	1311	174
27	उत्तर प्रदेश	52203	45158	401400	44456
28	उत्तराखंड	2669	1777	4986	1336
29	पश्चिम बंगाल	15244	16449	81628	13435
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	112	519	1060	340
31	चंडीगढ़	160	273	1403	415
32	दादरा और नगर हवेली	90	244	711	182
33	दमण और दीव	56	179	436	91
34	दिल्ली	652	7800	20050	5361
35	लक्षद्वीप	5	10	18	2
36	पुडुचेरी	96	303	1731	426
	कुल:-	**425358**	**498696**	**2375688**	**398771**

*13.07.2017 की स्थिति के अनुसार

Annexure-II

Annexure-II referred to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 49 for answered on 17.07.2017

S. No.	Name of the States/UTs	No. units closed
01	Andaman & Nicobar	142
02	Andhra Pradesh	2250
03	Arunachal Pradesh	167
04	Assam	6266
05	Bihar	16344
06	Chandigarh	559
07	Chhattisgarh	15485
08	Dadra & Nagar Haveli	0
09	Daman & Diu	24
10	Delhi	0
11	Goa	2754
12	Gujarat	34945
13	Haryana	10973
14	Himachal Pradesh	4034
15	Jammu & Kashmir	1831
16	Jharkhand	3712
17	Karnataka	47581
18	Kerala	34903
19	Lakshadweep	0
20	Madhya Pradesh	36502
21	Maharashtra	41856
22	Manipur	929
23	Meghalaya	665
24	Mizoram	669
25	Nagaland	2395
26	Orissa	5744
27	Puducherry	711
28	Punjab	24553
29	Rajasthan	17342
30	Sikkim	86
31	Tamilnadu	82966
32	Tripura	424
33	Uttar Pradesh	80616
34	Uttarakhand	8219
35	West Bengal	10708
	All India	**496355**

अनुबंध- II

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र.सं.	राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का नाम	बंद इकाइयों की सं.
01	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	142
02	आंध्र प्रदेश	2250
03	अरुणाचल प्रदेश	167
04	असम	6266
05	बिहार	16344
06	चंडीगढ़	559
07	छत्तीसगढ़	15485
08	दादरा और नगर हवेली	0
09	दमण और दीव	24
10	दिल्ली	0
11	गोवा	2754
12	गुजरात	34945
13	हरियाणा	10973
14	हिमाचल प्रदेश	4034
15	जम्मू और कश्मीर	1831
16	झारखंड	3712
17	कर्नाटक	47581
18	केरल	34903
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	36502
21	महाराष्ट्र	41856
22	मणिपुर	929
23	मेघालय	665
24	मिजोरम	669
25	नगालैंड	2395
26	उड़ीसा	5744
27	पुडुचेरी	711
28	पंजाब	24553
29	राजस्थान	17342
30	सिक्किम	86
31	तमिलनाडु	82966
32	त्रिपुरा	424
33	उत्तर प्रदेश	80616
34	उत्तराखंड	8219
35	पश्चिम बंगाल	10708
	अखिल भारतीय	**496355**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 56
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

PRIME MINISTER'S EMPLOYMENT GENERATION PROGRAMME

56. SHRIMATI P.K. SREEMATHI TEACHER:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether loans under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) are being disbursed to the youths in various States including Kerala;

(b) if so, the details thereof during the last three years, State/UT-wise;

(c) the quantum of loans given to youths in Kerala under the said scheme and the targets fixed/achieved during the said period; and

(d) the steps taken by the Government to achieve the said targets?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): Yes Madam. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector. Any individual above 18 years of age is eligible. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/OBC/minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal implementing agency at the national level. KVIC, Khadi & Village Industry Boards(KVIB) and District Industry Centres (DIC) are the implementing agencies in the States. Financial assistance/loans is provided through Banks, Government pays margin money subsidy to the beneficiaries through KVIC at the above mentioned rates for different categories. The average margin money subsidy is 25% of the project cost, thus the banks provides loan four-times the margin money subsidy disbursed by the Government.

The State/UT-wise details of margin money disbursed under PMEGP during the last three years and current year including Kerala is given at Annexure-I.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 56

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

प्रधनमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

56. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सहित विभिन्न राज्यों में युवाओं को प्रधनमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ऋण संवितरित किए जा रहे हो;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत केरल में युवाओं को दिए गए ऋण की मात्रा कितनी है और उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धरित/प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) जी, हाँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपए एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक राष्ट्रीय स्तर पर नोडल कार्यान्वयन एजेंसी हैं। केवीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसी है। वित्तीय सहायता/ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए उपरोक्त उल्लिखित दरों पर खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी का भुगतान करती है। औसत मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 25 प्रतिशत है। इस प्रकार बैंक सरकार द्वारा संवितरित की मार्जिन मनी सब्सिडी का 4 गुना ऋण उपलब्ध कराते हैं।

विगत तीन वर्षों और केरल सहित वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(c): The targets are fixed by the Government in terms of number of projects to be assisted and margin money disbursed. Details of the target fixed/achieved during last three years in Kerala State are as follows:

(Rs. in lakh)

Year	Target			Achievement		
	Projects	Margin Money	Empl.	Projects	Margin Money disbursed	Empl. generated
2014-15	1826	2306.51	14608	1344	2679.28	9738
2015-16	1366	2731.60	10928	1369	2720.48	9653
2016-17	1973	3946.06	15784	1584	3350.68	13068

(d): Following initiatives have been taken to achieve the targets under PMEGP Scheme:

- In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management and to prevent parking of funds at Nodal bank level an online PMEGP-MIS web portal has been introduced. All applications and fund flow is processed online in stipulated time frame.
- Publicity is being made through print and electronic media, awareness camps at District level and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro industries.
- Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.
- For speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs as per MOU executed between KVIC & MCR.
- Industries such as Khadi, processing of Pashmina Wool, handloom and power loom units, value added products for tea, coffee, rubber etc. and transport activities are now eligible for assistance under PMEGP.
- Implementing Agencies are instructed to encourage and provide necessary assistance to the beneficiaries for filing online application by setting up of help desks.

*****

(ग) सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या एवं संवितरित मार्जिन मनी के संदर्भ में लक्ष्यों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। केरल राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	परियोजना	मार्जिन मनी	रोजगार	परियोजना	संवितरित की गई मार्जिन मनी	सृजित रोजगार
2014-15	1826	2306.51	14608	1344	2679.28	9738
2015-16	1366	2731.60	10928	1369	2720.48	9653
2016-17	1973	3946.06	15784	1584	3350.68	13068

(घ) पीएमईजीपी स्कीम के अतंर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पहल शुरू की गई हैं:

- आवेदन प्रवाह तथा निधि प्रवाह की प्रक्रिया को सरल करने और पारदर्शिता लाने तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने और नोडल बैंक स्तर पर निधियों की पार्किंग रोकने के उद्देश्य से ऑनलाइन पीएमईजीपी-एमआईएस ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू किया गया है। सभी आवेदन पत्र और निधि प्रवाह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन तैयार किए जाते हैं।

- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार करने के उद्देश्य से जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

- उद्यमियों/इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला/राज्य/अंचल स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं।

- ईडीपी प्रशिक्षण की त्वरित पूर्णता के लिए इन्हें केवीआईसी तथा एमसीआर के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों तथा आरसेटी/रूडसेटी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

- खादी, पशमीना ऊन का प्रसंस्करण, हथकरघा तथा विद्युत करघा इकाइयां, चाय, कॉफी, रबड़ आदि के मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे उद्योग और परिवहन कार्यकलाप अब पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

- हेल्प डेस्क की स्थापना करके ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निदेश दिए जाते हैं।

****

Annexure I referred to in reply to part (a)&(b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 56 for answer on 17.07.2017

State /UT wise Margin Money provided to units under PMEGP during last three years and current years

(Rs. in lakh)

Sr. No.	State/UT	Achievement (Margin Money)			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (As on 09.07.2017)
1.	Jammu & Kashmir	3274.63	3781.19	2621.4	777.23
2.	Himachal Pradesh	2237.73	1767.26	2185.27	195.03
3.	Punjab	3190.88	2902.97	3181.6	574.22
4.	U.T. Chandigarh	61.46	87.72	82.84	17.75
5.	Haryana	3012.98	3112.09	3383.53	560.8
6.	Delhi	189.24	254.05	182.41	15.04
7.	Rajasthan	5249.62	4384.07	4641.6	763.37
8.	Uttarakhand	2153.32	1740.86	2122.33	69.45
9.	Uttar Pradesh	16937.53	14456.87	14271.05	2901.66
10.	Chhattisgarh	2045.68	2829.38	4070.73	637.99
11.	Madhya Pradesh	9241.70	8117.17	8346.06	658.78
12.	Sikkim	33.52	186.11	35.93	2.45
13.	Arunachal Pradesh	1004.99	38.85	440.34	43.52
14.	Nagaland	878.59	1392.81	2007.48	687.82
15.	Manipur	1600.76	1213.98	2162.78	196.19
16.	Mizoram	807.98	1026.35	491.96	31.36
17.	Tripura	1333.65	945.84	3734.66	582.99
18.	Meghalaya	971.14	1056.12	407.89	11.63
19.	Assam	5397.01	2869.74	4910.36	676.03
20.	Bihar	4111.32	6588.55	8336.51	1041.76
21.	West Bengal	6010.11	3400.65	6270.32	820.51
22.	Jharkhand	2871.29	3559.74	2654.35	281.55
23.	Odisha	3945.89	5736.32	6848.96	1143.98
24.	A & N Islands	92.32	65.11	193.46	4.34
25.	Gujarat*	6200.52	6339.73	7561.61	2224.05
26.	Maharashtra**	7843.81	5285.03	6001.36	2201.68
27.	Goa	141.76	165.43	191.44	41.76
28.	Andhra Pradesh	3492.11	2262.37	4916.08	1509.79
29.	Telangana	1889.35	2217.57	2561.72	942.89
30.	Karnataka	6479.10	5898.01	11609.56	1781.38
31.	Lakshadweep	28.61	0.00	0	0
32.	Kerala	2679.28	2720.48	3350.68	249.06
33.	Tamilnadu	6733.89	5497.54	8213.92	1008.39
34.	Puducherry	112.10	106.37	103.65	17.19
	Grand Total	**112253.87**	**102006.33**	**128093.84**	**22671.64**

* including Daman and Diu

**including Dadra and Nagar Haveli

अनुबंध-I

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत इकाइयों को प्रदान की जाने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मार्जिन मनी

(रू. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि (मार्जिन मनी)			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (09.07.2017 की स्थिति के अनुसार)
1.	जम्मू और कश्मीर	3274.63	3781.19	2621.4	777.23
2.	हिमाचल प्रदेश	2237.73	1767.26	2185.27	195.03
3.	पंजाब	3190.88	2902.97	3181.6	574.22
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	61.46	87.72	82.84	17.75
5.	हरियाणा	3012.98	3112.09	3383.53	560.8
6.	दिल्ली	189.24	254.05	182.41	15.04
7.	राजस्थान	5249.62	4384.07	4641.6	763.37
8.	उत्तराखंड	2153.32	1740.86	2122.33	69.45
9.	उत्तर प्रदेश	16937.53	14456.87	14271.05	2901.66
10.	छत्तीसगढ़	2045.68	2829.38	4070.73	637.99
11.	मध्य प्रदेश	9241.70	8117.17	8346.06	658.78
12.	सिक्किम	33.52	186.11	35.93	2.45
13.	अरूणाचल प्रदेश	1004.99	38.85	440.34	43.52
14.	नागालैंड	878.59	1392.81	2007.48	687.82
15.	मणिपुर	1600.76	1213.98	2162.78	196.19
16.	मिजोरम	807.98	1026.35	491.96	31.36
17.	त्रिपुरा	1333.65	945.84	3734.66	582.99
18.	मेघालय	971.14	1056.12	407.89	11.63
19.	असम	5397.01	2869.74	4910.36	676.03
20.	बिहार	4111.32	6588.55	8336.51	1041.76
21.	पश्चिम बंगाल	6010.11	3400.65	6270.32	820.51
22.	झारखंड	2871.29	3559.74	2654.35	281.55
23.	ओडिशा	3945.89	5736.32	6848.96	1143.98
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	92.32	65.11	193.46	4.34
25.	गुजरात*	6200.52	6339.73	7561.61	2224.05
26.	महाराष्ट्र**	7843.81	5285.03	6001.36	2201.68
27.	गोवा	141.76	165.43	191.44	41.76
28.	आंध्र प्रदेश	3492.11	2262.37	4916.08	1509.79
29.	तेलंगाना	1889.35	2217.57	2561.72	942.89
30.	कर्नाटक	6479.10	5898.01	11609.56	1781.38
31.	लक्षद्वीप	28.61	0.00	0	0
32.	केरल	2679.28	2720.48	3350.68	249.06
33.	तमिलनाडु	6733.89	5497.54	8213.92	1008.39
34.	पुडुचेरी	112.10	106.37	103.65	17.19
	कुल योग	112253.87	102006.33	128093.84	22671.64

* दमन और दीव सहित

**दादरा और नगर हवेली सहित

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 80
TO BE ANSWERED ON: 17.07.2017

MSME HUBS

80. SHRI R. GOPALAKRISHNAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government has established or proposes to establish Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) hubs/zones in the country;

(b) if so, the details thereof, State/ UT-wise; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)to(c): No, Madam. The Ministry of MSME has not established or proposed to establish Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) hubs/zones in the country. However, this Ministry has approved a scheme for setting up of National Scheduled Caste and Scheduled Tribes (SC/ST) Hub on 25.07.2016. Hon'ble Prime Minister launched the National SC/ST Hub on 18.10.2016 at Ludhiana, Punjab. The National SC/ST Hub is being implemented through the National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC). The Hub is set up to provide professional support to SC/ST entrepreneurs to fulfill the obligations under the Central Government Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order 2012, adopt applicable business practices and leverage the Stand up India initiatives. The functions of Hub include collection, collation and dissemination of information regarding SC/ST enterprises and entrepreneurs, capacity building among existing and prospective SC/ST entrepreneurs through skill training and EDPs, vendor development involving CPSEs, NSIC, MSME-DIs and industry associations including Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry (DICCI), promoting participation of SC/ST entrepreneurs in exhibitions and organizing special exhibitions for this purpose, facilitating SC/ST entrepreneurs participating in public procurement and monitoring the progress, etc.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 80

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

एम.एस.एम.ई. केन्द्र

80. श्री आर. गोपाल कृष्णनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) केन्द्र/जोन की स्थापना की है या करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) जी, नहीं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हब/जोन न तो स्थापित किए हैं अथवा न ही स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इस मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अज./अजाजा) केन्द्र (हब) स्थापित करने के लिए एक स्कीम अनुमोदित की है। माननीय प्रधानमंत्री ने लुधियाना, पंजाब में दिनांक 18.10.2016 को राष्ट्रीय अज./अजजा हब का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय अजा./अजजा हब को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह हब सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) नीति के तहत दायित्वों को पूरा करने, लागू व्यवसाय पद्धति को स्वीकार करने तथा स्टैण्ड अप इंडिया पहलों में उत्थान के लिए अजा/अजजा के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है। हब के कार्यों में अजा/अजजा के उद्यमों एवं उद्यमियों, कौशल प्रशिक्षण एवं ईडीपी, सीपीएसई सहित विक्रेता विकास, एनएसआईसी, एमएसएमई-डीआई तथा दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (डिक्की) सहित उद्योग संघों, प्रदर्शनियों में अजा/अजजा के उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा इस प्रयोजन से विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करने, सार्वजनिक उपलब्धि में अजा/अजजा के उद्यमियों की भागीदारी को सुसाध्य बनाने एवं प्रगति की मॉनीटरिंग करने के माध्यम से विद्यमान एवं भावी अजा/अजजा के उद्यमियों में क्षमता निर्माण के संबंध में सूचना एकत्र करना, मिलान करना एवं प्रचार-प्रसार करना आदि शामिल हैं।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 88
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

REVIVAL OF CLOSED MSMES

88. SHRI RAJENDRA AGARWAL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether a large number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been closed down in the country if so, the details thereof and the reasons therefor along with the number of workers affected therefrom during each of the last three years and current year, State/UT-wise;
(b) whether the Government has set up/proposes to set up a panel to study the problems being faced by MSMEs in the country and if so, the details and status thereof; and
(c) the steps taken/proposed to be taken by the Government to revive and rehabilitate the closed/sick MSMEs in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Information on closure among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are obtained through conduct of periodic census. As far as the 4th All India Census of MSMEs conducted with reference to 2006-07 is concerned, 4.96 lakh MSMEs were found closed. The State/UT-Wise closed MSMEs from the same data source is as given in Annexure-I. The main reasons for closure are (1)Lack of demand, (2)Shortage of working capital, (3)Non-availability of raw materials, (4)Power shortage, (5)Marketing problems, (6)Labour problems, (7)Management problems etc.

The information on the number of workers affected is not collected through the census as referred to above.

(b): No specific panel was set up to study the problems being faced by MSMEs in the country. However, One-Man Committee under the Chairmanship of former Cabinet Secretary was appointed to provide a framework for a National policy for MSME Sector, which has submitted the report.

(c): The Ministry of MSME, under Section 9 of the MSMED Act 2006, notified a Framework for Revival and Rehabilitation of sick MSMEs on the 29th May, 2015. Under this scheme, any enterprise can seek revival and rehabilitation benefit through a committee constituted by the banks with representatives from State Governments experts and others. Subsequently, the RBI, on the 17th March, 2016, issued a revised Framework along with operating instructions to make it compatible with existing regulatory guidelines. In respect of MSME loans above Rs. 10 lakh to Rs. 25 crore, the framework provides for committee approach for deciding corrective action plan for stressed MSMEs.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 88

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

बंद एम.एस.एम.ई. का पुनरुद्धार

88. श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनेक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में एम.एस.एम.ई. के समक्ष आ रही समस्याओं के अध्यन हेतु एक पैनल गठित किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बंद/रुग्ण एम.एस.एम.ई. के पुनरुद्धार और पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बंद होने की सूचना आवधिक गणना आयोजित करके प्राप्त की जाती है। जहां तक एमएसएमई की संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित चौथी अखिल भारतीय गणना का संबंध है, 4.96 लाख एमएसएमई बंद पाए गए। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार बंद एमएसएमई की उपर्युक्त स्रोत से प्राप्त सूची अनुबंध-क में दी गई है। बंद किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : (1) माँग में कमी (2) कार्यशील पूंजी की कमी (3) कच्चे माल की अनुपलब्धता (4) बिजली की कमी (5) विपणन की समस्याएं (6) श्रमिक समस्याएं (7) प्रबंधन संबंधी समस्याएं आदि ।

प्रभावित कामगारों की संख्या के संबंध में सूचना उपर्युक्त संदर्भित गणना के माध्यम से एकत्र नहीं की जाती है ।

(ख) : देश में एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई विशिष्ट पैनल स्थापित नहीं किया गया है । हालांकि भूतपूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति एमएसएमई क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए गठित की गई थी और समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 9 के तहत 29 मई 2015 को रुग्ण एमएसएमई के पुनरुज्जीवन और पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा अधिसूचित की है। इस योजना के तहत कोई भी उद्यम बैंकों द्वारा गठित एक समिति, जिसके प्रतिनिधियों में राज्य सरकार के विशेषज्ञ और अन्य शामिल होंगे, पुनर्वास और पुनरुज्जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है । तत्पश्चात आरबीआई ने उसे मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुकूल बनाने के लिए संचालन निर्देशों के साथ 17 मार्च 2016 को संशोधित रूपरेखा जारी की। इस रूपरेखा में 10 लाख रुपये से 25 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई ऋण के संबंध में, दवाबग्रस्त एमएसएमई के लिए सुधारात्मक कार्य योजना तय करने के लिए समिति दृष्टिकोण का प्रावधान है ।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 88 for answer on 17.07.2017

Table: State/UT-wise distribution of closed MSME

Sl. No.	State/UT Name	CLOSED
01	Andaman & Nicobar Island	142
02	Andhra Pradesh*	2250
03	Arunachal Pradesh	167
04	Assam	6266
05	Bihar	16344
06	Chandigarh	559
07	Chhattisgarh	15485
08	Dadra & Nagar Haveli	0
09	Daman & Diu	24
10	Delhi	0
11	Goa	2754
12	Gujarat	34945
13	Haryana	10973
14	Himachal Pradesh	4034
15	Jammu & Kashmir	1831
16	Jharkhand	3712
17	Karnataka	47581
18	Kerala	34903
19	Lakshadweep	0
20	Madhya Pradesh	36502
21	Maharashtra	41856
22	Manipur	929
23	Meghalaya	665
24	Mizoram	669
25	Nagaland	2395
26	Orissa	5744
27	Puducherry	711
28	Punjab	24553
29	Rajasthan	17342
30	Sikkim	86
31	Tamil Nadu	82966
32	Tripura	424
33	Uttar Pradesh	80616
34	Uttarakhand	8219
35	West Bengal	10708
	All India	**496355**

*Including Telangana

Source : Fourth All India Census of MSME, 2006-07

अनुबंध-I

दिनांक 17.07.2017 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 88 के भाग(क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

तालिका : बंद हो चुके एमएसएमई का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	बंद
01	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	142
02	आंध्र प्रदेश*	2250
03	अरुणाचल प्रदेश	167
04	असम	6266
05	बिहार	16344
06	चंडीगढ़	559
07	छत्तीसगढ़	15485
08	दादरा और नगर हवेली	0
09	दमन और दीव	24
10	दिल्ली	0
11	गोवा	2754
12	गुजरात	34945
13	हरियाणा	10973
14	हिमाचल प्रदेश	4034
15	जम्मू और कश्मीर	1831
16	झारखंड	3712
17	कर्नाटक	47581
18	केरल	34903
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	36502
21	महाराष्ट्र	41856
22	मणिपुर	929
23	मेघालय	665
24	मिजोरम	669
25	नागालैंड	2395
26	ओड़ीसा	5744
27	पुडुचेरी	711
28	पंजाब	24553
29	राजस्थान	17342
30	सिक्किम	86
31	तमिलनाडु	82966
32	त्रिपुरा	424
33	उत्तर प्रदेश	80616
34	उत्तराखंड	8219
35	पश्चिम बंगाल	10708
	संपूर्ण भारतवर्ष	**496355**

* तेलंगाना सहित

स्रोतः एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 90
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

ECO MARK LABEL ON COIR PRODUCTS

90. SHRI PINAKI MISRA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state?

(a) whether it is a fact that the Coir and Coir product importing countries are conscious of the Eco mark label on the products;

(b) if so, the details thereof along with the efforts being made by the Government for obtaining such Eco mark labels from Ministry of Environment and Forest for the Coir exporting units;

(c) whether the possession of such Eco mark labels by the Coir and Coir products exporting units will give an immense boost to their exports and if so, the details thereof; and

(d) whether the Government proposes to increase the export incentive for the Coir and Coir products export, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The importing countries are well aware of the eco-friendliness of the Coir and Coir product. The Coir industry is very much in need of the Eco Labeling for its products which will definitely boost its marketing potential both abroad and within the country. The Coir Board has already taken up the matter of obtaining ECO MARK for coir products with the Ministry of Environment and Forest and is constantly pursuing it for finalizing the criteria for obtaining the ECO Mark.

(c)&(d): The Eco Mark Labeling for coir and coir products will boost the exports of these products in view of the growing affinity towards natural/eco-friendly products in the international market. The Government through the Coir Board is implementing schemes for promotion of coir in the country which also contributes to enhance export of coir and coir products. In particular, the Export Market Promotion Scheme under Coir Vikas Yojana (CVY) provides for adoption of product specific and market specific promotional activities for popularizing coir and coir products in overseas markets, supporting export oriented coir units on modernization, etc. The interventions under the Scheme also include market survey, consultancy, data sourcing, participation in international events and financial assistance to entrepreneurs to participate in international fairs.

In addition to incentives under the Merchandise Export from India Scheme (MEIS), Coir products are also eligible to get fiscal incentives under Duty Drawback Scheme ranging from 1 – 5%.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 90

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

कयर उत्पादों पर इको मार्क लेबल

90. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कयर और कयर उत्पाद आयात करने वाले देश उत्पादों पर इको मार्क लेबल के प्रति जागरूक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कयर निर्यात यूनिटों हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से इको मार्क लेबल प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या कयर और कयर उत्पादों का निर्यात करने वाली यूनिटों द्वारा ऐसे इको मार्क लेबल प्राप्त करने से उनके निर्यात में अत्यधिक वृद्धि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कयर और कयर उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन में बढ़ोतरी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) आयातकर्ता देश कयर एवं कयर उत्पाद की पर्यावरण अनुकूलता से अच्छी तरह अवगत हैं। कयर उद्योग को अपने उत्पादों के इको लेबलिंग की बहुत अधिक जरूरत है जो अपने विपणन संभावनाओं को देश एवं विदेश दोनों में निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। कयर बोर्ड ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ कयर उत्पादों के लिए इको मार्क प्राप्त करने का मामला पहले ही उठाया है और इको मार्क प्राप्त करने के मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए उनका लगातार अनुसरण कर रहा है।

(ग) और (घ) कयर एवं कयर उत्पादों के लिए इको मार्क लेबलिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बढ़ते आकर्षण को देखते हुए इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। कयर बोर्ड के माध्यम से सरकार देश में कयर के संवर्धन के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जो कयर एवं कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहयोग करता है। विशेषकर कयर विकास योजना (सीवीवाई) में निर्यात बाजार संवर्धन स्कीम उत्पाद विशेष एवं विदेशी बाजारों में कयर एवं कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए बाजार विशेष संवर्धनात्मक कार्यकलापों को अपनाने, आधुनिकीकरण पर निर्यात उन्मुखी कयर इकाइयों की सहायता करने, आदि का प्रावधान है। स्कीम के अंतर्गत इंटरवेंशनों में बाजार/सर्वेक्षण, परामर्श, डाटा सोर्सिंग, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

भारतीय स्कीम से माल निर्यात (एमईआईएस) के अंतर्गत प्रोत्साहनों के अलावा, कयर उत्पाद भी 1 से 5 प्रतिशत रेन्ज में ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन पाने के लिए भी पात्र हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 99
TO BE ANSWERED ON: 17.07.2017

NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION

99. SHRIMATI KAVITA KALVAKUNTLA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the National Small Industries Corporation (NSIC) has provided common facility services to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during the last two years;
(b) if so, the details thereof, State/ UT-wise;
(c) whether the NSIC has assisted MSMEs with the supply of basic raw materials during the said period; and
(d) if so, the details thereof, State/ UT-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)&(b): Yes, Madam. The State-wise details of number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which were facilitated through common facility services of the National Small Industries Corporation, a Public Sector Enterprise(PSE) under this Ministry during last two years is given at Annexure-I.

(c)&(d): Yes, Madam. State/UT-wise details of MSMEs were assisted with the supply of basic raw materials by NSIC during the last two years is given at Annexure-II.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 99

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

99. श्रीमती कविता कलवकुंतलाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघ उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को साझा सुविध सेवाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एस.आई.सी. ने उक्त अवधि के दौरान आधरभूत कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति से एम.एस.एम.ई. की सहायता की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का राज्यवार ब्योरा जिन्हें विगत दो वर्ष के दौरान इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, की सामान्य सुविधा सेवाओं के माध्यम से सुसाध्य किया गया है, अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी, हाँ। पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा आधारभूत कच्ची सामग्री की आपूर्ति से सहायता प्राप्त एमएसएमई के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे, अनुबंध-II में दिए गए हैं।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to parts (a) & (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 99 for answer on 17.07.2017

State-wise details of MSMEs facilitated through common facility services of the NSIC

S. No	State/UT	Particulars of CFS provided	No. of MSME units served		
			2015-16	2016-17	2017-18 (upto June,2017)
1	Uttar Pradesh	Job Work Facility	700	680	168
2	Tamil Nadu	Calibration Testing, Job work, Energy Audit, Motor & Pump Testing	1004	898	74
3.	West Bengal	Mechanical & Electrical Testing	835	943	197
4.	New Delhi	Mechanical & Chemical Testing	692	548	132
5.	Gujarat	Diesel Engine, Motor & Pump Testing, Plastic Testing, Solar Pump Testing, Mechanical & Chemical Testing	2212	2962	516
6.	Punjab	Domestic Electrical Appliance Testing	187	116	35
		Total	5630	6147	1122

अनुबंध-I

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.99 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की सामान्य सुविधा सेवाओं के माध्यम से सुसाध्य एमएसएमई का राज्यवार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदान की गई सीएफएस का विवरण	सेवा प्रदान की गई एमएसएमई इकाइयों की संख्या		
			2015-16	2016-17	2017-18 (जून, 2017 तक)
1	उत्तर प्रदेश	जॉब वर्क सुविधा	700	680	168
2	तमिलनाडु	केलीब्रेशन टेस्टिंग, जॉब वर्क, ऊर्जा लेखा, मोटर और पम्प टेस्टिंग	1004	898	74
3.	प. बंगाल	मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग	835	943	197
4.	नई दिल्ली	मैकेनिकल और कैमिकल टेस्टिंग	692	548	132
5.	गुजरात	डीजल इंजन, मोटर एंड डीजल पंप टेस्टिंग, प्लास्टिक टेस्टिंग, सोलर पंप टेस्टिंग एंड मैकेनिकल एंड कैमिकल टेस्टिंग	2212	2962	516
6.	पंजाब	घरेलू इलैक्ट्रिकल एप्लायंस टेस्टिंग	187	116	35
		कुल	5630	6147	1122

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to parts (c) & (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 99 for answer on 17.07.2017

State/UT-wise details of MSMEs assisted with basic raw materials by NSIC

(Quantity in MTs)

S. No.	State/UT	2015-16	2016-17
1	Uttar Pradesh	14185.1	47243.48
2	Uttaranchal	3210.72	3870.21
3	Rajasthan	78486.03	76778.47
4	Punjab	149063.95	130849.38
5	Chandigarh	20103.93	10411
6	Haryana	15172.66	17382.49
7	Delhi	11809.63	40457.35
8	Maharashtra	187549.23	206170.25
9	DNH	12956	7408
10	Chattisgarh	46883.03	18712.27
11	Madhya Pradesh	7415.44	15850.06
12	Gujarat	83337.9	77522.33
13	Tamilnadu	63067.67	61671.37
14	Pondicherry	199.03	584
15	Kerala	116.72	10495
16	Andhra Pradesh	7670.17	25084.44
17	Telangna	51825.69	94251.93
16	Karnataka	59567.17	63501.63
17	West Bengal	90007.86	73434.67
18	Odisha	68429.98	92666.26
19	Jharkhand	25576	27151
20	Bihar	1810.28	2884.18
21	Assam	7263.18	27726
22	Himachal Pradesh	5837.62	3684
	Grand Total	**1011544.99**	**1135789.77**

अनुबंध-II

दिनांक 17.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.99 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

.राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा आधारभूत कच्ची सामग्री से सहायता प्राप्त एमएसमई का राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्योरा

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17
1	उत्तर प्रदेश	14185.1	47243.48
2	उत्तराखण्ड	3210.72	3870.21
3	राजस्थान	78486.03	76778.47
4	पंजाब	149063.95	130849.38
5	चंडीगढ़	20103.93	10411
6	हरियाणा	15172.66	17382.49
7	दिल्ली	11809.63	40457.35
8	महाराष्ट्र	187549.23	206170.25
9	दादरा नगर हवेली	12956	7408
10	छत्तीसगढ़	46883.03	18712.27
11	मध्य प्रदेश	7415.44	15850.06
12	गुजरात	83337.9	77522.33
13	तमिलनाडु	63067.67	61671.37
14	पुंडुचेरी	199.03	584
15	केरल	116.72	10495
16	आंध्र प्रदेश	7670.17	25084.44
17	तेलंगाना	51825.69	94251.93
16	कर्नाटक	59567.17	63501.63
17	पश्चिम बंगाल	90007.86	73434.67
18	ओडिशा	68429.98	92666.26
19	झारखंड	25576	27151
20	बिहार	1810.28	2884.18
21	असम	7263.18	27726
22	हिमाचल प्रदेश	5837.62	3684
	कुल योग	**1011544.99**	**1135789.77**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 126
TO BE ANSWERED ON: 17.07.2017

IMPACT OF DEMONETIZATION ON MSMEs

126. SHRI SHIVKUMAR UDASI:
DR. P. VENUGOPAL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demonetization has adverse impact on the viability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and has resulted into rising defaults by MSMEs in the country;
(b) if so, the details thereof and the reaction of the Government thereto;
(c) whether it is also a fact that one of the reasons for these defaults was that a large number of units of MSMEs have been shut down after demonetization; and
(d) if so, the details thereof and the corrective steps taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): Demonetization, while immobilizing black money and fighting corruption may have led to temporary slowdown of economic activity in the country and affected MSMEs. However, as more and more transactions become cashless, it will improve the transparency of the economy. In general the MSMEs have welcomed the initiative.

(c): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has not conducted any study on this issue.

(d): The various steps taken by the Government which will help MSMEs to tackle any adverse impact of demonetization are as follows:

(i) Union Budget 2017-18 has proposed to reduce the tax rate of MSMEs reporting turnover of less than Rs 50 crore to 25% from the existing 30%.

(ii) Recently under Credit Guarantee Fund Scheme the Union Government has approved augmentation of the corpus of the Credit Guarantee Trust from the present level of Rs. 2500 crore to Rs. 7500 crore. Approval has been accorded to increase the coverage of the loans under the scheme from Rs. 1 crore to Rs. 2 crore. The scheme has also been extended to include NBFCs as lending institutions.

(iii) As per the Union Budget 2017-18, under the Scheme of presumptive income tax, for small and medium tax payers whose turnover is upto Rs. 2 crore, the presumptive income has been taken as 6% of the turnover instead of 8%, which is received in non-cash means.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 126

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

एमएसएमई पर विमुद्रीकरण का प्रभाव

126. श्री शिवकुमार उदासिः
डॉ. पी. वेणुगोपालः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप देश में एमएसएमई द्वारा चूक के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन चूकों में से एक कारण यह भी था कि विमुद्रीकरण के पश्चात् बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयां बंद हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क और ख) : विमुद्रीकरण से कालेधन को रोकने और भ्रष्टाचार से लड़ने के क्रम में देश की आर्थिक कार्यकलापों की गति अस्थायी रूप से धीमी और एमएसएमई प्रभावित हो सकती हैं । हालांकि, जैसे-जैसे अधिकाधिक लेन-देन कैशलेस हो रहे हैं, इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में सुधार होगा । सामान्य रूप से एमएसएमई ने इस पहल का स्वागत किया है ।

(ग) : इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय ने कोई अध्ययन नहीं कराया है ।

(घ) : सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे विभिन्न कदम जिनसे एमएसएमई को विमुद्रीकरण के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी, निम्नानुसार हैं:-

(i) केंद्रीय बजट 2017-18 में 50 करोड़ रु. से कम का टर्नओवर सूचित करने वाले एमएसएमई के लिए टैक्स की दर को विद्यमान 30 % से कम करके 25% करना प्रस्तावित है ।

(ii) हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के कार्पस को 2500 करोड़ रु. के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 7500 करोड़ रु. करने को अनुमोदित किया है । इस योजना के तहत ऋण के कवरेज को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रु. करने को अनुमोदित किया गया है । इस योजना में ऋणदाता संस्थानाओं के रूप में एनबीएफसी को शामिल करते हुए योजना का विस्तार किया गया है ।

(iii) केंद्रीय बजट 2017-18 के अनुसार, उन लघु और मध्यम करदाताओं के लिए, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रु. तक है, प्रकल्पित आयकर योजना के तहत प्रकल्पित आय नगदी रहित साधनों से प्राप्त होने के मामले में, 8% के बजाय टर्नओवर की 6% मानी गई है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 160
TO BE ANSWERED ON 17.07.2017

BIS MARK FOR ELECTRICAL TRANSFORMERS

160. SRIMTI RAKSHATAI KHADSE:

(a) whether Government proposes to make it mandatory for all manufacturer (Micro, Small & Medium) electrical transformers for distribution of electrical power to compulsorily undergo BIS Certification and if so, the details thereof;

(b) whether the Government has received memorandum to reconsider this amendment of compulsory BIS mark for the electrical transformers from various state organizations specially from Micro, Small and Medium Scale Transformer Manufacturing Associations; and

(c) if so, the details thereof and corrective steps being taken by the Government in this regards?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Yes. Department of Heavy Industries has notified Gazette notification no. 948 dated 07.05.2015 titled as 'Electrical Transformers (Quality Control) order, 2015, making BIS certification mandatory for manufacturing of distribution transformers upto 2500kVA rating;

(b): Yes;

(c): One Representation from All India Transformer Manufacturers Association (AITMA), New Delhi has been received by this Ministry, wherein, it was requested for making BIS Certification voluntary for the units having labeling license from BEE and vice versa. BIS is the national body for standard formulation therefore the matter was forwarded to BIS for necessary action.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 160

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

बिजली के ट्रांसफार्मरों के लिए बीआईएस चिन्ह

160. श्रीमती रक्षाताई खाडसेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के सभी बिजली ट्रांसफार्मर विनिर्माताओं के लिए विद्युत ऊर्जा के वितरण हेतु बी आई एस प्रमाणन अनिवार्य करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य संगठनों और विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय ट्रांसफार्मर विनिर्माता संघों से बिजली के ट्रांसफार्मरों के लिए बीआईएस चिन्ह को अनिवार्य किए जाने वाले संशोधन पर पुनर्विचार हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : जी, हां । भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 07.05.2015 को 'इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 2015' शीर्षक से राजपत्र अधिसूचना सं 948 अधिसूचित किया है, जिसमें 2500 केवीए रेटिंग तक के वितरण ट्रांसफार्मरों के विनिर्माण के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है ।

(ख) : जी, हां ।

(ग) : इस मंत्रालय को ऑल इंडिया ट्रांसफार्मर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईटीएमए), नई दिल्ली से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें बीईई से लेबलिंग लाइसेंस वाली इकाइयों के लिए बीआईएस प्रमाणन को ऐच्छिक बनाने का अनुरोध किया गया है । बीआईएस मानक निरूपण के लिए राष्ट्रीय निकाय है, इसलिए इस मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु बीआईएस को अग्रेषित कर दिया गया है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 196
TO BE ANSWERED ON: 17.07.2017

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRE

196. SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the status of work on Tool Room/Technology Development Centre to be set up at Rohtak and Saha, Ambala in Haryana including the stage of construction of building infrastructure;

(b) the number of new tool rooms/ Technology Development Centres approved/proposed in Haryana during the last three years;

(c) whether the work is going on as per the schedule or is there some delay in completion of work and if so, the details thereof along with the corrective steps taken by the Government;

(d) the investment made by the Government in setting up each of these centres and the number of people to be benefitted from one such centre every year; and

(e) the time by when these tool rooms are likely to be made operational?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): The construction work of new Technology Centre at Rohtak has started. The decision for establishment of Extension Centre of Technology Centre, Rohtak at Saha, Ambala may be taken up after the Technology Centre, Rohtak becomes operational.

(b): Under Technology Centre Systems Programme (TCSP) one Technology Centre at Rohtak in Haryana has been approved.

(c): The construction work of Technology Centre, Rohtak is going on as per schedule.

(d): The estimated cost of Technology Centre, Rohtak, as per Detailed Project Report (DPR) is Rs.125.65 crore. Once the Technology Centre is fully operational, it will have the capacity to train up to 8500 trainees annually.

(e): Technology Centre, Rohtak is likely to be operational by the year 2019-20.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 196

उत्तर देने की तारीख 17.07.2017

प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

196. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इमारत अवसंरचना के निर्माण चरण सहित रोहतक और साहा, अंबाला में स्थापित किए जाने वाले टूल रूम/प्रौद्योगिकी विकास केंद्र संबंधी कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में स्वीकृत/प्रस्तावित नए टूल रूमों/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कार्य अनुसूची अनुसार चल रहा है या कार्य को पूर्ण करने में कुछ विलंब हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) इन प्रत्येक केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है और प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रत्येक एक केन्द्र से लाभान्वित हुए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन टूल रूमों को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : रोहतक में नए प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है । प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक के चालू होने के बाद साहा में प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक का विस्तार केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया जा सकता है ।

(ख) : प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीपी) के तहत हरियाणा के रोहतक में एक प्रौद्योगिकी केंद्र अनुमोदित किया गया है ।

(ग) : प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रहा है।

(घ) : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक की अनुमानित लागत 125.65 करोड़ रुपये है । प्रौद्योगिकी केंद्र की एक बार पूर्णतया परिचालित हो जाने के पश्चात प्रति वर्ष 8500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी ।

(ङ) : प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक को वर्ष 2019-20 तक चालू हो जाने की आशा है ।

****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 243rd Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 19.07.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
-	-	-	-	-	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Micro and Small Entreprises Facilitation councils	AS&DC/ ADC(SM)	431	
2.	Self employment schemes of KVIC	JS (ARI)	432	
3.	Scheme for setting up small industry for rural women	JS (ARI)	433	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 431
TO BE ANSWERED ON 19.07.2017

Micro and Small Enterprises Facilitation Councils

431. SHRI P.L. PUNIA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Micro and Small Enterprises Facilitation Councils have been established in all States and Union Territories as on date;

(b) if so, the details thereof, State/UT-wise and if not, the reasons therefor;

(c) whether a number of delayed payment cases filed with the said Councils have been disposed of so far; and

(d) the steps taken by Government for speedy disposal of delayed payment cases by the Councils?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)&(b): Yes. The details are placed at Annex-I.

(c): As on 14.07.2017 out of the 4249 cases filed in the said Councils, 985 cases have been disposed of.

(d): The Micro and Small Enterprises Facilitation Councils (MSEFCs) are quasi judicial bodies in whose matters the Government of India does not directly intervene. However, the Government continuously follows up with the State Governments/UT Administrations for timely disposal of such cases. The Ministry of MSME has also developed a MSEFC Delayed Payment Monitoring System (MDPMS) for monitoring the disposal of the cases filed with MSEFCs.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 431

उत्तर देने की तारीख 19.07.2017

सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रसुविधा परिषद

431. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आज की तारीख के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रसुविधा परिषद प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परिषदों में अब तक दायर किए गए देरी से किए गए भुगतान संबंधी कई मामलों का निपटान कर दिया गया है; और

(घ) सरकार ने परिषदों द्वारा देरी से भुगतान संबंधी मामलों के सत्वर निपटान के लिए कौन- कौन से कदम उठाए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : जी, हां। ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है ।

(ग) : 14.07.2017 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त परिषद में दर्ज कुल 4249 मामलों में से 985 मामलों का निपटान कर दिया गया है ।

(घ) : सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसके मामलों में भारत सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है । किंतु सरकार ऐसे मामलों के समय पर निपटान के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार प्रयास करती रहती है । एमएसएमई मंत्रालय ने भी एमएसईएफसी में दर्ज किए गए मामलों के निपटान की निगरानी करने के लिए एमएसईएफसी विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली (एमडीपीएमएस) विकसित की है ।

*****

Annex-I

Annexure-I referred to in reply to part (a)&(b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No.431 for answer on 19.07.2017

Micro and Small Enterprises Facilitation Councils(MSEFC) established in States and Union Territories as on date:

Sl. No.	States/UTs	No. of MSEFCs
1	Andaman and Nicobar Islands	1
2	Andhra Pradesh	1
3	Arunachal Pradesh	1
4	Assam	1
5	Bihar	1
6	Chandigarh	1
7	Chhattisgarh	1
8	Dadra and Nagar Haveli	1
9	Daman and Diu	1
10	National Capital Territory of Delhi	1
11	Goa	1
12	Gujarat	1
13	Haryana	1
14	Himachal Pradesh	1
15	Jammu and Kashmir	2
16	Jharkhand	1
17	Karnataka	4
18	Kerala	1
19	Lakshadweep	1
20	Madhya Pradesh	1
21	Maharashtra	7
22	Manipur	1
23	Meghalaya	1
24	Mizoram	1
25	Nagaland	1
26	Odisha	1
27	Puducherry	1
28	Punjab	1
29	Rajasthan	1
30	Sikkim	1
31	Tamil Nadu	4
32	Telangana	1
33	Tripura	1
34	Uttar Pradesh	1
35	Uttarakhand	1
36	West Bengal	1

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 431 जिसका उत्तर 19.07.2017 को दिया जाना है के उत्तर के भाग 'क' और 'ख' में संदर्भित अनुबंध-I

आज की तिथि तक राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थापित
सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी):

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	एमएसईएफसी की सं.
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	1
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	1
5	बिहार	1
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	1
8	दादरा और नगर हवेली	1
9	दमन और दीव	1
10	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1
11	गोवा	1
12	गुजरात	1
13	हरियाणा	1
14	हिमाचल प्रदेश	1
15	जम्मू और कश्मीर	2
16	झारखंड	1
17	कर्नाटक	4
18	केरल	1
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	1
21	महाराष्ट्र	7
22	मणिपुर	1
23	मेघालय	1
24	मिजोरम	1
25	नागालैंड	1
26	ओडिशा	1
27	पुडुचेरी	1
28	पंजाब	1
29	राजस्थान	1
30	सिक्किम	1
31	तमिलनाडु	4
32	तेलंगाना	1
33	त्रिपुरा	1
34	उत्तर प्रदेश	1
35	उत्तराखंड	1
36	पश्चिम बंगाल	1

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 432
TO BE ANSWERED ON 19.07.2017

Self employment scheme of KVIC

432. SHRI DARSHAN SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has launched a scheme to provide self-employment to the disabled, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons living below poverty line in the country; and

(b) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): Government/Khadi and Village Industries Commission has not launched any scheme to provide self-employment to the disabled, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons living below poverty line. However, Ministry of MSME is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) which is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/OBC/ minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal implementing agency at the national level. KVIC, Khadi & Village Industry Boards (KVIB) and District Industry Centres (DIC) are the implementing agencies in the States. Financial assistance/loans is provided through Banks, Government pays margin money subsidy to the beneficiaries through KVIC at the above mentioned rates for different categories.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 432

उत्तर देने की तारीख 19.07.2017

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्व-नियोजन

योजना

432. श्री दर्शन सिंह यादवः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश के निःशक्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों तथा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को स्व-नियोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना को प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क)और (ख): सरकार/खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिव्यांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है जो गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म, उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। वित्तीय सहायता/ऋण बैंकों के माध्यम से दी जाती है। सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए उपर्युक्त दरों पर केवीआईसी के माध्यम से लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी का भुगतान करती है।

The details of the number of projects set up by Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC, Physically Handicapped, Minority and employment created for them during the years 2014-15 to 2016-17 are as follows:

Year	State/UT	SC	ST	OBC	PHC	MINORITY
2014-15	Projects set up (in Nos)	5606	5069	16064	267	5553
	Margin Money subsidy (Rs. in lakhs)	10703.43	7390.10	41191.26	561.11	11942.60
	Employment (in Nos)	35273	27669	129980	2220	39055
2015-16	Projects set up (in Nos)	5127	4941	15014	290	4951
	Margin Money subsidy (Rs. in lakhs)	9809.88	6910.81	38830.82	645.41	11506.98
	Employment (in Nos)	33219	32004	114760	2262	35679
2016-17 (Provisional)	Projects set up (in Nos)	6135	5239	16403	317	5250
	Margin Money subsidy (Rs. in lakhs)	12222.33	8547.13	47394.72	794.18	8779.12
	Employment (in Nos)	39877	34053	131224	2536	41366

* * *

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या और सृजित रोजगार का ब्योरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग	अल्पसंख्यक
2014-15	स्थापित परियोजनाएं (संख्या में)	5606	5069	16064	267	5553
	मार्जिन मनी सब्सिडी (रूपये लाख में)	10703.43	7390.10	41191.26	561.11	11942.60
	रोजगार (संख्या में)	35273	27669	129980	2220	39055
2015-16	स्थापित परियोजनाएं (संख्या में)	5127	4941	15014	290	4951
	मार्जिन मनी सब्सिडी (रूपये लाख में)	9809.88	6910.81	38830.82	645.41	11506.98
	रोजगार (संख्या में)	33219	32004	114760	2262	35679
2016-17 (अनंतिम)	स्थापित परियोजनाएं (संख्या में)	6135	5239	16403	317	5250
	मार्जिन मनी सब्सिडी (रूपये लाख में)	12222.33	8547.13	47394.72	794.18	8779.12
	रोजगार (संख्या में)	39877	34053	131224	2536	41366

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 433
TO BE ANSWERED ON 19.07.2017

Scheme for setting up small industry for rural women

433. SHRI AMAR SHANKAR SABLE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government/ Khadi and Village Industries Commission is implementing/ proposes to implement any scheme for setting up small industry for rural women and whether markets are being established for their products in co-ordination with the Ministry of Women and Child Development so that social and economic condition of rural women specially those living below the poverty line can be improved;
(b) if so, the details thereof and the present status of the above scheme in the country including Maharashtra; and
(c) the steps taken/being taken by Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): Ministry of MSME is implementing **Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)** which is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/OBC/ minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is the nodal implementing agency at the national level. KVIC, Khadi & Village Industry Boards (KVIB) and District Industry Centres (DIC) are the implementing agencies in the States. Financial assistance/loans is provided through Banks, Government pays margin money subsidy to the beneficiaries through KVIC at the above mentioned rates for different categories.

Ministry of MSME through Coir Board is implementing the **Mahila Coir Yojana (MCY)** scheme which is exclusively for rural women. Under MCY, training is given in spinning of coir yarn/various coir processing activities to rural women in regions producing coir fibre in the country, through all training centres of the Coir Board. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments at 75% subsidy subject to a maximum of Rs. 7500/- to set up their coir unit which can be operated by women after completion of the 2 months training programme. During the training period, the women artisans are given stipend amounting Rs. 1000 per month.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 433

उत्तर देने की तारीख 19.07.2017

ग्रामीण महिलाओं के लिए लघु उद्योग स्थापित करने हेतु योजना

433. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण महिलाओं के लिए लघु उद्योग स्थापित करने हेतु किसी योजना को कार्यान्वित कर रही है/कार्यान्वित करने का विचार रखती है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समन्वयन में उनके उत्पादों के लिए बाजार का सृजन कर रही है ताकि ग्रामीण महिलाओं, विशेषतः जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही हैं, की समाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं। वित्तीय सहायता/ऋण बैंकों के माध्यम से दी जाती है। सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए उपर्युक्त दरों पर केवीआईसी के माध्यम से लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी का भुगतान करती है।

कयर बोर्ड के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय महिला कयर योजना (एमसीवाई) कार्यान्वित कर रहा है जो विशेष रूप से ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए है। कयर बोर्ड के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से देश में कयर फाइबर उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को कयर यार्न की कताई/विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में कयर इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 7500/- रुपये के अधीन 75% सब्सिडी पर मोटरयुक्त रट्टों/मोटरयुक्त परंपरागत रट्टों एवं अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों जिन्हें 2 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात् महिलाओं द्वारा चलाया जा सकता है, के वितरण पर विचार किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान महिला कारीगरों को 1000/- रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है।

The Ministry has not yet associated with the Ministry of Women and Child Development for the marketing of Khadi & Village Industry (KVI) and Coir products.

Number of beneficiaries/units benefited by financial assistance under MCY, DPI & CUY Schemes in Coir Industry during the last three years is placed at **Annexure-I.** Details of the number of projects set up by women entrepreneurs and employment created for women under KVIC during the last years is placed at **Annexure-II.**

KVIC also extend marketing support by way of advertisement, organizing exhibitions. These entrepreneurs can also sell their products through more than 7050 Bhavan/Bhandars run by different Khadi institutions and also through Departmental Sales Outlets (DSOs) of KVIC/KVIB in the country.

The other steps being taken by the Government to encourage and promote women entrepreneurs in the country are as follows:

1. Awareness camps about KVI scheme at District level and state level are being organized, so that unemployed youth and women can get the benefit of scheme.
2. Publicity through print and electronic media about PMEGP schemes is made.
3. District, State and National level exhibitions are organized where the entrepreneurs can sell their products.
4. To increase the registration of MSMEs, the Government has undertaken measures that the PMEGP units can adopt the Udyog Aadhar Memorandum (UAM) to register online for filing for industrial land application for credit, pollution clearance etc.
5. An online grievance handling system for PMEGP is set up to provide prompt and online redressal.
6. KVIC brought out a booklet "Celebrating the spirit of women entrepreneurship" Road to pride and progress, highlighting the success stories of some of the women entrepreneurs under PMEGP during 2014-15.
7. KVIC published a book "PMEGP success stories of entrepreneurs" of National Awardees and Successful entrepreneurs of PMEGP during 2014-15.
8. Under Khadi activity 80% women are Khadi artisans. Under the Skill Development Programme, KVIC has focused on women oriented training courses like Beautician, Baking, Tailoring, Cooking etc. The number of women trained under Skill Development Programme is given as below:

Year	Total Number of women trained	No. of women trained in Maharashtra
2014-15	55634	12838
2015-16	45135	8923
2016-17 (Provisional)	47123	11051

* * *

मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) तथा कयर उत्पादों के विपणन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ अभी तक नहीं जुड़ा है।

विगत तीन वर्षों के दौरान कयर उद्योग में एमसीवाई, डीपीआई तथा सीयूवाई स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों/इकाइयों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है। विगत वर्षों के दौरान केवीआईसी के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं तथा महिलाओं के लिए सृजित रोजगार की संख्या का ब्योरा अनुबंध-II में दिया गया है।

केवीआईसी विज्ञापन, प्रदर्शनियां आयोजित करने के रूप में विपणन सहायता भी देता है। ये उद्यमी देश में विभिन्न खादी संस्थाओं द्वारा संचालित 7050 से अधिक भवनों/भंडारों तथा केवीआईसी/केवीआईबी के विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) के माध्यम से भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदम निम्नलिखित हैं:

1. जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर केवीआई स्कीम के बारे में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि बेरोजगार युवक एवं महिलाएं स्कीम का लाभ ले सकें।
2. पीएमईजीपी स्कीम के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है।
3. जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जहाँ उद्यमी अपने उत्पाद बेच सकते हैं।
4. एमएसएमई के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार ने उपाय किए हैं कि पीएमईजीपी इकाइयां ऋण, प्रदूषण अनापत्ति आदि के लिए औद्योगिक भूमि आवेदन को फाइल करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) को अपना सकती हैं।
5. पीएमईजीपी के लिए तुरंत एवं ऑनलाइन निवारण करने के लिए ऑनलाइन शिकायत हैण्डलिंग सिस्टम स्थापित किया गया है।
6. केवीआईसी ने वर्ष 2014-15 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत कुछ महिला उद्यमियों की सफल कहानियों का उल्लेख करते हुए उनके गौरव एवं प्रगति पथ पर "सेलीब्रेटिंग द स्पिरिट ऑप वुमन एंटरप्रिन्योरशिप" नामक पत्रिका प्रकाशित की।
7. केवीआईसी ने वर्ष 2014-15 के दौरान पीएमईजीपी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं एवं सफल उद्यमियों की "पीएमईजीपी सक्सेस स्टोरिज ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप" नामक पुस्तक प्रकाशित की।
8. खादी कार्यकलाप के अंतर्गत 80% महिलाएं खादी कारीगर हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवीआईसी ने ब्यूटिशियन, बेकिंग, टेलरिंग, कूकिंग आदि जैसे महिला उन्मुखी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया है। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	महाराष्ट्र में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
2014-15	55634	12838
2015-16	45135	8923
2016-17 (अनंतिम)	47123	11051

****

Annexure-I referred to in reply to part (a)to(c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No.433 for answer on 19.07.2017

Number of beneficiaries/units benefited by financial assistance under Mahila Coir Yojana (MCY), Development of Production Infrastructure (DPI) and Coir Udyami Yojana (CUY) Schemes for commencement enterprises in Coir Industry during the last three years:

(Figure in numbers)

State	2014-15			2015-16			2016-17		
	MCY	DPI	CUY	MCY	DPI	CUY	MCY	DPI	CUY
Kerala	188	02	86	531	2	291	137	-	243
Tamil Nadu	38	33	95	-	22	159	-	17	136
West Bengal	128	-	-	65	-	8	-	-	12
Odisha	-	-	21	-	1	65	-	-	42
Andhra Pradesh	-	02	28	-	-	74	-	-	77
Karnataka	-	06	38	-	-	1	-	-	42
Maharashtra	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**
Andaman & Nicobar Islands	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Gujarat	-	01	-	-	-	-	-	-	4
Assam	-	-	-	-	-	13	-	-	23
TOTAL	**354**	**44**	**268**	**596**	**25**	**611**	**137**	**17**	**586**

अनुबंध-I

दिनांक 19.07.2017 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.433 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों के दौरान कयर उद्योग में उद्यमों को प्रारंभ करने के लिए महिला कयर योजना (एमसीवाई), उत्पादन अवसंरचना का विकास (डीपीआई) तथा कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों/इकाइयों की संख्याः

(आंकड़े संख्या में)

राज्य	2014-15			2015-16			2016-17		
	एमसीवाई	डीपीवाई	सीयूवाई	एमसीवाई	डीपीवाई	सीयूवाई	एमसीवाई	डीपीवाई	सीयूवाई
केरल	188	02	86	531	2	291	137	-	243
तमिलनाडु	38	33	95	-	22	159	-	17	136
प. बंगाल	128	-	-	65	-	8	-	-	12
ओडिशा	-	-	21	-	1	65	-	-	42
आन्ध्र प्रदेश	-	02	28	-	-	74	-	-	77
कर्नाटक	-	06	38	-	-	1	-	-	42
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	2
गुजरात	-	01	-	-	-	-	-	-	4
असम	-	-	-	-	-	13	-	-	23
कुल	**354**	**44**	**268**	**596**	**25**	**611**	**137**	**17**	**586**

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (a)to(c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No.433 for answer on 19.07.2017

Details of the number of projects set up by women entrepreneurs and employment created for women during the years 2014-15 to 2016-17

All India Performance

Year	No. of Projects setup by Women	MM Subsidy (Rs. in lakh) to women	No. of Employment provided to women under PMEGP
2014-15	13394	33918.06	101885
2015-16	11356	27504.40	83433
2016-17 (P)	12565	32476.16	942375

Maharashtra State

Year	No. of Projects setup by Women	MM Subsidy (Rs. in lakh)	No. of Employment provided to women under PMEGP
2014-15	1195	2570.12	8584
2015-16	678	1534.43	4225
2016-17 (P)	690	1896.67	5520

*(P)-Provisional

अनुबंध-II

दिनांक 19.07.2017 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.433के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं एवं महिलाओं के लिए सृजित रोजगार की संख्या का ब्योरा

अखिल भारतीय कार्यनिष्पादन

वर्ष	महिलाओं द्वारा स्थापित परियोजनाओं की सं.	महिलाओं को मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिलाओं को दिये गये रोजगार की संख्या
2014-15	13394	33918.06	101885
2015-16	11356	27504.40	83433
2016-17 (अनंतिम)	12565	32476.16	942375

महाराष्ट्र राज्य

वर्ष	महिलाओं द्वारा स्थापित परियोजनाओं की सं.	मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिलाओं को दिये गये रोजगार की संख्या
2014-15	1195	2570.12	8584
2015-16	678	1534.43	4225
2016-17 (अनंतिम)	690	1896.67	5520

*(पी)-अनंतिम

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 12th Session of 16th Lok Sabha
LOK SABHA

QUESTION DATE 24.07.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Subsidy to MSMEs	JS (ARI)	**104**	**4***	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Impact of Cheap Imports on Rubber Sector	AS&DC/ JDC (SRS)	1158	
2	Employment in MSME Sector	JS (ARI)	1159	
3	Promotion of Rural Artisans	JS (ARI)	1182	
4	MSME Cluster Development Programme	AS&DC/ AIA (SS)	1205	
5	Establishment of IEDS	JS (SME)	1206	
6	Interest Rate of Loans to MSMEs	AS&DC/ ADC (EA)	1243	
7	Foreign Investment in Khadi Gramodyog	JS (ARI)	1288	
8	Export Friendly Scheme	AS&DC/ JDC (SRS)	1289	
9	DG Supplies & Disposals	AS&DC/ JDC (SRS)	1299	
10	Promotion of MSMEs	AS&DC/ DDG (S&D)	1319	
11	Impact of Make in India on MSME	AS&DC/ DDG (S&D)	1333	
12	NSIC Programmes	JS (SME)	1360	
13	Performance of KVIC	JS (ARI)	1369	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO.*104
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

SUBSIDY TO MSMES

*104. SHRI GOPAL SHETTY:
SHRI VINOD LAKHAMASHI CHAVDA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to provide subsidy and other benefits to the Micro, Small and Medium Enterprises in the country; and

(b) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI KALRAJ MISHRA)

(a)&(b): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 104

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को राज सहायता

*104. श्री गोपाल शेट्टीः

श्री विनोद लखमाशी चावड़ाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम को राज सहायता तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क) से (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) and (b) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION No.*104 FOR ANSWER ON 24.07.2017

(a)&(b): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing the following Schemes/programmes providing subsidy and other benefits to the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the country:

1. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)
2. Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)
3. A Scheme for promotion of Innovation, Entrepreneurship (ASPIRE)
4. Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC)
5. Workshed Scheme for Khadi Artisans
6. Market Promotion Development Assistance (MPDA) Scheme
7. Khadi Reforms Development Programme(KRDP)
8. Coir Vikas Yojana
9. Coir Udyami Yojana
10. Coir S&T Scheme
11. Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises(MSEs)
12. Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)
13. Credit linked Capital subsidy Scheme (CLCSS)
14. Marketing Assistance & Technology Up-gradation(MATU) Scheme
15. National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP)
16. Financial Support to MSMEs in Zero Defect Zero Effect (ZED) certification Scheme.
17. Technology Centre Systems Programme (TCSP)
18. Micro Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP)
19. Performance and Credit Rating Scheme
20. Assistance to Training Institutes
21. Marketing Assistance Scheme
22. International Cooperation Scheme
23. National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub
24. Digital MSME Scheme.

In addition, the following Institutes are also working for the development of MSMEs:

(A) The National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (**ni-msme**), conducts training and capacity building programme for development of micro, small and medium enterprises in India.

(B) Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI) is promoting innovation, quality and productivity to make the rural products competitive. MGIRI conducts technology dissemination workshops/ seminars for entrepreneurs.

(C) National Small Industries Corporation Ltd.(NSIC) is providing comprehensive support to MSMEs through Marketing, Technology and Credit support services.

*****

दिनांक 24.07.2017 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *104 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सब्सिडी एवं अन्य लाभ प्रदान करने वाली निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
2. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)
3. नवप्रवर्तन, उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)
4. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक)
5. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम
6. बाजार संवर्धन विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए)
7. खादी सुधार विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)
8. कयर विकास योजना
9. कयर उद्यमी योजना
10. कयर विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम
11. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए (एमएसई) के लिए लोक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) नीति
12. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई)
13. ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)
14. विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू) स्कीम
15. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)
16. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) प्रमाणन स्कीम में एमएसएमई को वित्तीय सहायता
17. प्रौद्योगिकी केन्द्र पद्धति कार्यक्रम (टीसीएसपी)
18. सूक्ष्म, लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)
19. कार्यनिष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम
20. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता
21. विपणन सहायता स्कीम
22. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम
23. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब
24. डिजिटल एमएसएमई स्कीम

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित संस्थाएं भी एमएसएमई के विकास के लिए कार्य कर रही हैं:

(क) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(ख) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) ग्रामीण उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवप्रवर्तन, गुणत्ता और उत्पादकता को संवर्धित कर रहा है। एमगिरी उद्यमियों के लिए प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करता है।

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) विपणन, प्रौद्योगिकी और ऋण सहायता सेवाओं के माध्यम से एमएसएमई को व्यापक सहायता दे रहा है।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1158
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

IMPACT OF CHEAP IMPORTS ON RUBBER SECTOR

1158. ADV. JOICE GEORGE:
SHRI C. MAHENDRAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether the influx of cheap imports from China is hurting the rubber MSME sector in the country and if so, the details thereof; and
(b) the corrective steps taken / proposed to be taken by the Government to protect the rubber farmers against such imports in the country ?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): The information available from Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry reveals that rubber products including tyres enter the country at a reduced rate of duty i.e 8.6% from China under Asia Pacific Trade Agreement (APTA) as compared to the basic duty of 10% due to which import from China is increasing. Major rubber products imported from China are under HS Code 4011 (New pneumatic tyres) and HS Code 4016 (other articles of vulcanised rubber). Most of the products under HS 4016 are products manufactured by MSMEs.

As per Directorate General of Safeguards (Central Board of Excise & Customs), no study / investigation has been carried out on impact of cheap imports of rubber on MSME sector.

(b) As per information received from Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry, imposition of Anti Dumping Duty (ADD) on import of Truck and Bus Radial Tyres (TBR) is under process with Directorate General of Anti Dumping (DGAD).

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1158

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

रबर क्षेत्र में सस्ते निर्यात का प्रभाव

1158. एडवोकेट जोएस जॉर्जः

श्री सी. महेंद्रनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीन से आयातित सस्ते रबर का देश में रबड़ से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में ऐसे निर्यात से रबड़ किसान को बचाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : रबर बोर्ड, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना यह दर्शाती है कि टायर सहित रबर उत्पाद 10 फीसदी के बेसिक ड्यूटी के मुकाबले चीन से एशिया पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट (एप्टा) के तहत कम शुल्क यानि 8.6 फीसदी पर देश में आते हैं जिसके कारण चीन से आयात बढ़ रहा है । चीन से आयातित प्रमुख रबर उत्पाद एचएस कोड 4011 (नए न्यूमेटिक टायर) और एचएस कोड 4016 (वल्कनाज्ड रबर की अन्य मदें) के अंतर्गत आते हैं। एचएस 4016 के अंतर्गत अधिकांश उत्पाद एमएसएमई द्वारा निर्मित किए जाते हैं।

सुरक्षोपाय महानिदेशालय (केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड) के अनुसार रबर के सस्ते आयातों के एमएसएमई क्षेत्र पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन/जांच नहीं करवाया गया है ।

(ख) : रबर बोर्ड, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, ट्रक और बस रेडियल टायर (टीबीआर) के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) लगाने की प्रक्रिया एंटी डंपिंग महानिदेशालय (डीजीएडी) के अधीन चल रही है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1159
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

EMPLOYMENT IN MSME SECTOR

1159. SHRI SADASHIV LOKHANDE:
SHRI ANURAG SINGH THAKUR:
SHRI ARJUN LAL MEENA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether employment opportunities are declining in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector;

(b) if so, the details thereof along with the reasons therefor, State/UT-wise; and

(c) the number of employment opportunities generated through implementation of the various schemes in the MSMEs sector during each of the last three years and the current year, State/UT-wise including Rajasthan?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): No Madam.

(b): Does not arise.

(c): Ministry of MSME is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) which is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. Any individual above 18 years of age is eligible. For setting up of projects costing above Rs.10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business /service sector, the beneficiaries should possess at least VIII standard pass educational qualification. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1159

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार

1159. श्री सदाशिव लोखंडेः

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

श्री अर्जुन लाल मीणाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के द्वारा राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को कार्यान्वित कर रहा है जो एक प्रमुख ऋण सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर कृषि - क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पात्र है। परियोजना स्थापित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक हो और लाभार्थियों की शैक्षिक योग्यता कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/पूर्वोत्तर क्षेत्र पहाडी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।

The Scheme was launched during 2008-09. A total of 4.23 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs 8695.27 crore providing employment to an estimated 35.48 lakh persons since PMEGP's inception till 2016-17.

The State/UT-wise details including the State of Rajasthan for employment generation under the PMEGP Scheme during each of the last three years and current year is placed at **Annexure-I.**

There has also been no decline in employment in the Khadi and Village Industry sector as may be seen from the table below:

(Employment in lakh persons)

Year	Employment under Khadi	Employment under Village Industries	Total
2013-14	10.98	119.40	130.38
2014-15	11.06	123.19	134.25
2015-16	11.07	126.76	137.83
2016-17 (P)	11.17	131.36	142.53

The figures of employment generated during 2013-14, 2014-15 and 2015-16 are given State-wise including Rajasthan as per **Annexure-II**.

*****

स्कीम वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू की गई थी। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत से 2016-17 तक अनुमानित 35.48 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 8695.27 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से कुल 4.23 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के लिए राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार में कोई कमी नहीं हुई है जिसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

(रोजगार व्यक्ति लाख में)

वर्ष	खादी के अंतर्गत रोजगार	ग्रामोद्योग के अंतर्गत रोजगार	कुल
2013-14	10.98	119.40	130.38
2014-15	11.06	123.19	134.25
2015-16	11.07	126.76	137.83
2016-17 (अनंतिम)	11.17	131.36	142.53

वर्ष 2013-14, 2015-16 और 2015-16 के दौरान सृजित रोजगार राजस्थान सहित राज्य वार आंकड़ें अनुबंध-II. में दिए गए हैं।

***

Annexure I referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1159 for answer on 24.07.2017

Sr. No.	State/UT	Estimated employment generation			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 #
1	Andhra Pradesh	12220	7740	14148	3088
2	Arunachal Pradesh	2871	104	1984	240
3	Assam	15535	9026	31498	5424
4	Bihar	9240	19624	25872	3048
5	Chhattisgarh	5821	9496	12856	1144
6	Goa	406	500	660	136
7	Gujarat*	18107	14960	11629	1984
8	Haryana	7024	7232	11016	1720
9	Himachal Pradesh	6352	5134	6916	616
10	Jammu & Kashmir	11025	12115	11691	2592
11	Jharkhand	8495	12873	10400	1112
12	Karnataka	21825	17284	30286	4200
13	Kerela	9738	9653	13068	920
14	Madhya Pradesh	21896	16497	15520	1448
15	Maharashtra**	28311	20161	17799	5280
16	Manipur	829	2715	8419	784
17	Meghalaya	3680	4824	2632	64
18	Mizoram	6736	9072	3400	288
19	Nagaland	2407	4998	7783	3256
20	Orissa	10211	17629	20392	3784
21	Punjab	6438	7762	9858	1848
22	Rajasthan	15002	14537	13408	1856
23	Sikkim	54	397	201	8
24	Tamil Nadu	36190	20836	25764	4144
25	Telangana	6604	7761	6445	1944
26	Tripura	6333	5355	17961	1992
27	Uttar pradesh	48604	43059	36315	6560
28	Uttarakhand	7889	6161	9890	328
29	West Bengal	24646	12746	26604	1976
30	A & N Islands	790	293	1398	40
31	UT Chandigarh	160	323	376	72
32	Delhi	1584	2048	952	80
33	Lakshadweep	93	0	0	0
34	Pondicherry	386	447	699	104
	TOTAL	**357502**	**323362**	**407840**	**62080**

upto 30.6.2017

* Include Daman & Diu

** Include Dadar & Nagar Haveli

अनुबंध-I

दिनांक 24.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1159 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित सृजित रोजगार			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 #
1	आंध्र प्रदेश	12220	7740	14148	3088
2	अरुणाचल प्रदेश	2871	104	1984	240
3	असम	15535	9026	31498	5424
4	बिहार	9240	19624	25872	3048
5	छत्तीसगढ़	5821	9496	12856	1144
6	गोवा	406	500	660	136
7	गुजरात*	18107	14960	11629	1984
8	हरियाणा	7024	7232	11016	1720
9	हिमाचल प्रदेश	6352	5134	6916	616
10	जम्मू और कश्मीर	11025	12115	11691	2592
11	झारखंड	8495	12873	10400	1112
12	कर्नाटक	21825	17284	30286	4200
13	केरल	9738	9653	13068	920
14	मध्य प्रदेश	21896	16497	15520	1448
15	महाराष्ट्र**	28311	20161	17799	5280
16	मणिपुर	829	2715	8419	784
17	मेघालय	3680	4824	2632	64
18	मिजोरम	6736	9072	3400	288
19	नगालैंड	2407	4998	7783	3256
20	उड़ीसा	10211	17629	20392	3784
21	पंजाब	6438	7762	9858	1848
22	राजस्थान	15002	14537	13408	1856
23	सिक्किम	54	397	201	8
24	तमिलनाडु	36190	20836	25764	4144
25	तेलंगाना	6604	7761	6445	1944
26	त्रिपुरा	6333	5355	17961	1992
27	उत्तर प्रदेश	48604	43059	36315	6560
28	उत्तराखंड	7889	6161	9890	328
29	पश्चिम बंगाल	24646	12746	26604	1976
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	790	293	1398	40
31	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	160	323	376	72
32	दिल्ली	1584	2048	952	80
33	लक्षद्वीप	93	0	0	0
34	पुडुचेरी	386	447	699	104
	कुल	**357502**	**323362**	**407840**	**62080**

*दादरा और नगर हवेली सहित

** दमण और दीव सहित

30.6.2017 तक

Annexure-II

Annexure I referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1159 for answer on 24.07.2017

State-wise Employment Generation under Khadi and Village Industries

(Employment in lakh persons)

Sr. No.	Name of State	2013-14			2014-15			2015-16		
		Khadi	V.I.	Total	Khadi	V.I.	Total	Khadi	V.I.	Total
1.	J.& K.	0.21	2.74	2.95	0.24	2.82	3.06	0.24	2.9	3.14
2.	H. P.	0.08	2.45	2.53	0.08	2.54	2.62	0.08	2.63	2.71
3.	Punjab	0.44	3.61	4.05	0.44	3.73	4.17	0.44	3.84	4.28
4.	U.T. Chandigarh	0.00	0.23	0.23	0	0.24	0.24	0	0.24	0.24
5.	Haryana	0.50	3.3	3.80	0.5	3.4	3.9	0.5	3.51	4.01
6.	Delhi	0.04	0.32	0.36	0.04	0.32	0.36	0.04	0.32	0.36
7.	Rajasthan	0.84	9.47	10.31	0.84	9.79	10.63	0.84	10.06	10.90
8.	Uttarakhand	0.41	1.09	1.50	0.41	1.13	1.54	0.41	1.17	1.58
9.	UttarPradesh	4.06	15.88	19.94	4.1	16.39	20.49	4.11	16.88	20.99
10.	Chhattisgarh	0.08	1.44	1.52	0.08	1.5	1.58	0.08	1.54	1.62
11.	M. P.	0.07	4.46	4.53	0.07	4.6	4.67	0.07	4.73	4.80
12.	Sikkim	0.00	0.26	0.26	0	0.26	0.26	0	0.26	0.26
13.	Aru. Pradesh	0.00	0.15	0.15	0	0.15	0.15	0	0.15	0.15
14.	Nagaland	0.00	0.68	0.68	0	0.7	0.7	0	0.71	0.71
15.	Manipur	0.00	0.85	0.85	0	0.87	0.87	0	0.89	0.89
16.	Mizoram	0.00	1.05	1.05	0	1.08	1.08	0	1.11	1.11
17.	Tripura	0.00	0.79	0.79	0	0.81	0.81	0	0.79	0.79
18.	Meghalaya	0.00	0.52	0.52	0	0.54	0.54	0	0.55	0.55
19.	Assam	0.19	4.35	4.54	0.19	4.5	4.69	0.19	4.64	4.83
20.	Bihar	1.10	3.38	4.48	1.1	3.49	4.59	1.1	3.60	4.70
21.	West Bengal	1.03	9.3	10.33	1.04	9.59	10.63	1.04	9.88	10.92
22.	Jharkhand	0.04	0.61	0.65	0.04	0.63	0.67	0.04	0.64	0.68
23.	Orissa	0.04	3.84	3.88	0.04	3.96	4	0.04	4.08	4.12
24.	A. & N. Island	0.00	0.26	0.26	0	0.27	0.27	0	0.28	0.28
25.	Gujarat*	0.39	2.35	2.74	0.39	2.41	2.8	0.39	2.47	2.86
26.	Maharashtra**	0.03	9.02	9.05	0.03	9.3	9.33	0.03	9.57	9.60
27.	Goa	0.00	0.2	0.20	0	0.2	0.2	0	0.2	0.20
28.	A. P.	0.33	8.89	9.22	0.25	5.18	5.43	0.25	5.35	5.60
29.	Telangana	0.00	0.00	0.00	0.08	3.99	4.07	0.08	4.10	4.18
30.	Karnataka	0.40	5.33	5.73	0.4	5.5	5.9	0.4	5.68	6.08
31.	Lakshadweep	0.00	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01
32.	Kerala	0.18	5.16	5.34	0.18	5.33	5.51	0.18	5.51	5.69
33.	Tamil Nadu	0.52	17.31	17.83	0.52	17.86	18.38	0.52	18.37	18.89
34.	Puducherry	0.00	0.1	0.10	0	0.1	0.1	-	0.10	0.10
	Grand Total	**10.98**	**119.40**	**130.38**	**11.06**	**123.19**	**134.25**	**11.07**	**126.76**	**137.83**

* Including Daman & Diu

** Include Dadar & Nagar Haveli

अनुबंध-II

दिनांक 24.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1159 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत राज्य वार रोजगार सृजन

(रोजगार व्यक्ति लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-14			2014-15			2015-16		
		खादी	ग्रामोद्योग	कुल	खादी	ग्रामोद्योग	कुल	खादी	ग्रामोद्योग	कुल
1.	जम्मु और कश्मीर	0.21	2.74	2.95	0.24	2.82	3.06	0.24	2.9	3.14
2.	हिमाचाल प्रदेश	0.08	2.45	2.53	0.08	2.54	2.62	0.08	2.63	2.71
3.	पंजाब	0.44	3.61	4.05	0.44	3.73	4.17	0.44	3.84	4.28
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	0.23	0.23	0	0.24	0.24	0	0.24	0.24
5.	हरियाणा	0.50	3.3	3.80	0.5	3.4	3.9	0.5	3.51	4.01
6.	दिल्ली	0.04	0.32	0.36	0.04	0.32	0.36	0.04	0.32	0.36
7.	राजस्थान	0.84	9.47	10.31	0.84	9.79	10.63	0.84	10.06	10.90
8.	उत्तराखंड	0.41	1.09	1.50	0.41	1.13	1.54	0.41	1.17	1.58
9.	उत्तर प्रदेश	4.06	15.88	19.94	4.1	16.39	20.49	4.11	16.88	20.99
10.	छत्तीसगढ़	0.08	1.44	1.52	0.08	1.5	1.58	0.08	1.54	1.62
11.	मध्य प्रदेश	0.07	4.46	4.53	0.07	4.6	4.67	0.07	4.73	4.80
12.	सिक्किम	0.00	0.26	0.26	0	0.26	0.26	0	0.26	0.26
13.	अरुणांचल प्रदेश	0.00	0.15	0.15	0	0.15	0.15	0	0.15	0.15
14.	नगालैंड	0.00	0.68	0.68	0	0.7	0.7	0	0.71	0.71
15.	मणिपुर	0.00	0.85	0.85	0	0.87	0.87	0	0.89	0.89
16.	मिजोरम	0.00	1.05	1.05	0	1.08	1.08	0	1.11	1.11
17.	त्रिपुरा	0.00	0.79	0.79	0	0.81	0.81	0	0.79	0.79
18.	मेघालय	0.00	0.52	0.52	0	0.54	0.54	0	0.55	0.55
19.	असम	0.19	4.35	4.54	0.19	4.5	4.69	0.19	4.64	4.83
20.	बिहार	1.10	3.38	4.48	1.1	3.49	4.59	1.1	3.60	4.70
21.	पश्चिम बंगाल	1.03	9.3	10.33	1.04	9.59	10.63	1.04	9.88	10.92
22.	झारखंड	0.04	0.61	0.65	0.04	0.63	0.67	0.04	0.64	0.68
23.	उड़ीसा	0.04	3.84	3.88	0.04	3.96	4	0.04	4.08	4.12
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.26	0.26	0	0.27	0.27	0	0.28	0.28
25.	गुजरात*	0.39	2.35	2.74	0.39	2.41	2.8	0.39	2.47	2.86
26.	महाराष्ट्र**	0.03	9.02	9.05	0.03	9.3	9.33	0.03	9.57	9.60
27.	गोवा	0.00	0.2	0.20	0	0.2	0.2	0	0.2	0.20
28.	हिमाचल प्रदेश	0.33	8.89	9.22	0.25	5.18	5.43	0.25	5.35	5.60
29.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.08	3.99	4.07	0.08	4.10	4.18
30.	कर्नाटक	0.40	5.33	5.73	0.4	5.5	5.9	0.4	5.68	6.08
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01
32.	केरल	0.18	5.16	5.34	0.18	5.33	5.51	0.18	5.51	5.69
33.	तमिलनाडु	0.52	17.31	17.83	0.52	17.86	18.38	0.52	18.37	18.89
34.	पुडुचेरी	0.00	0.1	0.10	0	0.1	0.1	-	0.10	0.10
	कुल योग	**10.98**	**119.40**	**130.38**	**11.06**	**123.19**	**134.25**	**11.07**	**126.76**	**137.83**

*दादरा और नगर हवेली सहित

** दमण और दीव सहित

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1182
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

PROMOTION OF RURAL ARTISANS

1182. SHRI DILIPKUMAR MANSUKHLAL GANDHI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the details of the schemes/policies being implemented by the Government to promote the work of rural artisans in the country;
(b) whether the arrangement made to provide identity cards to promote domestic Micro, Small and Medium Enterprises(MSMEs) has not started functioning till date and the rural artisans are still deprived of the benefits of this scheme;
(c) if so, the details thereof and the reasons therefor along with the funds allocated and spent for the purpose during the last three years, State/UT-wise particularly in Maharashtra; and
(d) the details of rural artisans benefitted from the said schemes during the said period, State/UT-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of MSME is implementing the following schemes through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Coir Board to promote the work of rural artisans in the country:

I. Khadi and Village Industries Commission (KVIC):

i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

ii) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) was launched in 2005-06 for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters.

iii) A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE) was launched on 18.3.2015 to promote Innovation & Rural Entrepreneurship through rural Livelihood Business Incubator (LBI), Technology Business Incubator (TBI) and Fund of Funds for start-up creation.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1182

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

ग्रामीण शिल्पकारों को बढ़ावा देना

1182. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण शिल्पकारों के काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आज तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए पहचानपत्र प्रदान करने के लिए की गई व्यवस्था शुरू नहीं हुई है और ग्रामीण शिल्पकार अभी भी इस योजना के लाभों से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस प्रयोजन हेतु आवंटित और खर्च की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि् के दौरान उक्त योजना से लाभान्वित हुए ग्रामीण शिल्पकारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में ग्रामीण कारीगरों के कार्य को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा हैः

I. <u>खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी):</u>

i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

ii) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी।

iii) नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) ग्रामीण आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) तथा स्टार्ट अप सृजन के लिए निधियों के कोष के माध्यम से नवप्रवर्तन एवं ग्रामीण उद्यमिता को संवर्धित करने के लिए दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई थी।

iv) Market Promotion Development Assistance (MPDA) – MDA scheme of KVIC has been modified as MPDA scheme formulated as a unified scheme by merging different schemes/ sub-schemes/components of different Heads implemented in the 11th Plan, namely, Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component of Infrastructure namely setting up of Marketing Complexes /Khadi Plazas has been added to expand the marketing net worth of Khadi & VI products. Under the erstwhile MDA scheme financial assistance was distributed amongst Producing Institutions (30%), Selling Institutions (45%) and Artisans (25%). Under the Modified MDA (MMDA) financial assistance is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

v) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks as per the requirement of the Khadi institutions. The institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by Central Government through KVIC.

vi) Workshed Scheme for Khadi Artisans was introduced in 2008-09 to provide financial assistance for construction of workshed to khadi artisans belonging to BPL category through the khadi institutions with which the khadi artisans are associated. This empowers khadi spinners and weavers to chart out a sustainable path for growth, income generation and better work environment.

vii) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure: This scheme provides need-based support towards the Khadi sector for nursing the sick/problematic institutions elevated from "D" to "C" category as well as those whose production, sales and employment have been declining while they have potential to attain normalcy and to support creation of marketing infrastructure in other identified outlets. Under this scheme, financial assistance is provided to existing weak Khadi institutions for strengthening of their infrastructure and for renovation of selected khadi sales outlets.

viii) Aam Admi Bima Yojana (erstwhile Janashree Bima Yojana): KVIC in association with LIC is implementing the AABY scheme to provide insurance cover to Khadi artisans against normal and accidental death and disability. Premium is shared between KVIC (12.5%), Khadi institutions (25%), artisans (12.5%) and Govt. of India (50%), Khadi Artisans belonging to the age group of 18 to 59 years are provided insurance cover for the following:

(i) Death (natural)	:	Rs. 30,000.00
(ii) Death (accidental)	:	Rs. 75,000.00
(iii) Disability (permanent)	:	Rs. 75,000.00
(iv) Disability (partial)	:	Rs. 37,500.00
(v) Educational Benefits (Shiksha Sahayog Yojana)	:	

Two children of Khadi Artisan who are studying in standard IX to XII including Industrial Training Institutes (ITIs) are eligible for scholarship of Rs.300/- per quarter.

iv) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए): केवीआईसी की एमडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न शीर्षों की विभिन्न स्कीमों/उपस्कीमों/घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार एमपीडीए स्कीम के रूप में संशोधित की गई है। अवसंरचना के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का विपणन निवल मूल्य प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। पूर्ववर्ती एमडीए स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (30%), विक्रेता संस्थाओं (45%) तथा कारीगरों (25%) के बीच दी जाती थी। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच दी जाती है।

v) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। संस्थाओं को मात्र 4% ब्याज देना होता है। बैंकों द्वारा 4% से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को केवीआईसी के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

vi) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी कत्तिनों एवं बुनकरों को सशक्त बनाता है।

vii) कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायताः इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता प्राप्त करने की संभावना है, की देख-रेख करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन अवसंरचना के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

viii) आम आदमी बीमा योजना (पूर्व में जनश्री बीमा योजना): खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारतीय जीवन निगम के साथ स्वाभाविक और आकस्मिक मृत्यु तथा विकलांगता के समय खादी कारीगरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। प्रीमियम में केवीआईसी (12.5%) खादी संस्थाएं (25%) कारीगर (12.5%) और भारत सरकार (50%) की हिस्सेदारी है। 18 से 59 आयु समूह से संबंधित खादी कारीगरों को निम्नानुसार बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

(i)	मृत्यु (स्वाभाविक)	: Rs. 30,000.00/- रूपये
(ii)	मृत्यु (आकस्मिक)	: Rs. 75,000.00/- रूपये
(iii)	विकलांगता (स्थाई)	: Rs. 75,000.00/- रूपये
(iv)	विकलांगता (आंशिक)	: Rs. 37,500.00/- रूपये

(V) शैक्षिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना) खादी कारीगरों के दो बच्चे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित कक्षा IX और XII में अध्ययन कर रहे हैं, 300 रूपये प्रति तिमाही छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं।

II. Coir Board:

i) Coir Vikas Yojana:

1. Skill Upgradation & Mahila Coir Yojana - Under the scheme programmes like Entrepreneurship Development Programme, Awareness Programme, Workshop, Seminar, Exposure Tour, etc. are implemented for attracting more entrepreneurs to start coir processing units. In order to create skilled man power required for the industry, Coir Board is implementing training programmes in value added products. The candidates undergoing training programmes are given stipend amounting to Rs. 1000/- per month.

Under the 'Mahila Coir Yojana' Scheme which is exclusively for rural women artisans training in spinning of coir yarn/various coir processing activities is provided to rural women. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments to women at subsidised rates after completion of training. During the training period, the women artisans are given stipend amounting Rs.1000 per month. The trained women are given ratts and other coir processing equipments at 75% subsidy subject to a maximum of Rs.7500/-.

2. Scheme for the Development of Production Infrastructure - Under the scheme financial assistance is extended for setting up of coir units and modernization of existing units. Under the scheme subsidy to the tune of 25% of the cost of equipments and other infrastructural facilities subject to a maximum of Rs.6 lakh for setting up of defibering unit, Rs. 4 lakh for Automatic Spinning Unit and Rs.5 lakh for others. For a composite or a multiple unit the maximum ceiling of assistance would be Rs.9 lakh. In the case of modernization of existing unit the subsidy will be limited to 25% of the cost of equipments and infrastructural facilities subject to a maximum of Rs.2 lakh.

ii) Coir Udyami Yojana (formerly known as REMOT Scheme) is a credit linked subsidy scheme providing assistance for setting up of coir units. The maximum admissible cost of project under the scheme is upto Rs.10 lakhs plus working capital, which shall not exceed 25% of the project cost. The pattern of assistance under the scheme is 40% as Govt. of India subsidy, 55% as loan from Banks and 5% as beneficiary contribution. Assistance under the Scheme is made open to all individuals, companies, SHGs, NGOs, Institutes registered under Societies Registration Act 1860, Production Co-operative Societies, Joint Liability Groups and Charitable Trusts.

(b): No eligible artisans /entrepreneurs deprived of the above schemes. KVIC and Coir Board do not implement identity card linked scheme for the artisans.

(c): State-wise, including the State of Maharashtra, details of funds allocated/ Target of Margin Money and Fund utilized/ Achievement of Margin Money under **PMEGP** Scheme and various schemes of **Coir Board** during the last three years is placed at **Annexure-I**.

(d): State/UT-wise number of beneficiaries benefitted under **PMEGP, Workshed & AABY** and various schemes of **Coir Board** during the last three years is placed at **Annexure-II**.

* * *

II. <u>कयर बोर्ड:</u>

i) <u>कयर विकास योजना:</u>

1. कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना- इस स्कीम के अंतर्गत कयर प्रसंस्करण इकाइयों को शुरू कर उद्यमियों को अधिक आकर्षित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, एक्सपोजर भ्रमण आदि जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। उद्योग के लिए अपेक्षित कुशल जनशक्ति सृजित करने के उद्देश्य से कयर बोर्ड मूल्यवर्धित उत्पादों में प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे अभ्यर्थियों को 1000/- रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है।

'महिला कयर योजना' स्कीम जो विशेष रूप से कयर यार्न की कताई/विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में लगी ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए है, के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् सब्सिडाइज्ड दरों पर महिलाओं को मोटरयुक्त रटों/मोटरयुक्त परंपरागत रटों एवं अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों के वितरण पर विचार किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिला कारीगरों को प्रतिमाह 1000/- रुपये वृत्तिका दी जाती है। प्रशिक्षित महिलाओं को अधिकतमा 7500/- रुपये के अधीन 75% सब्सिडी पर रट एवं अन्य प्रसंस्करण उपकरण दिए जाते हैं।

2. उत्पादन अवसंरचना विकास के लिए स्कीम - इस स्कीम के अंतर्गत कयर इकाइयों की स्थापना एवं विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपकरण लागत की 25% सब्सिडी एवं फाइबर अलग करने वाली इकाई की स्थापना के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये, स्वचालित कताई इकाई के लिए 4 लाख रुपये एवं अन्य के लिए 5 लाख रुपये के अधीन अन्य आधारभूत सुविधाएं दी जाती हैं। संयुक्त या बहु इकाई के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 9 लाख रुपये होगी। विद्यमान इकाई के आधुनिकीकरण के मामले में, सब्सिडी अधिकतम 2 लाख रुपये के अधीन सब्सिडी उपकरण लागत एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के 25% तक सीमित होगी।

ii). कयर उद्यमी योजना (पूर्ववर्ती रिमोट स्कीम) कयर इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता देने वाली ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम स्वीकार्य लागत 10 लाख रुपये एवं कार्यशील पूँजी है और वह परियोजना लागत के 25% से अधिक नहीं होगी। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता का पैटर्न 40% भारत सरकार की सब्सिडी के रूप में, 55% बैंकों से ऋण के रूप में तथा 5% लाभार्थी अंशदान के रूप में है। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता सभी व्यक्तियों, कम्पनियों, स्वयं-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं, उत्पादन सहकारी समितियों संयुक्त दायित्व समूहों एवं दानशील न्यासों के लिए खोली गई हैं।

(क) उपर्युक्त योजनाओं के किसी पात्र कारीगर/उद्यमी को वंचित नहीं किया जाता। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा कयर बोर्ड कारीगरों के लिए पहचान पत्र लिंक्ड स्कीम को कार्यान्वित नहीं करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी और कयर बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आबंटित निधियों/ मार्जिन मनी के लक्ष्य/प्रयुक्त निधि/ मार्जिन मनी की उपलब्धि का महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान पीएमईजीपी,वर्कशेड और एएबीवाई तथा कयर बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1182 for answer on 24.07.2017

Fund Allocation/Target and fund utilized/Achievement of Margin Money under **PMEGP** during the last three years

(MM Rs. in lakh)

Sl. No.	State/UT	Target (Margin Money)			Achievement (Margin Money)		
		2014-15	2015-16	2016-17#	2014-15	2015-16	2016-17
1.	Jammu & Kashmir	2919.50	4006.80	3541.26	3274.63	3781.19	2621.40
2.	Himachal Pradesh	1687.45	1721.57	1970.11	2237.73	1767.26	2185.27
3.	Punjab	2711.49	3026.80	3504.09	3190.88	2902.97	3181.60
4.	U.T. Chandigarh	287.99	90.00	100.00	61.46	87.72	82.84
5.	Haryana	2716.36	3747.40	3371.31	3012.98	3112.09	3383.53
6.	Delhi	1061.04	257.35	300.00	189.24	254.05	182.41
7.	Rajasthan	5369.78	4188.14	5500.99	5249.62	4384.07	4641.60
8.	Uttarakhand	1882.35	1909.93	2140.93	2153.32	1740.86	2122.33
9.	Uttar Pradesh	13339.41	17535.32	12981.52	16937.53	14456.87	14271.05
10.	Chhattisgarh	3474.41	4303.8	4493.3	2045.68	2829.38	4070.73
11.	Madhya Pradesh	8182.74	7729.40	8527.32	9241.70	8117.17	8346.06
12.	Sikkim	541.34	227.38	200.00	33.52	186.11	35.93
13.	Arunachal Pradesh	1793.42	200.08	500.00	1004.99	38.85	440.34
14.	Nagaland	1563.64	1255.83	1751.68	878.59	1392.81	2007.48
15.	Manipur	1403.65	2855.92	1741.70	1600.76	1213.98	2162.78
16.	Mizoram	1043.39	924.99	1253.49	807.98	1026.35	491.96
17.	Tripura	985.02	2748.26	1578.62	1333.65	945.84	3734.66
18.	Meghalaya	1184.79	1250.62	1748.1	971.14	1056.12	407.89
19.	Assam	5388.75	4969.87	5636.41	5397.01	2869.74	4910.36
20.	Bihar	8277.14	7118.59	6909.77	4111.32	6588.55	8336.51
21.	West Bengal	4396.32	4765.49	3680.3	6010.11	3400.65	6270.32
22.	Jharkhand	4547.06	3462.64	4165.73	2871.29	3559.74	2654.35
23.	Odisha	5621.47	6282	5201.65	3945.89	5736.32	6848.96
24.	A & N Islands	593.09	158.00	100.00	92.32	65.11	193.46
25.	Gujarat*	4346.72	6536.16	5398.45	6200.52	6339.73	7561.61
26.	Maharashtra**	6299.38	9718.42	6111.30	7843.81	5285.03	6001.36
27.	Goa	466.91	159.40	371.62	141.76	165.43	191.44
28.	Andhra Pradesh	2667.87	4496.85	2336.58	3492.11	2262.37	4916.08
29.	Telangana	1954.44	2094.00	2004.86	1889.35	2217.57	2561.72
30.	Karnataka	4512.99	10846.89	4941.62	6479.10	5898.01	11609.56
31.	Lakshadweep	704.68	90.00	50.00	28.61	0.00	0.00
32.	Kerala	2306.51	2731.60	2446.06	2679.28	2720.48	3350.68
33.	Tamil Nadu	4974.91	7110.80	5291.23	6733.89	5497.54	8213.92
34.	Puducherry	100.00	100.00	150.00	112.10	106.37	103.65
	Total	109306.00	128620.30	110000	112253.87	102006.33	128093.84

* including Dadra & Nagar Haveli

** including Daman& Diu

#RE Targets

अनुबंध-I

दिनांक 24.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1182 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत निधि आवंटन/लक्ष्य और प्रयुक्त निधि/मार्जिन मनी की उपलब्धि

(मार्जिन मनी लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (मार्जिन मनी)			उपलब्धि (मार्जिन मनी		
		2014-15	2015-16	2016-17#	2014-15	2015-16	2016-17
1.	जम्मू और कश्मीर	2919.50	4006.80	3541.26	3274.63	3781.19	2621.40
2.	हिमाचल प्रदेश	1687.45	1721.57	1970.11	2237.73	1767.26	2185.27
3.	पंजाब	2711.49	3026.80	3504.09	3190.88	2902.97	3181.60
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	287.99	90.00	100.00	61.46	87.72	82.84
5.	हरियाणा	2716.36	3747.40	3371.31	3012.98	3112.09	3383.53
6.	दिल्ली	1061.04	257.35	300.00	189.24	254.05	182.41
7.	राजस्थान	5369.78	4188.14	5500.99	5249.62	4384.07	4641.60
8.	उत्तराखंड	1882.35	1909.93	2140.93	2153.32	1740.86	2122.33
9.	उत्तर प्रदेश	13339.41	17535.32	12981.52	16937.53	14456.87	14271.05
10.	छत्तीसगढ़	3474.41	4303.8	4493.3	2045.68	2829.38	4070.73
11.	मध्य प्रदेश	8182.74	7729.40	8527.32	9241.70	8117.17	8346.06
12.	सिक्किम	541.34	227.38	200.00	33.52	186.11	35.93
13.	अरुणाचल प्रदेश	1793.42	200.08	500.00	1004.99	38.85	440.34
14.	नगालैंड	1563.64	1255.83	1751.68	878.59	1392.81	2007.48
15.	मणिपुर	1403.65	2855.92	1741.70	1600.76	1213.98	2162.78
16.	मिजोरम	1043.39	924.99	1253.49	807.98	1026.35	491.96
17.	त्रिपुरा	985.02	2748.26	1578.62	1333.65	945.84	3734.66
18.	मेघालय	1184.79	1250.62	1748.1	971.14	1056.12	407.89
19.	असम	5388.75	4969.87	5636.41	5397.01	2869.74	4910.36
20.	बिहार	8277.14	7118.59	6909.77	4111.32	6588.55	8336.51
21.	पश्चिम बंगाल	4396.32	4765.49	3680.3	6010.11	3400.65	6270.32
22.	झारखंड	4547.06	3462.64	4165.73	2871.29	3559.74	2654.35
23.	ओडिशा	5621.47	6282	5201.65	3945.89	5736.32	6848.96
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	593.09	158.00	100.00	92.32	65.11	193.46
25.	गुजरात*	4346.72	6536.16	5398.45	6200.52	6339.73	7561.61
26.	महाराष्ट्र**	6299.38	9718.42	6111.30	7843.81	5285.03	6001.36
27.	गोवा	466.91	159.40	371.62	141.76	165.43	191.44
28.	आंध्र प्रदेश	2667.87	4496.85	2336.58	3492.11	2262.37	4916.08
29.	तेलंगाना	1954.44	2094.00	2004.86	1889.35	2217.57	2561.72
30.	कर्नाटक	4512.99	10846.89	4941.62	6479.10	5898.01	11609.56
31.	लक्षद्वीप	704.68	90.00	50.00	28.61	0.00	0.00
32.	केरल	2306.51	2731.60	2446.06	2679.28	2720.48	3350.68
33.	तमिलनाडु	4974.91	7110.80	5291.23	6733.89	5497.54	8213.92
34.	पुडुचेरी	100.00	100.00	150.00	112.10	106.37	103.65
	कुल	109306.00	128620.30	110000	112253.87	102006.33	128093.84

*दादार और नगर हवेली सहित **दमन और दीव सहित #संशोधित अनुमान लक्ष्य

Funds Allocated and Utilized under various schemes of Coir Board

Mahila Coir Yojana – Subsidy

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	20.00	--	15.00	--	5.00	
Telangana					1.00	
Odisha	20.00	--	15.00	--	5.00	
Kerala	28.00	4.52	30.00	11.15	11.00	2.66
Lakshadweep	--	--	5.00	--	2.00	
Karnataka	--		15.00	--	4.00	
Maharashtra	--	--	2.50	--	2.00	
Goa	--	--	2.50	--		
Gujarat	--	--		--	1.00	
Tamil Nadu	20.00	0.90	25.00	--	7.00	
Pondicherry	--	--	--	--	2.00	
A& N Islands	--	--	5.00	--	2.00	
West Bengal	--	3.76	5.00	2.05	3.00	
NE Region	--	--	5.00	--	5.00	
Total	**88.00**	**9.18**	**125.00**	**13.20**	**50.00**	**2.66**

Mahila Coir Yojana – Training

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	20.00	5.00	21.00	1.40	4.20	4.76
Telangana	-	-	-	-	2.80	-
Odisha	15.00	18.00	21.00	16.10	4.90	6.09
Kerala	36.25	50.28	36.75	42.42	16.10	16.84
Lakshadweep	10.00	7.78	8.75	6.30	2.80	2.16
Karnataka	15.00	37.48	15.75	11.90	5.60	2.04
Maharashtra	7.50	2.50	7.00	7.70	4.20	7.00
Goa	5.00	-	1.75	-		0.62
Gujarat	5.00	8.00	1.75	4.20	1.40	0.68
Tamil Nadu	16.25	14.58	22.75	16.98	10.85	11.62
Pondicherry	11.25	1.35	3.50	0.56	1.40	-
A& N Islands	5.00	0.75	8.75	-	3.50	1.36
West Bengal	25.00	46.50	8.75	7.00	3.50	7.40
NE Region	28.75	28.50	17.50	10.78	8.75	11.90
Total	**200**	**220.72**	**175.00**	**125.34**	**70.00**	**72.47**

कयर बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आवंटित एवं प्रयुक्त निधियां

महिला कयर योजना - सब्सिडी

(रुपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	20.00	--	15.00	--	5.00	
तेलंगाना					1.00	
ओडिशा	20.00	--	15.00	--	5.00	
केरल	28.00	4.52	30.00	11.15	11.00	2.66
लक्षद्वीप	--	--	5.00	--	2.00	
कर्नाटक	--		15.00	--	4.00	
महाराष्ट्र	--	--	2.50	--	2.00	
गोवा	--	--	2.50	--		
गुजरात	--	--		--	1.00	
तमिलनाडु	20.00	0.90	25.00	--	7.00	
पांडिचेरी	--	--	--	--	2.00	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	5.00	--	2.00	
पश्चिम बंगाल	--	3.76	5.00	2.05	3.00	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	--	--	5.00	--	5.00	
कुल	**88.00**	**9.18**	**125.00**	**13.20**	**50.00**	**2.66**

महिला कयर योजना-प्रशिक्षण

(रूपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	20.00	5.00	21.00	1.40	4.20	4.76
तेलंगाना	-	-	-	-	2.80	-
ओडिशा	15.00	18.00	21.00	16.10	4.90	6.09
केरल	36.25	50.28	36.75	42.42	16.10	16.84
लक्षद्वीप	10.00	7.78	8.75	6.30	2.80	2.16
कर्नाटक	15.00	37.48	15.75	11.90	5.60	2.04
महाराष्ट्र	7.50	2.50	7.00	7.70	4.20	7.00
गोवा	5.00	-	1.75	-		0.62
गुजरात	5.00	8.00	1.75	4.20	1.40	0.68
तमिलनाडु	16.25	14.58	22.75	16.98	10.85	11.62
पांडिचेरी	11.25	1.35	3.50	0.56	1.40	-
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.00	0.75	8.75	-	3.50	1.36
पश्चिम बंगाल	25.00	46.50	8.75	7.00	3.50	7.40
पूर्वोत्तर क्षेत्र	28.75	28.50	17.50	10.78	8.75	11.90
कुल	**200**	**220.72**	**175.00**	**125.34**	**70.00**	**72.47**

Value Added Products Manufacturing – Training

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	32.50	10.65	7.00	6.86	4.20	4.76
Telangana	-	-	-	-	3.50	
Odisha	37.50	24.98	7.00	8.30	4.90	5.37
Kerala	36.25	60.58	54.25	29.33	15.4	12.34
Lakshadweep	10.00	5.03	8.75	3.50	3.50	4.76
Karnataka	32.50	50.00	15.75	12.60	5.60	2.04
Maharashtra	17.50	3.00	7.00	6.30	3.50	3.40
Goa	8.75	-	1.75	-		
Gujarat	11.25	13.50	1.75	1.40	1.40	0.68
Tamil Nadu	21.25	31.63	24.50	17.78	12.25	9.32
Pondicherry	12.50	1.33	3.50	0.56		
A& N Islands	8.75	1.13	8.75	4.20	3.50	5.44
West Bengal	37.50	57.00	14.00	11.20	3.50	2.72
NE Region	33.75	34.50	21.00	9.48	8.75	12.07
Total	**300.00**	**293.33**	**175.00**	**111.51**	**70.00**	**62.90**

Development of Production Infrastructure

(Rs.in lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Andhra Pradesh	30.00	8.42	4.00	--	3	
Telangana	--	--	--	--	3	
Odisha	30.00	--	4.00	2.00	6	
Kerala	90.00	6.87	10.00	6.73	15	
Lakshadweep	--	--	--	--		
Karnataka	30.00	22.84	4.00	--	6	
Maharashtra	--	--	4.00	--	6	
Goa	--	--		--		
Gujarat	--	3.99	--	--		
Tamil Nadu	220.00	115.28	18.00	86.58	30	68.02
Pondicherry	--	--	2.00	--		
A& N Islands	--	--	--	--		
West Bengal	--	--	--	--		
NE Region	--	--	4.00	--	6	
Total	**400.00**	**157.40**	**50.00**	**95.31**	**75**	**68.02**

मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण - प्रशिक्षण

(रूपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	32.50	10.65	7.00	6.86	4.20	4.76
तेलंगाना	-	-	-	-	3.50	
ओडिशा	37.50	24.98	7.00	8.30	4.90	5.37
केरल	36.25	60.58	54.25	29.33	15.4	12.34
लक्षद्वीप	10.00	5.03	8.75	3.50	3.50	4.76
कर्नाटक	32.50	50.00	15.75	12.60	5.60	2.04
महाराष्ट्र	17.50	3.00	7.00	6.30	3.50	3.40
गोवा	8.75	-	1.75	-		
गुजरात	11.25	13.50	1.75	1.40	1.40	0.68
तमिलनाडु	21.25	31.63	24.50	17.78	12.25	9.32
पांडिचेरी	12.50	1.33	3.50	0.56		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.75	1.13	8.75	4.20	3.50	5.44
पश्चिम बंगाल	37.50	57.00	14.00	11.20	3.50	2.72
पूर्वोत्तर क्षेत्र	33.75	34.50	21.00	9.48	8.75	12.07
कुल	**300.00**	**293.33**	**175.00**	**111.51**	**70.00**	**62.90**

उत्पादन अवसंरचना का विकास

(रूपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
आंध्र प्रदेश	30.00	8.42	4.00	--	3	
तेलंगाना	--	--	--	--	3	
ओडिशा	30.00	--	4.00	2.00	6	
केरल	90.00	6.87	10.00	6.73	15	
लक्षद्वीप	--	--	--	--		
कर्नाटक	30.00	22.84	4.00	--	6	
महाराष्ट्र	--	--	4.00	--	6	
गोवा	--	--		--		
गुजरात	--	3.99	--	--		
तमिलनाडु	220.00	115.28	18.00	86.58	30	68.02
पांडिचेरी	--	--	2.00	--		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	--	--		
पश्चिम बंगाल	--	--	--	--		
पूर्वोत्तर क्षेत्र	--	--	4.00	--	6	
कुल	**400.00**	**157.40**	**50.00**	**95.31**	**75**	**68.02**

Coir Udyami Yojana

(Rs. in Lakhs)

State	2014-15		2015-16		2016-17	
	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized	Fund Allocated	Fund utilized
Kerala	327.00	37.60	290.00	183.48	290.00	179.12
Lakshadweep	17.40	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
Tamil Nadu	338.00	178.76	300.00	624.14	300.00	540.31
A & N Islands	43.60	0.00	48.00	0.00	48.00	8.00
Karnataka	231.00	75.37	290.00	4.00	285.00	164.00
Maharashtra	54.50	0.00	45.00	0.00	45.00	14.61
Gujarat	11.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00
Goa	21.80	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
Andhra Pradesh	98.10	58.80	195.00	215.60	200.00	228.80
Odisha	142.00	39.80	125.00	146.48	125.00	91.80
Jharkhand	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
Bihar	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
West Bengal	43.60	0.00	40.00	13.85	40.00	31.15
NE Region	150.00	0.00	160.00	5.46	160.00	10.24
Total	**1500.00**	**390.33**	**1600.00**	**1193.01**	**1600.00**	**1284.03**

कयर उद्यमी योजना

(रूपये लाख में)

राज्य	2014-15		2015-16		2016-17	
	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि	आवंटित निधि	प्रयुक्त निधि
केरल	327.00	37.60	290.00	183.48	290.00	179.12
लक्षद्वीप	17.40	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
तमिलनाडु	338.00	178.76	300.00	624.14	300.00	540.31
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43.60	0.00	48.00	0.00	48.00	8.00
कर्नाटक	231.00	75.37	290.00	4.00	285.00	164.00
महाराष्ट्र	54.50	0.00	45.00	0.00	45.00	14.61
गुजरात	11.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.00
गोवा	21.80	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
आंध्र प्रदेश	98.10	58.80	195.00	215.60	200.00	228.80
ओडिशा	142.00	39.80	125.00	146.48	125.00	91.80
झारखंड	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
बिहार	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
पश्चिम बंगाल	43.60	0.00	40.00	13.85	40.00	31.15
पूर्वोत्तर क्षेत्र	150.00	0.00	160.00	5.46	160.00	10.24
कुल	**1500.00**	**390.33**	**1600.00**	**1193.01**	**1600.00**	**1284.03**

Annexure-II referred to in reply to part (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1182 for answer on 24.07.2017

State/UT-wise Number of beneficiaries benefitted under **PMEGP Scheme** during the last three years

(Projects in numbers)

Sl. No.	State/UT	Beneficiaries benefitted (Projects)		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	Jammu & Kashmir	1565	2207	1492
2.	Himachal Pradesh	1244	1077	941
3.	Punjab	1153	966	1266
4.	U.T. Chandigarh	36	43	47
5.	Haryana	1175	1248	1377
6.	Delhi	198	256	119
7.	Rajasthan	1976	1988	1749
8.	Uttarakhand	1333	1136	1345
9.	Uttar Pradesh	4891	4365	4074
10.	Chhattisgarh	847	1277	1598
11.	Madhya Pradesh	2737	1979	1940
12.	Sikkim	16	110	27
13.	Arunachal Pradesh	652	35	301
14.	Nagaland	416	623	1018
15.	Manipur	747	685	1265
16.	Mizoram	817	1134	425
17.	Tripura	787	642	2297
18.	Meghalaya	555	603	329
19.	Assam	5015	3483	6028
20.	Bihar	1639	2430	3234
21.	West Bengal	3397	1873	3528
22.	Jharkhand	1699	1839	1300
23.	Odisha	2013	2876	3029
24.	A & N Islands	161	119	195
25.	Gujarat*	1289	1419	1386
26.	Maharashtra**	3469	2497	2325
27.	Goa	78	91	90
28.	Andhra Pradesh	937	642	1357
29.	Telangana	604	660	664
30.	Karnataka	2431	2140	3575
31.	Lakshadweep	31	0	0
32.	Kerala	1344	1369	1584
33.	Tamil Nadu	2858	2463	2941
34.	Puducherry	58	65	66
	Total	**48168**	**44340**	**52912**

* including Dadra & Nagar Haveli
** including Daman& Diu

अनुबंध-II

दिनांक 24.07.17 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1182 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

(परियोजनाओं की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित लाभार्थी (परियोजना)		
		2014-15	2015-16	2016-17
1.	जम्मू और कश्मीर	1565	2207	1492
2.	हिमाचल प्रदेश	1244	1077	941
3.	पंजाब	1153	966	1266
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	36	43	47
5.	हरियाणा	1175	1248	1377
6.	दिल्ली	198	256	119
7.	राजस्थान	1976	1988	1749
8.	उत्तराखंड	1333	1136	1345
9.	उत्तर प्रदेश	4891	4365	4074
10.	छत्तीसगढ़	847	1277	1598
11.	मध्य प्रदेश	2737	1979	1940
12.	सिक्किम	16	110	27
13.	अरुणाचल प्रदेश	652	35	301
14.	नगालैंड	416	623	1018
15.	मणिपुर	747	685	1265
16.	मिजोरम	817	1134	425
17.	त्रिपुरा	787	642	2297
18.	मेघालय	555	603	329
19.	असम	5015	3483	6028
20.	बिहार	1639	2430	3234
21.	पश्चिम बंगाल	3397	1873	3528
22.	झारखंड	1699	1839	1300
23.	ओडिशा	2013	2876	3029
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	161	119	195
25.	गुजरात*	1289	1419	1386
26.	महाराष्ट्र**	3469	2497	2325
27.	गोवा	78	91	90
28.	आंध्र प्रदेश	937	642	1357
29.	तेलंगाना	604	660	664
30.	कर्नाटक	2431	2140	3575
31.	लक्षद्वीप	31	0	0
32.	केरल	1344	1369	1584
33.	तमिलनाडु	2858	2463	2941
34.	पुडुचेरी	58	65	66
	कुल	48168	44340	52912

* दादार और नगर हवेली सहित ** दमन और दीव सहित

State/UT-wise Number of beneficiaries benefitted under **Workshed Scheme** during the last three Years

Sl.No.	Name of State/UT	2014-15	2015-16	2016-17(P)
1	Delhi	0	0	0
2	Jammu	0	0	0
3	Shimla	160	0	20
4	Ambala	225	55	220
5	Chandigarh (UT)	30	10	20
6	Rajasthan	0	10	115
7	Madhya Pradesh	90	20	20
8	Chattisgarh	210	236	120
9	Uttarakhand	18	25	25
10	Uttar Pradesh	1104	310	1385
11	Karnataka	90	0	115
12	Tamil Nadu	250	57	70
13	Telangana	0	0	65
14	Andhra Pradesh	110	50	200
15	Maharashtra	60	34	45
16	Kerala	110	25	280
17	Gujarat	200	50	200
18	Goa	0	0	0
19	West Bengal	565	140	100
20	Bihar	200	0	20
21	Jharkhand	0	30	50
22	Odhisha	100	25	80
23	Assam	380	193	183
24	Nagaland	0	0	0
25	Tripura	0	0	0
26	Manipur	0	0	0
27	Meghalaya	0	0	0
28	Sikkim	0	0	0
29	Arunachal Pradesh	0	0	0
30	Mizoram	0	0	0
	Total	**3902**	**1270**	**3333**

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17(अ)
1	दिल्ली	0	0	0
2	जम्मू	0	0	0
3	शिमला	160	0	20
4	अंबाला	225	55	220
5	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	30	10	20
6	राजस्थान	0	10	115
7	मध्य प्रदेश	90	20	20
8	छत्तीसगढ़	210	236	120
9	उत्तराखंड	18	25	25
10	उत्तर प्रदेश	1104	310	1385
11	कर्नाटक	90	0	115
12	तमिलनाडु	250	57	70
13	तेलंगाना	0	0	65
14	आंध्र प्रदेश	110	50	200
15	महाराष्ट्र	60	34	45
16	केरल	110	25	280
17	गुजरात	200	50	200
18	गोवा	0	0	0
19	पश्चिम बंगाल	565	140	100
20	बिहार	200	0	20
21	झारखंड	0	30	50
22	ओडिशा	100	25	80
23	असम	380	193	183
24	नगालैंड	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	मणिपुर	0	0	0
27	मेघालय	0	0	0
28	सिक्किम	0	0	0
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
30	मिजोरम	0	0	0
	कुल	3902	1270	3333

State/UT-wise Number of artisans covered under **Aam Admi Bima Yojona Scheme** during the last three years

Sl.No.	State	2014-15	2015-16	2016-17(p)
1.	Jammu & Kashmir	3814	2718	2718
2.	Himachal Pradesh	1194	1077	1077
3.	Punjab	4777	4118	4118
4.	UT Chandigarh	-	0	-
5.	Haryana	29438	29932	29932
6.	Delhi	926	930	930
7.	Rajasthan	16959	13327	13327
8.	Uttarakhand	10310	10239	10230
9.	Uttar Pradesh	127767	127767	127656
10.	Chattisgarh	2339	2339	2339
11.	Madhya Pradesh	1315	1296	1296
12.	Sikkim	-	0	0
13.	Arunachal Pradesh	18	16	16
14.	Nagaland	180	180	180
15.	Manipur	71	153	153
16.	Mizoram	-	0	0
17.	Tripura	-	0	0
18.	Meghalaya	16	29	29
19.	Assam	3973	3767	3656
20.	Bihar	6736	6614	6614
21.	West Bengal	23517	23517	22207
22.	Jharkhand	1588	1588	1588
23.	Odisha	2817	2492	2491
24.	A&N Islands	-	0	0
25.	Gujarat	10314	10267	10167
26.	Maharashtra	950	950	950
27.	Goa	-	0	0
28.	Andhra Pradesh	6421	7786	7686
29.	Telangana	1381	1238	1234
30.	Karnataka	15634	15634	15620
31.	Lakshadweep	-	0	0
32.	Kerala	9760	9760	9764
33.	Tamil Nadu	10332	10264	10200
34.	Puducherry	-	0	0
Total		**292547**	**287998**	**286178**

(P) Provisional

Rural artisans who have benefitted from the schemes of Coir Board

State	2014-15	2015-16	2016-17
Kerala	820	1312	863
Tamil Nadu	2340	1483	1571
Karnataka	418	102	339
Andhra Pradesh	234	879	620
Odisha	287	325	211
Others	212	108	258
Total	**4311**	**4209**	**3862**

पिछले तीन वर्षों के दौरान आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कारीगरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)
1.	जम्मू और कश्मीर	3814	2718	2718
2.	हिमाचल प्रदेश	1194	1077	1077
3.	पंजाब	4777	4118	4118
4.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	-	0	-
5.	हरियाणा	29438	29932	29932
6.	दिल्ली	926	930	930
7.	राजस्थान	16959	13327	13327
8.	उत्तराखंड	10310	10239	10230
9.	उत्तर प्रदेश	127767	127767	127656
10.	छत्तीसगढ़	2339	2339	2339
11.	मध्य प्रदेश	1315	1296	1296
12.	सिक्किम	-	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	18	16	16
14.	नगालैंड	180	180	180
15.	मणिपुर	71	153	153
16.	मिजोरम	-	0	0
17.	त्रिपुरा	-	0	0
18.	मेघालय	16	29	29
19.	असम	3973	3767	3656
20.	बिहार	6736	6614	6614
21.	पश्चिम बंगाल	23517	23517	22207
22.	झारखंड	1588	1588	1588
23.	ओडिशा	2817	2492	2491
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	0	0
25.	गुजरात	10314	10267	10167
26.	महाराष्ट्र	950	950	950
27.	गोवा	-	0	0
28.	आंध्र प्रदेश	6421	7786	7686
29.	तेलंगाना	1381	1238	1234
30.	कर्नाटक	15634	15634	15620
31.	लक्षद्वीप	-	0	0
32.	केरल	9760	9760	9764
33.	तमिलनाडु	10332	10264	10200
34.	पुडुचेरी	-	0	0
	कुल	292547	287998	286178

(अ) अनंतिम

ग्रामीण कारीगर जो कयर बोर्ड की स्कीमों से लाभान्वित हुए हैं।

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
केरल	820	1312	863
तमिलनाडु	2340	1483	1571
कर्नाटक	418	102	339
आंध्र प्रदेश	234	879	620
ओडिशा	287	325	211
अन्य	212	108	258
कुल	4311	4209	3862

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1205
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

MSME CLUSTER DEVELOPMENT PROGRAMME

1205. SHRI ABHISHEK SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of the Micro, Small and Medium Enterprises cluster development programme launched by Central Government and the targeted beneficiaries under this scheme; and

(b) the target set, criteria adopted for sanction of the financial assistance and the funds allocated under the said programme in the country, State/UT- wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India (GoI) is implementing the Micro and Small Enterprises – Cluster Development Programme (MSE-CDP) for enhancing the productivity and competitiveness of Micro and Small Enterprises by extending financial assistance for establishment of Common Facility Centres (CFCs) and establishment / upgradation of Industrial Estates. The targeted beneficiaries of the scheme are group of enterprises located in a cluster and producing same / similar products / services.

(b): The target for Financial Year 2017-18 is to establish 6 Common Facility Centres and establish / upgrade 6 Industrial Estates.

Steering Committee under the Chairmanship of Secretary, MSME considers and approves projects for financial assistance under the scheme, which are in conformity with the scheme guidelines and duly recommended by State Level Steering Committee.

Under BE 2017-18, there is a fund allocation of Rs.184.00 Crore for MSE-CDP for the entire country. There is no specific State / UT-wise budget allocation.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1205

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

एमएसएमई संकुल विकास कार्यक्रम

1205. श्री अभिषेक सिंहः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संकुल विकास कार्यक्रमों और इस योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वित्तीय सहायता हेतु क्या लक्ष्य निर्धरित किया गया और इसकी स्वीकृति के लिए किन मानदंडों का पालन किया गया और देश में उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना और औद्योगिक परिसंपत्तियों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान कर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम -क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। योजना के लक्षित लाभार्थी क्लस्टर में स्थित उद्यमों के समूह होते हैं, जो एक सा/समान उत्पाद/सेवा प्रदान कर रहे होते हैं।

(ख) : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य 6 सामान्य सुविधा केन्द्र और 6 औद्योगिक परिसंपत्तियों की स्थापना/उन्नयन करना है।

योजना के तहत सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता में संचालन समिति वित्तीय सहायता के लिए परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन करती है, जो कि योजना के दिशा-निर्देशों और राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा यथोचित संस्तुति के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2017-18 के तहत, पूरे देश में एमएसई-सीडीपी के लिए 184.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसमें कोई विशेष राज्य/संघ क्षेत्र-वार बजट आवंटन नहीं किया जाता है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUSTION NO. 1206
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

ESTABLISHMENT OF IEDS

1206. SHRI NARANBHAI KACHHADIYA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether introduction of any new service namely Indian Enterprises Development Service (IEDS) in the office of the Development Commissioner, Micro, Small and Medium Enterprises(MSMEs) has been sanctioned;
(b) if so, the details thereof;
(c) the manner in which the organization is likely to be strengthened as a result of such change in its formation; and
(d) the extent to which it is likely to be instrumental in achieving the targets under the Start-up India, Stand-up India, Make in India programmes?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)&(b): Yes, Madam. Cadre review of Technical Officers and formation of a new service namely "Indian Enterprise Development Service (IEDS)" has been approved by the Union Cabinet on 21.12.2016. IEDS will have induction in Assistant Director Grade-I (Group A) and Assistant Director Grade-II (Group B) and will comprise of officers in various Grades from Group B (level 6 in pay matrix of 7th CPC) to Senior Administrative Grade level (level 14). The promotional avenues for the officers of IEDS have improved due to increase in the numbers of posts at Senior Administrative Grade level, Junior Administrative Grade level (level 13) and Senior Time Scale level (level 11 and 12).

(c)&(d): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is involved in formulation and implementation of policies and programmes for holistic development of Micro, Small and Medium Enterprises with emphasis on weaker section of the society. New service has been formed to attract new talent and strengthen the Office of Development Commissioner (MSME) for formulating and implementing promotional measures for Micro, Small and Medium Enterprises to make India a manufacturing hub, thus transforming the vision of the Government of Make in India, Stand-up India and Start-up India to reality.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1206

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

आईईडीएस की स्थापना

1206. श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत, विकास आयुक्त के कार्यालय में भारत उद्यम विकास सेवा नामक कोई नई सेवा शुरू करने को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप संस्था के गठन में ऐसे परिवर्तन के किस प्रकार से सुदृढ़ होने की संभावना है; और

(घ) 'स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप इंडिया, मेक-इन इंडिया कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह किस हद तक सहायक होगी?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): जी, हाँ। तकनीकी अधिकारियों के संवर्ग की समीक्षा एवं "भारतीय उद्यम विकास सेवा (आईईडीएस)" नामक नई सेवा के गठन को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 21.12.2016 को अनुमोदित किया गया है। आईईडीएस में सहायक निदेशक ग्रेड-I (समूह क) तथा सहायक निदेशक ग्रेड-II (समूह ख) में समाविष्ट होंगे और इसमें समूह ख (सांतवें सीपीसी के पे-मैट्रिक्स में स्तर 6) से वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर (स्तर 14) तक विभिन्न ग्रेडों के अधिकारी शामिल होंगे। आईईडीएस के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर (स्तर 13) तथा वरिष्ठ समय मान स्तर (स्तर 11 एवं 12) पर पदों की संख्या में वृद्धि के कारण सुधार हुआ है।

(ग) और (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय समाज के कमजोर वर्ग पर जोर देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समग्र विकास के लिए नीतियां बनाने एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में लगा हुआ है। भारत को निर्माण का केन्द्र बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय हेतु संवर्धनात्मक उपाय तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय (सूलमउ) को सुदृढ़ बनाने हेतु नई सेवा का गठन किया गया है जिससे कि नई प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके ताकि सरकार के मेक इन इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया एवं स्टार्ट अप इंडिया के भावी दृष्टिकोण को अमलीजामा पहनाया जा सके।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. †1243
TO BE ANSWERED ON: 24.07.2017

INTEREST RATE OF LOANS TO MSMEs

†1243. SHRI SHYAMA CHARAN GUPTA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are being provided loans at high rate of interest in the country and if so, the details thereof
(b) whether the condition of loanee MSMEs becomes very miserable in the situation of any natural calamity;
(c) if so, whether any investigation has been conducted by constituting any committee in this regard and if so, the details and the outcome thereof and if not, the reasons therefor;
(d) whether MSMEs are adversely affected due to strictness of different regulatory bodies; and
(e) if so, the remedial measures being taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Reserve Bank of India (RBI) has deregulated the rates of interest on bank loans. The banks have been advised by the RBI to sanction all their advances with reference to the Marginal Cost of Fund Based Lending Rates (MCLR) with effect from April 1, 2016. As a result, there is no concession specifically for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as per the general guidelines of the RBI and individual banks are free to take their own decisions.

(b) & (c): Yes, the condition of loanee MSMEs may sometimes become miserable in the situation of a natural calamity. The RBI guidelines have provisions for scope of special incentives to MSMEs to deal with such situations of natural calamity. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has not set-up any committee to ascertain the condition of MSMEs in such natural calamity situations.

(d): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has not received representations/grievances from MSME units / Associations regarding strictness of different regulatory bodies.

(e): Does not arise, in view of (d) above.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1243

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर

1243. श्री श्यामा चरण गुप्ता :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को ऊंची दरों पर ऋण प्रदान किये जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एमएसएमई की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन करके कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न विनियामक निकायों की कठोरता के कारण एमएसएमई प्रतिकूलतः प्रभावित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक ऋणों पर ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है । आरबीआई द्वारा बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 1 अप्रैल, 2016 से अपने सभी अग्रिमों को फंड आधारित ऋण दरों के मार्जिनल कॉस्ट (एमसीएलआर) के संदर्भ में स्वीकृत करें । इसके परिणामस्वरूप, आरबीआई के सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशेष रूप से कोई छूट नहीं है और सभी बैंक अपने-अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(ख) और (ग) : जी हां, कभी-कभी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ऋण लेने वाले एमएसएमई की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है । प्राकृतिक आपदा की ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों में एमएसएमई के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ऐसी प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में एमएसएमई की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है ।

(घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को एमएसएमई इकाइयों/संघों से विभिन्न विनियामक निकायों द्वारा सख्ती किए जाने से संबंधित कोई अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) : उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1288
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

FOREIGN INVESTMENT IN KHADI GRAMODYOG

1288. SHRI RAM CHARAN BOHRA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether the Government proposes to promote foreign investment in Khadi industry;
(b) if so, the details of funds invested in Khadi Gramodyog during each of the last three years and the current year, State/ UT-wise;
(c) whether such steps have helped to promote Khadi Gramodyog sector and if so, the details thereof including increase in revenue in this sector; and
(d) whether the Government is formulating any action plan to connect youth with Khadi Gramodyog and if so, the details thereof, State/UT-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): There is no proposal with Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to promote foreign investment in Khadi industry.

(b)&(c): Does not arise.

(d): Government, through KVIC, has taken the following steps to connect the general public including youth with Khadi & Village Industries which are as follows:

1. To make khadi products more appealing and competitive in the market by engaging designers of international fame viz Ms. Ritu Beri as 'Honorary Consultant'.
2. KVIC has opened premier Khadi Showrooms known as 'Khadi Lounge' at Jaipur, Mumbai and New Delhi.
3. KVIC sold coupons to ONGC and organized special Exhibition, for sales of Khadi to its 35,000 employees across the country.
4. A retail sales outlet was opened in the Parliament House Annexe at New Delhi during 2016-17.
5. KVIC as a part of its aggressive marketing efforts introduced 'Gift Voucher Scheme' for its patrons from Departmental Sales Outlets (DSOs) at Delhi, Kolkata, Mumbai, Goa, Patna, Ernakulam & Bhopal and Visakhapatnam Airports.

भारत सरकार

सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .1288

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

खादी ग्रामोद्योग में विदेशी निवेश

1288. श्री रामचरण बोहराः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का खादी उद्योग में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी ग्रामोद्योग में निवेश की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कदमों से खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में मदद मिली है और यदि हां, तो इस क्षेत्र में राजस्व में हुई वृद्धि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई-कार्ययोजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) खादी उद्योग में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से सरकार ने युवा सहित आम जनता को जोड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनरों अर्थात् सुश्री रितु बेरी को "अवैतनिक परामर्शदाता" के रूप में लगाकर बाजार में खादी उत्पादों को और आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी बनाना।
2. केवीआईसी ने जयपुर, मुम्बई तथा नई दिल्ली में 'खादी लाउंज' के रूप में जाने जाने वाले प्रमुख खादी शोरूम खोले हैं।
3. केवीआईसी ने ओएनजीसी को देशभर में उनके 35,000 कर्मचारियों को खादी की बिक्री के लिए कूपन बेचे एवं विशेष प्रदर्शनी आयोजित की।
4. वर्ष 2016-17 के दौरान संसद भवन, एनेक्सी, नई दिल्ली में एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोला गया।
5. केवीआईसी ने अपने उद्यमशील विपणन प्रयासों के भाग के रूप में दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, गोवा, पटना, एर्नाकुलम तथा भोपाल एवं विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) से अपने संरक्षकों के लिए 'गिफ्ट वाउचर स्कीम' शुरू की।

6. The largest Charkha has been established at IGI Airport, New Delhi. 12 feet tall and 25 feet long steel Charkha consisting 14 vintage charkhas launched at Palika Bazar Park, Connaught Place, New Delhi.
7. A convergence was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL) and Raymond for sale of Khadi fabric.
8. Premium sales outlets have been opened at Lucknow, Delhi, Visakhapatnam, Airports.
9. Efforts have been made to make Khadi products on-line and tie up arrangements with M/s. Paytm has been made and launched through Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.
10. KVIC is implementing Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) to help unemployed youth to establish their own enterprise and state-wise target fixed for the year 2017-18 is placed at **Annexure-I.**

* * *

6. आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली में सबसे बड़ा चरखा लगाया गया है। 12 फीट लम्बे और 25 फीट लम्बे स्टील के 14 विंटेज चरखे का पालिका बाजार पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया।

7. खादी फैब्रिक्स की बिक्री के लिए केवीआईसी तथा आदित्य बिड़ला फैशन एवं रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) और रेमण्ड के बीच एक कंवरजेंस पर हस्ताक्षर किए गए।

8. लखनऊ, दिल्ली, विशाखापत्तनम, हवाई अड्डों पर प्रमुख बिक्री केन्द्र खोले गए हैं।

9. खादी उत्पादों को ऑनलाइन करने के लिए प्रयास किए गए हैं तथा मैसर्स पेटीएम से टाईअप की व्यवस्था की गई है और खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से शुरू किया गया है।

10. केवीआईसी बेरोजगार युवाओं को उनके अपने उद्यम स्थापित करने के लिए मदद करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है एवं वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य अनुबंध-I में दिया गया है।

****

Annexure-I referred to in reply to part (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1288 for answer on 24.07.2017

Target of Projects, Margin Money and employment under **PMEGP** for the year 2017-18

(Rs. in lakh)

Sl.No.	State/UT	Projects	Margin Money	Employment
1	Jammu & Kashmir	1650	3272.84	13200
2	Himachal Pradesh	900	1785.19	7200
3	Punjab	1650	3272.84	13200
4	Chandigarh	100	100.00	800
5	Haryana	1650	3272.84	13200
6	Delhi	151	300.00	1208
7	Rajasthan	2475	4909.26	18000
8	Uttarakhand	975	1933.95	7800
9	Uttar Pradesh	5625	11157.41	45000
10	Chhattisgarh	2025	4016.67	16200
11	Madhya Pradesh	3825	7587.04	30600
12	Sikkim	100	200.00	800
13	Arunachal Pradesh	250	500.00	2000
14	Nagaland	865	1728.96	6920
15	Manipur	717	1434.32	5736
16	Mizoram	623	1245.66	4984
17	Tripura	642	1283.75	5136
18	Meghalaya	860	1720.32	6880
19	Assam	2676	5351.99	21408
20	Bihar	2850	5653.09	22800
21	West Bengal	1500	2975.31	12000
22	Jharkhand	1800	3570.37	14400
23	Odisha	2250	4462.97	18000
24	A & N Islands	100	100.00	800
25	Gujarat	2475	4909.26	19800
26	Maharashtra	2700	5355.56	21600
27	Goa	150	297.53	1200
28	Andhra Pradesh	975	1933.95	7800
29	Telangana	2325	4611.73	18600
30	Karnataka	2250	4462.97	18000
31	Lakshadweep	100	100.00	800
32	Kerala	1050	2082.72	8400
33	Tamil Nadu	2400	4760.50	19200
34	Puducherry	100	100.00	800
	Total	**50784**	**100449**	**404472**

अनुबंध-I

दिनांक 24.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1288 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2017-18 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत परियोजनाओं, मार्जिन मनी एवं रोजगार का लक्ष्य

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना	मार्जिन मनी	रोजगार
1	जम्मू और कश्मीर	1650	3272.84	13200
2	हिमाचल प्रदेश	900	1785.19	7200
3	पंजाब	1650	3272.84	13200
4	चंडीगढ़	100	100.00	800
5	हरियाणा	1650	3272.84	13200
6	दिल्ली	151	300.00	1208
7	राजस्थान	2475	4909.26	18000
8	उत्तराखंड	975	1933.95	7800
9	उत्तर प्रदेश	5625	11157.41	45000
10	छत्तीसगढ़	2025	4016.67	16200
11	मध्य प्रदेश	3825	7587.04	30600
12	सिक्किम	100	200.00	800
13	अरुणाचल प्रदेश	250	500.00	2000
14	नगालैंड	865	1728.96	6920
15	मणिपुर	717	1434.32	5736
16	मिजोरम	623	1245.66	4984
17	त्रिपुरा	642	1283.75	5136
18	मेघालय	860	1720.32	6880
19	असम	2676	5351.99	21408
20	बिहार	2850	5653.09	22800
21	पश्चिम बंगाल	1500	2975.31	12000
22	झारखंड	1800	3570.37	14400
23	ओडिशा	2250	4462.97	18000
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	100.00	800
25	गुजरात	2475	4909.26	19800
26	महाराष्ट्र	2700	5355.56	21600
27	गोवा	150	297.53	1200
28	आंध्र प्रदेश	975	1933.95	7800
29	तेलंगाना	2325	4611.73	18600
30	कर्नाटक	2250	4462.97	18000
31	लक्षद्वीप	100	100.00	800
32	केरल	1050	2082.72	8400
33	तमिलनाडु	2400	4760.50	19200
34	पुडुचेरी	100	100.00	800
	कुल	**50784**	**100449**	**404472**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1289
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

EXPORT FRIENDLY SCHEME

1289. SHRI PRABHUBHAI NAGARBHAI VASAVA:
SHRI RAHUL KASWAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the salient features of the Export Friendly Scheme and the details of funds sanctioned, allocated and utilised under the said scheme during the last three years and the current year, State / UT-wise particularly Gujarat;

(b) the details of the targets fixed and achieved so far under the said scheme;

(c) whether the Government has come to know of certain irregularities in funds allocated under the said scheme and if so, the details thereof;

(d) the corrective measures taken by the Government in this regard; and

(e) the other steps taken by the Government to boost exports of MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises is not running any scheme specifically by the name of "Export Friendly Scheme" as on date. However, the ministry is implementing various Policies / programmes / schemes to encourage and promote domestic MSMEs. Marketing Assistance & Technological Upgradation (MATU) is one of the schemes to encourage manufacturing Micro and Small Enterprises (MSEs) in their efforts of tapping and developing domestic / overseas markets, Export promotion and to increase in marketability of products in National/International market. The details of the funds sanctioned, allocated and utilized (States / UT wise including Gujarat) by Office of the Development Commissioner, MSME for the MATU components (Export Promotion, Bar Code, Domestic Trade Fairs, International Trade Fairs) during 2014-15, 2015-16 and 2016-17 is Annexed.

(b): No targets have been fixed by the Ministry in this regard.

(c): The Ministry has not received any complaints regarding any irregularity in funds allocated under MATU scheme.

(d): The question doesn't arise.

(e): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing various Policies/ schemes / programmes to make them competitive with global market / multinational companies and hence enabling them to boost up their exports. Some of such schemes are Zero Defect Zero Effect (ZED) certification scheme, Lean Manufacturing Competitiveness Program for MSMEs etc.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1289

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

निर्यात अनुकूल योजना

1289. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री राहुल कस्वां:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात अनुकूल योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विशेषकर गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि में कतिपय अनियमितताओं की जानकारी मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है; और

(ङ) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विशेष रूप से "निर्यात अनुकूल योजना" नामक किसी प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं कर रहा है। तथापि, मंत्रालय घरेलू एमएसएमई को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीति/कार्यक्रम/योजनाएं कार्यन्वित कर रहा है। विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू) ऐसी ही एक योजना है जो विनिर्माण में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमों(एमएसई) को घरेलू/विदेशी बाजारों का लाभ उठाने और विकसित करने के उनके प्रयासों में, निर्यात संवर्धन के लिए और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान विकास आयुक्त एमएसएमई कार्यालय द्वारा माटू घटकों (निर्यात संवर्धन, बार कोड, घरेलू व्यापार मेले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले) के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई राशि (गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) : इस संबंध में मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) : माटू योजना के तहत आवंटित धनराशि के संबंध में किसी प्रकार की कोई अनियमितता के संबंध में मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने जिससे कि वे अपने निर्यातों को बढ़ावा देने में समर्थ हो सके, विभिन्न नीतियों/स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। ऐसी कुछ योजनाओं में एमएसएमई के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जैड) प्रमाणन योजना, लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धामकता कार्यक्रम इत्यादि शामिल है।

*****

Annexure

Financial Report under Scheme "Participation in International Trade Fairs/Exhibitions" (a component of MATU Scheme)

State/ UT	Andhra Pradesh	Assam	Bihar	Chhattisgarh	Delhi	Gujarat	Haryana	Jammu & Kashmir	Jharkhand	Karnataka	Madhya Pradesh	Maharashtra	Odisha	Punjab	Rajasthjan	Tamil Nadu	Telangana	Uttar Pradesh	West Bengal	Pondicherry	Sikkim	Uttarakhand	Himachal Pradesh	Total
2017-18 (till 26.4.17)	12	4.1	4.1	0	12.39	21	4.13	8.3	0	20.65	41.3	8.26	4.13	8.26	28.9	12	8.26	8.26	8.26	4.1	0	0	0	**218.839**
2016-17	9.1	0	0	2.3	46.7	15	19.4	8	1.14	5.695	13.7	15.9	0	29.6	30.8	11	1.14	60.4	23.9	0	0	1.1	0	**295**
2015-16	1.5	7.7	0	1.5	34.02	17	32.5	11	7.73	3.093	9.28	54.1	6.19	20.1	64.9	17	20.1	102	34	3.1	1.5	1.5	0	**450**
2014-15	0	23	1.7	0	16.65	1.67	61.6	12	0	1.665	3.33	5	8.33	16.7	74.9	6.7	9.99	74.9	59.9	0	0	0	0	**378**
2013-14	2	0	0	0	8.092	24	12.1	0	0	12.14	8.09	54.6	2.02	26.3	38.4	10	8.09	44.5	14.2	0	0	0	0	**265**
2012-13	0	0	0	1.3	11.29	34	5.02	1.3	0	43.89	3.76	27.6	3.76	20.1	26.3	30	22.6	13.8	23.8	0	0	0	2.51	**271**
2007-08 to 2011-12	48	12	10	0	111.9	97	80.2	27	0	78.49	68.5	68.5	28.4	93.5	95.2	75	0	119	88.5	0	5	0	11.7	**1117**
Total (lakhs Rs.)	**73**	**47**	**16**	**5.1**	**241**	**209**	**215**	**67**	**8.87**	**166**	**148**	**234**	**53**	**215**	**359**	**163**	**70**	**422**	**253**	**7.2**	**6.6**	**2.7**	**14**	**2995**

'अनुबंध'

"अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले / प्रदर्शनियों में भागीदारी" (एमटीयू योजना का एक घटक)योजना के तहत वित्तीय रिपोर्ट

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गुजरात	हरियाणा	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	पुदुचेरी	सिक्किम	उत्तराखंड	हिमाचल प्रदेश	कुल
2017-18 (26.4.17 तक)	12.4	4.1	4	0	12.4	20.6	4.1	8.3	0	20.6	41	8.26	4.13	8.3	29	12	8.3	8.26	8.3	4.1	0	0	0	**218.84**
2016-17	9.11	0	0	2.28	46.7	14.8	19	8	1.14	5.69	14	15.9	0	30	31	11	1.1	60.4	24	0	0	1.1	0	**295**
2015-16	1.55	7.7	0	1.55	34	17	32	11	7.73	3.09	9.3	54.1	6.19	20	65	17	20	102	34	3.1	1.5	1.5	0	**450**
2014-15	0	23	2	0	16.7	1.67	62	12	0	1.67	3.3	5	8.33	17	75	6.7	10	74.9	60	0	0	0	0	**378**
2013-14	2.02	0	0	0	8.09	24.3	12	0	0	12.1	8.1	54.6	2.02	26	38	10	8.1	44.5	14	0	0	0	0	**265**
2012-13	0	0	0	1.25	11.3	34	5	1.3	0	43.9	3.8	27.6	3.76	20	26	30	23	13.8	24	0	0	0	2.51	**271**
2007-08 से 2011-12	48.4	12	10	0	112	96.9	80	27	0	78.5	68	68.5	28.4	94	95	75	0	119	89	0	5	0	11.7	**1117**
कुल (लाख रुपये)	**73.5**	**47**	**16**	**5.08**	**241**	**209**	**215**	**67**	**8.87**	**166**	**148**	**234**	**52.8**	**215**	**359**	**163**	**70**	**422**	**253**	**7.2**	**6.6**	**2.7**	**14.2**	**2995**

FINANCIAL REPORT ON "2 DAYS' NATIONAL WORKSHOP ON EXPORT MARKETING"				
		2016-17		
S No.	Name of the State / UT	NO. OF PROGRAMMES	FUNDS SANCTIONED / ALLOTTED (INR)	FUNDS UTILIZED (INR)
1	Gujarat	1	250000	167965
2	Madhya Pradesh	1	250000	215263
3	Jharkhand	1	250000	184623
4	Kerala	1	250000	219913
5	Uttar Pradesh	2	500000	343285
6	Delhi	1	250000	250000
7	Odisha	1	250000	249227
8	Karnataka	1	250000	250000
9	Manipur	1	250000	248000
10	Andhra Pradesh	1	250000	167974
11	West Bengal	1	250000	220000
	Total		3000000	2516250
	Total (Rs. Lakhs)		**30.00**	**25.16**

Note : Sanctions were issuesd only in year 2016-17. No sanctions released for year 2017-18 till date.

"निर्यात विपणन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला" पर वित्तीय रिपोर्ट				
		2016-17		
क्र.सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	निधि संस्वीकृत/आवंटित (आईएनआर)	उपयोग में लायी गई निधि (आईएनआर)
1	गुजरात	1	250000	167965
2	मध्य प्रदेश	1	250000	215263
3	झारखंड	1	250000	184623
4	केरल	1	250000	219913
5	उत्तर प्रदेश	2	500000	343285
6	दिल्ली	1	250000	250000
7	ओडिशा	1	250000	249227
8	कर्नाटक	1	250000	250000
9	मणिपुर	1	250000	248000
10	आंध्र प्रदेश	1	250000	167974
11	पश्चिम बंगाल	1	250000	220000
	कुल		3000000	2516250
	कुल (लाख रुपये)		30.00	25.16

नोट : वर्ष 2016-17 में स्वीकृति दी गई/वर्ष 2017-18 के लिए अब तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई ।

FINANCIAL REPORT ON "TRAINING PROGRAMME ON PACAKAGING FOR EXPORTS"							
SL. NO.	NAME OF THE STATE / UT						
		2014-15		2015-16		2016-17	
		FUNDS SANCTIONED ALLOTTED	FUNDS UTILIZED	FUNDS SANCTIONED / ALLOTTED	FUNDS UTILIZED	FUNDS SANCTIONED / ALLOTTED	FUNDS UTILIZED
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	0	0	0	0	63000	0
2	ANDHRA PRADESH	63000	63000	63000	57893	78000	0
3	ARUNACHAL PRADESH	included in Assam	included in Assam	included in Assam	included in Assam	included in Assam	included in Assam
4	ASSAM	48000	48000	48000	48000	63000	0
5	BIHAR	96000	96000	96000	95994	126000	126000
6	CHANDIGARH	included in Punjab	included in Punjab	included in Punjab	included in Punjab	included in Punjab	included in Punjab
7	CHHATISGARH	48000	48000	48000	48000	48000	0
8	DADRA & NAGAR HAVELI	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat
9	DAMAN & DIU	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat	included in Gujarat
10	DELHI	78000	78000	78000	78000	108000	108000
11	GOA	0	0	48000	48000	48000	0
12	GUJARAT	48000	48000	48000	47865	78000	0
13	HARYANA	48000	48000	48000	48000	63000	63000
14	HIMACHAL PRADESH	48000	48000	48000	48000	48000	0
15	JAMMU & KASHMIR	48000	48000	48000	48000	48000	0
16	JHARKHAND	48000	48000	48000	48000	63000	63000
17	KARNATAKA	111000	111000	111000	111000	141000	0
18	KERALA	48000	48000	144000	143988	144000	95986

"निर्यात के लिए पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर वित्तीय रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी गई राशि (रु.लाख)	स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी गई राशि (रु.लाख)	स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी गई राशि (रु.लाख)
1	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	63000	0
2	आंध्र प्रदेश	63000	63000	63000	57893	78000	0
3	अरुणाचल प्रदेश	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल
4	असम	48000	48000	48000	48000	63000	0
5	बिहार	96000	96000	96000	95994	126000	126000
6	चंडीगढ	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल
7	छत्तीसगढ़	48000	48000	48000	48000	48000	0
8	दादरा व नगर हवेली	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल
9	दमन व दीव	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात सहित	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल
10	दिल्ली	78000	78000	78000	78000	108000	108000
11	गोवा	0	0	48000	48000	48000	0
12	गुजरात	48000	48000	48000	47865	78000	0
13	हरियाणा	48000	48000	48000	48000	63000	63000
14	हिमाचल प्रदेश	48000	48000	48000	48000	48000	0
15	जम्मू व कश्मीर	48000	48000	48000	48000	48000	0
16	झारखंड	48000	48000	48000	48000	63000	63000
17	कर्नाटक	111000	111000	111000	111000	141000	0
18	केरल	48000	48000	144000	143988	144000	95986

19	LAKSHWADEEP	included in Kerala	included in Kerala	included in Kerala	included in Kerala	included in Kerala	included in Kerala
20	MADHYA PRADESH	48000	48000	48000	48000	63000	63000
21	MAHARASHTRA	111000	111000	126000	126000	171000	171000
22	MANIPUR	48000	48000	48000	46530	48000	48000
23	MEGHALAYA	included in Assam	included in Assam	included in Assam	included in Assam	included in Assam	included in Assam
24	MIZORAM	included in Tripura	included in Tripura	included in Tripura	included in Tripura	included in Tripura	included in Tripura
25	NAGALAND	included in Manipur	included in Manipur	included in Manipur	included in Manipur	included in Manipur	included in Manipur
26	ODISHA	48000	48000	48000	48000	63000	57734
27	PUDUCHERRY	included in Tamil Nadu	included in Tamil Nadu	included in Tamil Nadu	included in Tamil Nadu	included in Tamil Nadu	included in Tamil Nadu
28	PUNJAB	48000	48000	48000	47994	63000	63000
29	RAJASTHAN	48000	48000	48000	46485	63000	59700
30	SIKKIM	48000	48000	48000	48000	48000	0
31	TAMIL NADU	108000	108000	78000	77950	108000	0
32	TELANGANA	included in Andhra Pradesh	included in Andhra Pradesh	included in Andhra Pradesh	included in Andhra Pradesh	included in Andhra Pradesh	included in Andhra Pradesh
33	TRIPURA	0	0	0	0	0	0
34	UTTAR PRADESH	144000	144000	144000	143465	189000	0
35	UTTRAKHAND	48000	48000	48000	48000	48000	0
36	WEST BENGAL	48000	48000	48000	48000	108000	96885
	Total	1479000	1479000	1608000	1599164	2091000	1015305
	Total (Rs. Lakhs)	**14.79**	**14.79**	**16.08**	**15.99**	**20.91**	**10.15**

*Note : No sanctions have been released for 2017-18 till date

19	लक्षद्वीप	केरल सहित	केरल सहित	केरल सहित	केरल सहित	केरल सहित	केरल सहित
20	मध्यप्रदेश	48000	48000	48000	48000	63000	63000
21	महाराष्ट्र	111000	111000	126000	126000	171000	171000
22	मणिपुर	48000	48000	48000	46530	48000	48000
23	मेघालय	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असममें शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल
24	मिजोरम	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल
25	नागालैंड	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल
26	ओडिशा	48000	48000	48000	48000	63000	57734
27	पुडुचेरी	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल
28	पंजाब	48000	48000	48000	47994	63000	63000
29	राजस्थान	48000	48000	48000	46485	63000	59700
30	सिक्किम	48000	48000	48000	48000	48000	0
31	तमिलनाडु	108000	108000	78000	77950	108000	0
32	तेलंगाना	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	144000	144000	144000	143465	189000	0
35	उत्तराखंड	48000	48000	48000	48000	48000	0
36	प0 बंगाल	48000	48000	48000	48000	108000	96885
	कुल	1479000	1479000	1608000	1599164	2091000	1015305
	कुल (लाख रुपये)	**14.79**	**14.79**	**16.08**	**15.99**	**20.91**	**10.15**

*नोट : 2017-18 से आज की तिथि तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई

FINANCIAL PROGRESS FOR BAR CODE SCHEME (A COMPONENT OF MATU SCHEME)									
SL. NO.	NAME OF THE STATE / UT								
		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (till date)	
		FUNDS SANCTIONED / ALLOCATED (Rs. Lakhs)	FUNDS UTILIZED (Rs. Lakhs)	FUNDS SANCTIONED / ALLOCATED (Rs. Lakhs)	FUNDS UTILIZED (Rs. Lakhs)	FUNDS SANCTIONED / ALLOCATED (Rs. Lakhs)	FUNDS UTILIZED (Rs. Lakhs)	FUNDS SANCTIONED / ALLOCATED (Rs. Lakhs)	FUNDS UTILIZED (Rs. Lakhs)
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	Included in West Bengal	Included in West Bengal	Included in West Bengal	Included inWest Bengal	Included in West Bengal	Included in West Bengal	Included in West Bengal	Included in West Bengal
2	ANDHRA PRADESH	4.7	3.136	5.1	4.318	2.4	2.343	2	0
3	ARUNACHAL PRADESH	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam
4	ASSAM	1.8	0.671	1.3	0.54	1	0.257	0	0.000
5	BIHAR	4.5	3.946	6.4	4.585	3.6	3.501	2	0.000
6	CHANDIGARH	Included in Punjab	Included in Punjab	Included in Punjab	Included in Punjab	Included in Punjab	Included in Punjab	Included in Punjab	Included in Punjab
7	CHHATISGARH	0.8	0.3	0.8	0.522	0.63	0.61487	0.5	
8	DADRA & NAGAR HAVELI	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat
9	DAMAN & DIU	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat	Included in Gujarat
10	DELHI	4.6	3.547	4.4	3.942	7	6.278	5	0.000
11	GOA	1.4	1.281	1.9	1.865	0.5	0.349	0.5	
12	GUJARAT	11.9	11.431	11.6	11.144	13	12.962	10	4.189
13	HARYANA	23..1	21.979	22.1	16.822	7.3	7.032	7	0.778
14	HIMACHAL PRADESH	6.75	4.732	6.2	5.699	4	2.981	3	0.362
15	JAMMU & KASHMIR	2.4	1.779	2.4	1.791	1	0.997	1.5	
16	JHARKHAND	1.1	1.654	2.1	1.743	1	0.961	0.5	
17	KARNATAKA	14.2	13.937	13.7	13.215	10	9.750	9.5	
18	KERALA	6	4.738	5.7	5.208	4.3	4.221	4	0.753

बार कोड स्कीम के लिए वित्तीय प्रगति (माटू स्कीम का एक घटक)									
		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18 (अब तक)	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी राशि (रु.लाख)	स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी राशि (रु.लाख)	स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी राशि (रु.लाख)	स्वीकृत/ आवंटित राशि (रु. लाख)	उपयोग में लायी राशि (रु.लाख)
1	अंडमान व निकोबार	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल	पं बंगाल में शामिल
2	आंध्र प्रदेश	4.7	3.136	5.1	4.318	2.4	2.343	2	0
3	अरुणाचल प्रदेश	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल
4	असम	1.8	0.671	1.3	0.54	1	0.257	0	0.000
5	बिहार	4.5	3.946	6.4	4.585	3.6	3.501	2	0.000
6	चंडीगढ	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल	पंजाब में शामिल
7	छत्तीसगढ़	0.8	0.3	0.8	0.522	0.63	0.61487	0.5	
8	दादरा व नगर हवेली	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल
9	दमन व दीव	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल	गुजरात में शामिल
10	दिल्ली	4.6	3.547	4.4	3.942	7	6.278	5	0.000
11	गोवा	1.4	1.281	1.9	1.865	0.5	0.349	0.5	
12	गुजरात	11.9	11.431	11.6	11.144	13	12.962	10	4.189
13	हरियाणा	23..1	21.979	22.1	16.822	7.3	7.032	7	0.778
14	हिमाचल प्रदेश	6.75	4.732	6.2	5.699	4	2.981	3	0.362
15	जम्मू व कश्मीर	2.4	1.779	2.4	1.791	1	0.997	1.5	
16	झारखंड	1.1	1.654	2.1	1.743	1	0.961	0.5	
17	कर्नाटक	14.2	13.937	13.7	13.215	10	9.750	9.5	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.7	[illegible]	4.3	4.221	4	0.753

19	LAKSHWADEEP	Included in Kerala	Included in Kerala	Included in Kerala	Included in Kerala	Included in Kerala	Included in Kerala	Included in Kerala	Included in Kerala
20	MADHYA PRADESH	5.5	4.583	9.5	6.694	11.2	11.169	10	
21	MAHARASHTRA	26.2	23.512	27.4	25.404	33	32.983	28	
22	MANIPUR	0.8	0.299	0.8	0.571	0.5	0	0	0
23	MEGHALAYA	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam	Included in Assam
24	MIZORAM	Included in Tripura	Included in Tripura	Included in Tripura	Included in Tripura	Included in Tripura	Included in Tripura	Included in Tripura	Included in Tripura
25	NAGALAND	Included in Manipur	Included in Manipur	Included in Manipur	Included in Manipur	Included in Manipur	Included in Manipur	Included in Manipur	Included in Manipur
26	ODISHA	7.7	7.683	7.5	7.464	6	5.487	5	0.000
27	PUDUCHERRY	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu	Included in Tamil Nadu
28	PUNJAB	4.8	4.371	5.6	5.066	8	7.140	6	
29	RAJASTHAN	8.65	7.998	10.2	9.573	11	10.080	10	1.059
30	SIKKIM	0.8	0.287	0.8	0	0.5	0	0	0
31	TAMIL NADU	10.4	8.821	10.4	8.171	8	7.28	7	0
32	TELANGANA	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh	Included in Andhra Pradesh
33	TRIPURA	0.8	0	0.8	0	0.5	0.028	0	0.000
34	UTTAR PRADESH	14.2	6.396	16.5	12.85	10	9.299	5	1.148
35	UTTRAKHAND	7.7	3.734	4.2	2.45	1.5	1.490	1.5	
36	WEST BENGAL	4.85	3.392	5.1	4.927	4	3.864	4	
	Total (Rs. Lakhs)	**152.55**	**144.21**	**182.50**	**154.56**	**149.93**	**141.07**	**122**	**8.29**

19	लक्षद्वीप	केरल में शामिल	केरल में शामिल	केरल में शामिल	केरल में शामिल	केरल में शामिल	केरल में शामिल	केरल में शामिल	केरल में शामिल
20	मध्यप्रदेश	5.5	4.583	9.5	6.694	11.2	11.169	10	
21	महाराष्ट्र	26.2	23.512	27.4	25.404	33	32.983	28	
22	मणिपुर	0.8	0.299	0.8	0.571	0.5	0	0	0
23	मेघालय	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल	असम में शामिल
24	मिजोरम	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल	त्रिपुरा में शामिल
25	नागालैंड	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल	मणिपुर में शामिल
26	ओडि शा	7.7	7.683	7.5	7.464	6	5.487	5	0.000
27	पुड्डुचेरी	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल	तमिलनाडु में शामिल
28	पंजाब	4.8	4.371	5.6	5.066	8	7.140	6	
29	राजस्थान	8.65	7.998	10.2	9.573	11	10.080	10	1.059
30	सिक्किम	0.8	0.287	0.8	0	0.5	0	0	0
31	तमिलनाडु	10.4	8.821	10.4	8.171	8	7.28	7	0
32	तेलंगाना	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल	आंध्रप्रदेश में शामिल
33	त्रिपुरा	0.8	0	0.8	0	0.5	0.028	0	0.000
34	उत्तर प्रदेश	14.2	6.396	16.5	12.85	10	9.299	5	1.148
35	उत्तराखंड	7.7	3.734	4.2	2.45	1.5	1.490	1.5	
36	प0 बंगाल	4.85	3.392	5.1	4.927	4	3.864	4	
	कुल (लाख रुपये)	**152.55**	**144.21**	**182.50**	**154.56**	**149.93**	**141.07**	**122**	**8.29**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1299
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

DG SUPPLIES & DISPOSALS

1299. SHRI R.P. MARUTHARAJAA:

will the minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government has received applications from various federations/quarters in regard to products manufactured by various enterprises covered under the Directorate General of Supplies and Disposals.

(b) if so, the details of the decision taken by the Government on the issue relating to product made from recycled paper;

(c) whether the Government has appointed/deputed officials to coordinate with the Directorate General of Supplies and Disposals and if so, the details thereof, and

(d) whether the Government invites response on its website in this regard and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTR OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): This ministry has not received any such applications. As per the information available from Supply Division of Department of Commerce, DGS&D have been concluding rate contracts for plain copier paper, maplitho paper, offset printing paper, paper plain white and cream wove, computer stationary.

(c): No Sir.

(d): After the expiry of the rate contracts, these items are now available on Government e-Marketplace (GeM) portal. Technical specifications for writing and printing papers have been uploaded on GeM Portal.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1299

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय

1299. श्री आर. पी. मरुदराजाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के अन्तर्गत शामिल विभिन्न उद्यमों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के संबंध में विभिन्न संघों/वर्गों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पुनर्चक्रित कागज़ से बनाए गए उत्पाद संबंधी समस्या पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर प्रतिक्रिया आमंत्रित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : इस मंत्रालय में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । वाणिज्य विभाग के पूर्ति प्रभाग से उपलब्ध सूचना के अनुसार, डीजीएस एंड डी प्लेन कोपियर पेपर, मेपलिथो पेपर, ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर, प्लेन व्हाइट और क्रीम वोव पेपर, कंप्यूटर स्टेशनरी के अनुबंध दर को अंतिम रूप दे रहा है ।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) : अनुबंध दरों की समाप्ति के पश्चात, ये मदें अब सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर उपलब्ध है । लेखन और प्रिंटिंग पेपर के लिए तकनीकी विशिष्टता जेम पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है ।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. †1319
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

PROMOTION OF MSMES

†1319. SHRI KRUPAL BALAJI TUMANE:
SHRI SHIVKUMAR UDASI:
SHRIMATI REKHA VERMA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the contribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the gross domestic product of the country during the last three years;

(b) whether the Government has implemented any special schemes to increase the competitiveness amongst MSMEs in the country;

(c) whether it has been made mandatory for central public sector enterprises to make 20 per cent of their procurements from MSMEs and if so, the total procurements made therefrom during the last three years; and

(d) the other steps taken by the Government to promote competitiveness and productivity in the MSMEs sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): As per the data available with Central Statistics Office (CSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India, the contribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in the Gross Value Added (GVA) of the country for the year 2013-14, 2014-15 and 2015-16 at current prices are 32.26%, 31.86% and 31.60% respectively and the contribution in Gross Domestic Product (GDP) of the country for the year 2013-14, 2014-15 and 2015-16 at current price are 29.76%, 29.39% and 28.77% respectively.

However, as the CSO does not compile estimates (GVA/GDP) of MSME sector based on the definition of MSME sector, an approximation based on the results of Annual Survey of Industries (ASI) and surveys on unorganised sector has been made to arrive at the contribution, mentioned in the above para.

(b): Yes madam, the Government has implemented the National Manufacturing Competitiveness Programme for increase the competitiveness amongst MSME in the country.

(c): The Government of India has introduced Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order-2012 which is applicable to all Central Ministries/Departments/CPSUs and is effective from the 1st April, 2012. Under the said Policy, every Central Government Ministry, Department and Public Sector Undertaking shall procure a minimum of 20 per cent of their total annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises (MSEs). Out of this 20%, it is mandatory to earmark 4% for MSEs owned by SC/ST entrepreneurs from the 1st April, 2015.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1319

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

एमएसएमई को बढ़ावा देना

1319. श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्री शिवकुमार उदासिः
श्रीमती रेखा वर्माः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का योगदान कितना है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए उनकी खरीद का 20 प्रतिशत एमएसएमई से करना आवश्यक बनाया गया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनसे कुल कितनी खरीद की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का योगदान क्रमशः 32.26 प्रतिशत, 31.86 प्रतिशत और 31.60 प्रतिशत है और वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान क्रमशः 29.76 प्रतिशत, 29.39 प्रतिशत और 28.77 प्रतिशत रहा है ।

यद्यपि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एमएसएमई क्षेत्र की परिभाषा के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के अनुमानों (जीवीए/जीडीपी) का संकलन नहीं करता है, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) और असंगठित क्षेत्र संबंधी सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर उपरोक्त योगदान, जिसका उल्लेख उपर्युक्त अनुच्छेद में किया गया है, पर पहुंचने के लिए एक अनुमान लगाया गया है ।

(ख) : जी हां, सरकार ने देश भर में एमएसएमई के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम कार्यान्वित की है ।

(ग) : भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश-2012 की शुरूआत की है जो सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है और 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है। उक्त नीति के तहत प्रत्येक केन्द्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपनी सामग्री अथवा सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से करनी होगी। इस 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए उद्दिष्ट किए गए हैं और इसे 1 अप्रैल, 2015 से अनिवार्य किया गया है ।

The Details of Procurement during last three years (reported by CPSUs till 18th July, 2017) are given below:

(Figures in Rs. Crore)

Year	Total Procurement	Procurement from MSEs(including SC/ST owned MSEs)	Procurement from MSEs owned by SC/ST
2014-15 (133 CPSUs)	131766.86	15300.57	59.37
2015-16 (116 CPSUs)	134848.14	18246.15	99.37
2016-17* (60 CPSUs)	55291.64	13288.96	195.22

* Provisional

(d): The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) has introduced various schemes to help MSMEs to increase their competitiveness and productivity in the country. These, inter-alia, include National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Micro and Small Enterprises- Cluster Development Programme (MSE-CDP), Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), etc.

The National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) highlights the need for enhancing the competitiveness of Indian Manufacturing Sector. The NMCP is the nodal programme of the Government of India to develop global competitiveness among Indian MSMEs. Under NMCP the schemes are (i)Support for Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs through Incubators (ii)Building Awareness on Intellectual Property Rights (IPR) for MSME (iii)Enabling Manufacturing Sector to be competitive through Quality Management Standard & Quality Technology Tools (QMS/QTT) subsumed under Zero Defect Zero Effect (ZED) (iv)Digital MSME Scheme (v)Technology and Quality Up gradation Support to MSMEs (vi)Design Clinic Scheme for design expertise to MSMEs Manufacturing sector and (vii)Lean Manufacturing Competitiveness Scheme.

The Ministry of MSME has also adopted the Cluster Development approach as a key strategy for enhancing the productivity and competitiveness as well as capacity building of Micro and Small Enterprises (MSEs) and their collectives in the country.

***

पिछले तीन वर्षों (सीपीएसयू द्वारा यथासूचित 18 जुलाई, 2017 तक) में खरीद का विवरण नीचे दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल खरीद	एमएसई से खरीद (अनु. जा./ अनु. जनजा. के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	अनु. जा./अनु. जनजा. के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद
2014-15 (133 सीपीएसयू)	131766.86	15300.57	59.37
2015-16 (116 सीपीएसयू)	134848.14	18246.15	99.37
2016-17* (60 सीपीएसयू)	55291.64	13288.96	195.22

* अनंतिम

(घ) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने देश में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), नवप्रर्वतन, ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) आदि शामिल हैं ।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की जरूरत पर बल देता है । एनएमसीपी भारतीय एमएसएमई के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित करने के लिए भारत सरकार का नोडल कार्यक्रम है । एनएमसीपी के तहत स्कीमों में-(i) इंक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमिता तथा प्रबंधकीय विकास हेतु सहायता (ii) एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता निर्माण (iii) जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) के तहत सम्मिलित गुणवत्ता प्रबंधन मानकों और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम करना (iv) डिजिटल एमएसएमई स्कीम (v) एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन के लिए सहयोग (vi) एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र हेतु डिजाइन विशेषज्ञता के लिए डिजाइन क्लीनिक योजना और (vii) लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना शामिल है।

एमएसएमई मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और उनके समूहों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा साथ ही उनके क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख कार्यनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को भी अपनाया है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1333
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

IMPACT OF MAKE IN INDIA ON MSME

1333. SHRIMATI POONAMBEN MAADAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether employment generation has got a big boost due to the role played by the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in the country and if so, the details thereof;
(b) whether the Government has made any evaluation to assess the impact of Government's Make in India (MII) Initiative on MSMEs in the country and if so, the details and the findings thereof;
(c) whether MII programme has been successful in generating jobs in the country and if so, the details thereof; and
(d) the measures/initiatives taken by the Government to bring in Foreign Direct Investment (FDI) in the MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Yes, Madam. The government monitors the employment in the MSME sector in the country by conducting All India Census of the sector, periodically. As per the last census (Fourth) of Micro, Small & Medium Enterprises data collected with reference to base year 2006-07, as well as data extracted from the Economic Census 2005 conducted by Central Statistical Office (CSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), for activities excluded from Fourth Census, namely Wholesale/retail trade, legal, educational and social services, hotels & restaurants, Transports and storage & warehousing (except cold storage), the total employment in the MSME sector was 805.24 lakh.

(b): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has not made any assessment of the impact of Make in India initiative on MSMEs.

(c): The 'Make in India ' initiative launched on 25th September, 2014 aims at promoting India as an important investment destination and a global hub in manufacturing, design and innovation. Make in India initiative aims to create a conducive environment for investment, development of modern and efficient infrastructure, opening up new sectors for foreign investment and forging a partnership between Government and industry through a positive mind set. Industrial production and employment generation are influenced be a range of domestic factors and international factors, including enabling policies like Make in India. Government has been taking steps to boost industrial development, capital formation and employment generation in the country. Besides Make in India, these, inter-alia, include 'Start-up India' initiative and 'Ease of Doing Business'. Steps taken to improve ease of doing business include simplification and rationalisation of existing rules and introduction of information technology, setting up of an Investor Facilitation Cell, launch of e-biz Portal and liberalising policy for industrial licensing. Details of employment generated are not centrally compiled.

(d): India has one of the most liberalized FDI policy in the world, wherein 100% FDI under automatic route is permitted in most of the sectors/activities. There is only a small list of sectors/activities where FDI is regulated i.e. subjected to Government approval, cap or having other conditionalities. The FDI policy also equally applies to small and medium enterprises in the sectors.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1333

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

एमएसएमई पर 'मेक इन इंडिया' का प्रभाव

1333. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में एमएसएमई पर सरकार की 'मेक इन इंडिया' (एमआईआई) पहल के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम देश में रोजगार सृजित करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने के लिए क्या उपाय/पहल की गई है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : जी हां। सरकार, समय-समय पर इस क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना करके देश में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पर नजर रखती है । आधार वर्ष 2006-07 के संदर्भ के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पिछली गणना (चौथी गणना) तथा साथ ही चौथी गणना से बाहर रखे गए कार्यकलापों जैसे थोक/फुटकर व्यापार, विधि, शैक्षणिक तथा सामाजिक सेवाएं, होटल और रेस्तराएं, परिवहन और भंडारण एवं वेयर हाउसिंग (शीत भंडारण को छोड़कर) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित आर्थिक गणना 2005 से लिए गए आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार 805.24 लाख था ।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई पर मेक इन इंडिया पहल के प्रभाव का कोई आकलन नहीं कराया है ।

(ग) : 25 सितंबर 2014 को आरंभ 'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य और विनिर्माण, डिजाइन तथा इनोवेशन के एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है । मेक इन इंडिया पहल का लक्ष्य निवेश, आधुनिक तथा कार्यकुशल अवसंरचना का विकास, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्र खोलने और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ सरकार तथा उद्योग के बीच एक साझेदारी को मूर्तरूप देना है । मेक इन इंडिया जैसी समर्थकारी नीतियों सहित बहुत से घरेलू कारकों और अंतर्राष्ट्रीय कारकों से औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन प्रभावित होते हैं । सरकार देश में औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है । मेक इन इंडिया के अलावा, इनमें, अन्य के साथ-साथ 'स्टार्ट अप इंडिया' पहल और 'व्यवसाय करने को सरल बनाना' शामिल है । व्यवसाय करने को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों में मौजूदा नियमों का सरलीकरण और युक्तिकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना, निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना, ई-बिज पोर्टल लॉन्च करना और औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए नीति को उदार बनाना शामिल है । सृजित रोजगार का ब्यौरा केंद्रीय तौर पर संकलित नहीं किया जाता ।

(घ) : भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति दुनिया में सबसे उदार है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 फीसदी एफडीआई की स्वीकृति है । उन क्षेत्रों/कार्यकलापों, जिसमें एफडीआई नियंत्रित है, यानि सरकारी अनुमोदन के अधीन है, उसकी अधिकतम सीमा है या अन्य शर्तें हैं, की बस एक छोटी सी सूची है । एफडीआई नीति इन क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्यमों पर भी लागू होती है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1360
TO BE ANSWERED ON: 24.07.2017

NSIC PROGRAMME

1360. SHRI BHARAT SINGH:
SHRIMATI KAMLA DEVI PAATLE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the National Small Industries Corporation is organizing special programme for skill and entrepreneurship development in the country including Chhattisgarh during the last three years;
(b) if so, the details thereof and the number of persons benefited therefrom, State/UT-wise; and
(c) whether the Government proposes to provide any financial assistance to such entrepreneurs and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)&(b): Yes, Madam. The National Small Industries Corporation Limited (NSIC), a Public Sector Undertaking under this Ministry is orgainising number of programmes for Skill Development and Self-Employment through its 7 technical centres located at Aligarh (Uttar Pradesh), Chennai (Tamil Nadu), Howrah (West Bengal), Hyderabad (Telangana), Okhla (New Delhi), Rajkot (Gujarat) and Rajpura (Punjab). NSIC is also imparting self-entrepreneurship through its incubation centres located at Okhla (New Delhi), Howrah (West Bengal), Guwahati (Assam), Mandi (Himachal Pradesh), Kolar (Karnataka), Deoria (Uttar Pradesh), Nawada (Bihar), Naini (Uttar Pradesh), Chennai (Tamil Nadu), Kashipur (Uttarakhand) and Rajkot (Gujarat).

In addition, NSIC has set up 112 Training-cum-Incubation Centres (TIC) under Public-Private Partnership (PPP) in different parts of the country. NSIC is having one TIC under PPP mode at Mahasamund in Chattisgarh.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1360

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

एनएसआईसी कार्यक्रम

1360. श्री भरत सिंहः

श्रीमती कमला देवी पाटलेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित देश में कौशल और उद्यमिता विकास हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने व्यक्ति उनसे लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): जी, हां। इस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (तेलंगाना), ओखला (नई दिल्ली), राजकोट (गुजरात) और राजपुरा (पंजाब) में स्थित अपने 7 तकनीकी केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। एनएसआईसी ओखला (नई दिल्ली), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम), मंडी (हिमाचल प्रदेश), कोलार (कर्नाटक), देवरिया (उत्तर प्रदेश), नवादा (बिहार), नैनी (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), काशीपुर (उत्तराखंड) और राजकोट (गुजरात) में स्थित अपने उस्मायन (इंक्यूबेशन) केंद्रों के माध्यम से भी स्व उद्यमिता प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने देश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत 112 प्रशिक्षण – सह - इंक्यूबेशन केंद्र (टीआईसी) स्थापित किये हैं। एनएसआईसी के पास छत्तीसगढ़ में महासमुन्द में पीपीपी मोड के अंतर्गत एक टीआईसी है।

NSIC offers training in more than 100 trades through three programmes namely (i)Entrepreneurship Development Programme (EDP) (ii) Entrepreneurship Skill Development Programme (ESDP) and (iii) Entrepreneurship Orientation Programmes (EOP). The state wise details of persons trained under these three programmes during last three years are given at **Annexure.**

(c): The Ministry of MSME is providing financial support to new entrepreneurs through the following two schemes:

(i) The Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), a credit linked programme is being implemented through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) which aimed at generating self employment opportunities though establishment of micro enterprises in the non-farm sector. The maximum project cost in manufacturing sector is Rs. 25 lakh and for service sector, it is Rs. 10 lakh. Margin money subsidy available under this scheme ranges from 15% to 35% depending upon the category of beneficiaries and area (rural/urban).

(ii) The Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGS) has been launched by the Government of India to make available collateral-free credit to the micro and small enterprise sector for loans upto Rs. 200 lakh without collateral/third party guarantees.

****

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तीन कार्यक्रमों नामतः (i) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) (ii) उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और (iii) उद्यमिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम (ईओपी) के माध्यम से 100 से अधिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): एमएसएमई मंत्रालय निम्नलिखित दो स्कीमों के माध्यम से नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा हैः

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट लिंक्ड कार्यक्रम है जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व रोजगार के अवसर सृजित करना है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रूपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए है। इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध मार्जिन मनी सब्सिडी लाभार्थियों की श्रेणी और क्षेत्र (ग्रामीण/शहरी) पर निर्भर करते हुए 15 प्रतिशत से 30 की रेंज में है।

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम (सीजीएस) के लिए क्रेडिट गारंटी निधि स्कीम संपार्श्विक/तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना 200 लाख रूपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र हेतु संपार्श्विक (कोलेटेरल) मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरूआत की गई है।

****

Annexure

Annexure referred to parts (a)&(b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1360 for answer on 24.07.2017

State-wise and year-wise details of training provided by NSIC during last three year

(No. of persons)

S.No.	State	2014-15			2015-16			2016-17		
		EDP	ESDP	EOP	EDP	ESDP	EOP	EDP	ESDP	EOP
1	Uttar Pradesh	240	3919	16868	682	4178	15128	1188	3355	15004
2	Tamil Nadu	0	2977	16044	0	2454	11528	600	3538	15040
3	West Bengal	207	1673	10000	567	3196	15020	1347	4386	15100
4	Telanagana	0	4061	18032	0	5265	18007		4946	15023
5	New Delhi	456	3180	10018	391	3839	11762	397	3727	10602
6	Gujrat	0	1013	14056	189	1607	18476	1445	582	10307
7	Punjab	0	1184	4911	0	940	5305		870	2689
8	Himachal Pradesh	976	114	2089	690	226	2882	434	559	1620
9	Assam	632	40	97	1559		0	711	0	0
10	Karnatka	275	36	0	397	20	0	420	0	0
11	Utrrakhand	0	36	0	0	172	0	705	87	3015
12	Andhra Pradesh	0	0	0	0	0	0		27	0
13	Chhatisgarh	0	0	0	0	0	0		77	0
14	Haryana	0	113	0	0	145	0		76	0
15	Maharashtra	0	11	0	0	129	0		283	0
16	Jharkhand	0	55	0	0	288	0		296	0
17	Jammu & Kashmir	0	595	0	0	440	0		247	0
18	Bihar	0	0	0	0	0	0	438	78	0
19	Madhya Pradesh	0	45	0	0	55	0		3	0
20	Tripura	0	0	0	0	0	0	1136	0	0
21	Kerala	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Odisha	0	22	0	0	26	0	0	0	
	TOTAL	2786	19074	92115	4475	22980	98108	8821	23137	88400

अनुबंध

दिनांक 24.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1360 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्ष के दौरान एनएसआईसी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा।

(व्यक्तियों की संख्या)

क्रं. सं.	राज्य	2014-15			2015-16			2016-17		
		ईडीपी	ईएसडीपी	ईओपी	ईडीपी	ईएसडीपी	ईओपी	ईडीपी	ईएसडीपी	ईओपी
1	उत्तर प्रदेश	240	3919	16868	682	4178	15128	1188	3355	15004
2	तमिलनाडु	0	2977	16044	0	2454	11528	600	3538	15040
3	पश्चिम बंगाल	207	1673	10000	567	3196	15020	1347	4386	15100
4	तेलंगाना	0	4061	18032	0	5265	18007		4946	15023
5	नई दिल्ली	456	3180	10018	391	3839	11762	397	3727	10602
6	गुजरात	0	1013	14056	189	1607	18476	1445	582	10307
7	पंजाब	0	1184	4911	0	940	5305		870	2689
8	हिमाचल प्रदेश	976	114	2089	690	226	2882	434	559	1620
9	असम	632	40	97	1559		0	711	0	0
10	कर्नाटक	275	36	0	397	20	0	420	0	0
11	उत्तराखंड	0	36	0	0	172	0	705	87	3015
12	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0		27	0
13	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0		77	0
14	हरियाणा	0	113	0	0	145	0		76	0
15	महाराष्ट्र	0	11	0	0	129	0		283	0
16	झारखंड	0	55	0	0	288	0		296	0
17	जम्मू और कश्मीर	0	595	0	0	440	0		247	0
18	बिहार	0	0	0	0	0	0	438	78	0
19	मध्य प्रदेश	0	45	0	0	55	0		3	0
20	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1136	0	0
21	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ओडिशा	0	22	0	0	26	0	0	0	
	कुल	2786	19074	92115	4475	22980	98108	8821	23137	88400

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1369
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

PERFORMANCE OF KVIC

1369 SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO:
SHRI G.M. SIDDESHWARA:
SHRI Y.V. SUBBA REDDY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether the Government has reviewed the performance of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) during the last three years, if so, the details and the outcome thereof and if not, the reasons therefor;
(b) the details of the new khadi outlets opened across the country during the said period, State/UT-wise;
(c) whether the KVIC has increased its sale, if so, the details thereof including percentage and amount of increase in sale during the said period;
(d) whether Indian Railways and Air India are being encouraged to use khadi made fabrics in trains and aeroplanes, if so, the details of value of total demand orders placed by Indian Railways and Air India for khadi fabrics during the said period; and
(e) the other steps taken by the Government to modernise and promote khadi industries in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of MSME has held periodic review of the performance of Khadi and Village Industries Commission (KVIC) schemes at various levels and suggested some modifications which were implemented by KVIC thus achieving performance which shows steady progress year after year. Some of the major initiatives undertaken by KVIC are as follows:

1. Erstwhile Market Development Assistance (MDA) scheme has been modified as Market Promotion Development Assistance scheme (MPDA) which is formulated as a unified scheme by merging different schemes/ sub-schemes/ components viz. Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market promotion and adds a new component of Infrastructure (inclusive of new component of Marketing Complexes/Khadi Plaza).
2. Under modified MDA, pricing would be fully de-linked from the cost chart and products can be sold at market-linked prices at all stages of production. Modified MDA shall be calculated at 30% of Prime Cost (cost of raw material plus conversion charges upto grey cloth plus processing charges without margins.) the MMDA shall be distributed among producing institutions (40%), Selling Institutions (20%) and artisans (40%).
3. KVIC have introduced 'Khadi Mark' wherein producers of Khadi has to obtain Khadi Mark Certificate for attaching Khadi Mark label with the Khadi and Khadi product to be sold by them in the market. KVIC have prescribed a one page application form, to facilitate Khadi Institutions (KIs) to apply easily.

भारत सरकार

सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .1369

उत्तर देने की तारीख 24.07.2017

के.वी.आई.सी. का कार्य-निष्पादन

1369. श्री रायपति सम्बासिवा रावः

श्री जी.एम. सिद्देश्वराः

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके परिणाम क्या रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण देश में खोले गए खादी के नए केंद्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के.वी.आई.सी. ने अपने विक्रय में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान बढ़े हुए विक्रय का प्रतिशत और राशि कितनी है;

(घ) क्या भारतीय रेल और एअर इंडिया द्वारा ट्रेनों और विमानों में खादी से बने कपड़ों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान खादी के कपड़ों हेतु भारतीय रेल और एअर इंडिया द्वारा की गई कुल माँग आदेशों का मूल्य कितना रहा है; और

(ङ) देश में खादी उद्योग के आधुनिकीकरण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्कीमों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की है और कुछ संशोधन सुझाए गए हैं जिनका कार्यान्वयन किया गया और उनसे कार्यनिष्पादन हुआ जो वर्ष दर वर्ष धीमी प्रगति को दर्शाता है। केवीआईसी द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:

1. पूर्ववर्ती बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम को बाजार संवर्धन विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) के रूप में संशोधित किया गया है जिसे विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन और बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार किया गया है तथा इसमें अवसंरचना का एक नया घटक (विपणन परिसरों/खादी प्लाजा के नये घटक का समावेश) जोड़ा गया है।

2. संशोधित एमडीए के अंतर्गत मूल्य को लागत चार्ट से पूर्णतः अलग कर दिया जाएगा एवं उत्पाद उत्पादन के सभी स्तरों पर बाजार लिंक मूल्य पर बेचे जा सकते हैं। संशोदित एमडीए को मूल लागत के 30% (ग्रे-क्लॉथ एवं बगैर मार्जिन प्रसंस्करण प्रभार तक कच्ची सामग्री की लागत और परिवर्तन प्रभार) पर परिकलित किया जाएगा। एमएमडीए उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच वितरित की जाएगी।

3. केवीआईसी ने 'खादी चिह्न' शुरू किया है जिसमें खादी उत्पादकों को बाजार में उनके द्वारा बेची जाने वाली खादी और खादी उत्पादों पर खादी चिह्न लेबल लगाने के लिए खादी चिह्न प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। केवीआईसी ने आसानी से आवेदन करने के लिए खादी संस्थाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पृष्ठीय आवेदन प्रपत्र निर्धारित किया है।

4. An online application system has been made operational for disbursement of MDA/MPDA to KIs and artisans. Institutions are uploading data and filing their MDA/MPDA claims pertaining to 2016-17 in the online system.
5. To enhance the earnings of Khadi artisan, who are mainly hand-spinners, the base rate of hank conversion was increased from Rs. 4.00 to Rs. 5.50 per hank.
6. KVIC has developed an online application system for release of ISEC fund/interest subsidy amount directly to the cash credit account of KIs. Under the system the financing bank branch will upload the claim and the amount will be directly credited to the KIs account.
7. With change in PMEGP negative list, Khadi units can now be set up under PMEGP.
8. Activity of Spinning Solar Charkha has been permitted through PMEGP.
9. KVIC launch e-Portal and introduced online process flow of application and disbursement of Margin Money directly to financing bank branches through Corporation Bank being a single national level nodal bank by adopting Direct Benefit Transfer (DBT).
10. An online application system has also been developed for providing Khadi Certificate.

(b): In view of the requirement to expand market reach, under 'Market Promotion Development Assistance' (MPDA) assistance to set up new Khadi plazas has been envisaged.

KVIC is having network of around 7050 sales outlets run by KVIC, KVIB institutions. A sub scheme namely "Assistance for Marketing Infrastructure" was introduced for the renovation of Departmental Sales Outlets of KVIC and State KVIBs and retail sales outlets of Khadi Institutions to increase the turnover of Khadi products through improved marketing infrastructure.

Under the scheme, financial assistance is provided at the maximum limit of Rs. 25.00 lakh in urban areas and Rs. 20.00 lakh in rural areas, in terms of 75% to institutional sales outlets, 85% to State KVIBs outlets and 100% to KVIC outlets.

The following Departmental Khadi Sales Outlets have been set-up across the country during the last three years:

i. Dr. B.R. Ambedkar Institute of Rural Technology & Management & Institute of Renewable Energy, Nashik (Maharashtra)
ii. Opened premier 'Khadi Showrooms' known as Khadi Lounge at New Delhi, Mumbai and Jaipur.

Two sales outlets run by KVIC/KVIB institutions have also been set up at Airports of Visakhapatnam and Lucknow, respectively. The list of sales outlets opened by KVIC, KVIB institutions during last three years are as follows:

Number of sales outlets opened

Sl. No	State/UT	2014-15	2015-16	2016-17 (Provisional)	Total
1.	Punjab*	3	3	0	6
2.	Delhi	1	0	0	1
3.	Uttar Pradesh	1	2	4	7
4.	Odisha	2	2	0	4
5.	Gujarat	2	1	2	5
6.	Maharashtra	2	2	1	5
	Total	**11**	**10**	**7**	**28**

* including UT Chandigarh

4. खादी संस्थाओं और कारीगरों को एमडीए/एमपीडीए के संवितरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली चालू की गई है। संस्थाएं ऑनलाइन प्रणाली में 2016-17 से संबंधित आंकड़े अपलोड कर रही हैं और एमडीए/एमपीडीए दावों की फाइलिंग कर रही हैं।

5. खादी कारीगर जो मुख्य रूप से हाथ से कातने वाले हैं, की आय बढ़ाने के लिए हैंक परिवर्तन की आधार दर 4.00 रुपये से बढ़ाकर 5.50 रुपये प्रति हैंक कर दी गई है।

6. केवीआईसी ने खादी संस्थाओं के नकदी ऋण खाते में सीधे आइसेक निधि/ब्याज सब्सिडी राशि जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली के अंतर्गत वित्तपोषण बैंक शाखा दावे को अपलोड करेगी और राशि खादी संस्थाओं के खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी।

7. पीएमईजीपी की नकारात्मक सूची में परिवर्तन के साथ, खादी इकाइयों को अब पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है।

8. सौर चरखे पर कताई के कार्यकलाप को पीएमईजीपी के माध्यम से अनुमति दी गई है।

9. केवीआईसी ने ई-पोर्टल शुरू किया और आवेदन के ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवाह एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को अपनाकर एकल राष्ट्र स्तरीय नोडल बैंक होने के नाते कॉर्पोरेशन बैंक के माध्यम से वित्तपोषण बैंक शाखाओं को सीधे मार्जिन मनी का संवितरण शुरू किया।

10. ऑनलाइन आवेदन प्रणाली भी खादी प्रमाण पत्र देने के लिए विकसित की गई है।

(ख) बाजार दायरा बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए 'बाजार संवर्धन विकास सहायता' (एमपीडीए) के अंतर्गत नए खादी प्लाजाओं की स्थापना के लिए सहायता पर विचार किया गया है।

केवीआईसी के पास केवीआईसी, केवीआईबी संस्थाओं द्वारा संचालित लगभग 7050 बिक्री केन्द्रों का नेटवर्क है। उन्नत विपणन अवसंरचना के माध्यम से खादी उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने के लिए केवीआईसी एवं राज्य केवीआईबी के विभागीय बिक्री केन्द्रों और खादी संस्थाओं के खुदरा बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए ''विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' नामक एक उप स्कीम शुरू की गई।

इस स्कीम के अंतर्गत, 75 संस्थागत बिक्री केन्द्रों, राज्य केवीआईबी बिक्री केन्द्रों को 85% तथा केवीआईसी बिक्री केन्द्रों को 100% के संदर्भ में, वित्तीय सहायता शहरी क्षेत्रों में 25.00 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा में दी जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान देश भर में निम्नलिखित विभागीय खादी बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं:

i. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान तथा नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, नासिक (महाराष्ट्र)

ii. नई दिल्ली, मुंबई एवं जयपुर में खादी लाउंज के रूप में ज्ञात प्रमुख 'खादी शोरूम' खोले।

केवीआईसी/केवीआईबी द्वारा संचालित दो बिक्री केन्द्र भी क्रमशः विशाखापत्तनम एवं लखनऊ हवाई अड्डों पर स्थापित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान केवीआईसी, केवीआईबी द्वारा खोले गए बिक्री केन्द्रों की सूची निम्नलिखित हैं:

खोले गए बिक्री केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	कुल
1.	पंजाब*	3	3	0	6
2.	दिल्ली	1	0	0	1
3.	उत्तर प्रदेश	1	2	4	7
4.	ओडिशा	2	2	0	4
5.	गुजरात	2	1	2	5
6.	महाराष्ट्र	2	2	1	5
	कुल	11	10	7	28

* संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सहित

(c): Yes Madam. The sale of KVI products has seen considerable increase during the last three years which can be seen from the following table:

Year	Sales (Rs. in crore)			% increased
	Khadi	V.I.	Total	
2014-15	1170.38	31965.52	33135.90	6.36
2015-16	1510.00	40384.56	41894.56	26.43
2016-17	2005.75	49991.61	51997.36	24.11

(d): Yes Madam. In pursuance of the clarion call given by Hon'ble Prime Minister for use of Khadi items in Government departments. Air India has taken initiative in introducing Khadi for in-flight crew including air-hostess on VIP flights. The details of value of total demand orders placed by Indian Railways and Air India during last three years are as follows:

(Rs. in crore)

Sl.No.	Demand orders	2014-15	2015-16	2016-17
1.	Railways	55.40	76.27	67.49
2.	Air India	0	0	7.97
	Total	**55.4**	**76.27**	**75.46**

(e): In order to modernize and promote khadi industries, KVIC is implementing the following schemes:

i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

ii) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) was launched in 2005-06 for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters.

iii) Market Promotion Development Assistance (MPDA) – MDA scheme of KVIC has been modified as MPDA scheme formulated as a unified scheme by merging different schemes/ sub-schemes/components of different Heads implemented in the 11th Plan, namely, Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component of Infrastructure namely setting up of Marketing Complexes /Khadi Plazas has been added to expand the marketing net worth of Khadi & VI products. Under the erstwhile MDA scheme financial assistance was distributed amongst Producing Institutions (30%), Selling Institutions (45%) and Artisans (25%). Under the Modified MDA (MMDA) financial assistance is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

iv) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks as per the requirement of the Khadi institutions. The institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by Central Government through KVIC.

(ग) जी,हाँ। विगत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:

बिक्री	बिक्री (करोड़ रुपये में)			%वृद्धि
	खादी	ग्रामोद्योग	कुल	
2014-15	1170.38	31965.52	33135.90	6.36
2015-16	1510.00	40384.56	41894.56	26.43
2016-17	2005.75	49991.61	51997.36	24.11

(घ) जी, हाँ। सरकारी विभागों में खादी मदों के प्रयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री के शंखनाद के अनुसरण में, एयर इंडिया के वीआईपी फ्लाइटों पर एयर होस्टेज सहित फ्लाइट के चालक दल के लिए खादी शुरू करने के लिए पहल की है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे एवं एयर इंडिया द्वारा दिए गए कुल मांग आदेशों के मूल्य का ब्योरा निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मांग आदेश	2014-15	2015-16	2016-17
1.	रेलवे	55.40	76.27	67.49
2.	एयर इंडिया	0	0	7.97
	कुल	**55.4**	**76.27**	**75.46**

(ङ) खादी संस्थाओं को आधुनिक बनाने एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से केवीआईसी निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

(ii) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी।

(iii) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए): केवीआईसी की एमडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न शीर्षों की विभिन्न स्कीमों/उपस्कीमों/घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार एमपीडीए स्कीम के रूप में संशोधित की गई है। अवसंरचना के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का विपणन निवल मूल्य प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। पूर्ववर्ती एमडीए स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (30%), विक्रेता संस्थाओं (45%) तथा कारीगरों (25%) के बीच दी जाती थी। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच दी जाती है।

(iv) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान है। संस्थाओं को मात्र 4% ब्याज देना होता है, बैंकों द्वारा 4% से अधिक प्रभारित किसी ब्याज को केवीआईसी के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

v) Workshed Scheme for Khadi Artisans was introduced in 2008-09 to provide financial assistance for construction of workshed to khadi artisans belonging to BPL category through the khadi institutions with which the khadi artisans are associated. This empowers khadi spinners and weavers to chart out a sustainable path for growth, income generation and better work environment.

vi) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure: This scheme provides need-based support towards the Khadi sector for nursing the sick/problematic institutions elevated from "D" to "C" category as well as those whose production, sales and employment have been declining while they have potential to attain normalcy and to support creation of marketing infrastructure in other identified outlets. Under this scheme, financial assistance is provided to existing weak Khadi institutions for strengthening of their infrastructure and for renovation of selected khadi sales outlets.

The other steps taken are as follows:

1. Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/unit and KVI units are extended financial support up to Rs.1.25 lakh to participate in the international exhibitions.
2. To increase the registration of MSMEs in the country, the Government has undertaken measures that the PMEGP units can adopt the Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) to register online for filing for industrial land application for credit, pollution clearance etc.
3. Online registration for Khadi certificate has been introduced.
4. Financial assistance is also being provided for the renovation/modernization of Sales Outlets of institutions as well as Departmental Sales Outlets (DSOs) and State KVIBs.
5. Tie up with M/s. Paytm has been made to make available Khadi products on-line and the same has been launched through Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.
6. KVIC as a part of its aggressive marketing efforts introduced "Gift Voucher Scheme" for its patrons from Departmental Sales Outlets (DSOs) at Delhi, Kolkata, Mumbai, Goa, Patna, Ernakulam, Bhopal and Visakhapatnam Airport. The 'Gift Voucher Scheme' consists of attractive 'Gift Vouchers' in the denomination of Rs. 500/-, Rs. 1000/- and Rs. 5000/- respectively has been launched.

* * *

(v) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी कतिनों एवं बुनकरों को सशक्त बनाता है।

(vi) कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायताः इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता प्राप्त करने की संभावना है, की देख-रेख करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन अवसंरचना के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

उठाए गए अन्य कदम निम्नलिखित हैं:

1. उद्यमियों/इकाई को विपणन सहायता देने के लिए जिला/राज्य/अंचल तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं और खादी ग्रामोद्योग इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 1.25 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
2. देश में एमएसएमई के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार ने उपाय शुरू किए हैं कि पीएमईजीपी इकाइयां ऋण, प्रदूषण अनापत्ति आदि के लिए औद्योगिक भूमि आवेदन की फाइलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु उद्यो[illegible] आधार ज्ञापन (यूएएम) अपना सकती हैं।
3. खादी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है।
4. संस्थाओं के बिक्री केन्द्रों तथा विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) तथा राज्य केवीआईबी [illegible] नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
5. खादी उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मैसर्स पेटीएम के साथ टाई अप किया गया है और उसे खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से शुरू किया गया है।
6. केवीआईसी ने अपने उद्यमशील विपणन प्रयासों के रूप में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पटना, एर्नाकुलम, भोपाल एवं विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) से अपने संरक्षकों के लिए ''गिफ्ट वाउचर स्कीम'' शुरू की है। इस 'गिफ्ट वाउचर स्कीम' में आकर्षक 'गिफ्ट वाउचर्स' हैं जिन्हें क्रमशः 500/- रुपये, 1000/- रुपये तथा 5000/- रुपये मूल्य वर्ग में शुरू किया गया है।

****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 243rd Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 26.07.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Promotion of khadi products	JS (ARI)	**115**	***10**	
2	Priority under PMEGP	JS (ARI)	**120**	***15**	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Export of coir & products	JS (ARI)	1227	
2.	Rehabilitation of stressed MSMEs	ADC (SM)	1228	
3.	Tie-up between KVIC and Khadi institutions	JS (ARI)	1229	
4.	Corporatisation of Khadi Village Industry	JS (ARI)	1230	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *115
TO BE ANSWERED ON 26.07.2017

Promotion of Khadi Products

*115. SHRI SANJAY SETH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the annual turnover of Khadi and Village Industries Commission (KVIC) for last three years and current year;
(b) whether KVIC has written to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to use the traditional fabric in its field operations and camps;
(c) if so, the details thereof and objective behind the move;
(d) the response of UNHCR to the proposal;
(e) whether KVIC will provide khadi products at a cost as per the UN agency's operational requirements;
(f) if so, the details thereof; and
(g) the other steps taken by Government to promote use of khadi and achieve slogan 'khadi for nation khadi for fashion'?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI KALRAJ MISHRA)

(a) to (g): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं .*115

उत्तर देने की तारीख 26.07.2017

खादी उत्पादों का संवर्धन

*115. श्री संजय सेठः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में वार्षिक बिक्री कितनी रही है;

(ख) क्या आयोग ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यू. एन. एच. सी. आर.) से अपने क्षेत्र, कार्यों और शिविरों में परम्परागत कपड़े का उपयोग करने के लिए लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयास का उद्देश्य क्या है;

(घ) इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या आयोग खादी उत्पादों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप कीमत पर उपलब्ध कराएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा खादी के उपयोग को बढ़ावा देने और 'राष्ट्र के लिए खादी फैशन के लिए खादी' संबंधी अभियान को सफल बनाने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क)से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO THE PARTS (a) to (g) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION No.*115 FOR ANSWER ON 26.07.2017

(a): Khadi and Village Industries Commission promotes KVI programmes through Khadi Institutions and Entrepreneurs in the country. The production and sales effected through these KVI Institutions, entrepreneurs is as follows:

S. No.	Particulars	2014-15	2015-16	2016-17 (P)	2017-18 (target)(P)	2017-18* (achievement) (P)
A.	**Production Value** (Rs. in crore)					
	Khadi	879.98	1065.60	1395.94	1581.70	474.51
	Village Industries	26689.39	33424.62	41110.26	47137.20	14141.16
	Total-A	**27569.37**	**34490.22**	**42506.20**	**48718.90**	**14615.67**
B.	**Sales Value** (Rs. in crore)					
	Khadi	1170.38	1510.00	2005.75	2680.97	804.27
	Village Industries	31965.52	40384.56	49991.61	57525.29	17257.87
	Total-B	**33135.90**	**41894.56**	**51997.36**	**60206.26**	**18061.85**

(P) Provisional *upto 30.6.2017

(b) to (d): Yes, Sir. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has written to the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) to use the traditional fabric in its field operations and camps on 27.10.2016.

The objective behind the move was to provide support to thousands of Khadi artisans producing cloth, blankets, carpets etc. which could be distributed to refugee camps of UNHCR. This move will not only provide convenience, comfort and health benefits to those who are displaced in alien lands, but in the same breath will support self-reliance and sustainable livelihood to millions of rural Indian artisans who live by this heritage profession of Khadi.

(e) & (f): Yes, Sir. KVIC will provide khadi products at a cost that is as per the UN agency's operational requirements. So far, no order has been received for khadi from UNHCR.

(g): Ministry of MSME and KVIC have taken several initiatives to make the sector vibrant and effective. The salient among those initiatives are:

1) In pursuance of the clarion call given by Hon'ble Prime Minister - "Khadi for Nation, Khadi for Fashion" to increase the use of Khadi items, KVIC launched an extensive campaign for initiating bulk supply of premium KVI products to Corporates, Corporations, PSUs and other Government Departments.

दिनांक 26.07.2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *115 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी संस्थाओं और उद्यमियों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को संवर्धित करता है। इन खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं, उद्यमियों के माध्यम से संपन्न उत्पादन और बिक्री निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17 (अनंतिम)	2017-18 (लक्ष्य) (अनंतिम)	2017-18* (उपलब्धि)(अनंतिम)
क.	उत्पादन मूल्य (रूपये करोड़ में)					
	खादी	879.98	1065.60	1395.94	1581.70	474.51
	ग्रामोद्योग	26689.39	33424.62	41110.26	47137.20	14141.16
	कुल-क	**27569.37**	**34490.22**	**42506.20**	**48718.90**	**14615.67**
ख.	बिक्री मूल्य (रूपये करोड़ में)					
	खादी	1170.38	1510.00	2005.75	2680.97	804.27
	ग्रामोद्योग	31965.52	40384.56	49991.61	57525.29	17257.87
	कुल-ख	**33135.90**	**41894.56**	**51997.36**	**60206.26**	**18061.85**

अनंतिम *30.06.2017 तक

(ख) से (घ): जी, हाँ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने दिनांक 27.10.2016 को अपने क्षेत्रीय परिचालनों एवं शिविरों में परंपरागत फैब्रिक का प्रयोग करने हेतु शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को लिखा है।

इस कार्यवाही के पीछे का उद्देश्य कपड़ा, कंबल, कारपेट आदि उत्पादन करने वाले हजारों खादी कारीगरों को सहायता प्रदान करना था जिन्हें यूएनएचसीआर के शरणार्थी शिविरों में वितरित किया जा सकता था। यह कार्रवाई उन लोगों को जो दूसरे देश से विस्थापित किए गए थे उन्हें न केवल सुख - सुविधा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगी बल्कि उसी ब्रीथ में मिलियन ग्रामीण भारतीय कारीगरों को आत्मनिर्भरता एवं स्थायी रोजगार में सहायता प्रदान करेगी जो खादी के इस परंपरागत व्यवसाय से जीविकोपार्जन करते हैं।

(ङ) और (च): जी, हाँ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक लागत पर खादी का उत्पाद उपलब्ध कराएगा जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की परिचालनात्मक अपेक्षाओं के अनुसार है। अभी तक यूएनएचसीआर से खादी के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस क्षेत्र को जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए कई पहल की हैं। इन में से प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं :

1) खादी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए आह्वान पर "राष्ट्र के लिए खादी, फैशन के लिए खादी" के अनुसरण में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कॉर्पोरेट, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी विभागों को प्रमुख खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की भारी आपूर्ति की पहल करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया ।

2) A MoU has also been signed with NIFT by KVIC which will facilitate NIFT students to work on Khadi projects at grass root level and support Khadi artisans to produce better quality and better marketable products and garments. KVIC has also taken steps to develop its market by contacting Corporates, PSUs, Ministries and bulk orders have been received. Further, to make khadi products more appealing and competitive in the market, a designer of international fame has been appointed as "Honorary Consultant".

3) Youth centric Khadi products are being planned with 'design by youth for youth'.

4) A retail sales outlet was opened in the Parliament House Annexe at New Delhi during 2016-17.

5) KVIC as a part of its aggressive marketing efforts introduced "Gift Voucher Scheme" for its patrons from Departmental Sales Outlets (DSOs) at Delhi, Kolkata, Mumbai, Goa, Patna, Ernakulam, Bhopal and Visakhapatnam Airport.

6) Exhibitions at National and State level are being organized. KVI units are extended financial support up to Rs.1.25 lakh to participate in the international exhibitions.

7) In order to make Khadi easily available to its patrons, KVIC has taken the initiative to open premier 'Khadi Showrooms' known as Khadi Lounge to make available premier Khadi products including designer products. Khadi products may also be available through the KVIC Franchise Outlets. Khadi Lounges have already been opened in New Delhi, Jaipur and Mumbai.

8) Special Exhibitions have been organized for ONGC employees at Mehsana (Gujarat), Ahmedabad (Gujarat), Rajahmundry (Andhra Pradesh), Shivsagar (Assam), KGB, Mumbai, KGB Delhi, Panaji, Dehradun (Uttarakhand), Kakinada (Andhra Pradesh), Jaipur (Rajasthan), Vadodara (Gujarat), Nazira (Assam).

9) A Memorandum of Understanding was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL) and Raymond for sale of Khadi fabric.

10) Exhibitions are also being conducted at District/State/Zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.

11) Publicity is being made through print and electronic media for the benefit of Rural and Urban areas.

12) Financial assistance is also being provided for the renovation/modernization of Sales Outlets of institutions as well as Departmental Sales Outlets (DSOs) and State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs).

* * *

2) केवीआईसी द्वारा निफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं जो जमीनी स्तर पर खादी परियोजनाओं पर काम करने के लिए निफ्ट के छात्रों को सुसाध्य बनाएगा एवं बेहतर गुणवत्ता और बेहतर बिक्री योग्य उत्पादों और वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए खादी कारीगरों की सहायता करेगा। केवीआईसी ने कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मंत्रालयों से संपर्क कर अपना बाजार विकसित करने के लिए भी कदम उठाएं हैं और बहुत-से आदेश प्राप्त हुए हैं। आगे खादी उत्पादों को बाजार में और आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिजाइनर को "अवैतनिक सलाहकार" के रूप में नियुक्त किया गया है।

3) युवा केन्द्रित उत्पादों की "युवा के लिए युवा द्वारा डिजाइन" की योजना बनाई जा रही है।

4) वर्ष 2016-17 के दौरान संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोला गया ।

5) केवीआईसी ने अपने उद्यमशील विपणन प्रयासों के रूप में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पटना, एर्नाकुलम और भोपाल एवं विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) से अपने ग्राहकों के लिए "गिफ्ट वाउचर स्कीम" शुरू की है।

6) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 1.25 लाख रूपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

7) अपने ग्राहकों को खादी आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डिजाइनर उत्पादों सहित प्रमुख खादी उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए खादी लाउंज के रूप में ज्ञात प्रमुख "खादी शोरूम" खोलने के लिए पहल की है। खादी उत्पाद केवीआईसी के फ्रैंचाइज बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकते हैं। खादी लाउंज नई दिल्ली, जयपुर और मुंबई में पहले ही खोले गये हैं।

8) मेहसाना (गुजरात), अहमदाबाद (गुजरात), राजमुंद्री (आंध्र प्रदेश), शिवसागर (असम), केजीबी मुंबई, केजीबी दिल्ली, पणजी, देहरादून (उत्तराखंड), काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), वड़ोदरा (गुजरात), नज़ीरा (असम) में ओएनजीसी के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गईं ।

9) खादी फैब्रिक की बिक्री के लिए केवीआईसी और आदित्य बिड़ला फैशन एण्ड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

10)उद्यमियों/इकाइयों को विपणन सहायता देने के लिए जिला/राज्य/अंचल और राष्ट्र स्तर पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा रही हैं।

11)ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभ के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।

12)संस्थाओं के बिक्री केन्द्रों तथा विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.*120
TO BE ANSWERED ON 26.07.2017

Priority under PMEGP

*120. SHRI MAHESH PODDAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether provision has been made for giving priority to youth committees, self-help groups, farmers' producer organisations for providing assistance under the Prime Minister's Employment Generation Programme; and

(b) if not, the view of Government to accord priority to aforesaid groups in future?

ANSWER

MINISTER FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI KALRAJ MISHRA)

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *120

उत्तर देने की तारीख 26.07.2017

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता

*120. श्री महेश पोद्दारः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के क्रम में युवा समितियों, स्व-सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता देने संबंधी प्रावधान किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो भविष्य में उपरोक्त जन-समूहों को प्राथमिकता दिये जाने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) and (b) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No.*120 FOR ANSWER ON 26.07.2017

(a) & (b): The Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a major credit-linked subsidy programme implemented by this Ministry. PMEGP aims at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth.

The scheme is applicable for any individual, above 18 years of age, Self Help Group, Institutions registered under Societies Registration Act, 1860, production Co-operative Societies and Charitable Trusts.

Farming activities do not come under the scheme. But the farmers' producers association can avail the benefit of PMEGP scheme for value addition/manufacturing of products out of farm produce.

No priority is given to any group or category of individual except the persons who have already obtained skill development /EDP training from the training institutes run by Center and State governments.

*****

दिनांक 26.07.2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.*120 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है। पीएमईजीपी का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों एवं बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

यह स्कीम 18 वर्ष से अधिक के किसी व्यक्ति, स्व-सहायता समूह, समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं, उत्पादन सहाकारी समितियों तथा धर्मार्थ न्यासों के लिए लागू है।

कृषि कार्यकलाप इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन किसान उत्पादक संघ कृषि उत्पादों में से उत्पादों के मूल्य वर्धन/विनिर्माण के लिए पीएमईजीपी स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

जिन व्यक्तियों ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों से कौशल विकास/ईडीपी प्रशिक्षण पहले ही प्राप्त कर लिया है उनको छोड़कर किसी समूह या श्रेणी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1227
TO BE ANSWERED ON 26.07.2017

Export of coir and products

1227. SHRI ANUBHAV MOHANTY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the total export worth of coir and coir products for the financial years 2014-17;
(b) whether it is a fact that the Coir Board plans to double its exports in the next couple of years;
(c) whether the export of coir and coir products is going to increase by 17 per cent in the coming financial years, if so, details thereof; and
(d) how Government proposes to extend these benefits to the coir producing farmers and its laborers?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): The details of total export of coir and coir products during the last three years are as under:

Years	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Quantity (In Metric Tonnes)	626666	752020	957045
Value (Rs. in lakhs)	163033.77	190142.52	228164.82

(b) & (c): Coir Board has targeted to double the export of coir and coir products from India within the next three years. During 2015-16, the growth percentage of exports, compared to the previous year, was 20 in terms of quantity and 16.6 in terms of value. During 2016-17 the growth percentage was increased to 27.3 in terms of quantity and 20 in terms of value. There has been an increasing trend in the exports of coir and coir products year to year, it is expected that the trend will continue during the coming years also.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं .1227

उत्तर देने की तारीख 26.07.2017

कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का निर्यात

1227. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2014-17 के लिए कुल कितने मूल्य के कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कॅयर बोर्ड अगले कुछ वर्षों में अपने निर्यात को दुगना करने का विचार रखता है;

(ग) क्या आगामी वित्त वर्ष में कॅयर एवं कॅयर उत्पादों का निर्यात 17 प्रतिशत तक बढ़ने वाला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार किस प्रकार से इन लाभों को कॅयर उत्पादक किसानों एवं इसके श्रमिकों तक पहुंचाने का विचार रखती है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान कयर और कयर उत्पादों के कुल निर्यात का ब्योरा निम्नलिखित हैः

वर्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017
मात्रा (मीट्रिक टन में)	626666	752020	957045
मूल्य (रूपये लाख में)	163033.77	190142.52	228164.82

(ख) और (ग): कयर बोर्ड ने अगले तीन वर्षों के भीतर भारत से कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2015-16 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में निर्यातों की वृद्धि प्रतिशतता मात्रा के संदर्भ में 20 और मूल्य के संदर्भ में 16.6 थी। वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि प्रतिशतता मात्रा के संदर्भ में 27.3 और मूल्य के संदर्भ में 20 प्रतिशतता की वृद्धि हुई। वर्ष दर वर्ष कयर और कयर उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। आशा है कि यह प्रवृत्ति आगामी वर्षों के दौरान भी जारी रहेगी।

(d): In order to boost the export of coir and coir products, the Coir Board plans to implement vigorous and target oriented export market promotion programmes. The programme titled "Export Market Promotion" under the ongoing plan scheme, Coir Vikas Yojana envisages to promote and make Indian Coir products competitive in the global market. The promotional measures undertaken by Coir Board, inter alia include participation in international trade fairs and conferences within India and abroad, providing External Market Development Assistances to the coir entrepreneurs /exporters for meeting the expenses of air fare and stall rent for participation in international fairs, undertaking publicity propaganda besides sponsoring market delegations, undertaking demonstration projects on the functional applications of coir and organizing warehousing facilities to cater to the requirements of products in small quantities, for creating the market pull for coir products in the global market. Under these programmes, financial subsidy and technical support for setting up of coir industrial units and marketing of their products are provided to the coir workers and entrepreneurs. In addition, Coir Board has been implementing an Insurance Scheme for the coir workers of the country against death and disablement caused by accident. Under the scheme, the entire premium amount of coir workers of the country was borne by Coir Board. The scheme has been merged with Pradhan Mantri Suraksha BimaYojana (PMSBY).

(घ): कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कयर बोर्ड सशक्त औ लक्ष्य उन्मुखी निर्यात बाजार संवर्धन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाता है। जारी योजना स्कीम के अंतर्गत "निर्यात बाजार संवर्धन " नामक कार्यक्रम कयर विकास योजना में वैश्विक बाजार में भारतीय कयर उत्पादों को संवर्धित करने और प्रतिस्पर्धी बनाने पर विचार किया जाता है। कयर बोर्ड द्वारा शुरू किए गए संवर्धनात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और सम्मेलनों में भाग लेना, हवाई किराया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए स्टॉल किराया खर्च को पूरा करने के लिए कयर उद्यमियों/निर्यातकों के लिए बाह्य बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराना, बाजार, प्रतिनिधि मंडलों को प्रयोजित करने के अलावा, प्रचार - प्रसार करना, कयर के कार्यमूलक अनुप्रयोगों पर प्रयोजनाओं को प्रदर्शित करना और वैश्विक बाजार में कयर उत्पादों के लिए मार्केट पूल सृजित करने के लिए छोटी मात्राओं में उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोदाम सुविधा देना शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कयर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उनके उत्पादों के विपणन के लिए वित्तीय सब्सिडी और तकनीकी सहायता कयर कामगारों और उद्यमियों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त, कयर बोर्ड दुर्घटना से मृत्यु और अशक्तता के लिए देश के कयर कामगारों के लिए बीमा स्कीम कार्यान्वित करता रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, देश के कयर कामगारों की सम्पूर्ण प्रीमियम राशि कयर बोर्ड द्वारा वहन की जाती थी। इस स्कीम को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ विलय कर दिया गया है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1228
TO BE ANSWERED ON: 26.07.2017

Rehabilitation of stressed MSMEs

1228. SHRI D. KUPENDRA REDDY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of stressed MSMEs are increasing year by year in the country;

(b) if so, the details thereof, sector-wise;

(c) whether Government has taken any step for rehabilitation of these stressed MSMEs; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): The data on the stressed accounts of MSMEs are captured under the 'Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises' notified by Reserve Bank of India (RBI) on March 17, 2016. As per the information furnished by the banks to the RBI, during the reporting period July 1, 2016 to December 31, 2016, 41,417 cases of stressed MSMEs had been referred to the Committees formed by Banks. The sector-wise data is not available.

(c) & (d): There is an inbuilt mechanism in the 'Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises' to rehabilitate the stressed MSMEs. The mechanism classifies three categories of incipient sickness. The banks are required to form district level Corrective Action Plan Committees which take up the cases referred to them by banks. After due deliberations, the Committees take decision to either rectify, restructure, or recover the stressed assets.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1228

उत्तर देने की तारीख 26.07.2017

संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनर्वास

1228. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष-दर-वर्ष संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : एमएसएमई के दबावग्रस्त खातों के संबंध में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 मार्च, 2016 को अधिसूचित "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार एवं पुनर्वास" के तहत संकलित किए जाते हैं । बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, दबावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के 41417 मामले बैंकों द्वारा गठित समिति को भेजे गए थे । क्षेत्र-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) : दबावग्रस्त एमएसएमई के पुनर्वास के लिए "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के फ्रेमवर्क" में अन्तर्निहित व्यवस्था है । इस व्यवस्था में प्रारंभिक रुग्णता को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । बैंकों द्वारा भेजे गए मामलों पर विचार करने के लिए बैंकों से जिला स्तरीय सुधारात्मक कार्य योजना समिति गठित करने की अपेक्षा की जाती है । ये समितियां समुचित विचार-विमर्श के पश्चात दबावयुक्त परिसंपत्तियों में सुधार करने, पुनर्संरचित करने या वसूली के संबंध में निर्णय लेती है ।

******

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1229
TO BE ANSWERED ON 26.07.2017

Tie-up between KVIC and Khadi Institutions

1229. SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether Government has taken any initiative to improve design development and training in different khadi institutions in the country;
(b) if so, details thereof;
(c) whether there is any tie-up made between Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Khadi institutions in this regard; and
(d) if so, details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d): To improve design development in Khadi, KVIC signed a memorandum of understanding (MoU) with National Institute of Fashion Technology (NIFT)/National Institute of Design (NID), which would work on design development and training with Khadi Institutions, identified by KVIC and enable to bring in quality control as well as standardization and design inputs in production of Khadi fabric and ready-mades. KVIC would take NIFT's help in product development and processes.

Further, to bring in product development and create more employment opportunities in the Khadi sector, convergence has been developed with corporates like Raymond Limited and Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL). Under this convergence the Corporate would be providing design development and also develop attractive market trendy products to be marketed in the domestic as well as international market which will benefit the Khadi artisans and provide them captive market as well as sustainable employment opportunities.

KVIC has also taken steps to develop its market by contacting Corporates, PSUs, Ministries and bulk orders were received. Encouraging response has been received from Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Rural Electrification Corporation Limited (REC), Post and Telegraph Department, JK Cement, PMO, Ministry of Health & Family Welfare, etc.

* * *

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1229

उत्तर देने की तारीख 26.07.2017

केवीआईसी और खादी संस्थाओं के बीच गठबंधन

1229. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रमः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न खादी संस्थाओं में अभिकल्प विकास और प्रशिक्षण में सुधार लाने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के॰वी॰आई॰सी॰) तथा खादी संस्थानों के बीच कोई गठबंधन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): खादी में डिजाइन विकास को सुधारने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)/राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जो केवीआईसी द्वारा चिह्नित खादी संस्थाओं के साथ डिजाइन विकास और प्रशिक्षण पर कार्य करेगा तथा खादी फैब्रिक के उत्पादन एवं रेडीमेड वस्त्रों में गुणता नियंत्रण तथा मानकीकरण तथा डिजाइन इनपुट लाने में समर्थ करेगा। केवीआईसी उत्पाद विकास और प्रक्रियाओं में निफ्ट की सहायता लेगा।

इसके अतिरिक्त, खादी क्षेत्र में उत्पाद विकास लाने और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए रेमंड लिमिटेड और आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) जैसे कॉर्पोरेट के साथ अभिसरण विकास किया गया है। इस अभिसरण के अंतर्गत कॉर्पोरेट डिजाइन विकास देता रहेगा और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने वाले आकर्षक बाजार अभिमुखी उत्पाद भी विकसित करेगा जो खादी कारीगरों को लाभान्वित करेगा एवं उन्हें आकर्षक बाजार एवं स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

केवीआईसी ने कॉर्पोरेटों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मंत्रालयों से संपर्क कर अपने बाजार विकसित करने के लिए भी कदम उठाए हैं और बहुत-से आदेश प्राप्त हुए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), डाक और तार विभाग, जे.के. सीमेंट, प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आदि से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1230
TO BE ANSWERED ON 26.07.2017

Corporatisation of Khadi and village industry

1230. SHRI SURENDRA SINGH NAGAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether use of Khadi has increased, the details of sale, profit and expansion of Khadi during the last three years;
(b) schemes of Government to promote various Khadi products, details thereof; and
(c) details of Government's vision for corporatisation of Khadi and village industry on the lines of Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) companies?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Khadi production and sales have increased year on year basis. Khadi production and sales for last three years are as follows:

(value Rs. in crore)

Year	Khadi production	% increase in production over previous year	Khadi sales	% increase in sales over previous year
2014-15	879.98	8.49	1170.38	8.26
2015-16	1065.60	21.09	1510.00	29.02
2016-17	1395.94	31.00	2005.75	32.83

(b): In order to generate rural employment and to promote various Khadi products, Khadi and Village Industry Commission (KVIC) gives assistance for Marketing and infrastructural development which are as follows:

1. For the renovation and modernization of sales outlets particularly computerization KVIC provides financial assistance under 'Assistance for Marketing Infrastructure' scheme. The pattern of financial assistance for the scheme is –
   - Maximum Rs. 25 lakh in urban areas and Rs. 20 lakh in rural areas
   - Maximum subsidy provided
   i. Institutional sales outlets - 75%
   ii. Boards outlets - 85%
   iii. KVIC outlets - 100%

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं .1230

उत्तर देने की तारीख 26.07.2017

खादी और ग्रामोद्योग का निगमीकरण

1230. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खादी का प्रयोग बढ़ा है, विगत तीन वर्षों के दौरान खादी के विक्रय, लाभ और इसके विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफ.एम.सी.जी.) संबंधी कम्पनियों की तर्ज पर खादी और ग्रामोद्योग के निगमीकरण के लिए सरकार की परिकल्पना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): खादी उत्पादन और बिक्री वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार हैः

(कीमत, रूपये करोड़ में)

वर्ष	खादी उत्पादन	पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत	खादी बिक्री	पिछले वर्ष की अपेक्षा बिक्री में वृद्धि प्रतिशत
2014-15	879.98	8.49	1170.38	8.26
2015-16	1065.60	21.09	1510.00	29.02
2016-17	1395.94	31.00	2005.75	32.83

(ख): ग्रामीण रोजगार सृजन करने और विभिन्न खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) विपणन और आधारभूत सुविधा का विकास करने के लिए सहायता देता है जो निम्नानुसार हैः

1. बिक्री केन्द्रों के पुनरूद्धारित और आधुनिकीकरण विशेष रूप से कम्प्यूटराइजेशन के लिए खादी और ग्रामोद्योग विपणन आधारभूत सुविधा योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना के लिए वित्तीय सहायता का पैटर्न निम्नानुसार है –
   - शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रूपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 लाख रूपये
   - अधिकतम सब्सिडी प्रदान की गई
     - i. संस्थागत बिक्री केन्द्र - 75 प्रतिशत
     - ii. बोर्ड बिक्री केन्द्र - 85 प्रतिशत
     - iii. केवीआईसी बिक्री केन्द्र - 100 प्रतिशत

2. Khadi Institutions are provided Modified Marketing Development Assistance (MMDA) at 30% of Prime cost of Khadi products.

3. Under the Scheme for 'Strengthening of Infrastructure of Existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure', financial assistance is also provided for the renovation/ modernization of Sales Outlets of institutions as well as Departmental Sales Outlets (DSOs) and State KVIBs.
4. KVIC has taken the initiative to open premier "Khadi Showrooms" known as "Khadi Lounge" to make available premier Khadi products including designer products. Such type of Lounges has already been opened in Jaipur, Mumbai and New Delhi.
5. KVI institutions have also opened premium Khadi sales outlets at Visakhapatnam and Lucknow airports.
6. A MoU has also been signed with National Institute of Fashion Technology (NIFT) by KVIC which will facilitate NIFT students to work on Khadi projects at grass root level and support Khadi artisans to produce better quality and better marketable products and garments.
7. KVIC has also taken steps to develop its market by contacting Corporates, PSUs, Ministries and bulk orders have been received.
8. KVIC as a part of its aggressive marketing efforts introduced "Gift Voucher Scheme" for its patrons from Departmental Sales Outlets (DSOs) at Delhi, Kolkata, Mumbai, Goa, Patna, Ernakulam, Bhopal and Visakhapatnam.
9. A MoU was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL) and Raymond for sale of Khadi fabric. These corporates will sell the premium Khadi products in India and abroad.
10. Exhibitions are also conducted at District/State/Zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.
11. Publicity is being made through print and electronic media for promoting KVI products in Rural and Urban areas.
12. Entrepreneurship Development Programme (EDP) is also implemented for the beneficiaries of PMEGP where these beneficiaries are taught about maintenance of accounts, sales technique and other subjects regarding management of business.

(c): There is no proposal for corporatization of the Khadi and Village Industry Institutions. Most of the KVIs are registered under the Societies Registration Act and have their own bylaws. If any company/NGO/Cooperative Societies/Individual wants to undertake Khadi activities, they must obtain Khadi Registration and Khadi Mark Certificate from the Khadi and Village Industry Commission. The KVIC acts as a facilitator for these institutions and provides incentives, marketing platform for their products.

* * *

2. खादी संस्थाओं को खादी उत्पादों की मुख्य लागत का 30 प्रतिशत संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) प्रदान की जाती है।
3. मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा के सुदृढ़ीकरण और विपणन की आधारभूत सुविधा के लिए सहायता हेतु योजना के अंतर्गत संस्थाओं के बिक्री केन्द्रों और विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) तथा राज्य केवीआईबी के बिक्री केन्द्रों के पुनरूद्धार/आधुनिकिकरण हेतु वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
4. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डिजाइनर उत्पादों सहित प्रीमियर खादी उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए खादी लाउंज के रूप में प्रमुख खादी लाउंज खोलने की पहल की है। इस प्रकार के लाउंज जयपुर, मुंबई और नई दिल्ली में पहले ही खोले जा चुके हैं।
5. केवीआई संस्थाओं ने विशाखापत्तनम और लखनऊ हवाई अड्डे पर भी प्रिमियम खादी बिक्री केन्द्र खोलें हैं।
6. केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं जो जमीनी स्तर पर खादी परियोजनाओं पर काम करने के लिए निफ्ट के छात्रों को सुसाध्य बनाएगा एवं बेहतर गुणवत्ता और बेहतर बिक्री योग्य उत्पादों और वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए खादी कारीगरों की सहायता करेगा।
7. केवीआईसी ने कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मंत्रालयों से संपर्क कर अपना बाजार विकसित करने के लिए भी कदम उठाएं हैं और बहुत-से आदेश प्राप्त हुए हैं।
8. केवीआईसी ने अपने उद्यमशील विपणन प्रयासों के रूप में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पटना, एर्नाकुलम और भोपाल एवं विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) से अपने ग्राहकों के लिए "गिफ्ट वाउचर स्कीम" शुरू की है।
9. खादी फैब्रिक की बिक्री के लिए केवीआईसी और आदित्य बिड़ला फैशन एण्ड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कार्पोरेट भारत और विदेश में प्रीमियम खादी उत्पादों को बेचेंगें।
10. उद्यमियों/इकाइयों के लिए विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला/राज्य/जोन और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है।
11. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केवीआईसी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है।
12. पीएमईजीपी के लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें इन लाभार्थियों को खातों का रखरखाव, बिक्री तकनीक और अन्य व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित अन्य विषयों के बारे में बताया जाता है।

(ग): खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं को निगमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को पंजीकृत किया जाता है और उनके अपने उपनियम है। यदि कोई कम्पनी/ एनजीओ/विकसित सोसाइटीज/व्यक्तिगत खादी कार्यकलाप शुरू करना चाहते है तो उनको खादी और ग्रामोद्योग आयोग से खादी पंजीकरण और खादी मार्क प्रमाणन प्राप्त करना होगा। खादी और ग्रामोद्योग इन संस्थाओं के लिए सुविधागत के रूप में काम करता है और अपने उत्पादों के लिए प्रोत्साहन, विपणन मंच उपलब्ध कराता है।

****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 12th Session of 16th Lok Sabha
LOK SABHA

QUESTION DATE 31.07.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
-	-	-	-	-	-

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Inclusion of MSMEs in Startup India Policy	AS&DC/ ADC (PS)	2325	
2	Registration of MSMEs	AS&DC/ ADC (PS)	2333	
3	e-Market Portal	AS&DC/ JDC (SRS)	2338	Transferred to Commerce
4	ZED schemes for MSMEs	AS&DC/ JDC (SB)	2393	
5	Loan for MSMEs	AS&DC/ ADC (PS)	2416	
6	Mahila Coir Yojana	JS (ARI)	2445	
7	Evaluation of PMEGP	JS (ARI)	2452	
8	National MSME Policy	AS&DC/ ADC (PS)	2466	
9	Impact of MNCs on MSMEs	AS&DC/ ADC (PS)	2524	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2325
TO BE ANSWERED ON 31/07/2017

INCLUSION OF MSME IN START-UP INDIA POLICY

2325. SHRI Y. V. SUBBA REDDY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES be pleased to state:

(a) whether it is true that the Government has not included Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the definition of the Start-Up India policy; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor in spite of his Ministry's coordination with DIPP which is formulating Start-Up Policy, it has not been successful to include MSME in the definition of the said policy?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): MSME Start-Ups are not excluded from the Start-Up India Mission launched by DIPP. In fact the start up as defined by DIPP includes those entities:

(i) whose annual turnover does not exceed Rs. 25 Cr. in any preceding financial year.
(ii) which are registered in the last 7 years (10 years in case of biotechnology start-ups).
(iii) which work towards innovation, development of products/processes/ services
(iv) which is a scalable business with high potential for employment generation or wealth creation.

(b): Does not arise.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2325

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

स्टार्ट-अप इंडिया नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का समावेशन

2325. श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया नीति के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सम्मिलित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्टार्ट-अप नीति बनाने वाले डीआईपीपी के साथ मंत्रालय के समन्वय के बावजूद उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सम्मिलित करने में सफल नहीं होने के क्या कारण है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : डीआईपीपी द्वारा आरंभ किए गए स्टार्ट-अप इंडिया मिशन से एमएसएमई स्टार्ट-अप को बाहर नहीं रखा गया है । वस्तुतः डीआईपीपी द्वारा यथापरिभाषित स्टार्ट-अप इन संस्थाओं को शामिल करता है :

(i) जिनका वार्षिक टर्नओवर किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा न रहा हो ।

(ii) जो पिछले 7 वर्षों में पंजीकृत हो (बायोटेक्नोलोजी स्टार्ट-अप के मामले में 10 वर्ष)

(iii) जो नवोन्मेष, उत्पादों/प्रक्रियाओं/सेवाओं के विकास के लिए कार्य करते हों ।

(iv) जो कि रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना के साथ परिमापनीय व्यवसाय हो ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2333
TO BE ANSWERED ON 31/07/2017

REGISTRATION OF MSMEs

2333. DR. SHASHI THAROOR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES be pleased to state:

(a) whether the non-registration of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a major hurdle in the implementation of the development schemes, including the Prime Minister's Employment Generation Programme, National Manufacturing Competitiveness Programme, which aim at generating employment and strengthening the MSMEs sector;

(b) if so, the details thereof and the reaction of the Government thereto;

(c) whether the Government proposes to include provisions in the Micro, Small and Medium Enterprises (Amendment) Bill, 2015 to establish a convenient and non-intrusive process to register MSMEs; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has provided online registration in the form of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) for MSMEs. The UAM is a simplified form to be filed, on self declaration basis without any supporting documents and fees. The online filing of UAM has facilitated the registration process of MSMEs. Filling of UAM is mandatory for availing benefits of Government's schemes intended to MSMEs like Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP).

(c): No

(d): Does not arise.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2333

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण

2333. डॉ. शशि थरूरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोजगार सृजन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त करने के उद्देश्य वाले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम सहित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण न होना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण के लिए एक सुविधाजनक और हस्तक्षेप रहित प्रक्रिया स्थापित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संशोधन) विधेयक, 2015 में तत्संबंधी प्रावधान सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के रूप में ऑनलाईन पंजीकरण शुरू किया है । यू एएम एक सरलीकृत प्रपत्र है जिसे किसी समर्थन दस्तावेज और शुल्क के बिना स्व-घोषणा आधार पर फाइल किया जाता है। यूएएम की ऑनलाईन फाइलिंग से एमएसएमई की पंजीकरण प्रक्रिया सुविधाजनक हो गई है। एमएसएमई के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यूएएम भरना अनिवार्य है। यदि एमएसएमई स्वयं को पंजीकृत नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) जैसी विभिन्न योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार को स्पष्ट रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 2393
TO BE ANSWERED ON: 31.07.2017

ZED SCHEME FOR MSMEs

2393. SHRI CHANDRAKANT KHAIRE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government has launched a new scheme namely Zero Defect Zero Effect to provide financial assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs);
(b) if so, the details thereof along with the objectives of the scheme and the parameters to provide financial assistance thereunder;
(c) the number of applications received under the scheme and the financial assistance provided to MSMEs, MSME-wise; and
(d) the efforts made by the Government to promote MSMEs and the results achieved in this regard so far?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Yes, Madam. The Government has launched a new scheme namely "Financial Support to MSMEs in ZED Certification Scheme".

(b): The objective of the scheme for promotion of Zero Defect and Zero Effect (ZED) manufacturing amongst micro, small and medium enterprises (MSMEs) and ZED Assessment for their certification so as to:

- Develop an Ecosystem for Zero Defect Manufacturing in MSMEs.
- Promote adaptation of Quality tools/systems and Energy Efficient manufacturing.
- Enable MSMEs for manufacturing of quality products.
- Encourage MSMEs to constantly upgrade their quality standards in products and processes.
- Drive manufacturing with adoption of Zero Defect production processes and without impacting the environment.
- Support 'Make in India' campaign.
- Develop professionals in the area of ZED manufacturing and certification.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2393

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

एमएसएमई के लिए जेडईडी योजना

2393. श्री चन्द्रकांत खैरेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट नाम की कोई नयी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं और इसके अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मापदण्ड क्या हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है और एमएसएमई को एमएसएमई-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : जी, हां । सरकार द्वारा 'जेड प्रमाणन योजना में एमएसएमई को वित्तीय सहायता' नामक एक नई योजना शुरू की गई है ।

(ख) : इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट (जेड) विनिर्माण के संवर्धन और उनके प्रमाणन के लिए जेडईडी मूल्यांकन कराना है ताकि :

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में जीरो डिफेक्ट विनिर्माण के लिए एक इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।
- क्वालिटी टूल्स/सिस्टम और ऊर्जा कुशल विनिर्माण को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके।
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सक्षम बनाया जा सके ।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उत्पादों और प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों को निरन्तर उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।
- पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना जीरो डिफेक्ट उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाकर विनिर्माण किया जा सके ।
- 'मेक इन इंडिया' अभियान को समर्थन दिया जा सके ।
- जेडईडी विनिर्माण और प्रमाणन के क्षेत्र में प्रोफेशनलों को तैयार किया जा सके ।

There are 50 parameters for ZED rating and additional 25 parameters for ZED Defence rating under ZED Maturity Assessment Model. The MSMEs are provided financial assistance for the activities to be carried out for ZED certification i.e., Assessment / Rating, Additional rating for Defence angle, Gap Analysis, Handholding, Consultancy for improving the rating of MSMEs by Consultants and Re-Assessment / Re-Rating.

Under the scheme 22,222 MSMEs will be rated & certified under ZED Maturity Assessment Model, 5,000 MSMEs will be rated & certified under the ZED Defence Model, 7368 MSMEs will be supported for Gap Analysis, Handholding, Consultancy for improving their rating, etc. The total cost of the project is Rs. 491.00 crores (Government contribution Rs 365.00 crores, beneficiary MSMEs contribution Rs 126.00 crores).

(c): Quality Council of India (QCI) has been appointed as the National Monitoring & Implementing Unit (NMIU) for implementation of ZED. QCI has reported that 3217 MSMEs has been registered as on25.07.2017 for ZED Certification. The MSME-wise details are Micro: 1332, Small: 1522 & Medium: 363 and financial assistance to MSMEs is yet to commence.

(d): The Ministry of MSME is implementing a number of schemes to promote MSMEs namely (i) Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises to facilitate collateral free credit to new and existing micro and small enterprises (MSEs); (ii) Scheme for Raw Material Assistance implemented by National Small Industries Corporation Limited under the Ministry; (iii) National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP) and Credit Linked Capital Subsidy Scheme implemented to facilitate upgradation of technology, improve processes and design; (iv) Management Development Training Programmes (MDPs) for enhancing managerial skills; (v) Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme to facilitate infrastructure upgradation and setting up of Common Facility Centres; and (vi) Marketing Development Assistance Support to MSME; (vii) Ministry of MSME has introduced online MSME Data Bank on 29.07.2016 for creating comprehensive database of MSMEs and (viii) Ministry of MSME has introduced simplified online registration "Udyog Aadhar Memorandum (UAM) for MSMEs". 33,25,159 MSMEs registered with UAM from September, 2015 till 25.07.2017.

***

जेडईडी मैच्योरिटी एसेसमेंट मॉडल के तहत जेडईडी रेटिंग के लिए 50 मानदंड हैं और जेडईडी रक्षा रेटिंग के लिए 25 अतिरिक्त मानदंड हैं । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जेडईडी प्रमाणन अर्थात मूल्यांकन/रेटिंग, रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रेटिंग, अंतर विश्लेषण, हैंड-होल्डिंग, परामर्शदाताओं द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग को बेहतर बनाने के लिए परामर्श तथा पुन:मूल्यांकन/पुन:रेटिंग के कार्यकलापों को करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

इस योजना के तहत जेड मैच्युरिटी एसेसमेंट मॉडल के अंतर्गत 22,222 एमएसएमई को रेटिंग प्रदान की जाएगी और उनका प्रमाणन किया जाएगा, जेड डिफेंस मॉडल के अंतर्गत 5000 एमएसएमई को रेटिंग प्रदान की जाएगी और उनका प्रमाणन किया जाएगा, 7368 एमएसएमई की रेटिंग में सुधार के लिए उन्हें गैप एनालिसिस, हैंडहोल्डिंग, कंसल्टेंसी के लिए सहायता दी जाएगी । इस परियोजना की कुल लागत 491.00 करोड़ रुपये (सरकारी योगदान 365.00 करोड़ रुपये, लाभार्थी एमएसएमई का योगदान 126.00 करोड़ रुपये) है ।

(ग) : जेडईडी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) के रूप में भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की नियुक्ति की गई है । क्यूसीआई ने सूचित किया है कि जेड प्रमाणन के लिए 25.07.2017 तक 3217 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं । एमएसएमई-वार ब्यौरा है- सूक्ष्म: 1332, लघु: 1522 और मध्यम: 363 तथा एमएसएमई को वित्तीय सहायता अभी दी जानी है ।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई के संवर्धन के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जैसे (i) नए और मौजूदा सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) को कोलेटरल मुक्त ऋण सुलभ कराने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, (ii) मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित कच्चा माल सहायता योजना, (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रक्रियाओं तथा डिजाइन में सुधार को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, (iv) प्रबंधकीय कौशल बढ़ाने के लिए प्रबंधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, (v) अवसंरचना उन्नयन और सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (vi) एमएसएमई को विपणन विकास सहायता समर्थन, (vii) एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई का विस्तृत डाटाबेस तैयार करने के लिए 29.07.2016 को एक ऑनलाइन एमएसएमई डाटा बैंक शुरू किया है और (viii) एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए सरलीकृत ऑनलाइन पंजीकरण 'एमएसएमई के लिए उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)' शुरू किया है । सितंबर 2015 से 25.07.2017 तक 33,25,159 एमएसएमई ने यूएएम में पंजीकरण करवाया है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 2416
TO BE ANSWERED ON: 31.07.2017

LOANS FOR MSMEs

2416. SHRI N.K. PREMACHANDRAN:
SHRI Y.V. SUBBA REDDY:
SHRI OM BIRLA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to introduce a programme for bringing transparency in sanction/disbursal of bank loans to self employed persons under various schemes of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector in the country, if so, the details thereof;

(b) whether there has been reduction in lending loans to the MSMEs in the country during the last three years and if so, the details thereof and the reasons therefor along with the corrective steps taken by the Government in this regard;

(c) whether employment opportunities are decreasing due to dismal condition of small scale industries and if so, the details thereof;

(d) whether the Government proposes to enhance the mandatory purchase limit from small scale units for the public sector and if so, the details thereof; and

(e) the other steps taken by the Government to protect and promote MSMEs and for solving their problems / issues relating to fund crunch, timely payments and exporters?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): No, Madam. However, all amenable schemes of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are being brought under DBT (Direct Benefit Transfer), which will increase transparency in the disbursal of scheme funds.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2416

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

एमएसएमई को ऋण

2416. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डीः

श्री ओम बिरलाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्व-नियोजित लोगों को बैंक ऋणों की मंजूरी/संवितरण में पारदर्शिता लाने हेतु कार्यक्रम की शुरुआत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या लघु उद्योगों की दयनीय हालत के कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सरकारी क्षेत्रों द्वारा अनिवार्यतः लघु इकाइयों से क्रय-सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एमएसएमई की सुरक्षा और संवर्धन तथा उनकी निधि में कमी, निर्यातकों द्वारा समय से भुगतान से संबंधित अन्य समस्याओं/मुद्दों के समाधान हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : जी, नहीं। तथापि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की सभी सुलभ योजनाओं को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के अंतर्गत लाया जा रहा है, जो योजनागत निधियों के संवितरण में पारदर्शिता को बढ़ाएगा।

(b): No, Madam. As per statistics compiled by Reserve Bank of India (RBI), the credit to the MSME sector by all scheduled commercial banks at 31st March for the last three year is placed in below table:

(Amount Rs. in crore)

Year	MSE	Medium	Total MSME
31-Mar-14	851076.78	188838.24	1039915.02
31-Mar-15	961174.17	209851.88	1171026.05
31-Mar-16	996424.94	219582.17	1216007.11
31-Mar-17*	1069821.88	225759.38	1295581.26

Source: Reserve Bank of India **Provisional*

From above table it can be seen that credit to MSME has increased from Rs. 1039915.02 crore on March 31, 2014 to Rs. 1171026.05 crore on March 31, 2015 and further to Rs. 1216007.11 crore on March 31, 2016 and further to Rs. 1295581.26 crore on March 31, 2017.

(c): As per the last census (Fourth) of MSMEs with reference to base year 2006-07, the total employment in the MSME sector was 805.24 lakh. Thereafter, as such no census has been conducted by M/o MSME, thus it cannot be said that employment opportunities are declining.

(d): Government has not proposed any enhancement of mandatory purchase limit from small scale units for the public sector.

(e): The Government is implementing a number of schemes to protect and promote MSMEs. Some of them are Prime Minister Employment Generation Programme, Credit Guarantee Scheme, Capital Linked Capital Subsidy Scheme, National Manufacturing Competitiveness Programme, Marketing Promotion Schemes, Entrepreneurship and Skill Development Programmes, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), A Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE). Furthermore, Goods & Service Tax (GST) has in-built provision for solving the delayed payment problems.

*****

(ख) : जी, नहीं । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए 31 मार्च को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	एमएसई	मध्यम	कुल एमएसएमई
31-मार्च-14	851076.78	188838.24	1039915.02
31-मार्च-15	961174.17	209851.88	1171026.05
31-मार्च-16	996424.94	219582.17	1216007.11
31-मार्च-17*	1069821.88	225759.38	1295581.26

*स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक *अनंतिम*

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि एमएसएमई को क्रेडिट 31 मार्च, 2014 को 1039915.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2015 को 1171026.05 करोड़ रुपये और आगे 31 मार्च, 2017 को और बढ़कर 1295581.26 करोड़ रुपये हो गया है।

(ग) : आधार वर्ष 2006-07 के संदर्भ में एमएसएमई की पिछली गणना (चौथी) के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार 805.24 लाख था। इसके बाद, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चूंकि कोई गणना नहीं करवाई गई है, अत: यह नहीं कहा जा सकता कि रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं ।

(घ) : सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लघु उद्योग की इकाइयों से अनिवार्य क्रय की सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

(ङ) : सरकार एमएसएमई की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। उनमें से कुछ हैं-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी योजना, कैपिटल लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, विपणन संवर्धन योजनाएं, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर) । इसके अलावा, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में विलंबित भुगतान की समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्निहित प्रावधान हैं।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2445
TO BE ANSWERED ON 31.07.2017

MAHILA COIR YOJANA

2445. SHRIMATI P.K. SREEMATHI TEACHER:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state :

(a) the aims and objectives along with the implementation status of the Mahila Coir Yojana in the country, State/UT-wise; and

(b) the number of beneficiaries of the Yojana in the country during the current year, State / UT-wise including Kerala?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): The Coir Board is implementing Mahila Coir Yojana(MCY) exclusively for empowering women in the country by giving training and distribution of coir processing equipments. This is a 100% women oriented programme intended to provide self employment to the rural women artisans in coir producing regions. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments, which can be operated by women, at 75% subsidy after imparting training with a duration of 2 months subject to a maximum amount of Rs.7,500/-. The training under MCY are conducted through all training centres of the Board. During the training period, the women artisans are given stipend amounting to Rs.1000 per month. The scheme is prevalent in coir producing coastal States such as Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Lakshadweep, Maharashtra, Gujarat, Goa, Pondicherry, A& N Islands, West Bengal and NE Region. During the current year the targets of 1000 women for training and 200 ratts/equipments for distribution to the trained women have been fixed under MCY and an amount of Rs. 35.00 lakhs have been allocated for the current year. Coir Board has received 97 applications under the Scheme and all the applications are from Kerala only.

******

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .2445

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

महिला कयर योजना

2445. श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार महिला कयर योजना के कार्यान्वयन की स्थिति सहित इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चालू वर्ष के दौरान देश में योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क)और (ख): कयर बोर्ड प्रशिक्षण देकर और कयर प्रसंस्करण उपकरणों का वितरण करके देश में विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए महिला कयर योजना (एमसीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। यह कयर उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के विचार से 100 प्रतिशत महिला उन्मुखी कार्यक्रम है। इस स्कीम में मोटर युक्त रटों/मोटरयुक्त परंपरागत रटों और अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों जिन्हें महिलाओं द्वारा संचालित किया जा सकता है, 7500 रूपए की अधिकतम राशि के अधीन 2 माह का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात 75% सब्सिडी देने पर विचार किया जाता है। महिला कयर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण बोर्ड के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिला कारीगरों को 1000 रूपए प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है। यह स्कीम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना ओडिशा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र गुजरात, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल जैसे कयर उत्पादक तटीय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। वर्तमान वर्ष के दौरान महिला कयर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 1000 महिलाओं के लक्ष्य और प्रशिक्षित महिलाओं को वितरण के लिए 200 रट/उपकरण निर्धारित किए गए हैं और वर्तमान वर्ष के लिए 35 लाख रूपए की राशि आबंटित की गई है। कयर बोर्ड ने इस स्कीम के अंतर्गत 97 आवेदन प्राप्त किए हैं और सभी आवेदन केरल से ही हैं।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2452
TO BE ANSWERED ON 31.07.2017

EVALUATION OF PMEGP

2452. DR. SATYAPAL SINGH:
SHRI BAIJAYANT JAY PANDA:
SHRI TATHAGATA SATPATHY:
SHRI SANJAY DHOTRE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government has conducted any evaluation study of the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) during each of the last three years and the current year, if so, the details and outcome thereof and if not, the reasons therefor;

(b) the number of units set up in manufacturing and business/service sector separately from the funds provided to the beneficiaries and number of employments generated therefrom under the said programme during the said period, State/UT-wise;

(c) whether the cases of irregularities/ corruption in implementation of the said programme have been reported/come to the notice of the Government during the said period and if so, the details thereof and the reasons therefor along with the present status of such cases, State/UT-wise; and

(d) the corrective steps taken/being taken by the Government for effective implementation of the said programme and the achievements made so far in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): An agreement has been signed by the Ministry of MSME with the Management Development Institute (MDI), Gurugram on 30th December,2016, to conduct the evaluation study of the PMEGP Scheme. MDI, Gurugram has submitted its preliminary evaluation study report. The key observations of the evaluation study are:

- Average Employment Per Project - 7.66
- Average Cost of Generating Unit Employment - Rs.94,856.89
- Maximum Cost of Generating Unit Employment - Rs.2,65,412.84 (Nagaland)
- Minimum cost of Generating Unit Employment - Rs.25,070.95 (Tamil Nadu)
- Average Cost per Project - Rs.7,26,759.5
- Most of the DLTFC meeting are held in third and fourth quarter
- In most cases, the loan sanction is delayed beyond the given limit of 30 days after the recommended application reaches the bank.
- Time taken to sanction loan is more for manufacturing sector than for the services sector.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2452

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

पीएमईजीपी का मूल्यांकन

2452. डॉ. सत्यपाल सिंहः

श्री बैजयंत जे पांडाः

श्री तथागत सत्पथीः

श्री संजय धेत्रेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) का कोई मूल्यांकन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए विनिर्माण और व्यापार/सेवा क्षेत्र में पृथक से स्थापित की गई इकाइयों की संख्या कितनी है और इससे सृजित रोजगारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार के संज्ञान में उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितता/भ्रष्टाचार के मामले आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं और ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): पीएमईजीपी स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुरूग्राम के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमडीआई, गुरूग्राम ने अपनी प्रारंभिक मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मूल्यांकन अध्ययन की मुख्य टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

- औसत रोजगार प्रति परियोजना-7.66
- सृजन इकाई रोजगार की औसत लागत-94,856.89 रूपए
- सृजन इकाई रोजगार की अधिकतम लागत-2,65,412.84 (नागालैंड)
- सृजन इकाई रोजगार की न्यूनतम लागत-25,070.95 रूपए (तमिलनाडु)
- औसत लागत प्रति परियोजना-7,26,759.5 रूपए
- डीएलटीएफसी की अधिकांश बैठकें तीसरी और चौथी तिमाही में आयोजित की जाती हैः
- अधिकांश मामलों में, ऋण की स्वीकृति को बैंक में अनुशंसित आवेदन पहुंचने के बाद 30 दिनों की निर्धारित सीमा के बाद स्थगित कर दिया जाता है।
- ऋण स्वीकृत करने के लिए लिया गया समय सेवा क्षेत्र की अपेक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिक है।

- Himachal Pradesh is the state where bankers do not ask for collateral but in rest of the states collateral has been demanded for over 30% of the cases.
- In Odisha, for 100% of the cases, Collateral was demanded by banks.
- Delhi and Himachal Pradesh have reported for invoking of CGT-MSE by banks in 70-100% cases. In the rest of the states, 50% cases have been found with CGT-MSE coverage.
- Usually, Projects become NPA within first three years or early stages. It is often not noticed by stakeholders.

(b): The number of units set up in manufacturing and business/service sector and number of employments generated therefrom under PMEGP during the last three years, State/UT-wise is given in Annexure-I.

(c): Khadi and Village Industry Commission (KVIC) is national level Nodal Agency to implement PMEGP scheme all over the country. An online grievance handling system for PMEGP has been set up by the KVIC to provide prompt and online redressel. The complaints are received by KVIC regarding non-payment of loan by banks, delay in sanctioning of loan and other related matters under PMEGP from various States. The complaints are redressed by KVIC and its State Offices.

(d): Following initiatives have been taken for effective implementation of PMEGP Scheme:

- In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management and to prevent parking of funds at Nodal bank level an online PMEGP-MIS web portal has been introduced. All applications and fund flow will be processed online in stipulated time frame.
- Publicity is being made through print and electronic media, awareness camps at District level and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro industries.
- Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.
- For speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs as per MOU executed between KVIC & MCR.
- Industries such as Khadi, processing of Pashmina Wool, handloom and power loom units, value added products for tea, coffee, rubber etc. and transport activities are now eligible for funding under PMEGP.
- Implementing Agencies are instructed to encourage and provide necessary assistance to the beneficiaries for filing online application by setting up of help desks.

As a result of these initiatives during the Financial Year 2016-17, PMEGP has achieved maximum Margin Money disbursement of Rs.1280.93 crore (maximum since inception in 2008-09) assisting 52912 micro enterprises generating estimated employment for 4,07,840 persons.

*****

- हिमाचल प्रदेश राज्य में बैंकर्स संपार्श्विक नहीं मांगते हैं लेकिन शेष राज्यों में 30 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए संपार्श्विक मांगा गया है।
- ओडिशा में, 100 प्रतिशत मामलों के लिए संपार्श्विक मांगा गया।
- दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत मामलों में बैंकों द्वारा सीजीटी-एमएसई की इनवोकिंग की रिपोर्ट दी है। शेष राज्यों में 50 प्रतिशत मामले सीजीटी-एमएसई कवरेज के साथ पाए गए हैं।
- प्रायः परियोजनाएं प्रथम तीन वर्षों के भीतर अथवा प्रारंभिक अवस्था में एनपीए हो जाती हैं। इसे स्टेकहोल्डरों द्वारा प्रायः नहीं देखा जाता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत विनिर्माण एवं व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में स्थापित इकाइयों एवं उनसे सृजित रोजगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पूरे देश में पीएमईजीपी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेंसी है। पीएमईजीपी के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली तुरंत एवं ऑनलाइन समाधान करने के लिए केवीआईसी द्वारा स्थापित की गई है। बैंकों द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने, ऋण को स्वीकृत करने में विलम्ब तथा विभिन्न राज्यों से पीएमईजीपी के अंतर्गत अन्य संबंधित मामलों के बारे में केवीआईसी द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं। केवीआईसी और इसके राज्य कार्यालयों द्वारा शिकायतों का समाधान किया जाता है।

(घ)पीएमईजीपी स्कीम के अतंर्गत प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं:

- आवेदन प्रवाह तथा निधि प्रवाह की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने और पारदर्शिता लाने तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने और नोडल बैंक स्तर पर निधियों की पार्किंग रोकने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पीएमईजीपी-एमआईएस वेब पोर्टल शुरू किया गया है। सभी आवेदनों और निधि प्रवाह की निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार करने के उद्देश्य से जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- उद्यमियों/इकाइयों को विपणन सहायता देने के लिए जिला/राज्य/अंचल तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं।
- ईडीपी प्रशिक्षण की त्वरित पूर्णता के लिए इन्हें केवीआईसी तथा एमसीआर के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों तथा आरसेटी/रूडसेटी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।
- खादी, पशमीना ऊन का प्रसंस्करण, हथकरघा तथा विद्युत करघा इकाइयां, चाय, कॉफी, रबड़ आदि के मूल्य वर्धित उत्पाद जैसे उद्योगों और परिवहन कार्यकलाप अब पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।
- हेल्प डेस्क की स्थापना करके ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निदेश दिए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इन पहलों के फलस्वरूप पीएमईजीपी 4,07840 व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार सृजित करते हुए 52912 सूक्ष्म उद्यमों की सहायता कर 1280.93 करोड़ रुपये का अधिकतम मार्जिन मनी संवितरण (2008-09 में आरंभ से अधिकतम) में सफल हुआ है।

Annexure I referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 2452 for answer on 31.07.2017

State-wise and manufacturing and service sector -wise performance under PMEGP during 2014-15										
Sr. No.	State/UT	2014-15								
		No of Project			MM disbursed			Employment		
		Manufacturing	Service/ Textile	Total	Manufacturing	Service/ Textile	Total	Manufacturing	Service/ Textile	Total
1	Jammu & Kashmir	524	1041	1565	1477.48	1797.15	3274.63	3835	7190	11025
2	Himachal Pradesh	534	710	1244	1204.73	1033	2237.73	3292	3060	6352
3	Punjab	559	594	1153	2535.57	655.31	3190.88	4655	1783	6438
4	U.T. Chandigarh	12	24	36	37.31	24.15	61.46	90	70	160
5	Haryana	673	502	1175	2204.29	808.69	3012.98	4991	2033	7024
6	Delhi	47	151	198	52.59	136.65	189.24	376	1208	1584
7	Rajasthan	1074	902	1976	4213.06	1036.56	5249.62	12234	2768	15002
8	Uttarakhand	623	710	1333	1251.63	901.69	2153.32	4000	3889	7889
9	Uttar Pradesh	3415	1476	4891	13703.6	3233.89	16937.53	31923	16681	48604
10	Chattisgarh	347	500	847	1389.16	656.52	2045.68	3702	2119	5821
11	Madhya Pradesh	1479	1258	2737	6804.89	2436.81	9241.7	13007	8889	21896
12	Sikkim	14	2	16	33.31	0.21	33.52	38	16	54
13	Arunachal Pradesh	260	392	652	339.02	665.97	1004.99	901	1970	2871
14	Nagaland	266	150	416	639.23	239.36	878.59	1617	790	2407
15	Manipur	399	348	747	968.81	631.95	1600.76	660	169	829
16	Mizoram	292	525	817	332.82	475.16	807.98	2368	4368	6736
17	Tripura	345	442	787	667.61	666.04	1333.65	2429	3904	6333
18	Meghalaya	262	293	555	697.22	273.92	971.14	1308	2372	3680
19	Assam	2230	2785	5015	2334.89	3062.12	5397.01	6418	9117	15535
20	Bihar	1408	231	1639	3267.76	843.56	4111.32	7740	1500	9240
21	West Bengal	2072	1325	3397.	3928.41	2081.7	6010.11	13878	10768	24646
22	Jharkhand	843	856	1699	1642.58	1228.71	2871.29	4471	4024	8495
23	Odisha	1016	997	2013	2582.18	1363.71	3945.89	6050	4161	10211
24	A & N Islands	25	136	161	18.17	74.15	92.32	89	701	790
25	Gujarat	472	817	1289	2501.07	3699.45	6200.52	7006	11101	18107
26	Maharashtra	1617	1852	3469	5027.66	2816.15	7843.81	16870	11441	28311
27	Goa	12	66	78	39.76	102	141.76	81	325	406
28	Andhra Pradesh	585	352	937	2602.77	889.34	3492.11	9082	3138	12220
29	Telangana	292	312	604	1241.48	647.87	1889.35	4350	2254	6604
30	Karnataka	1589	842	2431	5002.28	1476.82	6479.1	15401	6424	21825
31	Lakshadweep	18	13	31	24.51	4.1	28.61	61	32	93
32	Kerala	724	620	1344	1795.1	884.18	2679.28	6014	3724	9738
33	Tamilnadu	1663	1195	2858	5058.74	1675.15	6733.89	27103	9087	36190
34	Puducherry	29	29	58	81.4	30.7	112.1	232	154	386
	GRAND TOTAL	25720	22448	48168	75701.1	36552.7	112253.9	216272	141230	357502

अनुबंध-I

दिनांक 31.07.2017 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2452 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित

अनुबंध-I

वर्ष 2014-15 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्यवार तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन										
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15								
		परियोजनाओं की सं.			संवितरित मार्जिन मनी			रोजगार		
		विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल	विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल	विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल
1	जम्मू और कश्मीर	524	1041	1565	1477.48	1797.15	3274.63	3835	7190	11025
2	हिमाचल प्रदेश	534	710	1244	1204.73	1033	2237.73	3292	3060	6352
3	पंजाब	559	594	1153	2535.57	655.31	3190.88	4655	1783	6438
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	12	24	36	37.31	24.15	61.46	90	70	160
5	हरियाणा	673	502	1175	2204.29	808.69	3012.98	4991	2033	7024
6	दिल्ली	47	151	198	52.59	136.65	189.24	376	1208	1584
7	राजस्थान	1074	902	1976	4213.06	1036.56	5249.62	12234	2768	15002
8	उत्तराखंड	623	710	1333	1251.63	901.69	2153.32	4000	3889	7889
9	उत्तर प्रदेश	3415	1476	4891	13703.6	3233.89	16937.53	31923	16681	48604
10	छत्तीसगढ़	347	500	847	1389.16	656.52	2045.68	3702	2119	5821
11	मध्य प्रदेश	1479	1258	2737	6804,89	2436.81	9241.7	13007	8889	21896
12	सिक्किम	14	2	16	33.31	0.21	33.52	38	16	54
13	अरुणाचल प्रदेश	260	392	652	339.02	665.97	1004.99	901	1970	2871
14	नगालैंड	266	150	416	639.23	239.36	878.59	1617	790	2407
15	मणिपुर	399	348	747	968.81	631.95	1600.76	660	169	829
16	मिजोरम	292	525	817	332.82	475.16	807.98	2368	4368	6736
17	त्रिपुरा	345	442	787	667.61	666.04	1333.65	2429	3904	6333
18	मेघालय	262	293	555	697.22	273.92	971.14	1308	2372	3680
19	असम	2230	2785	5015	2334.89	3062.12	5397.01	6418	9117	15535
20	बिहार	1408	231	1639	3267.76	843.56	4111.32	7740	1500	9240
21	पश्चिम बंगाल	2072	1325	3397	3928.41	2081.7	6010.11	13878	10768	24646
22	झारखंड	843	856	1699	1642.58	1228.71	2871.29	4471	4024	8495
23	ओडिशा	1016	997	2013	2582.18	1363.71	3945.89	6050	4161	10211
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25	136	161	18.17	74.15	92.32	89	701	790
25	गुजरात	472	817	1289	2501.07	3699.45	6200.52	7006	11101	18107
26	महाराष्ट्र	1617	1852	3469	5027.66	2816.15	7843.81	16870	11441	28311
27	गोवा	12	66	78	39.76	102	141.76	81	325	406
28	आंध्र प्रदेश	585	352	937	2602.77	889.34	3492.11	9082	3138	12220
29	तेलंगाना	292	312	604	1241.48	647.87	1889.35	4350	2254	6604
30	कर्नाटक	1589	842	2431	5002.28	1476.82	6479.1	15401	6424	21825
31	लक्षद्वीप	18	13	31	24.51	4.1	28.61	61	32	93
32	केरल	724	620	1344	1795.1	884.18	2679.28	6014	3724	9738
33	तमिलनाडु	1663	1195	2858	5058.74	1675.15	6733.89	27103	9087	36190
34	पुडुचेरी	29	29	58	81.4	30.7	112.1	232	154	386
	कुल योग	25720	22448	48168	75701.1	36552.7	112253.9	216272	141230	357502

State-wise and manufacturing and service sector -wise performance under PMEGP during 2015-16

Sr. No.	State/UT	2015-16								
		No of Project			MM disbursed			Employment		
		Manufacturing	Service / Textile	Total	Manufacturing	Service/ Textile	Total	Manufacturing	Service/ Textile	Total
1	Jammu & Kashmir	526	1681	2207	1254.06	2527.13	3781.19	2978	9137	12115
2	Himachal Pradesh	355	722	1077	784.34	982.92	1767.26	2164	2970	5134
3	Punjab	496	470	966	2268.69	634.28	2902.97	5513	2249	7762
4	U.T. Chandigarh	17	26	43	45.16	42.56	87.72	164	159	323
5	Haryana	632	616	1248	2186.28	925.81	3112.09	4744	2488	7232
6	Delhi	51	205	256	69.54	184.51	254.05	408	1640	2048
7	Rajasthan	1075	913	1988	3319.17	1064.9	4384.07	9522	5015	14537
8	Uttarakhand	620	516	1136	1116.18	624.68	1740.86	3674	2487	6161
9	Uttar Pradesh	3169	1196	4365	11231.3	3225.62	14456.87	31508	11551	43059
10	Chattisgarh	501	776	1277	1859.57	969.82	2829.39	5173	4323	9496
11	Madhya Pradesh	1529	450	1979	6830	1287.17	8117.17	12670	3827	16497
12	Sikkim	19	91	110	68.88	117.23	186.11	134	263	397
13	Arunachal Pradesh	12	23	35	19.96	18.89	38.85	52	52	104
14	Nagaland	337	286	623	853.78	539.03	1392.81	2699	2299	4998
15	Manipur	318	367	685	665.68	548.3	1213.98	1969	746	2715
16	Mizoram	344	790	1134	373.69	652.66	1026.35	2754	6318	9072
17	Tripura	266	376	642	460.17	485.67	945.84	1800	3555	5355
18	Meghalaya	321	282	603	753.19	302.93	1056.12	3271	1553	4824
19	Assam	1512	1971	3483	1374.71	1495.03	2869.74	4547	4479	9026
20	Bihar	2038	392	2430	5523.39	1065.16	6588.55	16485	3139	19624
21	West Bengal	1039	834	1873	2127.82	1272.83	3400.65	8016	4730	12746
22	Jharkhand	1008	831	1839	2128.91	1430.83	3559.74	7350	5523	12873
23	Odisha	1364	1512	2876	3592.6	2143.72	5736.32	8879	8750	17629
24	A & N Islands	13	106	119	9.02	56.09	65.11	41	252	293
25	Gujarat	661	758	1419	3353.51	2986.22	6339.73	8095	6865	14960
26	Maharashtra	1025	1318	2343	3456.94	1828.09	5285.03	8115	12046	20161
27	Goa	15	76	91	56.77	108.66	165.43	172	328	500
28	Andhra Pradesh	377	265	642	1695.99	566.38	2262.37	5765	1975	7740
29	Telangana	317	343	660	1317.44	900.13	2217.57	4576	3185	7761
30	Karnataka	1006	1134	2140	3682.43	2215.58	5898.01	9483	7801	17284
31	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kerala	630	739	1369	1734.69	985.79	2720.48	5745	3908	9653
33	Tamilnadu	1341	1122	2463	3771.7	1725.84	5497.54	14157	6679	20836
34	Puducherry	30	35	65	66.12	40.25	106.37	280	167	447
	TOTAL	**23118**	**21222**	**44340**	**68051.6**	**33954.7**	**102006.3**	**192903**	**130459**	**323362**

वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्यवार तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन										
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16								
		परियोजनाओं की सं.			संवितरित मार्जिन मनी			रोजगार		
		विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल	विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल	विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल
1	जम्मू और कश्मीर	526	1681	2207	1254.06	2527.13	3781.19	2978	9137	12115
2	हिमाचल प्रदेश	355	722	1077	784.34	982.92	1767.26	2164	2970	5134
3	पंजाब	496	470	966	2268.69	634.28	2902.97	5513	2249	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	17	26	43	45.16	42.56	87.72	164	159	323
5	हरियाणा	632	616	1248	2186.28	925.81	3112.09	4744	2488	7232
6	दिल्ली	51	205	256	69.54	184.51	254.05	408	1640	2048
7	राजस्थान	1075	913	1988	3319.17	1064.9	4384.07	9522	5015	14537
8	उत्तराखंड	620	516	1136	1116.18	624.68	1740.86	3674	2487	6161
9	उत्तर प्रदेश	3169	1196	4365	11231.3	3225.62	14456.87	31508	11551	43059
10	छत्तीसगढ़	501	776	1277	1859.57	969.82	2829.39	5173	4323	9496
11	मध्य प्रदेश	1529	450	1979	6830	1287.17	8117.17	12670	3827	16497
12	सिक्किम	19	91	110	68.88	117.23	186.11	134	263	397
13	अरुणाचल प्रदेश	12	23	35	19.96	18.89	38.85	52	52	104
14	नगालैंड	337	286	623	853.78	539.03	1392.81	2699	2299	4998
15	मणिपुर	318	367	685	665.68	548.3	1213.98	1969	746	2715
16	मिजोरम	344	790	1134	373.69	652.66	1026.35	2754	6318	9072
17	त्रिपुरा	266	376	642	460.17	485.67	945.84	1800	3555	5355
18	मेघालय	321	282	603	753.19	302.93	1056.12	3271	1553	4824
19	असम	1512	1971	3483	1374.71	1495.03	2869.74	4547	4479	9026
20	बिहार	2038	392	2430	5523.39	1065.16	6588.55	16485	3139	19624
21	पश्चिम बंगाल	1039	834	1873	2127.82	1272.83	3400.65	8016	4730	12746
22	झारखंड	1008	831	1839	2128.91	1430.83	3559.74	7350	5523	12873
23	ओडिशा	1364	1512	2876	3592.6	2143.72	5736.32	8879	8750	17629
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	106	119	9.02	56.09	65.11	41	252	293
25	गुजरात	661	758	1419	3353.51	2986.22	6339.73	8095	6865	14960
26	महाराष्ट्र	1025	1318	2343	3456.94	1828.09	5285.03	8115	12046	20161
27	गोवा	15	76	91	56.77	108.66	165.43	172	328	500
28	आंध्र प्रदेश	377	265	642	1695.99	566.38	2262.37	5765	1975	7740
29	तेलंगाना	317	343	660	1317.44	900.13	2217.57	4576	3185	7761
30	कर्नाटक	1006	1134	2140	3682.43	2215.58	5898.01	9483	7801	17284
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	केरल	630	739	1369	1734.69	985.79	2720.48	5745	3908	9653
33	तमिलनाडु	1341	1122	2463	3771.7	1725.84	5497.54	14157	6679	20836
34	पुडुचेरी	30	35	65	66.12	40.25	106.37	280	167	447
कुल		**23118**	**21222**	**44340**	**68051.6**	**33954.7**	**102006.3**	**192903**	**130459**	**323362**

State-wise and manufacturing and service sector -wise performance under PMEGP during 2016-17 (Provisional)										
S. No.	Name of State/UT	No of Project			MM disbursed			Employment		
		Manufacturing	Service/ Textile	Total	Manufacturing	Service/ Textile	Total	Manufacturing	Service/ Textile	Total
1	Jammu & Kashmir	428	1064	1492	1026.08	1595.32	2621.4	3470	8221	11691
2	Himachal Pradesh	357	584	941	1073.17	1112.10	2185.27	3250	3666	6916
3	Punjab	632	634	1266	2507.32	674.28	3181.6	7065	2793	9858
4	U.T. Chandigarh	17	30	47	46.47	36.37	82.84	201	175	376
5	Haryana	743	634	1377	2426.18	957.35	3383.53	7527	3489	11016
6	Delhi	26	93	119	50.31	132.10	182.41	208	744	952
7	Rajasthan	948	801	1749	3619.62	1021.98	4641.6	9858	3550	13408
8	Uttarakhand	681	664	1345	1297.19	825.14	2122.33	5456	4434	9890
9	Uttar Pradesh	2901	1173	4074	11316.58	2954.47	14271.05	25212	11103	36315
10	Chattisgarh	641	957	1598	2719.87	1350.86	4070.73	7590	5266	12856
11	Madhya Pradesh	1274	666	1940	6584.00	1762.06	8346.06	10570	4950	15520
12	Sikkim	14	13	27	24.50	11.43	35.93	105	96	201
13	Arunachal Pradesh	112	189	301	187.39	252.95	440.34	807	1177	1984
14	Nagaland	601	417	1018	1345.57	661.91	2007.48	4716	3067	7783
15	Manipur	631	634	1265	1247.45	915.33	2162.78	6404	2015	8419
16	Mizoram	140	285	425	190.88	301.08	491.96	1114	2286	3400
17	Tripura	979	1318	2297	1843.26	1891.40	3734.66	6463	11498	17961
18	Meghalaya	165	164	329	291.87	116.02	407.89	1360	1272	2632
19	Assam	2649	3379	6028	2238.30	2672.06	4910.36	14440	17058	31498
20	Bihar	2745	489	3234	6807.39	1529.12	8336.51	21703	4169	25872
21	West Bengal	2054	1474	3528	4010.95	2259.37	6270.32	15856	10748	26604
22	Jharkhand	679	621	1300	1552.96	1101.39	2654.35	5706	4694	10400
23	Odisha	1483	1546	3029	4385.69	2463.27	6848.96	11176	9216	20392
24	A & N Islands	26	169	195	32.44	161.02	193.46	177	1221	1398
25	Gujarat	577	809	1386	3524.97	4036.64	7561.61	5396	6233	11629
26	Maharashtra	1050	1275	2325	3886.10	2115.26	6001.36	8885	8914	17799
27	Goa	14	76	90	59.69	131.75	191.44	179	481	660
28	Andhra Pradesh	822	535	1357	3674.72	1241.36	4916.08	10526	3622	14148
29	Telangana	320	344	664	1602.59	959.13	2561.72	4023	2422	6445
30	Karnataka	2009	1566	3575	8105.88	3503.68	11609.56	18994	11292	30286
31	Lakshadweep	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
32	Kerala	791	793	1584	2190.73	1159.95	3350.68	7924	5144	13068
33	Tamilnadu	1656	1285	2941	5902.96	2310.96	8213.92	18400	7364	25764
34	Puducherry	32	34	66	69.85	33.80	103.65	429	270	699
	TOTAL	**27920**	**24992**	**52912**	**85919.32**	**42174.52**	**128093.8**	**245011**	**162829**	**407840**

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्यवार तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन(अनंतिम)										
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.			संवितरित मार्जिन मनी			रोजगार		
		विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल	विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल	विनिर्माण	सेवा/वस्त्र	कुल
1	जम्मू और कश्मीर	428	1064	1492	1026.08	1595.32	2621.4	3470	8221	11691
2	हिमाचल प्रदेश	357	584	941	1073.17	1112.10	2185.27	3250	3666	6916
3	पंजाब	632	634	1266	2507.32	674.28	3181.6	7065	2793	9858
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	17	30	47	46.47	36.37	82.84	201	175	376
5	हरियाणा	743	634	1377	2426.18	957.35	3383.53	7527	3489	11016
6	दिल्ली	26	93	119	50.31	132.10	182.41	208	744	952
7	राजस्थान	948	801	1749	3619.62	1021.98	4641.6	9858	3550	13408
8	उत्तराखंड	681	664	1345	1297.19	825.14	2122.33	5456	4434	9890
9	उत्तर प्रदेश	2901	1173	4074	11316.58	2954.47	14271.05	25212	11103	36315
10	छत्तीसगढ़	641	957	1598	2719.87	1350.86	4070.73	7590	5266	12856
11	मध्य प्रदेश	1274	666	1940	6584.00	1762.06	8346.06	10570	4950	15520
12	सिक्किम	14	13	27	24.50	11.43	35.93	105	96	201
13	अरुणाचल प्रदेश	112	189	301	187.39	252.95	440.34	807	1177	1984
14	नगालैंड	601	417	1018	1345.57	661.91	2007.48	4716	3067	7783
15	मणिपुर	631	634	1265	1247.45	915.33	2162.78	6404	2015	8419
16	मिजोरम	140	285	425	190.88	301.08	491.96	1114	2286	3400
17	त्रिपुरा	979	1318	2297	1843.26	1891.40	3734.66	6463	11498	17961
18	मेघालय	165	164	329	291.87	116.02	407.89	1360	1272	2632
19	असम	2649	3379	6028	2238.30	2672.06	4910.36	14440	17058	31498
20	बिहार	2745	489	3234	6807.39	1529.12	8336.51	21703	4169	25872
21	पश्चिम बंगाल	2054	1474	3528	4010.95	2259.37	6270.32	15856	10748	26604
22	झारखंड	679	621	1300	1552.96	1101.39	2654.35	5706	4694	10400
23	ओडिशा	1483	1546	3029	4385.69	2463.27	6848.96	11176	9216	20392
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26	169	195	32.44	161.02	193.46	177	1221	1398
25	गुजरात	577	809	1386	3524.97	4036.64	7561.61	5396	6233	11629
26	महाराष्ट्र	1050	1275	2325	3886.10	2115.26	6001.36	8885	8914	17799
27	गोवा	14	76	90	59.69	131.75	191.44	179	481	660
28	आंध्र प्रदेश	822	535	1357	3674.72	1241.36	4916.08	10526	3622	14148
29	तेलंगाना	320	344	664	1602.59	959.13	2561.72	4023	2422	6445
30	कर्नाटक	2009	1566	3575	8105.88	3503.68	11609.56	18994	11292	30286
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
32	केरल	791	793	1584	2190.73	1159.95	3350.68	7924	5144	13068
33	तमिलनाडु	1656	1285	2941	5902.96	2310.96	8213.92	18400	7364	25764
34	पुडुचेरी	32	34	66	69.85	33.80	103.65	429	270	699
	कुल	**27920**	**24992**	**52912**	**85919.32**	**42174.52**	**128093.8**	**245011**	**162829**	**407840**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 2466
TO BE ANSWERED ON 31/07/2017

NATIONAL MSME POLICY

2466. SHRI RAVNEET SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to bring out a National MSME policy;

(b) if so, the details and salient features thereof along with the need for such policy; and

(c) the time by which the said policy is likely to be implemented?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) to (c): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises in December 2015, had constituted a One Man Committee to make recommendations towards a National Policy for MSMEs. The Committee has submitted its report to the Ministry in January 2017. The Government has not fixed any timeframe to implement a new policy on MSME.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2466

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

राष्ट्रीय एमएसएमई नीति

2466. श्री रवनीत सिंहः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय एमएसएमई नीति लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ऐसी नीति की क्या आवश्यकता है; और

(ग) उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राष्ट्रीय नीति की सिफारिश करने हेतु दिसंबर, 2015 में एक सदस्यीय समिति का गठन किया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2017 में मंत्रालय को सौंप दी है । सरकार ने नई एमएसएमई नीति के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2524
TO BE ANSWERED ON: 31.07.2017

IMPACT OF MNCs ON MSMEs

2524. SHRI DILIPKUMAR MANSUKHLAL GANDHI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of the country are reportedly lagging behind due to availability of the products of multinational companies;
(b) if so, the details thereof and the reaction of the Government thereto;
(c) the reasons for the higher prices of domestic products in comparison to the products manufactured in China; and
(d) the remedial measures taken by the Government to protect and promote MSMEs in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): The survival and growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) depends on a number of factors like availability of timely credit, up-gradation of technology, infrastructure, access to market, quality of products etc. Competition from internal and external sources including competition from multinational companies is also one of the factors.

(c): The products manufactured in China are reportedly of lower price mainly because of their opaque subsidy regime and distorted factor prices.

(d): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is committed to handhold and promote MSMEs in the country through its schemes/programme which include Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Marketing Assistance and Technology Up-gradation (MATU), International Cooperation Scheme, ZED Certification Scheme and Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) etc.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2524

उत्तर देने की तारीख 31.07.2017

एमएसएमई पर एमएनसी का प्रभाव

2524. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों की उपलब्धता के कारण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कथित तौर पर पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चीन में विनिर्मित उत्पादों की तुलना में घरेलू उत्पादों की कीमतें अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में एमएसएमई के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) से (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उत्तरजीविता तथा विकास विभिन्न कारणों जैसे समय पर ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना का उन्नयन बाजार तक पहुंच, उत्पादों की गुणवत्ता आदि पर निर्भर करता है । बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा सहित बाहरी और आंतरिक स्रोतों से प्रतिस्पर्धा भी इसके कारण है ।

(ग) : चीन में निर्मित उत्पादों की कीमत मुख्यतः अपारदर्शी सब्सिडी प्रणाली और विरूपित फैक्टर मूल्यों के कारण कम होने की सूचना है ।

(घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, जेड प्रमाणन स्कीम और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति इत्यादि शामिल हैं, के माध्यम से देश में एमएसएमई की सहायता तथा संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ।

****

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 243rd Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 02.08.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Ecomark label for coir and coir products	JS (ARI)	195	*15	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Empowering MSMEs to create more employment	AS&DC/ ADC (PS)	2034	
2.	Loan to youth under PMEGP	JS (ARI)	2035	
3.	Use of modern technology in small and medium enterprises	AS&DC/ ADC (PS)	2036	
4.	Increasing beneficiaries under CLCSS	AS&DC/ ADC (PS)	2037	
5	Approval of DPRs to help rural artisans	JS (ARI)	2038	
6	Shortfall in margin money for sanctioned loans	JS (ARI)	2039	
7	Schemes for development of MSMEs	AS&DC/ ADC (PS)	2040	
8	Tread women entrepreneurship programme	AS&DC/ AIA (CS)	2041	
9	Schemes to finance raw material purchases	JS (SME)	2042	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *195
TO BE ANSWERED ON 02.08.2017

Ecomark label for coir and coir products

*195. SHRI ANUBHAV MOHANTY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the coir and coir products importing countries are conscious of the Ecomark label on the products;

(b) if so, what efforts the Minister is making in obtaining such Ecomark labels from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the coir exporting units; and

(c) whether it is also a fact that the possession of such Ecomark labels by the coir and coir products exporting units will give an immense boost to their exports and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI KALRAJ MISHRA)

(a) to (c): A statement is placed on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *195

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

कयर और कयर-उत्पादों के लिए इको मार्क लेबल

*195. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कयर और कयर-उत्पादों का आयात करने वाले देश उन उत्पादों पर इको मार्क लेबल को लेकर सचेत हैं;

(ख) यदि हां, तो मंत्री जी कयर निर्यातक इकाइयों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस प्रकार के इको मार्क लेबल प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कयर और कयर-उत्पादों का निर्यात करने वाली इकाइयों के पास ऐसे इको मार्क लेबल होने से उनके निर्यात को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

Statement referred to in reply to Rajya Sabha Starred Question No. 195 for answer on 02.08.2017

(a)&(b): Ministry of Environment and Forests has notified the Scheme for Labelling of Environment Friendly Products known as ÉCO MARK'. It is expected that importing countries of coir/ coir products are aware of ÉCO MARK' labelling for environment friendly products. The Coir industry is in need of Eco Labelling for its products which will definitely boost its marketing potential both abroad and within the country. Coir Board has already taken up the matter of obtaining ECO MARK for coir products with the Ministry of Environment and Forest and is constantly pursuing it for finalizing the criteria for obtaining the ECO MARK.

(c): ECO MARK Labelling for coir and coir products will boost the exports of these products in view of the growing affinity for natural/eco-friendly products in the international market.

******

दिनांक 02.08.2017 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.*195 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 'इकोमार्क' के रूप में ज्ञात पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए स्कीम अधिसूचित की है। आशा है कि कयर/कयर उत्पाद के आयातक देश पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए 'इकोमार्क' लेबलिंग से अवगत हैं। कयर उद्योग को अपने उत्पादों के लिए इको लेबलिंग की जरूरत है जो अपनी विपणन संभावनाओं को देश एवं विदेश दोनों में निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। कयर बोर्ड ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ कयर उत्पादों के लिए इको मार्क प्राप्त करने का मामला पहले ही उठाया है और इको मार्क प्राप्त करने के मानदंड को अंतिम रूप देने के लिए उनका लगातार अनुसरण कर रहा है।

(ग): कयर एवं कयर उत्पादों के लिए इको मार्क लेबलिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक/पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बढ़ते आकर्षण को देखते हुए इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2034
TO BE ANSWERED ON: 02.08.2017

Empowering MSMEs to create more employment

2034. SHRIMATI RAJANI PATIL:
SHRI DARSHAN SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether Government has taken note that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), play a pivotal role in the overall industrial development of the country;
(b) whether Government has also taken note that the MSMEs continue to face several problems in production and marketing of their products;
(c) if so, whether Government is taking up/has taken up any study to find out concrete solutions for these problems and if so, the details thereof; and
(d) whether Government has any proposal to empower the MSMEs sector to create more employment opportunities in the country and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Yes.

(b): Yes.

(c): The Government has not taken up any study to find out concrete solutions for these problems. However, a one man Committee was set up in 2015 to suggest a policy framework for the MSME sector. The Committee has submitted its Report which tries to find out some solutions for the problems of MSMEs.

(d): The Government is empowering the MSME sector to create more employment opportunities through its various schemes and programmes like Prime Minister's Employment Generation Programme, Credit Guarantee Fund Scheme, Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme and its various skill development programmes.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2034

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को और अधिक रोजगार का सृजन करने की शक्तियां प्रदान करना

2034. श्रीमती रजनी पाटिलः
श्री दर्शन सिंह यादवः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के समग्र औद्योगिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर भी गौर किया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने उत्पादों के उत्पादन और विपणन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन समस्याओं के ठोस हल निकालने हेतु कोई अध्ययन करा रही है/कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को देश में रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन करने की शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : जी, हां ।

(ख) : जी, हां ।

(ग) : सरकार ने इन समस्याओं के ठोस हल निकालने हेतु किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कराया है । हालांकि, एमएसएमई क्षेत्र के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क संबंधी सुझाव देने के लिए वर्ष 2015 में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें एमएसएमई की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है ।

(घ) : सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम और अपने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बना रही है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2035
TO BE ANSWERED ON 02.08.2017

Loans to youth under PMEGP

2035. SHRI P BHATTACHARYA:
SHRIMATI RAJANI PATIL:
SHRI DARSHAN SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether loans under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) are being disbursed to the youths in various States including Maharashtra;

(b) if so, the details thereof during the last two years, State/UT-wise;

(c) the quantum of loans given to youths in Maharashtra under the said scheme and the targets fixed/achieved during the said period; and

(d) the steps taken by Government to achieve the said targets?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): Yes, Sir. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) which is a credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. Any individual above 18 years of age is eligible. For setting up of projects costing above Rs.10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business /service sector, the beneficiaries should possess at least VIII standard pass educational qualification. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas.

The Scheme was launched during 2008-09. A total of 4.23 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs 8695.27 crore providing employment to an estimated 35.48 lakh persons since 2008-09 till 2016-17 across the country including the State of Maharashtra.

The State/UT-wise details of number of micro units setup and Margin Money disbursed under PMEGP during the last two years is given as Annexure-I.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2035

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत युवाओं को ऋण

2035. श्री पि॰ भट्टाचार्यः

श्रीमती रजनी पाटिलः

श्री दर्शन सिंह यादवः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के युवाओं को प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत ऋण संवितरित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के युवाओं को कितना ऋण प्रदान किया गया है और उक्त अवधि के दौरान क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित/प्राप्त किए गए; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, हाँ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों एवं बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति पात्र है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपये से अधिक तथा व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक लागतवाली परियोजनाओं की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियाजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा / अजजा / अपिव / महिलाओं / अल्पसंख्यकों / भूतपूर्व सैनिक/ शारीरिक रूप से विकलांग / पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।

स्कीम को वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू किया गया। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में कुल 4.23 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 2008-09 से 2016-17 तक अनुमानित 35.48 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर 8695.27 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से सहायता की गई है।

विगत दो वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों की संख्या तथा संवितरित मार्जिन मनी का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(c): Details of the target fixed/achieved during last three years in Maharashtra State are as follows:

(Rs. In lakh)

Year	Target			Achievement		
	Projects	Margin Money	Employment Generation	Projects	Margin Money disbursed	Employment Generated
2015-16	4860	9718.42	38880	2497	5285.03	20161
2016-17	3056	6111.30	24448	2325	6001.36	17799

(d): Following steps have been taken by the Government for effective implementation of PMEGP Scheme and achieving the targets:

- In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management and to prevent parking of funds at Nodal bank level an online PMEGP-MIS web portal has been introduced. All applications and fund flow will be processed online in stipulated time frame.
- Publicity is being made through print and electronic media, awareness camps at District level and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro industries.
- Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.
- For speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs as per MOU executed between KVIC & MCR.
- Industries such as Khadi, processing of Pashmina Wool, handloom and power loom units, value added products for tea, coffee, rubber etc. and transport activities are now eligible for funding under PMEGP.

*****

(ग) महाराष्ट्र राज्य मे विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित / प्राप्त लक्ष्यों का ब्योरा निम्नलिखित है :-

(रूपये लाख में)

वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धि		
	परियोजना	मार्जिन मनी	रोजगार सृजन	परियोजना	संवितरित मार्जिन मनी	सृजित रोजगार
2015-16	4860	9718.42	38880	2497	5285.03	20161
2016-17	3056	6111.30	24448	2325	6001.36	17799

(घ) पीएमईजीपी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- आवेदन प्रवाह तथा निधि प्रवाह को सरल एवं कारगर बनाने तथा पारदर्शिता एवं बेहतर वित्तीय प्रबंधन प्रस्तुत करने और नोडल बैंक स्तर पर निधियों के पार्किंग को रोकने के उद्देश्य से, ऑनलाइन पीएमईजीपी एमआईएस वेबपोर्टल शुरू किया गया है। सभी आवेदन पत्र एवं निधि प्रवाह निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन संसाधित किए जाएंगे।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।
- उद्यमियों / इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला / राज्य / अंचल तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं।
- ईडीपी प्रशिक्षण के त्वरित समापन के लिए केवीआईसी तथा एमसीआर के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं आरसेटी / रूड सेटी के माध्यम से इन्हें संचालित किया जा रहा है।
- खादी, पशमीना ऊन, हस्त करघा एवं विद्युत करघा इकाइयों, चाय, कॉफी, रबड़ के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद, आदि जैसे उद्योग एवं परिवहन कार्यकलाप अब पीएमईजीपी के अंतर्गत वितपोषण के लिए पात्र हैं।

******

Annexure-I

Annexure I referred to in reply to part (a) and (b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2035 for answer on 02.08.2017

		2015-16		2016-17	
Sr. No.	State/UT	Margin money Subsidy utilized (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Margin Money subsidy utilized (Rs. lakh)	Number of projects assisted
1	Jammu& Kashmir	3781.19	2207	2621.40	1492
2	Himachal Pradesh	1767.26	1077	2185.27	941
3	Punjab	2902.97	966	3181.60	1266
4	UT Chandigarh	87.72	43	82.84	47
5	Uttarakhand	1740.86	1136	2122.33	1345
6	Haryana	3112.09	1248	3383.53	1377
7	Delhi	254.05	256	182.41	119
8	Rajasthan	4384.07	1988	4641.6	1749
9	Uttar Pradesh	14456.87	4365	14271.05	4074
10	Bihar	6588.55	2430	8336.51	3234
11	Sikkim	186.11	110	35.93	27
12	Arunachal Pradesh	38.85	35	440.34	301
13	Nagaland	1392.81	623	2007.48	1018
14	Manipur	1213.98	685	2162.78	1265
15	Mizoram	1026.35	1134	491.96	425
16	Tripura	945.84	642	3734.66	2297
17	Meghalaya	1056.12	603	407.89	329
18	Assam	2869.74	3483	4910.38	6028
19	West Bengal	3400.65	1873	6270.32	3528
20	Jharkhand	3559.74	1839	2654.35	1300
21	Odisha	5736.32	2876	6848.96	3029
22	Chhattisgarh	2829.38	1277	4070.73	1598
23	Madhya Pradesh	8117.17	1979	8346.06	1940
24	Gujarat*	6339.73	1419	7561.61	1386
25	Maharashtra **	5285.03	2497	6001.36	2325
26	Andhra Pradesh	2262.37	642	4916.08	1357
27	Telangana	2217.57	660	2561.72	664
28	Karnataka	5898.01	2140	11609.56	3575
29	Goa	165.43	91	191.44	90
30	Lakshadweep	0.00	0	00	00
31	Kerala	2720.48	1369	3350.68	1584
32	Tamilnadu	5497.54	2463	8213.92	2941
33	Puducherry	106.37	65	103.65	66
34	Andaman & Nicobar Islands	65.11	119	193.46	195
		102006.33	**44340**	**128093.86**	**52912**

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

अनुबंध-I

दिनांक 02.08.2017 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2035 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध - I

		2015-16		2016-17	
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	3781.19	2207	2621.40	1492
2	हिमाचल प्रदेश	1767.26	1077	2185.27	941
3	पंजाब	2902.97	966	3181.60	1266
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	87.72	43	82.84	47
5	उत्तराखंड	1740.86	1136	2122.33	1345
6	हरियाणा	3112.09	1248	3383.53	1377
7	दिल्ली	254.05	256	182.41	119
8	राजस्थान	4384.07	1988	4641.6	1749
9	उत्तर प्रदेश	14456.87	4365	14271.05	4074
10	बिहार	6588.55	2430	8336.51	3234
11	सिक्किम	186.11	110	35.93	27
12	अरुणाचल प्रदेश	38.85	35	440.34	301
13	नगालैंड	1392.81	623	2007.48	1018
14	मणिपुर	1213.98	685	2162.78	1265
15	मिजोरम	1026.35	1134	491.96	425
16	त्रिपुरा	945.84	642	3734.66	2297
17	मेघालय	1056.12	603	407.89	329
18	असम	2869.74	3483	4910.38	6028
19	पश्चिम बंगाल	3400.65	1873	6270.32	3528
20	झारखंड	3559.74	1839	2654.35	1300
21	ओडिशा	5736.32	2876	6848.96	3029
22	छत्तीसगढ़	2829.38	1277	4070.73	1598
23	मध्य प्रदेश	8117.17	1979	8346.06	1940
24	गुजरात*	6339.73	1419	7561.61	1386
25	महाराष्ट्र **	5285.03	2497	6001.36	2325
26	आंध्र प्रदेश	2262.37	642	4916.08	1357
27	तेलंगाना	2217.57	660	2561.72	664
28	कर्नाटक	5898.01	2140	11609.56	3575
29	गोवा	165.43	91	191.44	90
30	लक्षद्वीप	0.00	0	00	00
31	केरल	2720.48	1369	3350.68	1584
32	तमिलनाडु	5497.54	2463	8213.92	2941
33	पुडुचेरी	106.37	65	103.65	66
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	65.11	119	193.46	195
		102006.33	**44340**	**128093.86**	**52912**

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2036
TO BE ANSWERED ON: 02.08.2017

Use of modern technology in small and medium enterprises

2036. SHRI RAM KUMAR KASHYAP:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the efforts being made by Government to promote small and medium enterprises in the country in order to create employment for youths;

(b) If so, the details thereof;

(c) the efforts being made by Government to use modern technology in small and medium enterprises; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): Ministry of MSME is implementing a number of schemes and programmes to encourage employment generation among youths. These inter-alia include Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), A Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE), Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), Entrepreneurship Development Programmes Scheme, Incubation Scheme and training through Tool Rooms and technology development centres etc.

(c) & (d): In order to encourage the use of modern technologies, Ministry of MSME has taken a number of initiatives like running the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), setting up of tool rooms and technology centres and launching of Digital MSME Scheme. Under CLCSS a capital subsidy of 15 per cent (limited to maximum of Rs. 15 lakhs) is provided to Micro & Small Enterprises to buy machines embodying modern technologies. The Ministry of MSME's 18 Tool Rooms/ Technology centres create high tech tools for the use of the industries, defence & space sectors. Under the National Manufacturing Competitiveness Programme there are incentives for adoption of energy efficient technology, creation of design expertise and for helping acquire Intellectual property Rights etc.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2036

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

लघु और मध्यम उद्यमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग

2036. श्री राम कुमार कश्यपः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में युवाओं के लिए रोज़गार का सृजन करने हेतु लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) लघु और मध्यम उद्यमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : एमएसएमई मंत्रालय युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रहा है । इनमें, अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), उद्यमिता विकास कार्यक्रम की योजना, इन्क्यूबेशन योजना और टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण की योजना इत्यादि शामिल है।

(ग) और (घ) : आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और डिजिटल एमएसएमई योजना शुरु करने जैसी कई पहल की गई है । क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी के तहत, आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस मशीनों की खरीद करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम 15 लाख रू तक सीमित) प्रदान की जाती है । एमएसएमई मंत्रालय के अधीन संचालित 18 टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के उपयोग के लिए उच्च तकनीक के उपकरणों का निर्माण करते हैं । राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के तहत ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने, डिजाइन विशेषज्ञता के सृजन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को हासिल करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान है ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2037
TO BE ANSWERED ON: 02.08.2017

Increasing beneficiaries under CLCSS

2037. SHRI MD. NADIMUL HAQUE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether under the National Manufacturing Competitiveness Programme, performance of Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) has been going down every year, if so, the reasons therefor;

(b) the year-wise details of the number of beneficiaries and amount of subsidy released during the last three years; and

(c) what initiatives are being taken by Government to increase the number of beneficiaries under the scheme, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Yes. In the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), due to insufficient budgetary allocation under General category, the disbursement of subsidy is going down.

(b): The year-wise details of the number of beneficiaries and the amount of subsidy disbursed during the last three Financial years are as under:-

Financial Years	2014-15	2015-16	2016-17
Nos. of MSEs Beneficiaries	7246	5047	4011
Amount of Subsidy disbursed (Rs. in crores)	448.85	322.43	256.53

(c): The number of applications under the Scheme has been on an increasing trend and higher budgetary support will further increase the number of beneficiaries.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2037

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना

2037. श्री मो. नदीमुल हक :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम' के अंतर्गत ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) का कार्यनिष्पादन साल दर साल गिरता जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई राजसहायता की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या-क्या पहलें की जा रही हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : जी, हां । क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) में सामान्य श्रेणी के तहत अपर्याप्त बजट आबंटन होने के कारण सब्सिडी का संवितरण कम हो गया है ।

(ख) : गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभान्वितों की संख्या और संवितरित सब्सिडी की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
लाभान्वित एमएसएमई की संख्या	7246	5047	4011
संवितरित सब्सिडी की राशि (करोड़ रु. में)	448.85	322.43	256.53

(ग) : इस स्कीम के तहत आवेदनों की संख्या की बढ़ती प्रवृत्ति रही है तथा उच्चतर बजटीय सहायता से लाभान्वितों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2038
TO BE ANSWERED ON 02.08.2017

Approval of DPRs to help rural artisans

2038. DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether it is fact that several Detailed Project Reports (DPRs) have been approved to help traditional rural artisans;

(b) if so, the details thereof;

(c) how many DPRs have been approved so far and amounts released so far; and

(d) whether these programmes are concentrating on creation of additional opportunities for the employment of youth in rural areas?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): Yes Sir. Ministry of MSME has approved 69 Detailed Project Report (DPR) (as on 31.03.2017) under the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI). Details of the number of DPRs approved and amounts released so far is placed at **Annexure-I**.

(d): SFURTI scheme was launched in 2005-06 for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters. The scheme is aimed at regenerating/reviving traditional industries by helping the workers already engaged in those industries by forming clusters. The scheme interventions are as follows:

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2038
उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

ग्रामीण कारीगरों की सहायता हेतु विस्तृत
परियोजना प्रतिवेदनों की मंजूरी

2038. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पारम्परिक ग्रामीण कारीगरों की सहायता हेतु कई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंजूर किए गए हैं और कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) क्या ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने परंगरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत (31.03.2017 तक की स्थिति के अनुसार) 69 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की हैं। अभी तक अनुमोदित की गई डीपीआर की संख्या और जारी की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) परंगरागत उद्योगों और कारीगरों के समूह को संगठित करके परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए स्फूर्ति स्कीम की 2005-06 में शुरूआत की गई थी। स्फूर्ति स्कीम का उद्देश्य समूहों का गठन करके उन उद्योगों में पहले से कार्यरत कामगारों की सहायता करके परंपरागत उद्योगों को पुनर्सृजित/पुनरूद्धार करना है। स्कीम इंटरवेंशन निम्नानुसार हैं:

	Project Intervention	Scheme funding	Financial	Limit	IA Share
A	Cluster Interventions	-			-
A1	Soft Interventions including skill trainings, capacity building, design development	100%	Subject to maximum 33% of A (Total cost of Cluster Interventions both hard and soft interventions) or Rs.25 lakhs, whichever is less	Maximum Rs.8 crore per project (A+B+C)	Nil
A2	Hard Interventions including CFCs, TMBs, training centres, etc.*	75%	-		25% of Project Cost including Land Cost^ and own contribution as equity
B	Cost of TA	100%	8% of A1+A2 (Total cost of Cluster Interventions both hard and soft interventions)		Nil
C	Cost# of IA/SPV including CDE	100%	Maximum Rs.20 lakh per project		Nil

*90%:10% in case of North Eastern Region (NER), J&K and hilly states.

^Registered value of land as reflected in the sale deed shall be considered. In case land is taken on lease, the minimum tenure should be for 15 years and the value of the lease rentals will be taken as contribution.

#This may include remuneration of Cluster Development Executive (CDE) and other expenses incidental for the entire 3 year project implementation.

Under the current scheme, 58904 number of artisans have been covered under the 69 approved clusters. The clusters are largely based in rural areas of the country.

* * *

	परियोजना इंटरवेंशन	स्कीम वित पोषण	वित्तीय	सीमा	आईए की हिस्सेदारी
क	क्लस्टर इंटरवेंशन	-			-
क1	कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाइन विकास सहित सॉफ्ट इंटरवेंशन	100%	क्लस्टर इंटरवेंशन (दोनों हार्ड और सॉफ्ट इंटरवेंशन की कुल लागत) का अधिकतम 33% के अधीन अथवा 25 लाख रूपए, जो भी कम हो	अधिकतम प्रति परियोजना 8 करोड़ रूपए (क+ख+ग)	शून्य
क2	सीएफसी, टीएमबी, प्रशिक्षण केन्द्र, आदि सहित हार्ड इंटरवेंशन	75%	-		भूमि लागत और इक्यूटी रूप में स्वयं के अंशदान सहित परियोजना का 25%
ख	टीए की लागत	100%	क1+क2 की 8% (क्लक्टर इंटरवेंशन दोनों हार्ड और सॉफ्ट इंटरवेंशन की कुल लागत)		शून्य
ग	सीडीई सहित आईए/एसपीवी/ की लागत	100%	प्रति परियोजना अधिकतम 20 लाख रूपए		शून्य

* पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर तथा पहाड़ी राज्यों के मामले में 90% : 10%

बिक्री विलेख में दर्ज की गई भूमि के पंजीकृत मूल्य पर विचार किया जाएगा। यदि भूमि लीज पर ली जाती है तो न्यूनतम अवधि 15 वर्ष की होनी चाहिए और लीज रेंटल का मूल्य अंशदान के रूप में लिया गाएगा।

इसमें समूह विकास कार्यकारी (सीडीई) का पारिश्रमिक और संपूर्ण 3 वर्ष के परियोजना कार्यान्वयन के लिए आकस्मिक अन्य खर्चे शामिल हो सकते हैं

चालू स्कीम के अंतर्गत, 69 अनुमोदित समूहों के तहत 58904 कारीगरों को कवर किया गया है। समूह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े आधार पर हैं।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (a)to(c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2038 for answer on 02.08.2017

Details of Detailed Project Reports (DPRs) as on 31.3.2017 under SFURTI

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	State Name	Cluster Name	Product Category	Total Project Cost	Approval Cost	Amount released by Ministry
1	Odisha	Abhahan Fruit & Vegetable Processing	Fruit & Vegetable Processing	157.70	132.05	115.31
2	Jammu & Kashmir	Anantnag	Weaving (Handloom)	495.00	450.00	187.00
3	Kerala	Balussery Coir Cluster	Coir	130.28	109.02	97.53
4	Maharashtra	Banjara Handicrafts	Handicraft	103.45	98.09	43.81
5	Assam	Barpeta Brass Metal Cluster	Handicraft	154.50	143.99	125.07
6	Chhattisgarh	Bastar Handicraft Cluster	Handicraft	112.78	98.03	86.58
7	Odisha	Betonoti NFTP	NTFP (Bamboo)	164.87	159.36	68.74
8	Madhya Pradesh	Betul Pottery	Handicraft	179.14	148.55	130.20
9	Punjab	Bhatinda Bee Keeping	Food Processing (Honey)	325.25	267.32	113.26
10	Karnataka	Bidar	Wood Handicraft	176.06	145.37	126.95
11	Gujarat	Blacksmithy and Agri tools	Handicraft	142.32	118.57	104.32
12	Jammu & Kashmir	Budgam	Weaving (Handloom)	490.00	445.00	185.00
13	West Bengal	Chak Islampur Khadi Cluster	Khadi	237.50	192.50	164.64
14	Andhra Pradesh	Chittoor Coir Cluster	Coir	132.10	112.03	49.99
15	Uttar Pradesh	Chitrakoot Herbal Product Cluster	Herbal Product	306.55	245.24	104.26
16	Uttar Pradesh	Crochet (Croshiya) Cluster, Deoria	Handicraft	120.50	101.87	90.70
17	Tamil Nadu	Dharmapuri Coir Cluster	Coir	203.50	148.25	129.50
18	Assam	Dibrugarh (Moran) Handloom	Handloom	239.76	211.76	89.85
19	Tamil Nadu	Dindigul Coir Cluster	Coir	389.62	291.62	246.32
20	Tamil Nadu	Ethamozy Coir Cluster	Coir	199.56	149.06	127.16
21	Jharkhand	Gumla Food Processing	Food Processing	318.34	254.24	215.58
22	Uttar Pradesh	Hand Knotted Carpet Cluster, Allahabad	Weaving (Handloom)	158.00	130.50	114.00
23	Uttar Pradesh	Hand Knotted Carpet Cluster, Mirzapur	Khadi	133.67	112.17	50.05
24	Karnataka	Harihara Khadi Cluster	Khadi	158.00	130.50	114.00
25	Kerala	Haripada Coir Cluster	Coir	357.95	284.03	239.68
26	Karnataka	Hassan (Haralkatta)	Coir	148.54	148.54	63.87
27	Assam	Hastkala Shilpa Cluster Mirza	Handloom	154.50	143.99	125.07
28	Madhya Pradesh	Hoshangabad Bamboo Cluster	Handicraft	181.09	149.44	130.45
29	Punjab	Hoshiarpur Wood Cluster	Handicraft	293.24	250.75	105.80
30	Karnataka	Hudli Khadi Cluster	Khadi	159.10	132.82	117.06
31	Telangana	Ieeza Gadwal Silk cluster Mahabubnagar	Handloom	245.42	198.55	88.69
32	Odisha	Jagmohan Brass Metal	Handicraft	143.55	121.20	106.44

अनुबंध-I

दिनांक 02.08.2017 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2038 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- I

स्फूर्ति के अंतर्गत 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का ब्योरा।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्लस्टर नाम	उत्पाद श्रेणी	कुल परियोजना लागत	अनुमोदन लागत	मंत्रालय द्वारा जारी राशि
1	ओडिशा	आवाह्न फल और सब्जी प्रसंस्करण	फल और सब्जी प्रसंस्करण	157.70	132.05	115.31
2	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	बुनाई (हथकरघा)	495.00	450.00	187.00
3	केरल	बालिज़री कॉयर क्लस्टर	कयर	130.28	109.02	97.53
4	महाराष्ट्र	बंजारा हस्तशिल्प	हस्तशिल्प	103.45	98.09	43.81
5	असम	बारपेटा ब्रास मेटल क्लस्टर	हस्तशिल्प	154.50	143.99	125.07
6	छत्तीसगढ़	बस्तर हस्तशिल्प क्लस्टर	हस्तशिल्प	112.78	98.03	86.58
7	ओडिशा	बैटनोटी एनएफटीपी	एनटीएफपी (बांस)	164.87	159.36	68.74
8	मध्य प्रदेश	बेतुल पोटरी	हस्तशिल्प	179.14	148.55	130.20
9	पंजाब	भटिंडा बी कीपिंग	खाद्य प्रसंस्करण (हनी)	325.25	267.32	113.26
10	कर्नाटक	बीदर	लकड़ी हस्तशिल्प	176.06	145.37	126.95
11	गुजरात	ब्लैकस्मिथ एंड एग्री टूल्स	हस्तशिल्प	142.32	118.57	104.32
12	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	बुनाई (हथकरघा)	490.00	445.00	185.00
13	पश्चिम बंगाल	चक इस्लामपुर खादी क्लस्टर	खादी	237.50	192.50	164.64
14	आंध्र प्रदेश	चित्तूर कयर क्लस्टर	कयर	132.10	112.03	49.99
15	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट हर्बल उत्पाद क्लस्टर	हर्बल उत्पाद	306.55	245.24	104.26
16	उत्तर प्रदेश	क्रोकेट (क्रोसिया) क्लस्टर, देवरिया	हस्तशिल्प	120.50	101.87	90.70
17	तमिलनाडु	धर्मपुरी कयर क्लस्टर	कयर	203.50	148.25	129.50
18	असम	डिब्रूगढ़ (मोरन) हथकरघा	हथकरघा	239.76	211.76	89.85
19	तमिलनाडु	डिंडीगुल कयर क्लस्टर	कयर	389.62	291.62	246.32
20	तमिलनाडु	एथेमोजी कयर क्लस्टर	कयर	199.56	149.06	127.16
21	झारखंड	गुमला फूड प्रोसेसिंग	खाद्य प्रसंस्करण	318.34	254.24	215.58
22	उत्तर प्रदेश	हैण्ड नाटेड कालीन क्लस्टर, इलाहाबाद	बुनाई (हथकरघा)	158.00	130.50	114.00
23	उत्तर प्रदेश	हैण्ड नॉनडेड कालीन क्लस्टर, मिर्जापुर	खादी	133.67	112.17	50.05
24	कर्नाटक	हरिहारा खादी क्लस्टर	खादी	158.00	130.50	114.00
25	केरल	हरिपदा कयर क्लस्टर	कयर	357.95	284.03	239.68
26	कर्नाटक	हसन (हरलकत्ता)	कयर	148.54	148.54	63.87
27	असम	हस्तकला शिल्पा क्लस्टर मिर्जा	हथकरघा	154.50	143.99	125.07
28	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद बांस क्लस्टर	हस्तशिल्प	181.09	149.44	130.45
29	पंजाब	होशियारपुर बुड क्लस्टर	हस्तशिल्प	293.24	250.75	105.80
30	कर्नाटक	हुदली खादी क्लस्टर	खादी	159.10	132.82	117.06
31	तेलंगाना	इजा गढवाल सिल्क क्लस्टर महबूबनगर	हथकरघा	245.42	198.55	88.69
32	ओडिशा	जगमोहन ब्रास धातु	हस्तशिल्प	143.55	121.20	106.44

33	Madhya Pradesh	Jobat Natural Dye	Natural Dye	124.31	112.65	49.75
34	Tamil Nadu	Kangayam Coir Cluster, Tirupur	Coir	404.94	289.19	244.34
35	Tamil Nadu	Kangayam Khadi Cluster, Tirupur	Khadi	158.00	130.50	114.00
36	Jammu & Kashmir	Kasur Maunch Srinagar	Food Processing (Honey)	319.80	299.80	124.64
37	Jharkhand	Koderma Agarbatti Cluster	Agarbatti	152.33	127.44	112.40
38	Andhra Pradesh	Kondapalli	Wood Handicraft	159.35	132.85	58.48
39	Karnataka	Kumta Coir Cluster	Coir	185.71	149.36	127.55
40	Bihar	Madhubani	Handicraft (Painting)	179.03	147.89	64.60
41	Tamil Nadu	Madurai Coir Cluster	Coir	477.72	299.72	252.92
42	Assam	Majuli Handicraft, Endi Silk, Diversified Handloom	Handicraft	147.49	137.30	118.95
43	Assam	Manas Traditional Dress	Handloom	150.00	140.50	123.40
44	Telangana	Mothkur Ikat Handloom Weaving Cluster, Nalgonda	Handloom	173.22	143.38	61.10
45	Kerala	Neyyattinkara Coir Cluster	Coir	173.92	144.08	126.17
46	Manipur	Nimongthong Reed Cluster	NTFP	145.50	135.75	118.20
47	Tamil Nadu	Palladam Growbag	Coir	451.00	289.90	244.92
48	Andhra Pradesh	Pedanna Kalamkari Block Printing Cluster	Handicraft	327.05	261.00	110.69
49	Telangana	Pembarthi Metalware Cluster, Warangal	Handicraft	181.74	149.96	65.45
50	Maharashtra	Pendur Coir Cluster, Sindhudurg	Coir	180.93	149.34	130.39
51	Tamil Nadu	Pollachi Coir Cluster	Coir	875.47	662.24	548.31
52	Uttar Pradesh	Pottery Cluster, Mau	Handicraft	143.85	121.43	107.97
53	Chhattisgarh	Pressed Dry Flower Cluster, Raipur	Handicraft	118.15	93.15	82.11
54	Bihar	Rohtas Pottery	Handicraft	133.27	127.87	55.95
55	Tamil Nadu	Salem	Coir	376.66	298.91	252.26
56	Gujarat	Samvedana	Coir	190.62	149.99	142.55
57	Jharkhand	Santhal Pragana Silk Cluster	Handicraft	182.00	150.00	131.40
58	Tamil Nadu	Sarkar Steel & Wooden Furniture	Steel & Wooden	174.10	142.85	124.10
59	Maharashtra	Sawantwadi Coir Cluster, Sindhudurg	Coir	180.93	149.34	130.39
60	Karnataka	Sidhalgatta Khadi Cluster	Khadi	158.05	132.03	116.42
61	Rajasthan	Sikandara (Dausa)	Handicraft	132.50	110.50	48.85
62	Maharashtra	Sindhudurg Bamboo	NTFP (Bamboo)	184.29	149.89	65.35
63	Andhra Pradesh	Srikalahasthi Kalamkari Craft Cluster	Handicraft	144.48	121.49	95.20
64	Odisha	Stone Carving, Balasore	Handicraft	245.15	235.15	99.90
65	Tamil Nadu	Tirunelveli	Coir	343.69	273.71	231.73
66	Kerala	Tirur Virgin Coconut Oil Cluster	Virgin Coconut Oil	312.88	245.89	104.53
67	Karnataka	Tumkur Coir Cluster	Coir	1242.79	740.86	304.99
68	Andhra Pradesh	Vizianagaram Coir Cluster	Coir	334.36	266.59	117.82
69	Tripura	West Tripura	NTFP (Bamboo)	297.22	272.21	114.97

33	मध्य प्रदेश	जोबट प्राकृतिक डाई	प्राकृतिक डाई	124.31	112.65	49.75
34	तमिलनाडु	कंगायम कयर क्लस्टर, तिरुपुर	कयर	404.94	289.19	244.34
35	तमिलनाडु	कंगायम खादी क्लस्टर, तिरुपुर	खादी	158.00	130.50	114.00
36	जम्मू और कश्मीर	कसूर मोन्च श्रीनगर	खाद्य प्रसंस्करण (हनी)	319.80	299.80	124.64
37	झारखंड	कोडरमा अगारबट्टी क्लस्टर	अगरबत्ती	152.33	127.44	112.40
38	आंध्र प्रदेश	कोंडापल्ली	लकड़ी हस्तशिल्प	159.35	132.85	58.48
39	कर्नाटक	कुमाता कयर क्लस्टर	कयर	185.71	149.36	127.55
40	बिहार	मधुबनी	हस्तशिल्प (चित्रकारी)	179.03	147.89	64.60
41	तमिलनाडु	मदुरई कॉयर क्लस्टर	कयर	477.72	299.72	252.92
42	असम	मजुली हस्तशिल्प, एंडी सिल्क, डायवर्सिफाइड हैंडलूम	हस्तशिल्प	147.49	137.30	118.95
43	असम	मानस पारंपरिक ड्रेस	हथकरघा	150.00	140.50	123.40
44	तेलंगाना	मोतकुर इकत हथकरघा बुनाई क्लस्टर, नलगोंडा	हथकरघा	173.22	143.38	61.10
45	केरल	नेय्याट्टिंकरा कॉयर क्लस्टर	कयर	173.92	144.08	126.17
46	मणिपुर	निर्मोगथोंग रीड क्लस्टर	एनटीएफपी	145.50	135.75	118.20
47	तमिलनाडु	पलाडम ग्रोबैग	कयर	451.00	289.90	244.92
48	आंध्र प्रदेश	पेडना कलामकारी ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर	हस्तशिल्प	327.05	261.00	110.69
49	तेलंगाना	पिम्बरारी मेटलवेयर क्लस्टर, वारंगल	हस्तशिल्प	181.74	149.96	65.45
50	महाराष्ट्र	पेंडुर कॉयर क्लस्टर, सिंधुदुर्ग	कयर	180.93	149.34	130.39
51	तमिलनाडु	पोल्लाच्ची कयर क्लस्टर	कयर	875.47	662.24	548.31
52	उत्तर प्रदेश	पोटरी क्लस्टर, माठ	हस्तशिल्प	143.85	121.43	107.97
53	छत्तीसगढ़	प्रेसड ड्राई फ्टोवर क्लस्टर, रायपुर	हस्तशिल्प	118.15	93.15	82.11
54	बिहार	रोहतस पोटरी	हस्तशिल्प	133.27	127.87	55.95
55	तमिलनाडु	सलेम	कयर	376.66	298.91	252.26
56	गुजरात	समवेदना	कयर	190.62	149.99	142.55
57	झारखंड	संथाल प्रागाना सिल्क क्लस्टर	हस्तशिल्प	182.00	150.00	131.40
58	तमिलनाडु	सरकार इस्पात और लकड़ी फर्नीचर	इस्पात और लकड़ी	174.10	142.85	124.10
59	महाराष्ट्र	सावंतवाड़ी कॉयर क्लस्टर, सिंधुदुर्ग	कयर	180.93	149.34	130.39
60	कर्नाटक	सिधलगटा खादी क्लस्टर	खादी	158.05	132.03	116.42
61	राजस्थान	सिकंदर (दौसा)	हस्तशिल्प	132.50	110.50	48.85
62	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग बांस	एनटीएफपी (बांस)	184.29	149.89	65.35
63	आंध्र प्रदेश	श्रीकालहस्ती कलामकारी क्राफ्ट क्लस्टर	हस्तशिल्प	144.48	121.49	95.20
64	ओडिशा	स्टोन कारविंग नक्काशी, बालासोर	हस्तशिल्प	245.15	235.15	99.90
65	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	कयर	343.69	273.71	231.73
66	केरल	तिरूर वर्जिन नारियल तेल समूह	वर्जिन नारियल तेल	312.88	245.89	104.53
67	कर्नाटक	तुमकुर कयर क्लस्टर	कयर	1242.79	740.86	304.99
68	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम कयर क्लस्टर	कयर	334.36	266.59	117.82
69	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	एनटीएफपी (बांस)	297.22	272.21	114.97

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2039
TO BE ANSWERED ON 02.08.2017

Shortfall in Margin Money for sanctioned loans

2039. SHRI MAJEED MEMON:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) whether it is a fact that there is a huge gap between sanctioned Margin Money and its actual dispersal during the last two years;
(b) how Government proposes to meet the shortfall in Margin Money for sanctioned loans; and
(c) the number of projects, State-wise and district-wise achieved during 2015-16 and 2016-17?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The number of units sanctioned and the number of units disbursed by the Banks under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) during the financial year 2015-16 and 2016-17 is given below:

	2015-16 (31.03.2016)	2016-17 (31.03.2017)
Margin money sanctioned by Banks	Rs.1494.50 cr	Rs.1803.53 cr
Number of applications sanctioned	67839	77531
Margin Money disbursed by Banks	Rs.1020.06 cr	Rs.1280.93 cr
Number of projects disbursed	44340	52912

Government of India, in Ministry of MSME fix the targets, State/UT-wise for setting up of micro enterprises and disbursement of margin money subsidy. Margin money disbursement of the projects sanctioned by Banks is limited by the targets fixed by the Government based on the funds allocated under Budget Estimates. PMEGP is a continuous scheme, the projects sanctioned by the Banks but not disbursed during a financial year are carried forwarded to the next financial year for disbursement.

(c): The number of projects, (micro enterprises) setup, State-wise and district-wise, during 2015-16 and 2016-17 is given in Annexure-I and Annexure II.

****

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं .2039
उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

संस्वीकृत ऋणों के लिए मार्जिन राशि
में कमी

2039. श्री माजीद मेमनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत दो वर्षों में संस्वीकृत मार्जिन राशि और उसके वास्तविक संवितरण में बहुत बड़ा अंतर है;
(ख) सरकार संस्वीकृत ऋणों के लिए मार्जिन राशि में कमी की कैसे पूर्ति करने का विचार रखती है; और
(ग) वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्य-वार और जिला-वार कितनी-कितनी परियोजनाएं पूरी की गईं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): वित्त वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत इकाइयों की संख्या एवं संवितरित इकाइयों की संख्या नीचे दी गई हैं:

	2015-16 (31.03.2016)	2016-17 (31.03.2017)
बैंकों द्वारा स्वीकृत मार्जिन मनी स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	1494.50 67839	1803.53 77531
बैंकों द्वारा संवितरित मार्जिन मनी संवितरित परियोजनाओं की संख्या	1020.06 44340	1280.93 52912

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में भारत सरकार सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना एवं मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित करती है। बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का मार्जिन मनी संवितरण बजट अनुमानों के अंतर्गत आबंटित निधियों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों द्वारा सीमित किया जाता है। पीएमईजीपी एक सतत स्कीम है, वित्त वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा स्वीकृत लेकिन संवितरित नहीं की गई परियोजनाएं संवितरण के लिए अगले वित्त वर्ष में लाई जाती हैं।

(ग): वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान राज्यवार तथा जिला वार स्थापित परियोजनाओं (सूक्ष्म उद्यमों) की संख्या अनुबंध-I तथा अनुबंध-II में दी गई है।

****

Annexure I referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2039 for answer on 02.08.2017

State-wise number of Projects assisted

		2015-16	2016-17
Sr. No.	**State/UT**	**Number of Projects assisted**	**Number of Projects assisted**
1	Jammu& Kashmir	2207	1492
2	Himachal Pradesh	1077	941
3	Punjab	966	1266
4	UT Chandigarh	43	47
5	Uttarakhand	1136	1345
6	Haryana	1248	1377
7	Delhi	256	119
8	Rajasthan	1988	1749
9	Uttar Pradesh	4365	4074
10	Bihar	2430	3234
11	Sikkim	110	27
12	Arunachal Pradesh	35	301
13	Nagaland	623	1018
14	Manipur	685	1265
15	Mizoram	1134	425
16	Tripura	642	2297
17	Meghalaya	603	329
18	Assam	3483	6028
19	West Bengal	1873	3528
20	Jharkhand	1839	1300
21	Odisha	2876	3029
22	Chhattisgarh	1277	1598
23	Madhya Pradesh	1979	1940
24	Gujarat*	1419	1386
25	Maharashtra **	2497	2325
26	Andhra Pradesh	642	1357
27	Telangana	660	664
28	Karnataka	2140	3575
29	Goa	91	90
30	Lakshadweep	0	00
31	Kerala	1369	1584
32	Tamilnadu	2463	2941
33	Puducherry	65	66
34	Andaman & Nicobar Islands	119	195
		44340	**52912**

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक 02.08.2017 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं.2039 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध -I

सहायता प्राप्त परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

अनुबंध -I

		2015-16	2016-17
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	2207	1492
2	हिमाचल प्रदेश	1077	941
3	पंजाब	966	1266
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	43	47
5	उत्तराखंड	1136	1345
6	हरियाणा	1248	1377
7	दिल्ली	256	119
8	राजस्थान	1988	1749
9	उत्तर प्रदेश	4365	4074
10	बिहार	2430	3234
11	सिक्किम	110	27
12	अरुणाचल प्रदेश	35	301
13	नगालैंड	623	1018
14	मणिपुर	685	1265
15	मिजोरम	1134	425
16	त्रिपुरा	642	2297
17	मेघालय	603	329
18	असम	3483	6028
19	पश्चिम बंगाल	1873	3528
20	झारखंड	1839	1300
21	ओडिशा	2876	3029
22	छत्तीसगढ़	1277	1598
23	मध्य प्रदेश	1979	1940
24	गुजरात*	1419	1386
25	महाराष्ट्र **	2497	2325
26	आंध्र प्रदेश	642	1357
27	तेलंगाना	660	664
28	कर्नाटक	2140	3575
29	गोवा	91	90
30	लक्षद्वीप	0	00
31	केरल	1369	1584
32	तमिलनाडु	2463	2941
33	पुडुचेरी	65	66
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	119	195
		44340	**52912**

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली

Annexure II referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2039 for answer on 02.08.2017

District-wise number of Projects assisted

Sr. No.	State/ District	2015-16	2016-17
		No. of Projects	**No. of Projects**
1.	**JAMMU & KASHMIR**		
1	Baramulla	135	42
2	Budgam	62	75
3	Kargil	175	161
4	Kulgam	108	103
5	Bandipora	71	113
6	Anantnag	135	112
7	Kupwara	83	81
8	Pulwama	360	140
9	Srinagar	130	66
10	Kathua	187	76
11	Jammu	28	39
12	Rajouri	151	107
13	Poonch	68	51
14	Samba	42	41
15	Ganderbal	41	38
16	Shopian	54	25
17	Leh	23	26
18	Doda	84	62
19	Ramban	48	31
20	Udhampur	54	17
21	Reasi	93	48
22	Kishtwar	75	39
	Total	**2207**	**1493**
2	**Himachal Pradesh**		
1	Shimla	68	45
2	Kangra	115	126
3	Solan	67	51
4	Mandi	182	154
5	Kullu	38	33
6	Bilaspur	72	61
7	Una	10	31
8	Hamirpur	113	117
9	Chamba	134	122
10	Sirmour	107	66
11	Kinnaur	106	74
12	L/Spiti	65	61
	Total	**1077**	**941**

दिनांक 02.08.2017 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं.2039 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

अनुबंध-II

जिले-वार सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/जिला	2015-16	2016-17
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या
1.	जम्मू और कश्मीर		
1	बारामूला	135	42
2	बडगाम	62	75
3	कारगिल	175	161
4	कुलगाम	108	103
5	बांदीपुरा	71	113
6	अनंतनाग	135	112
7	कुपवाड़ा	83	81
8	पुलवामा	360	140
9	श्रीनगर	130	66
10	कठुआ	187	76
11	जम्मू	28	39
12	राजौरी	151	107
13	पूंछ	68	51
14	सांबा	42	41
15	गांदरबल	41	38
16	शोपियां	54	25
17	लेह	23	26
18	डोडा	84	62
19	रामबन	48	31
20	उधमपुर	54	17
21	रियासी	93	48
22	किश्तवाड़	75	39
	कुल	**2207**	**1493**
2	हिमाचल प्रदेश		
1	शिमला	68	45
2	कांगड़ा	115	126
3	सोलन	67	51
4	मंडी	182	154
5	कुल्लू	38	33
6	बिलासपुर	72	61
7	ऊना	10	31
8	हमीरपुर	113	117
9	चंबा	134	122
10	सिरमौर	107	66
11	किन्नौर	106	74
12	एल स्पीति /	65	61
	कुल	**1077**	**941**

3.	**Punjab**		
1	Amritsar	74	61
2	Barnala	36	54
3	Bhathinda	84	103
4	Faridkot	26	36
5	Fatehgarh Sahib	31	35
6	Firozpur	37	53
7	Fazilka	21	38
8	Gurdaspur	78	86
9	Hoshiarpur	30	65
10	Jalandhar	58	54
11	Kapurthala	22	39
12	Ludhiana	60	77
13	Mansa	29	53
14	Moga	47	65
15	SAS Nagar	63	83
16	Muktsar	26	32
17	SBS Nagar	71	78
18	Patiala	38	60
	Pathankot	37	46
20	Roopnagar	28	52
21	Sangrur	62	75
22	Tarn Tran	8	21
	Total	**966**	**1266**
4.	**UT Chandigarh**		
1	UT-Chandigarh	43	47
	Total	**43**	**47**
5.	**Haryana**		
1	Karnal	73	138
2	Bhiwani	94	59
3	Kaithal	51	36
4	Kurukshetra	49	69
5	Jind	52	23
6	Panchkula	60	102
7	Gurgaon	34	35
8	Hisar	110	78
9	Yamuna Nagar	63	51
10	Panipat	58	66
11	Ambala	65	92
12	Rohtak	64	51
13	Sirsa	26	44
14	Fatehabad	49	29
15	Mahendrgar	65	56
16	Sonipat	50	94
17	Jhajjar	61	30
18	Palwal	43	42
19	Rewari	39	97
20	Faridabad	61	61
21	Mewat	81	124
	TOTAL	**1248**	**1377**

3.	पंजाब		
1	अमृतसर	74	61
2	बरनाला	36	54
3	भटिंडा	84	103
4	फरीदकोट	26	36
5	फतेहगढ़ साहिब	31	35
6	फिरोजपुर	37	53
7	फाजिल्का	21	38
8	गुरदासपुर	78	86
9	होशियारपुर	30	65
10	जालंधर	58	54
11	कपूरथला	22	39
12	लुधियाना	60	77
13	मनसा	29	53
14	मोगा	47	65
15	एसएएस नगर	63	83
16	मुक्तसर	26	32
17	एसबीएस नगर	71	78
18	पटियाला	38	60
19	पठानकोट	37	46
20	रूपनगर	28	52
21	संगरूर	62	75
22	टार्न ट्रॅन	8	21
	कुल	**966**	**1266**
4.	सघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़		
1	सघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	43	47
	कुल	**43**	**47**
5.	हरियाणा		
1	करनाल	73	138
2	भिवानी	94	59
3	कैथल	51	36
4	कुरुक्षेत्र	49	69
5	जींद	52	23
6	पंचकुला	60	102
7	गुडगाँव	34	35
8	हिसार	110	78
9	यमुना नगर	63	51
10	पानीपत	58	66
11	अंबाला	65	92
12	रोहतक	64	51
13	सिरसा	26	44
14	फतेहाबाद	49	29
15	महेन्द्रनगढ़	65	56
16	सोनीपत	50	94
17	झज्जर	61	30
18	पलवल	43	42
19	रेवाड़ी	39	97
20	फरीदाबाद	61	61
21	मेवात	81	124
	कुल	**1248**	**1377**

6.	**Delhi**		
1	EAST	11	6
2	NORTH EAST	16	11
3	NORTH	34	16
4	NORTH WEST	47	19
5	WEST	39	22
6	NEW DEHLI	5	3
7	SOUTH	12	6
8	SOUTH WEST	20	18
9	SOUTH EAST	21	6
10	SHAHDARA	23	7
11	CENTRAL	28	5
	Total	**256**	**119**
7.	**Jaipur (Raj)**		
1	AJMER	61	49
2	ALWAR	79	46
3	BANSWARA	67	42
4	BARAN	45	36
5	BARMER	95	95
6	BHARATPUR	74	43
7	BHILWARA	38	74
8	BIKANER	56	51
9	BUNDI	31	30
10	CHITTORGARH	66	54
11	CHURU	57	48
12	DAUSA	58	60
13	DHOLPUR	31	21
14	DUNGARPUR	44	54
15	HANUMANGARH	25	50
16	JAIPUR	132	96
17	JAISALMER	91	67
18	JALORE	39	32
19	JHALAWAR	28	39
20	JHUNJHUNU	45	39
21	JODHPUR	115	91
22	KARAULI	92	64
23	KOTA	82	90
24	NAGOUR	42	28
25	PALI	45	45
26	PRATAPGARH	59	38
27	RAJSAMAND	44	48
28	SAWAIMADHOPUR	66	74
29	SHRIGANGANAGAR	72	41
30	SIKAR	25	15
31	SIROHI	49	46
32	TONK	56	65
33	UDAIPUR	79	78
	TOTAL :	**1988**	**1749**

6.	दिल्ली		
1	पूर्व	11	6
2	उत्तर पूर्व	16	11
3	उत्तर	34	16
4	उत्तर पश्चिम	47	19
5	पश्चिम	39	22
6	नई दिल्ली	5	3
7	दक्षिण	12	6
8	दक्षिण पश्चिम	20	18
9	दक्षिण पूर्व	21	6
10	शाहदरा	23	7
11	केंद्रीय	28	5
	कुल	**256**	**119**
7.	जयपुर (राज)		
1	अजमेर	61	49
2	अलवर	79	46
3	बांसवाड़ा	67	42
4	बरन	45	36
5	बाड़मेर	95	95
6	भरतपुर	74	43
7	भीलवाड़ा	38	74
8	बीकानेर	56	51
9	बूंदी	31	30
10	चितोड़गढ़	66	54
11	चुरू	57	48
12	दौसा	58	60
13	धौलपुर	31	21
14	डूंगरपुर	44	54
15	हनुमानगढ़	25	50
16	जयपुर	132	96
17	जैसलमेर	91	67
18	जालौर	39	32
19	झालावाड़	28	39
20	झुंझुनू	45	39
21	जोधपुर	115	91
22	करौली	92	64
23	कोटा	82	90
24	नागौर	42	28
25	पाली	45	45
26	प्रतापगढ़	59	38
27	राजसमंद	44	48
28	सवाईमाधोपुर	66	74
29	श्री गंगानगर	72	41
30	सीकर	25	15
31	सिरोही	49	46
32	टोंक	56	65
33	उदयपुर	79	78
	कुल :	**1988**	**1749**

8.	**Uttarakhand**		
1	Dehradun	112	154
2	Pithourgar	119	111
3	Rudraprayag	92	137
4	Almora	105	105
5	Nainital	112	119
6	Champawat	56	80
7	Chamoli	98	111
8	Bageshwar	72	89
9	Haridwar	121	114
10	Tehri	81	83
11	Pouri	60	84
12	U.S. Nagar	46	57
13	Uttarkashi	62	101
	Total	**1136**	**1345**
9.	**Uttar Pradesh**		
1	Agra	79	163
2	Aligarh	27	50
3	Allahabad	142	181
4	Ambedkarnagar	45	103
5	Amethi	81	28
6	Amroha	41	9
7	Auraiya	48	47
8	Azamgarh	39	16
9	Baghpat	41	44
10	Bahraich	85	13
11	Ballia	34	63
12	Balrampur	20	19
13	Banda	45	19
14	Barabanki	56	128
15	Bareilly	23	66
16	Basti	36	56
17	Bijnor	71	88
18	Budaun	31	19
19	Bulandshahar	67	34
20	Chandauli	39	16
21	Chitrakut	54	66
22	Deoria	45	69
23	Etah	30	19
24	Etawah	12	59
25	Faizabad	66	53
26	Farrukhabad	120	78
27	Fatehpur	32	147
28	Firozabad	68	13
29	Gautam Budh N	50	16
30	Ghaziabad	36	91
31	Ghazipur	106	75
32	Gonda	62	91

8.	उत्तराखंड		
1	देहरादून	112	154
2	पिथौरागढ़	119	111
3	रुद्रप्रयाग	92	137
4	अल्मोड़ा	105	105
5	नैनीताल	112	119
6	चम्पावत	56	80
7	चमोली	98	111
8	बागेश्वर	72	89
9	हरिद्वार	121	114
10	टिहरी	81	83
11	पौड़ी	60	84
12	यूनगर .एस.	46	57
13	उत्तरकाशी	62	101
	कुल	**1136**	**1345**
9.	उत्तर प्रदेश		
1	आगरा	79	163
2	अलीगढ़	27	50
3	इलाहाबाद	142	181
4	अम्बेडकर	45	103
5	अमेठी	81	28
6	अमरोहा	41	9
7	औरैया	48	47
8	आजमगढ़	39	16
9	बागपत	41	44
10	बहराइच	85	13
11	बलिया	34	63
12	बलरामपुर	20	19
13	बांदा	45	19
14	बाराबंकी	56	128
15	बरेली	23	66
16	बस्ती	36	56
17	बिजनौर	71	88
18	बंदायू	31	19
19	बुलंदशहर	67	34
20	चंदौली	39	16
21	चित्रकूट	54	66
22	देवरिया	45	69
23	एटा	30	19
24	इटावा	12	59
25	फैजाबाद	66	53
26	फर्रुखाबाद	120	78
27	फतेहपुर	32	147
28	फिरोजाबाद	68	13
29	गौतम बुद्ध नगर	50	16
30	गाज़ियाबाद	36	91
31	गाजीपुर	106	75
32	गोंडा	62	91

33	Gorakhpur	99	9
34	Hamirpur	33	31
35	Hapur	55	100
36	Hardoi	85	31
37	Hathras	50	6
38	Jalaun	14	78
39	Jaunpur	74	28
40	Jhansi	57	38
41	Kannauj	49	34
42	Kanpur	20	6
43	Kanpur Dehat	17	44
44	Kasganj	71	50
45	Kaushambi	40	44
46	Kushinagar	65	94
47	Lakhimpur Khiri	73	97
48	Lalitpur	59	78
49	Lucknow	89	78
50	Maharajganj	39	53
51	Mahoba	63	31
52	Mainpuri	80	78
53	Mathura	41	84
54	Mau	36	50
55	Meerut	68	31
56	Mirzapur	142	22
57	Moradabad	69	56
58	Muzaffarnagar	82	59
59	Pilibhit	42	25
60	Pratapgarh	103	53
61	Rae Bareli	57	41
62	Rampur	40	72
63	Saharanpur	79	28
64	Sambhal	65	22
65	Sant Kabir Nagar	34	84
66	Sant Ravidas Nagar	46	125
67	Sahajahapur	50	22
68	Shamli	72	44
69	Shrawasti	20	3
70	siddharth Nagar	25	19
71	Sitapur	76	66
72	Sonbhadra	106	75
73	Sultanpur	45	59
74	Unnao	105	47
75	Varanasi	99	41
	TOTAL	**4365**	**4075**

33	गोरखपुर	99	9
34	हमीरपुर	33	31
35	हापुड़	55	100
36	हरदोई	85	31
37	हाथरस	50	6
38	जालौन	14	78
39	जौनपुर	74	28
40	झांसी	57	38
41	कन्नौज	49	34
42	कानपुर	20	6
43	कानपुर देहात	17	44
44	कासगंज	71	50
45	कौशाम्बी	40	44
46	कुशीनगर	65	94
47	लखिमपुर खीरी	73	97
48	ललितपुर	59	78
49	लखनऊ	89	78
50	महाराजगंज	39	53
51	महोबा	63	31
52	मैनपुरी	80	78
53	मथुरा	41	84
54	मऊ	36	50
55	मेरठ	68	31
56	मिर्जापुर	142	22
57	मुरादाबाद	69	56
58	मुजफ्फरनगर	82	59
59	पीलीभीत	42	25
60	प्रतापगढ़	103	53
61	रायबरेली	57	41
62	रामपुर	40	72
63	सहारनपुर	79	28
64	संभल	65	22
65	संत कबीर नगर	34	84
66	संत रवीदास नगर	46	125
67	शाहजहाँपुर	50	22
68	शामली	72	44
69	श्रावस्ती	20	3
70	सिद्धार्थ नगर	25	19
71	सीतापुर	76	66
72	सोनभद्र	106	75
73	सुल्तानपुर	45	59
74	उन्नाव	105	47
75	वाराणसी	99	41
	कुल	**4365**	**4075**

10.	**Chattishgarh (Raipur)**		
1	Balod	46	38
2	Balodabazar	53	57
3	Balrampur	15	21
4	Bastar	49	85
5	Bemetara	32	33
6	Bijapur	18	28
7	Bilaspur	47	110
8	Dantewada	29	27
9	Dhamtari	66	65
10	Durg	65	49
11	Gariyaband	43	39
12	Janjgir	73	71
13	Jashpur	35	50
14	Kabirdham	39	122
15	Kanker	72	61
16	Kondagaon	34	24
17	Korba	60	73
18	Korea	30	24
19	Mahasamund	50	87
20	Mungeli	40	55
21	Narayanpur	10	8
22	Raigarh	77	96
23	Raipur	84	97
24	Rajnandgaon	77	82
25	Sarguja	89	149
26	Sukma	9	6
27	Surajpur	35	41
	Total	**1277**	**1598**
11.	**Madhya pradesh**		
1	AGAR MALWA	16	13
2	ALIRAJPUR	32	13
3	ANUPPUR	8	17
4	ASHOK NAGAR	4	21
5	BADWANI	10	42
6	BALAGHAT	74	8
7	BETUL	65	57
8	BHIND	22	13
9	BHOPAL	38	55
10	BURHANPUR	17	8
11	CHHATARPUR	22	34
12	CHHINDWARA	73	63
13	DAMOH	25	15
14	DATIA	13	8
15	DEWAS	56	42
16	DHAR	80	42
17	DINDORI	22	6

10.	छत्तीसगढ़ (रायपुर)		
1	बालोद	46	38
2	बालोदबाजार	53	57
3	बलरामपुर	15	21
4	बस्तर	49	85
5	बेमेतरा	32	33
6	बीजापुर	18	28
7	बिलासपुर	47	110
8	दंतेवाड़ा	29	27
9	धमतरी	66	65
10	दुर्ग	65	49
11	गरियाबंद	43	39
12	जांजगीर	73	71
13	जशपुर	35	50
14	कबीरधाम	39	122
15	कांकेर	72	61
16	कोन्दागांव	34	24
17	कोरबा	60	73
18	कोरिया	30	24
19	महासमुंद	50	87
20	मुंगेली	40	55
21	नारायणपुर	10	8
22	रायगढ़	77	96
23	रायपुर	84	97
24	राजनंदगांव	77	82
25	सरगुजा	89	149
26	सुकमा	9	6
27	सूरजपुर	35	41
	कुल	**1277**	**1598**
11.	मध्य प्रदेश		
1	अगर मालवा	16	13
2	अलीराजपुर	32	13
3	अनूपपुर	8	17
4	अशोक नगर	4	21
5	बड़वानी	10	42
6	बालाघाट	74	8
7	बैतूल	65	57
8	भिंड	22	13
9	भोपाल	38	55
10	बुरहानपुर	17	8
11	छतरपुर	22	34
12	छिंदवाड़ा	73	63
13	दमोह	25	15
14	दतिया	13	8
15	देवास	56	42
16	धार	80	42
17	डिंडोरी	22	6

18	GUNA	25	13
19	GWALIOR	60	8
20	HARDA	19	65
21	HOSHANGABAD	36	6
22	INDORE	119	17
23	JABALPUR	91	122
24	JHABUA	32	82
25	KATNI	34	40
26	KHANDWA	21	19
27	KHARGON	33	4
28	MANDLA	11	6
29	MANDSOUR	44	80
30	MORENA	14	11
31	NARSINGHPUR	253	579
32	NEEMUCH	27	13
33	PANNA	5	15
34	RAISEN	17	21
35	RAJGARH	46	36
36	RATLAM	52	67
37	REWA	36	27
38	SAGAR	57	13
39	SATNA	26	36
40	SEHORE	28	32
41	SEONI	43	25
42	SHAHDOL	32	6
43	SHAJAPUR	22	23
44	SHYOPUR	25	8
45	SIDHI	12	0
46	SINGROLI	15	13
47	SIVPURI	10	0
48	TIKAMGARH	26	23
49	UJJAIN	77	51
50	UMARIA	18	4
51	VIDISHA	36	17
	Total	**1979**	**1939**
12.	**Sikkim**		
1	East	60	2
2	North	5	18
3	South	14	6
4	West	31	1
	Total	**110**	**27**
13.	**Arunachal pradesh**		
1	Anjaw	0	0
2	Changlang	0	1
3	Dibang Valley	0	1
4	East Kameng	0	40
5	East Siang	5	9
6	Kurum Kumey	0	0

18	गुना	25	13
19	ग्वालियर	60	8
20	हरदा	19	65
21	होशंगाबाद	36	6
22	इंदौर	119	17
23	जबलपुर	91	122
24	झाबुआ	32	82
25	कटनी	34	40
26	खंडवा	21	19
27	खारगांव	33	4
28	मंडला	11	6
29	मंदसौर	44	80
30	मुरैना	14	11
31	नरसिंहपुर	253	579
32	नीमच	27	13
33	पन्ना	5	15
34	रायसेन	17	21
35	राजगढ़	46	36
36	रतलाम	52	67
37	रीवा	36	27
38	सागर	57	13
39	सतना	26	36
40	सीहोर	28	32
41	सिवनी	43	25
42	शाहडोल	32	6
43	शाजापुर	22	23
44	सहयोगपुर	25	8
45	सीधी	12	0
46	सिंगरौली	15	13
47	शिवपुरी	10	0
48	टीकमगढ़	26	23
49	उज्जैन	77	51
50	उमरिया	18	4
51	विदिशा	36	17
	कुल	**1979**	**1939**
12.	सिक्किम		
1	पूर्व	60	2
2	उत्तर	5	18
3	दक्षिण	14	6
4	पश्चिम	31	1
	कुल	**110**	**27**
13.	अरुणाचल प्रदेश		
1	अंजा	0	0
2	चांगलांग	0	1
3	दीबांग घाटी	0	1
4	पूर्व कामेंग	0	40
5	पूर्वी सियांग	5	9
6	कुरुम कुमेय	0	0

7	Kra Daadi		7
8	Lohit	1	2
9	Longding	0	0
10	Lower Dibang valley	0	2
11	Lower Subansiri	3	37
12	Namsai	0	5
13	Papum Pare	26	68
14	Siang		38
15	Tawang	0	10
16	Tirap	0	3
17	Upper Siang	0	3
18	Upper Subansiri		19
19	West Kameng	0	51
20	West Siang	0	5
	Grand Total	**35**	**301**
14.	**Nagaland (Dimapur)**		
1	Dimapur	171	279
2	Kohima	103	168
3	Mokokchung	58	95
4	Tuensang	47	77
5	Zunheboto	53	87
6	Mon	59	96
7	Wokha	21	34
8	Phek	54	88
9	Longleng	8	13
10	Kiphire	39	64
11	Peren	10	16
	TOTAL	**623**	**1017**
15.	**Manipur (Imphal)**		
1	Imphal East	135	218
2	Imphal West	161	218
3	Thoubal	82	210
4	Bishnupur	57	129
5	Churachandpur	77	161
6	Chandel	49	79
7	Senapati	41	113
8	Tamenglong	60	48
9	Ukhrul	23	89
	Total	685	1265
16.	**Mizoram (Aizwal)**		
1	Aizawl	437	170
2	Kolasib	97	33
3	Serchhip	68	45
4	Champhai	109	40
5	Mamit	121	30
6	Lunglei	155	55
7	Saiha	81	15
8	Lawngtlai	57	37
	TOTAL	**1134**	**425**

7	करा दादी		7
8	लोहित	1	2
9	लांगडिंग	0	0
10	लोअर दिबांग घाटी	0	2
11	लोअर सुबानसिरी	3	37
	नामसई	0	5
12	पंपुम पारे	26	68
13	सियांग		38
14	तवांग	0	10
	तिरप	0	3
	अपर सियांग	0	3
	अपर सुबनसिरी		19
	वेस्ट कामेंग	0	51
	पश्चिम सियांग	0	5
	कुल योग	**35**	**301**
14.	नागालैंड (दीमापुर)		
1	दीमापुर	171	279
2	कोहिमा	103	168
3	मोकोकचुंग	58	95
4	तुएनसांग	47	77
5	जुनहवोटो	53	87
6	सोम	59	96
7	वोखा	21	34
8	फेक	54	88
9	लोंगलेंग	8	13
10	किफायर	39	64
11	पेरेन	10	16
	कुल	**623**	**1017**
15.	मणिपुर (इम्फाल)		
1	इंफाल ईस्ट	135	218
2	इंफाल वेस्ट	161	218
3	थौबल	82	210
4	बिश्नुपुर	57	129
5	छुरछंदपुर	77	161
6	चंदेल	49	79
7	सेनापति	41	113
8	तामेंगलांग	60	48
9	उखरूल	23	89
	कुल	685	1265
16.	मिजोरम (आइज़वाल)		
1	आइजोल	437	170
2	कोलासिब	97	33
3	सेरछिप	68	45
4	चम्फाई	109	40
5	मामित	121	30
6	लुंगलेई	155	55
7	सैहा	81	15
8	लावनतलई	57	37
	कुल	**1134**	**425**

17.	**Tripura**		
1	West	141	670
2	Sipahijala	99	280
3	Khowai	61	157
4	Gomati	72	314
5	South	65	295
6	Unnakoti	80	175
7	North	49	201
8	Dhalai	75	205
	TOTAL	**642**	**2297**
18.	**Meghalaya (Shillong)**		
1	E.Khasi Hills	262	169
2	W.Khasi Hills	53	19
3	S.W.K Hills	15	5
4	Ribhoi	64	21
5	E.Jaintia	8	1
6	W.Jaintia	22	2
7	E.Garo Hills	31	20
8	N.Garo Hills	22	55
9	W.Garo Hills	66	6
10	S.W.Garo	24	17
11	S.Garo Hills	36	14
	Total	**603**	**329**
19.	**Assam**		
1	Baksa	252	243
2	Barpeta	280	253
3	Bongaigaon	281	78
4	Cachar	223	199
5	Charaideo	0	0
6	Chirang	187	327
7	Darrang	186	206
8	Dhemaji	167	78
9	Dhubri	165	398
10	Dibrugarh	164	243
11	Dima Hasao	151	142
12	Goalpara	149	145
13	Golaghat	141	121
14	Hailakandi	135	121
15	Hojai	0	44
16	Jorhat	125	172
17	Kamrup (Metro)	121	307
18	Kamrup (Rural)	96	223
19	Karbi-Anglong	94	74
20	Karimganj	90	199
21	Kokrajhar	85	489
22	Lakhimpur	78	57
23	Morigaon	68	88
24	Nagaon	67	354

17.	त्रिपुरा		
1	पश्चिम	141	670
2	सिपाहीजाला	99	280
3	खोवाई	61	157
4	गोमती	72	314
5	दक्षिण	65	295
6	उनाकोटि	80	175
7	उत्तर	49	201
8	धलाई	75	205
	कुल	**642**	**2297**
18.	मेघालय (शिलांग)		
1	ई.खासी हिल्स	262	169
2	डब्ल्यू. खासी हिल्स	53	19
3	एस डब्लयू के हिल्स	15	5
4	रिवोही	64	21
5	ई. जैंतिया	8	1
6	डब्ल्यू. जैंतिया	22	2
7	ई. गारो हिल्स	31	20
8	एन. गारो हिल्स	22	55
9	डब्ल्यू. गारो हिल्स	66	6
10	एस डब्ल्यू गारो	24	17
11	एस. गारो हिल्स	36	14
	कुल	**603**	**329**
19.	असम		
1	बक्सा	252	243
2	बारपेटा	280	253
3	बोंगईगांव	281	78
4	कछार	223	199
5	चराईदियो	0	0
6	चिरांग	187	327
7	दरांग	186	206
8	धेमाजी	167	78
9	धुबरी	165	398
10	डिब्रूगढ़	164	243
11	दिमा हासाओ	151	142
12	गोलपाड़ा	149	145
13	गोलाघाट	141	121
14	हैलाकांडी	135	121
15	हौजाई		44
16	जोरहाट	125	172
17	कामरूप (मेट्रो)	121	307
18	कामरूप (ग्रामीण)	96	223
19	कार्बी आंगलोंग-	94	74
20	करीमगंज	90	199
21	कोकराझार	85	489
22	लखीमपुर	78	57
23	मोरीगांव	68	88
24	नगांव	67	354

25	Nalbari	66	219
26	North Cachar hill	0	0
27	Sivasagar	53	266
28	Sonitpur	26	182
29	South Salmar	0	74
30	Tinsukia	18	287
31	Udalguri	15	439
32	West Karbi	0	0
	Total	**3483**	**6028**
20.	**Bihar (Patna)**		
1	Araria	38	67
2	Arwal	21	35
3	Aurangabad	43	124
4	Banka	18	22
5	Begusarai	165	74
6	Bhagalpur	53	79
7	Bhojpur	77	91
8	Buxar	81	74
9	Darbhanga	86	95
10	East Champaran	114	82
11	Gaya	57	125
12	Gopalganj	29	46
13	Jamuai	18	79
14	Jehanabad	31	47
15	Kaimur	73	71
16	Katihar	94	42
17	Khagaria	70	81
18	Kishangnaj	26	42
19	Lakkhisarai	9	22
20	Madhepura	14	90
21	Madhubani	20	104
22	Munger	16	54
23	Muzaffarpur	70	102
24	Nalanda	51	151
25	Nawada	32	196
26	Patna	185	256
27	Purnea	26	47
28	Rohtas	112	107
29	Saharsa	74	84
30	Samasstipur	112	72
31	Saran	136	104
32	Shekhpura	5	40
33	Sheohar	24	22
34	Sitamadhi	43	78
35	Siwan	178	152
36	Supaul	44	85
37	Vaishali	61	94
38	West Champaran	124	98
	TOTAL	**2430**	**3234**

25	नलबाड़ी	66	219
26	उत्तरी कछार पहाड़ी	0	0
27	शिवसागर	53	266
28	सोनितपुर	26	182
29	दक्षिण सलामर	0	74
30	तिनसुकिया	18	287
31	उदलगुड़ी	15	439
32	पश्चिम कार्बी	0	0
	कुल	**3483**	**6028**
20.	बिहार (पटना)		
1	अशरिया	38	67
2	अरवल	21	35
3	औरंगाबाद	43	124
4	बांका	18	22
5	बेगूसराय	165	74
6	भागलपुर	53	79
7	भोजपुर	77	91
8	बक्सर	81	74
9	दरभंगा	86	95
10	पूर्वी चंपारण	114	82
11	गया	57	125
12	गोपालगंज	29	46
13	जामुई	18	79
14	जहानाबाद	31	47
15	कैमूर	73	71
16	कटिहार	94	42
17	खगरिया	70	81
18	किशनगंज	26	42
19	लक्खीसराय	9	22
20	मधेपुरा	14	90
21	मधुबनी	20	104
22	मुंगेर	16	54
23	मुजफ्फरपुर	70	102
24	नालंदा	51	151
25	नवादा	32	196
26	पटना	185	256
27	पूर्णिया	26	47
28	रोहतास	112	107
29	सहरसा	74	84
30	समस्तीपुर	112	72
31	सरन	136	104
32	शेखपुरा	5	40
33	शिवहर	24	22
34	सीतामढ़ी	43	78
35	सिवान	178	152
36	सुपौल	44	85
37	वैशाली	61	94
38	पश्चिम चंपारण	124	98
	कुल	**2430**	**3234**

21.	**West Bengal**		
1	Alipurduar	7	1
2	Bankura	210	302
3	Birbhum	115	181
4	Burdwan	38	143
5	Coochbehar	78	120
6	Dakshin Dinajpur	115	155
7	Darjeeling	27	87
8	Hooghly	49	144
9	Howrah	34	61
10	Jalpaiguri	65	101
11	Malda	53	123
12	Murshidabad	122	633
13	Nadia	107	147
14	North 24 Parganas	147	265
15	Paschim Medinipur	83	204
16	Purba Medinipur	184	239
17	Purulia	48	104
18	South 24 Parganas	292	242
19	Uttar Dinajpur	61	143
20	Durgapur	13	76
21	Kolkata	18	45
22	Siliguri	7	12
	TOTAL	**1873**	**3528**
22.	**Jharkhand (Ranchi)**		
1	BOKARO	113	62
2	CHATRA	66	32
3	DEOGHAR	108	76
4	DHANBAD	174	60
5	DUMKA	86	128
6	GARHWA	60	24
7	GIRIDIH	102	88
8	GODDA	75	104
9	GUMLA	43	18
10	HAZARIBAG	131	101
11	JAMTARA	43	44
12	KHUNTI	31	8
13	KODERMA	43	41
14	LATEHAR	15	5
15	LOHARDAGA	41	19
16	PAKUR	62	84
17	PALAMU	100	57
18	PASHCHIMI SINGHBHUM	59	19
19	PURBI SINGHBHUM	98	47
20	RAMGARH	65	60
21	RANCHI	178	89

21.	पश्चिम बंगाल		
1	अलीपुरद्वार	7	1
2	बांकुड़ा	210	302
3	बीरभूम	115	181
4	बर्द्धमान	38	143
5	कूचबिहार	78	120
6	दक्षिण दिनाजपुर	115	155
7	दार्जिलिंग	27	87
8	हुगली	49	144
9	हावड़ा	34	61
10	जलपाईगुड़ी	65	101
11	मालदा	53	123
12	मुर्शिदाबाद	122	633
13	नादिया	107	147
14	उत्तर 24 परगना	147	265
15	पश्चिम मेदिनीपुर	83	204
16	पुरा मेदिनीपुर	184	239
17	पुरुलिया	48	104
18	दक्षिण 24 परगना	292	242
19	उत्तर दिनाजपुर	61	143
20	दुर्गापुर	13	76
21	कोलकाता	18	45
22	सिलीगुड़ी	7	12
	कुल	**1873**	**3528**
22.	झारखंड (रांची)		
1	बोकारो	113	62
2	चतरा	66	32
3	देवघर	108	76
4	धनबाद	174	60
5	दुमका	86	128
6	गढ़वा	60	24
7	गिरिडीह	102	88
8	गोड्डा	75	104
9	गुमला	43	18
10	हजारीबाग	131	101
11	जामतारा	43	44
12	खूंटी	31	8
13	कोडरमा	43	41
14	लातेहार	15	5
15	लोहरदगा	41	19
16	पाकुर	62	84
17	पलामू	100	57
18	पश्चिमी सिंहभूमिपुर	59	19
19	पूरवी सिंहभूमिपुर	98	47
20	रामगढ़	65	60
21	रांची	178	89

22	SAHIBGANJ	72	94
23	SARAIKELA KHARSWAN	37	21
24	SIMDEGA	37	18
	Total	**1839**	**1299**
23.	**Odisha**		
1	Angul	111	119
2	Balasore	134	122
3	Bargarh	62	119
4	Bhadrak	196	132
5	Bolangir	58	80
6	Boudh	38	38
7	Cuttack	258	165
8	Deogarh	30	25
9	Dhenkanal	183	159
10	Gajapati	34	53
11	Ganjam	121	148
12	Jagatsinghpur	76	99
13	Jajpur	135	172
14	Jharsuguda	47	38
15	Kalahandi	76	77
16	Kandhmal	44	53
17	Kendrapara	128	146
18	Keonjhar	119	129
19	Khurda	242	203
20	Koraput	48	49
21	Malkangiri	17	24
22	Mayurbhanj	181	166
23	Nowrangpur	20	33
24	Nayagarh	83	103
25	Nuapada	19	52
26	Puri	163	251
27	Rayagada	31	57
28	Sambalpur	63	72
29	Subarnpur	37	54
30	Sundergarh	122	91
	TOTAL	**2876**	**3029**
24.	**A & N Island**		
1	South Andaman	58	96
2	N&M Andaman	37	60
3	Nicobar	24	39
	Total	**119**	**195**
25.	**Gujarat (Ahemadabad)**		
1	Ahmedabad	165	147
2	Amreli	38	39
3	Anand	122	126
4	Aravalli	31	24

22	साहिबगंज	72	94
23	सरायकेला खारसावन	37	21
24	सिमडेगा	37	18
	कुल	**1839**	**1299**
23.	ओडिशा		
1	अंगुल	111	119
2	बालासोर	134	122
3	बारगढ़	62	119
4	भद्रक	196	132
5	बोलंगीर	58	80
6	बौद्ध	38	38
7	कटक	258	165
8	देवगढ़	30	25
9	ढेंकनाल	183	159
10	गजपति	34	53
11	गंजम	121	148
12	जगतसिंहपुर	76	99
13	जाजपुर	135	172
14	झारसुगुडा	47	38
15	कालाहांडी	76	77
16	कंधमाल	44	53
17	केंद्रपाड़ा	128	146
18	क्योंझर	119	129
19	खुर्दा	242	203
20	कोरापुट	48	49
21	मल्कानगिरी	17	24
22	मयूरभंज	181	166
23	नौरंगपुर	20	33
24	नयागढ़	83	103
25	नुआपाड़ा	19	52
26	पुरी	163	251
27	रायगढ़	31	57
28	संबलपुर	63	72
29	सुबमपुर	37	54
30	सुंदरगढ़	122	91
	कुल	**2876**	**3029**
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
1	दक्षिण अंडमान	58	96
2	एन एंड एम अंडमान	37	60
3	निकोबार	24	39
	कुल	119	**195**
25.	गुजरात (अहमदाबाद)		
1	अहमदाबाद	165	147
2	अमरेली	38	39
3	आनंद	122	126
4	अरावली	31	24

5	Banaskantha	83	42
6	Bharuch	31	26
7	Bhavnagar	95	79
8	Botad	1	5
9	Chhota Udepur	29	15
10	Dahod	17	8
11	Dang	3	0
12	Devbhumi Dwarka	12	1
13	Gandhinagar	58	59
14	Gir Somnath	3	6
15	Jamnagar	21	11
16	Junagadh	14	6
17	Kheda	30	29
18	Kutch	24	20
19	Mahisagar	7	10
20	Mehsana	50	35
21	Morbi	9	10
22	Narmada	9	20
23	Navsari	55	31
24	Panchmahal	33	32
25	Patan	33	37
26	Porbandar	6	1
27	Rajkot	31	12
28	S. Nagar	52	38
29	Sabarkantha	213	401
30	Surat*	20	9
31	Tapi	18	12
32	Vadodara	55	41
33	Valsad	50	52
34	Daman	0	1
35	Diu	1	1
	Total	**1419**	**1386**
26.	**Maharashtra**		
1	Ahmednagar	135	121
2	Akola	68	46
3	Amrawati	65	46
4	Aurangabad	80	73
5	Beed	78	56
6	Bhandara	47	43
7	Buldhana	48	38
8	Chandrapur	62	74
9	Dhule	38	37
10	Gadchiroli	63	38
11	Gondia	57	36
12	Hingoli	89	14
13	Jalgaon	48	45
14	Jalna	57	38
15	Kolhapur	183	199

5	बनासकांठा	83	42
6	भरूच	31	26
7	भावनगर	95	79
8	बोटाड	1	5
9	छोटा उदयपुर	29	15
10	दाहोद	17	8
11	डैंग	3	0
12	देवभूमि दुक्रका	12	1
13	गांधीनगर	58	59
14	गिर सोमनाथ	3	6
15	जामनगर	21	11
16	जूनागढ़	14	6
17	खेड़ा	30	29
18	कच्छ	24	20
19	महिसगर	7	10
20	मेहसाणा	50	35
21	मोरबी	9	10
22	नर्मदा	9	20
23	नवसारी	55	31
24	पंचमहल	33	32
25	पाटन	33	37
26	पोरबंदर	6	1
27	राजकोट	31	12
28	एस.नगर	52	38
29	साबरकांठा	213	401
30	सूरत *	20	9
31	तापी	18	12
32	वडोदरा	55	41
33	वलसाड	50	52
34	दमन	0	1
35	दीव	1	1
	कुल	**1419**	**1386**
26.	महाराष्ट्र		
1	अहमदनगर	135	121
2	अकोला	68	46
3	अमरावती	65	46
4	औरंगाबाद	80	73
5	बीड	78	56
6	भंडारा	47	43
7	बुलढाना	48	38
8	चंद्रपुर	62	74
9	धुले	38	37
10	गडचिरोली	63	38
11	गोंदिया	57	36
12	हिंगोली	89	14
13	जलगांव	48	45
14	जलना	57	38
15	कोल्हापुर	183	199

16	Latur	55	37
17	Nagpur	98	81
18	Nanded	92	38
19	Nandurbar	33	15
20	Nasik	79	50
21	Osmanabad	60	49
22	Parbhani	61	55
23	Pune	90	96
24	Raigarh	54	123
25	Ratnagiri	73	147
26	Sangli	69	106
27	Satara	90	84
28	Sindhudurg	103	142
29	Solapur	155	132
30	Thane	56	60
31	Wardha	52	46
32	Washim	60	46
33	Yawatmal	73	74
34	PalGhar	0	22
35	Mumbai City	12	2
36	Mumbai SUB	14	16
	Total	**2497**	**2325**
27.	**Goa**		
1	North goa	80	78
2	South goa	11	12
	Total	**91**	**90**
28.	**Andhra Pradesh State (AP+vizag)**		
1	West Godavari	74	96
2	Guntur	59	24
3	Y.S.R.	57	201
4	Prakasam	55	0
5	East Godavari	61	201
6	Vizianagaram	56	128
7	Krishna	60	8
8	Kurnool	46	8
9	Ananthapur	40	0
10	Chittoor	35	64
11	Srikakulam	37	80
12	SPSR Nellore	27	153
13	Visakhapatnam	35	393
	TOTAL	**642**	**1356**
29.	**Telangana**		
1	Mahbubnagar	73	73
2	Nizamabad	90	91
3	Adilabad	56	56
4	Rangreddy	52	52
5	Nalgonda	46	46
6	Khamman	79	79

16	लातूर	55	37
17	नागपुर	98	81
18	नांदेड़	92	38
19	नंदुरबार	33	15
20	नासिक	79	50
21	उस्मानाबाद	60	49
22	परभनी	61	55
23	पुणे	90	96
24	रायगढ़	54	123
25	रत्नागिरी	73	147
26	सांगली	69	106
27	सतारा	90	84
28	सिंधुदुर्ग	103	142
29	सोलापुर	155	132
30	थाणे	56	60
31	वर्धा	52	46
32	वाशिम	60	46
33	यवतमाल	73	74
34	पालघर	0	22
35	मुंबई शहर	12	2
36	मुंबई सब	14	16
	कुल	**2497**	**2325**
27.	गोवा		
1	उत्तर गोवा	80	78
2	दक्षिण गोवा	11	12
	कुल	**91**	**90**
28.	आंध्र प्रदेश राज्य (एपी+विजाग)		
1	पश्चिम गोदावरी	74	96
2	गुंटूर	59	24
3	वाई.एस.आर.	57	201
4	प्रकाशम	55	0
5	पूर्व गोदावरी	61	201
6	विजयनगरम	56	128
7	कृष्णा	60	8
8	कुरनूल	46	8
9	अनंतपुर	40	0
10	चित्तूर	35	64
11	श्रीकाकुलम	37	80
12	एसपीएसआर नेल्लोर	27	153
13	विशाखापत्तनम	35	393
	कुल	**642**	**1356**
29.	तेलंगाना		
1	महबूबनगर	73	73
2	निजामाबाद	90	91
3	आदिलाबाद	56	56
4	रंगरेड्डी	52	52
5	नलगोंडा	46	46
6	खम्मन	79	79

7	Warangal	76	76
8	Karimnagar	83	84
9	Medak	70	70
10	Hyderabad	35	35
	Total	**660**	**662**
30.	**KARNATAKA STATE**		
1	Belgaum	205	211
2	Hassan	82	120
3	Dharwad	105	103
4	Shimoga	129	234
5	Udupi	102	150
6	Mysore	92	82
7	Bellary	92	93
8	Raichur	31	58
9	Bangalore Rural	37	83
10	Chitradurga	86	123
11	Bagalkot	126	146
12	Kolar	65	273
13	DK	105	160
14	Gulbarga	36	57
15	Mandya	84	52
16	Chikkballapur	60	81
17	Haveri	60	121
18	Bijapur	78	66
19	UK	57	47
20	Bangalore Urban	77	150
21	Bidar	63	60
22	Tumkur	66	102
23	Chamarajanagar	45	136
24	Chickmagalure	35	110
25	Davangere	63	70
26	Koppal	44	223
27	Ramanagara	31	143
28	Gadag	31	153
29	Yadgiri	35	113
30	Kodagu	18	55
	Total	**2140**	**3575**
31.	**Lakshadweep**		
	Lakshadweep	**0**	0
32.	**Kerala**		
1	THIRUVANANTHAPURAM	119	110
2	KOLLAM	89	106
3	PATHANAMTHITTA	111	93
4	ALAPPUZHA	105	108
5	KOTTAYAM	102	101
6	IDUKKI	80	164
7	ERNAKULAM	90	191
8	THRISSUR	80	102

7	वारंगल	76	76
8	करीमनगर	83	84
9	मेडक	70	70
10	हैदराबाद	35	35
	कुल	**660**	**662**
30.	कर्नाटक राज्य		
1	बेलगाम	205	211
2	हसन	82	120
3	धारवाड़	105	103
4	शिमोगा	129	234
5	उडुपी	102	150
6	मैसूर	92	82
7	बेल्लारी	92	93
8	रायचूर	31	58
9	बैंगलोर ग्रामीण	37	83
10	चित्रदुर्ग	86	123
11	बागलकोट	126	146
12	कोलार	65	273
13	डीके	105	160
14	गुलबर्गा	36	57
15	मंड्या	84	52
16	चिक्कबल्लपुर	60	81
17	हावेरी	60	121
18	बीजापुर	78	66
19	यूके	57	47
20	बैंगलोर शहरी	77	150
21	बीदर	63	60
22	तुमकुर	66	102
23	चामराजनगर	45	136
24	चिकमगलौर	35	110
25	दावणगेरे	63	70
26	कोप्पल	44	223
27	रामनगर	31	143
28	गडग	31	153
29	यादगिरी	35	113
30	कोडागू	18	55
	कुल	**2140**	**3575**
31.	लक्षद्वीप		
	लक्षद्वीप	**0**	0
32.	केरल		
1	तिरुवनंतपुरम	119	110
2	कोल्लम	89	106
3	पथानामथिट्टा	111	93
4	अलपूझा	105	108
5	कोट्टयाम	102	101
6	इडुक्की	80	164
7	एर्नाकुलम	90	191
8	त्रिशूर	80	102

9	PALAKKAD	91	127
10	MALAPPURAM	98	91
11	KOZHIKODE	113	128
12	WAYANAD	92	108
13	KANNUR	124	82
14	KASARAGOD	75	73
	Total	**1369**	**1584**
33.	**Tamilnadu**		
1	ARIYALUR	67	72
2	CHENNAI	35	70
3	COIMBATORE	59	137
4	CUDDALORE	70	83
5	DHARMAPURI	62	72
6	ERODE	86	113
7	KANCHEEPURAM	78	80
8	KARUR	21	98
9	KRISHNAGIRI	100	99
10	NAGAPATTINAM	76	117
11	NAMAKKAL	67	94
12	NILGIRIS	32	30
13	PERAMBALUR	29	73
14	SALEM	70	115
15	THANJAVUR	118	121
16	THIRUCHIRAPALLI	44	79
17	THIRUVALLORE	45	85
18	THIRUVARUR	43	83
19	TIRUVANNAMALAI	75	77
20	TIRUPUR	80	78
21	VELLORE	134	132
22	VILLUPURAM	98	120
23	DINDUGAL	62	69
24	KANYAKUMARI	146	112
25	MADURAI	54	92
26	PUDUKOTTAI	110	90
27	RAMANATHAPURAM	178	124
28	SIVAGANGAI	67	43
29	THENI	46	85
30	THIRUNELVELI	120	120
31	TUTICORIN	119	115
32	VIRUDHUNAGAR	72	63
	Total	**2463**	**2941**
34	**Puducherry**		
	Puducherry	65	66
	Total	**65**	**66**
	Grand total	**44340**	**52912**

9	पलक्कड़	91	127
10	मलप्पुरम	98	91
11	कोझिकोड	113	128
12	वायनाड	92	108
13	कन्नूर	124	82
14	कासरगोड	75	73
	कुल	**1369**	**1584**
33.	तमिलनाडु		
1	अरियालुर	67	72
2	चेन्नई	35	70
3	कोयंबत्तूर	59	137
4	कुड्डालोर	70	83
5	धर्मपुरी	62	72
6	इरोड	86	113
7	कांचीपुरम	78	80
8	करूर	21	98
9	कृष्णागिरी	100	99
10	नागपट्टिनम	76	117
11	नमक्कल	67	94
12	नीलगिरी	32	30
13	पेरम्बलुर	29	73
14	सलेम	70	115
15	तंजावुर	118	121
16	तिरुचिरापल्ली	44	79
17	थिरुवल्लौर	45	85
18	थिरुवरुर	43	83
19	तिरुवन्नामलाई	75	77
20	तिरुपुर	80	78
21	वेल्लोर	134	132
22	विल्लूपुरम	98	120
23	डिंडुगल	62	69
24	कन्याकूमारी	146	112
25	मदुरै	54	92
26	पुडुकोट्टई	110	90
27	रामनाथपुरम	178	124
28	शिवगंगई	67	43
29	थेनी	46	85
30	तिरूनेलवेली	120	120
31	तूतीकोरिन	119	115
32	विरुधुनगर	72	63
	कुल	**2463**	**2941**
34	पुडुचेरी		
	पुडुचेरी	65	66
	कुल	**65**	**66**
	कुल योग	**44340**	**52912**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2040
TO BE ANSWERED ON 02.08.2017

Schemes for development of MSMEs

2040. SHRI MEGHRAJ JAIN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:
(a) the details of schemes being run for development of Micro, Small and Medium Enterprises in the country;
(b) the State-wise number of Micro, Small and Medium Enterprises covered under the schemes implemented in the country during last three years and the current financial year including Madhya Pradesh; and
(c) whether Government is satisfied with the implementation of various schemes for development of Micro, Small and Medium Enterprises, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a) & (b): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has been implementing various schemes and programmes for development and promotion of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) across the country including Madhya Pradesh. The Major schemes/programmes include Prime Minister's Employment Generation Programme, Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, National Manufacturing Competitiveness Programme, Cluster Development Programme, Marketing Development Assistance, International Cooperation Scheme etc. All schemes implemented by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises are Central Sector Schemes. Therefore, allocation and monitoring of utilization of funds are not done State-wise under these schemes.

(c): For implementing various schemes for the development of MSMEs, Government has allocated Rs.3,327.00 crore, Rs.2,612.51 crore, Rs.3,000.00 crore and Rs.6,481.96 crore during 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 respectively. Out of which Rs. 2,391.13 crore, Rs. 2,440.56 crore, Rs.3,173.00 crore and Rs.2,840.15 crore (till 25.07.2017) respectively has been utilized.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2040

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु
चलाई जा रही योजनाएं

2040. श्री मेघराज जैनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संतुष्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है । इन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन विकास सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना आदि शामिल है । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित ये सभी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं । इसलिए इन स्कीमों के तहत निधियों का राज्य-वार आवंटन और उपयोग का मानीटरिंग नहीं किया जाता है ।

(ग) : सरकार ने वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 3,327.00 करोड़ रुपये, 2,612.51 करोड़ रुपये, 3000.00 करोड़ रुपये और 6481.96 करोड़ रुपये का आवंटन किया है । इनमें से क्रमशः 2,391.13 करोड़ रुपये, 2,440.56 करोड़ रुपये, 3173.00 करोड़ रुपये और 2,840.15 करोड़ रुपये (25.07.2017 तक) का उपयोग किया जा चुका है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2041
TO BE ANSWERED ON 02.08.2017

TREAD women entrepreneurship programme

2041. SHRI K.C.RAMAMURTHY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of NGOs part of TREAD women entrepreneurship programme through which lending institutions can provide financial assistance to women to encourage them to take up non-farming activities;

(b) the details of banks associated with this programme;

(c) the details of the non-farming activities taken up by women with this programme;

(d) whether there has been any visible improvement in rate of employment as a result of this programme; and

(e) if so, details thereof ?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a): Trade Related Entrepreneurship Development Assistance Scheme (TREAD) envisages economic empowerment of women. There is a provision of Govt of India Grant upto 30% of Loan/credit sanctioned subject to maximum ceiling of 30 Lakhs to NGOs as appraised by Lending Institutes/Banks for undertaking capacity building activities such as Training, counselling, Participation in exhibitions, establishment of new SHGs etc and other components as approved by Bank/Steering Committee.

(b): All Nationalized Banks.

(c): The details of the non-farming activities taken up by women are Tailoring, Handicrafts, Embroidery, Toy making, Readymade garments, Candle making, Agarbatti making, paper cup and plate making, Masala powder making, Saree weaving, Coir mat making, Pickles making, Readymade garments, basketry and brooms making, Jute bag making etc.

(d)&(e): The focus of the scheme is to promote self-employment and income generation activities for women mostly from SHG groups in non-farm sector.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2041

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

'ट्रेड' महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम

2041. श्री के. सी. राममूर्तिः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'ट्रेड' महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम के भाग के रूप में गैर-सरकारी संगठनों, जिनके द्वारा ऋण दात्री संस्थान महिलाओं को गैर-कृषि कार्यकलापों हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम से संबद्ध बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किए गए गैर-कृषि कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम से रोजगार की दर में कोई सुधार दृष्टिगोचर हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) : व्यापार संबंधी उद्यमिता विकास सहायता योजना (ट्रेड) में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का प्रावधान है । क्षमता निर्माण कार्यकलापों जैसे प्रशिक्षण, परामर्श, प्रदर्शनियों में भागीदारी, नए एसएचजी की स्थापना आदि और बैंक/संचालन समिति द्वारा यथा अनुमोदित अन्य घटकों के लिए ऋणदाता संस्थानों/बैंकों के मूल्यांकन के अनुसार गैर सरकारी संगठनों को अधिकतम 30 लाख रुपये तक संस्वीकृत ऋण/क्रेडिट के 30 फीसदी तक भारत सरकार के अनुदान का प्रावधान है ।

(ख) : सभी राष्ट्रीयकृत बैंक ।

(ग) : महिलाओं द्वारा शुरू किए गए गैर-कृषि कार्यकलाप हैं, सिलाई, हस्तशिल्प, कढ़ाई, खिलौना निर्माण, तैयार वस्त्र, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पेपर कप और प्लेट निर्माण, मसाला पाउडर बनाना, साड़ी की बुनाई, कॅयर मैट बनाना, अचार बनाना, तैयार वस्त्र, टोकरी तथा झाड़ू बनाना, जूट बैग बनाना, आदि ।

(घ) और (ङ) : योजना का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से स्व सहायता समूहों की महिलाओं में स्व-रोजगार और आय सृजन कार्यकलापों को बढ़ावा देना है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2042
TO BE ANSWERED ON: 02.08.2017

Schemes to finance raw material purchases by MSMEs

2042. SHRI K.C. RAMAMURTHY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of schemes that help MSMEs to finance their raw material purchases;
(b) the details of MSMEs benefited as a result of such schemes; and
(c) whether the Ministry plans to introduce any other programme for such firms to enable them to finance their purchases and focus on the quality of manufacturing?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)&(b): The National Small Industries Corporation Limited (NSIC) a Public Sector Undertaking under this Ministry facilitates raw material requirement of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by making arrangements with bulk manufacturers for procuring the materials and supplying the same to MSMEs. NSIC also provides financial assistance to MSMEs under their Raw Material Assistance Scheme against bank guarantee for payment to the suppliers. Credit support is also provided for procurement of materials from the suppliers/sources identified by the MSMEs as per their requirement against bank guarantee. During FY 2016-17, NSIC facilitated 3820 units under their Raw Material Assistance scheme.

(c): No Sir.

***

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2042

उत्तर देने की तारीख 02.08.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा कच्चे माल की खरीद हेतु वित्त-पोषण संबंधी योजनाएं

2042. श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एसएसएमई) को कच्चे माल की खरीद के लिए वित्त पोषण में मदद हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं से लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय की ऐसी फर्मों के लिए खरीदों के वित्त पोषण और निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु कोई कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख):- इस मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) सामग्रियों के प्रापण के लिए बड़े विनिर्माताओं के साथ प्रबंध करके एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उसकी आपूर्ति करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कच्ची सामग्रियों की अपेक्षाओं को सुसाध्य बनाता है। एनएसआईसी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए बैंक गारंटी के समक्ष अपनी कच्ची सामग्री सहायता स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को वित्तीय सहायता भी देता है। बैंक गारंटी के समक्ष एमएसएमई द्वारा चिन्हित आपूर्तिकर्ताओं/स्रोतों से सामग्री के प्रापण (प्रोक्युअरमेंट) के लिए उनकी आवश्यकतानुसार ऋण सहायता भी दी जाती है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान एनएसआईसी ने अपनी कच्ची सामग्री सहायता स्कीम के अंतर्गत 3820 इकाइयों को सुसाध्य बनाया ।

(ग):- जी, नहीं।

******

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 243rd Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 09.08.2017

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	High Prices of domestic MSME products	AS&DC/ ADC (PS)	**248**	**8***	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Budget allocated by Coir Board	JS (ARI)	2671	
2.	Demands placed by MSMEs before roll out of GST	AS&DC/ ADC (PS)	2672	
3.	Creation of employment opportunities through MSMEs	JS (ARI)	2673	
4.	GST on Khadi products	JS (ARI)	2674	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *248
TO BE ANSWERED ON: 09.08.2017

High prices of domestic MSME products

*248. SHRI AMAR SHANKAR SABLE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the products of domestic micro, small and medium enterprises are lagging due to the availability of products of multinational companies, if so, the details thereof ;

(b) the reasons for the high prices of domestic products as compared to those manufactured in China; and

(c) whether Government has provided any assistance to encourage and protect the domestic micro, small and medium industries and whether Government has taken any preventive measures, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI KALRAJ MISHRA)

(a)to(c): A Statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *248

उत्तर देने की तारीख : 09.08.2017

घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में विनिर्मित उत्पादों का मूल्य अधिक होना

*248. श्री अमर शंकर साबलेः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की उपलब्धता के कारण पिछड़ रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चीन में विनिर्मित उत्पादों की तुलना में घरेलू उत्पादों के अधिक महंगा होने के क्या-क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने घरेलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा के लिए कोई सहायता प्रदान की है तथा क्या सरकार ने कोई निवारक उपाय किए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) IN RESPECT OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO *248 FOR ANSWER ON 09.08.2017

(a)&(b): The survival and growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) depend on a number of factors like availability of timely credit, up-gradation of technology, infrastructure, access to market, quality of products and competition from internal and external sources. The products manufactured in China are reportedly of lower price mainly because of their opaque subsidy regime and distorted factor prices.

(c): Yes. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is committed to handholding and promoting MSMEs in the country through its schemes/programmes which include Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Marketing Assistance and Technology Up-gradation (MATU), ZED Certification Scheme and Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSMEs) etc.

***

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *248, जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2017 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की उत्तरजीविता तथा विकास विभिन्न कारणों जैसे समय पर ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना का उन्नयन बाजार तक पहुंच, उत्पादों की गुणवत्ता तथा आंतरिक और बाहरी स्रोतों से प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है । चीन में निर्मित उत्पादों की कीमत मुख्यत: उनकी अपारदर्शी सब्सिडी प्रणाली और विरूपित उत्पादन मूल्यों के कारण कम होने की सूचना है ।

(ग) : जी, हां । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों, जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), क्रेडिट गारंटी स्कीम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू), जेड प्रमाणन स्कीम और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति इत्यादि शामिल हैं, के माध्यम से देश में एमएसएमई की सहायता तथा संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2671
TO BE ANSWERED ON 09.08.2017

Budget allocated by Coir Board

2671. SHRI MAJEED MEMON:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the quantum of budget allocated by Coir Board for the last two years and current year and the actual utilisation of funds under various heads;

(b) whether Coir Board raised the demand for more Non-Plan allocation to meet the salary dues, if so, what steps did Government take;

(c) the budget allocation under Coir Udyami Yojana (CUY) and what were the physical targets and how many units were actually assisted during last two years; and

(d) how does the Coir Udyami Yojana (CUY) propose to utilise the allocated funds and what are the physical targets for the current financial year?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Budget allocated by Coir Board for the last two years & current year and utilization of funds under various heads is as follows:

(Rs. In lakhs)

Schemes	2015-16				2016-17			
	Sanctioned Budget	Opening Balance	Releases	Utilization	Sanctioned Budget	Opening Balance	Releases	Utilization
Plan S&T	300.00	0.10	300.00	300.10	700.00	0.00	692.50	692.50
Coir Vikas Yojana	2352.37	237.73	2167.37	2381.30	1500.00	23.80	1500.00	1523.80
Coir Udyami yojana	837.63	360.08	687.63	1000.41	1500.00	47.30	1311.00	1295.35
SFURTI	--	0.00	1988.71	398.84	--	1589.87	2125.98	1645.20
Non Plan	2365.00	0.00	2365.00	2365.00	3555.00	0.00	3555.00	2957.65
Loans & Advances	30.00	0.00	7.50	7.50	30.00	0.00	15.00	15.00

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2671

उत्तर देने की तारीख 09.08.2017

कयर बोर्ड द्वारा आवंटित बजट

2671. श्री माजीद मेमनः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कयर बोर्ड द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितना-कितना बजट आवंटित किया गया है और उक्त में से वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या कयर बोर्ड ने वेतन संबंधी देय राशि की व्यवस्था करने हेतु और अधिक योजनेतर आवंटन की मांग की है, यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान कयर उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने बजट का आवंटन किया गया था और इस हेतु क्या वास्तविक लक्ष्य तय किए गए थे और वास्तव में कितनी इकाइयों को सहायता प्रदान की गई थी; और

(घ) कयर उद्यमी योजना आवंटित धनराशि का किस प्रकार उपयोग करने का विचार रखता है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए कयर बोर्ड द्वारा आवंटित बजट एवं विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधियों का उपयोग निम्नलिखित हैं:

(रुपये लाख में)

स्कीम	2015-16				2016-17			
	स्वीकृत बजट	अथ शेष	जारी निधियां	उपयोग	स्वीकृत बजट	अथ शेष	जारी निधियां	उपयोग
योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	300.00	0.10	300.00	300.10	700.00	0.00	692.50	692.50
कयर विकास योजना	2352.37	237.73	2167.37	2381.30	1500.00	23.80	1500.00	1523.80
कयर उद्यमी योजना	837.63	360.08	687.63	1000.41	1500.00	47.30	1311.00	1295.35
स्फूर्ति	--	0.00	1988.71	398.84	--	1589.87	2125.98	1645.20
गैर-योजना	2365.00	0.00	2365.00	2365.00	3555.00	0.00	3555.00	2957.65
ऋण और अग्रिम	30.00	0.00	7.50	7.50	30.00	0.00	15.00	15.00

Schemes	2017-18 (current year)			
	Sanctioned Budget	Opening Balance	Releases	Utilization
Plan S&T	350.00	0.00	106.26	106.26
Coir Vikas Yojana	1955.00	0.00	944.18	944.18
Coir Udyami yojana	1000.00	62.95	400.00	117.04
SFURTI	--	2070.65	---	128.79
Non Plan	30.45	597.35	761.25	1365.60
Loans & Advances	30.00	0.00	10.00	0.00

During the year 2016-17 at RE stage Rs. 35.55 Crores was allocated for salaries compared to Rs. 23.65 Crores of 2015-16. For the year 2017-18 Rs. 30.45 Crores has been provided for salaries and establishment expenses under BE.

(c)&(d): The budget allocations under Coir Udyami Yojana (CUY) and the physical targets and number of coir units assisted during the last two years are as follows:

(Rs. in crores)

Year	Budget Allocation	Physical Target	No. of units assisted
2015-16	20.00	825	611
2016-17	20.00	618	586

The Coir Udyami Yojana is a credit linked subsidy scheme in the coir sector. The pattern of financial assistance under the scheme is 40% of the project cost as Government of India subsidy, 55% as loan from Bank and 5% beneficiary contribution. The Scheme covers any type of coir project with project cost upto Rs.10 lakhs plus working capital, which shall not exceed 25% of the project cost. However the working capital shall not be considered for subsidy. The loan under the Scheme is without collateral/third party guarantee. It is open to individuals, companies, Self Help Groups, Non Governmental Organizations, Institutions registered under Societies Registration Act 1860, Production Co-operative Societies, Joint Liability Groups and Charitable Trust.

During the current year 2017-18 an outlay of Rs.10.00 crores has been allocated under the Scheme for setting up of 450 coir units in the country.

*****

स्कीम	2017-18 (चालू वर्ष)			
	स्वीकृत बजट	अथ शेष	जारी निधियां	उपयोग
योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	350.00	0.00	106.26	106.26
कयर विकास योजना	1955.00	0.00	944.18	944.18
कयर उद्यमी योजना	1000.00	62.95	400.00	117.04
स्फूर्ति	--	2070.65	---	128.79
गैर-योजना	30.45	597.35	761.25	1365.60
ऋण और अग्रिम	30.00	0.00	10.00	0.00

वर्ष 2015-16 के 23.65 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर वेतन के लिए 35.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान के अंतर्गत वेतन एवं स्थापना व्यय के लिए 30.45 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(ग) और (घ): विगत दो वर्षों के दौरान कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) के अंतर्गत बजट आबंटन एवं वास्तविक लक्ष्य तथा सहायता प्राप्त कयर इकाइयों की संख्या निम्नलिखित हैं:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या
2015-16	20.00	825	611
2016-17	20.00	618	586

कयर उद्यमी योजना कयर क्षेत्र में एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता का पैटर्न भारत सरकार की सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 40%, बैंक से ऋण के रूप में 55% तथा लाभार्थी अंशदान के रूप में 5% है। इस स्कीम में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली किसी प्रकार की परियोजना तथा कार्यशील पूँजी कवर होती है और वह परियोजना लागत के 25% से अधिक नहीं होगी। तथापि, कार्यशील पूँजी पर सब्सिडी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत ऋण संपार्श्विक/तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना है। यह व्यक्तियों, कंपनियों, स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं, उत्पादन सहकारी समितियों, संयुक्त दायित्व समूह एवं धर्मार्थ न्यासों के लिए खुला है।

देश में 450 कयर इकाइयों की स्थापना के लिए इस स्कीम के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 10.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2672
TO BE ANSWERED ON: 09.08.2017

Demands placed by MSMEs before role out of GST

2672. DR. R. LAKSHMANAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of the demands that were placed before Government by Micro, Small and Medium Enterprises sector before the rolling out of GST in the country; and

(b) the details of the demands that was accepted by Government that was placed by Micro, Small and Medium Enterprises sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)

(a)&(b): The demands by MSMEs were mainly related to rates and procedural aspects. These were considered based on widely accepted economic principles and after due deliberation with various stakeholders by the GST Council, which is a constitutional body. It has been decided that there would be no differentiation between the MSME sector and the rest of the industrial sector as it would result in economic distortions.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2672

उत्तर देने की तारीख : 09.08.2017

माल एवं सेवा कर लागू होने से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा की गई मांगें

2672. डा. आर. लक्ष्मणन

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में माल एवं सेवा कर लागू किए जाने से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा रखी गई जो-जो मांगें मंजूर की हैं उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : एमएसएमई की मांगें मुख्यत: दरों और प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित थीं। इन मांगों पर जीएसटी परिषद द्वारा, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, विभिन्न हितधारकों के साथ यथोचित विचार-विमर्श के बाद और व्यापक रूप से स्वीकार्य आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि एमएसएमई क्षेत्र और शेष औद्योगिक क्षेत्र के बीच कोई भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकृतियां उत्पन्न होंगी।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2673
TO BE ANSWERED ON 09.08.2017

Creation of employment opportunities through MSMEs

2673. SHRI PARIMAL NATHWANI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether the Micro, Small and Medium Enterprises play an important role in creating employment opportunities in the country;
(b) if so, the details thereof;
(c) the details of targets fixed and achieved by Government regarding creation of employment opportunities during each of the last three years and the current year in the country especially, in the State of Jharkhand and Gujarat; and
(d) the steps taken by Government for achieving the said targets?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): Yes Sir, the Micro, Small and Medium Enterprises play an important role in creating employment opportunities in the country. As per the last Census (Fourth) of Micro, Small and Medium Enterprises data collected with reference to base year 2006-07, as well as data extracted from the Economic Census 2005 conducted by Central Statistical Office (CSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), for activities excluded from Fourth Census, namely wholesale/retail trade, legal, educational and social services, hotel & restaurants, transports and storage & warehousing (except cold storage), the total employment in the MSME sector was 805.24 lakh.

(c): Details of targets fixed and achieved in respect of employment generation under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) during the last three years and the current year in the country and particularly in the States of Jharkhand and Gujarat is given below:

	Target for employment generation				**Estimated employment generated**			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
All India	703492	516232	434758	406272	357502	323362	407840	85792
Jharkhand	28288	13848	8663	1440	8495	12873	10400	1576
Gujarat	28520	26144	29594	1980	18107	14960	11629	3888

*(as on 01.08.2017)

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2673

उत्तर देने की तारीख 09.08.2017

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के माध्यम से
रोज़गार के अवसरों का सृजन

2673. श्री परिमल नथवानीः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश में रोज़गार के अवसरों का सृजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर झारखंड और गुजरात राज्य में रोज़गार के अवसरों के सृजन के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाता है। आधार वर्ष 2006-07 के संदर्भ में, एकत्रित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अंतिम गणना (चौथी) तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित आर्थिक गणना, 2005 से लिए आंकड़ों के अनुसार, चौथी गणना अर्थात् थोक / खुदरा व्यापार, कानूनी, शैक्षिक एवं सामाजिक सेवाएं, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन और भंडारण तथा वेयर हाउसिंग (शीतागार को छोड़कर) से अलग किए कार्यकलापों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कुल रोजगार 805.24 लाख था।

(ग) देश में तथा विशेषकर झारखंड एवं गुजरात राज्यों में विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत रोजगार सृजन के संबंध में निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्यों का ब्योरा नीचे दिया गया हैः

	रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य				सृजित अनुमानित रोजगार			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
अखिल भारत	703492	516232	434758	406272	357502	323362	407840	85792
झारखंड	28288	13848	8663	1440	8495	12873	10400	1576
गुजरात	28520	26144	29594	1980	18107	14960	11629	3888

*(01.08.2017 की स्थिति के अनुसार)

(d): Following initiatives have been taken to achieve the targets under PMEGP Scheme:

- In order to streamline the process of application flow and fund flow and to bring in transparency and better financial management and to prevent parking of funds at Nodal bank level an online PMEGP-MIS web portal has been introduced. All applications and fund flow is processed online in stipulated time frame.

- Publicity is being made through print and electronic media, awareness camps at District level and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro industries.

- Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.

- For speedy completion of EDP training, these are being conducted through Departmental Training Centres as well as RSETIs/RUDSETIs as per MOU executed between KVIC & MCR.

- Industries such as Khadi, processing of Pashmina Wool, handloom and power loom units, value added products for tea, coffee, rubber etc. and transport activities are now eligible for assistance under PMEGP.

*****

(घ) पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:-

- आवेदनों एवं निधियों का निपटारा करने के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगार बनाने एवं पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन लाने एवं नोडल बैंक स्तर पर निधियों के जमा (पार्किंग) को रोकने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पीएमईजीपी वेब पोर्टल शुरू किया गया है। निर्धारित समय सीमा में सभी आवेदन पत्र एवं निधि प्रवाह संसाधित किए जाते हैं।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।
- उद्यमों / इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला / राज्य / अंचल एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाती है।
- ईडीपी प्रशिक्षण के त्वरित समापन के लिए, इन्हें केवीआईसी एवं एमसीआर के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों एवं आरसेटी / रूडसेटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
- खादी, पशमीना ऊन का प्रसंस्करण, करघा एवं विद्युत करघा इकाइयों, चाय, कॉफी, रबड़ आदि के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों एवं परिवहन कार्यकलापों जैसे उद्योग अब पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं।

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2674
TO BE ANSWERED ON 09.08.2017

GST on Khadi products

2674. SHRI VIVEK GUPTA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) what is Government's stand on introduction of GST on Khadi products, the details thereof;

(b) whether Government is planning to approach Ministry of Finance with a request to bring all Khadi products under 5 per cent GST slab and not above, if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the same?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) welcomes the introduction of GST. The entire Khadi & Village Industries (KVI) sector has been enjoying the benefit of tax exemption even under the pre-independence era. With the exemption to the SSI sector being drastically reduced from the existing Rs.150 lakh to Rs.20 lakh, the exemption cover enjoyed by many of the Khadi Institutions (KIs) has been removed. KIs are now mandated to obtain registration under GST and also pay GST on various Khadi products which is 5%. The products of the Village Industries sector were either taxed @ 0-14.30% before-GST and post-GST the same products attracts tax @ 12-28%, and the details of the same is at **Annexure-I**.

(b): At present only Khadi yarn produced in Khadi sector is exempted, while other Khadi products attracts 5% GST. Ministry of MSME has approached Ministry of Finance to consider the sector for exemption from GST or to ensure a seamless flow of input tax credit in order for Khadi Institutions to claim input tax credit.

(c): Does not arise.

* * *

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2674

उत्तर देने की तारीख 09.08.2017

खादी उत्पादों पर माल एवं सेवा कर

2674. श्री विवेक गुप्ताः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खादी उत्पादों पर माल एवं सेवा कर लगाने के संबंध में सरकार का क्या रुख है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सभी खादी उत्पादों को माल एवं सेवा कर की पांच प्रतिशत की स्लैब के अंतर्गत लाने का अनुरोध् करते हुए वित्त मंत्रालय से सम्पर्क करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जीएसटी की शुरूआत का स्वागत करता है। सम्पूर्ण खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व के समय में भी कर छूट का लाभ लेता रहा है। मौजूदा 150 लाख रूपये से 20 लाख रुपये तक की प्रबल कमी के चलते लघु उद्योग क्षेत्र की छूट से बहुत-सी खादी संस्थाओं (केआई) द्वारा ली जाने वाली छूट को हटा दिया गया है। खादी संस्थाओं को अब जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और विभिन्न खादी उत्पादों पर भी जीएसटी चुकाना है जो 5% है। खादी उद्योग क्षेत्र के उत्पादों पर जीएसटी से पूर्व 0-14.30% की दर से कर लगता था और जीएसटी के पश्चात् उन उत्पादों पर 12-18% की दर से कर लगता है एवं उनका ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): वर्तमान में खादी क्षेत्र में उत्पादित खादी धागे(यार्न) को ही कर मुक्त रखा गया है जबकि अन्य खादी उत्पादों पर 5% जीएसटी लगता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जीएसटी से छूट के लिए इस क्षेत्र पर विचार करने अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए खादी संस्थाओं हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

****

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (a) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2674 for answer on 09.08.2017

Details of products of the Village Industries sector under pre-GST & post-GST

Items	Before (GST)	After (GST)
Dona plate	5%	18%
PVC Scrap	5%	18%
Ayurvedic Medicine	0%	12%
Sanitary Hardware & Paint	14%	28%
Marble & Granite	5-14%	28%
Electronic Weighing Scale	5.5%	28%
Lock	5%	18%
Mentha	5%	18%
Solar Plate	0%	18%
Textile sector	0 to 5%	18%
Gobar Gas/Bio Fuel Generator	0%	18%
Agriculture Diesel Engine (upto 12 B.H.P.)	5%	28%
Plywood	14.30%	28%
Sewing Machine parts	5%	12%
Detergents	5%	28%
Glassware boll (Kancha)	0%	18%
Tractor attachments	14%	28%
Weighing machines	14%	28%
Wet grinders	14%	28%
Compressors	14%	28%
Packing Machines	14%	28%
Auto-parts	14%	28%
Garage Equipment	14%	28%
Hand-made soap (3401)	0%	18%
Hand-made paper (4802)	0-4%	12%
Herbal Shampoo (3305)	5-12%	28%
Leather Products (suit-case/brief-case/other articles)	5-12%	28%
Agricultural, Horticultural or Forestry Machinery for Soil preparation	5%	12%
Harvesting or threshing machinery	0%	12%
All food mixes, sharbat, ready to eat packaged food	5%	18%
Hand operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drink	5%	18%

अनुबंध-I

दिनांक 09.08.2017 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2674 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

जीएसटी पूर्व तथा जीएसटी पश्चात् के अंतर्गत ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादों का ब्योरा

मदें	पूर्व(जीएसटी)	पश्चात्(जीएसटी)
डोना प्लेट	5%	18%
पीवीसी स्क्रैप	5%	18%
आयुर्वेदिक दवा	0%	12%
स्वच्छता हार्डवेयर और पेंट	14%	28%
संगमरमर और ग्रेनाइट	5-14%	28%
इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल	5.5%	28%
ताला	5%	18%
मेंथा	5%	18%
सौर प्लेट	0%	18%
वस्त्र क्षेत्र	0 to 5%	18%
गोबर गैस / जैव ईंधन जेनरेटर	0%	18%
कृषि डीजल इंजन (12 बीएचपी तक)	5%	28%
प्लाईवुड	14.30%	28%
सिलाई मशीन पार्ट्स	5%	12%
डिटर्जेंट	5%	28%
ग्लासवेयर बॉल (कांच)	0%	18%
ट्रैक्टर अटैचमेंट्स	14%	28%
वेईंग मशीन	14%	28%
वेट ग्राइंडर	14%	28%
कंप्रेसर	14%	28%
पैकिंग मशीनें	14%	28%
वाहन के कलपुर्जे	14%	28%
गैरेज उपकरण	14%	28%
हाथ से बने साबुन (3401)	0%	18%
हाथ से बने कागज (4802)	0-4%	12%
हर्बल शैम्पू (3305)	5-12%	28%
चमड़ा उत्पाद (सूट-केस/ब्रीफ केस/अन्य चीजें)	5-12%	28%
मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी	5%	12%
कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी	0%	12%
सभी फूड मिक्सेज, शर्बत, रेडी टू इट पैकेज्ड फूड	5%	18%
भोजन या पेय पदार्थ को तैयार करने, कंडीशनिंग या परोसने में प्रयुक्त 10 किग्रा. या कम वजन वाले हस्तचालित मैकेनिकल अप्लीएंसेज	5%	18%